Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] तृतीय विधान सभा के दसवें सत्र, १९६६ का ७ वां दिवस [संख्या ५

बुधवार, दिनांक २१ सितम्बर, १९६६.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, पंचायत, यातायात, राजकीय उद्योग, विद्युत्, नगर आयोजन, खनिज, स्वायत्त शासन, योजना—विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

आहू नदी का पुल

१२१. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि माह जुलाई-अगस्त, १९६६ की पहली बरसात में सुनेल (झालावाड) से पूर्व आहू नदी पर बना पुल बह गया ?

(२) उक्त पुल का निर्माण कब सम्पूर्ण हुआ था व उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(३) उक्त पुल का ठेका किस ठेकेदार अथवा कम्पनी को दिया गया था ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भीमसिंह) : (१) पुल नहीं बहा है केवल पुल के एप्रोच को हानि पहुंची है।

(२) इस पुल का निर्माण कार्य २८. २. ६६ को पूर्ण हुआ है और ३, ३५, १३४) रु० का व्यय हुआ है।

(३) "मेसर्स राज इन्जीनियरिंग को." झालावाड को ठेका दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रश्न के खंड १ को दुबारा रिपीट कर दीजिये। मैं सुन नहीं सका, आवाज नहीं आयी पूरी।

श्री **भीमसिंह** : (१) पुल नहीं बहा है केवल पुल के एप्रोच को हानि पहुंची है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पुल बहा है तो क्या उसके नुक्सान के एस्टीमेट किये हैं और किये है तो कुल कितना नुक्सान हुआ है ?

श्री भीमसिंह : उसकी इन्क्वायरी अभी चालू है और कुल कितना नुक्सान हुआ है उसकी सारी कार्यवाही की जा रही है।

Page No. 2

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्यों टूटा ? मेटिरियल खराब था या क्या था यह अलग प्रश्न है। लेकिन, जो नुकसान हुआ है वह कुल कितना एस्टीमेटेड हुआ है ?

श्री भीमसिंह : करीब १२ हजार रूपये।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या यह सही है कि पुल का डिजाइन डिफेक्टिव था ?

श्री भीमसिंह : टूटने के काजेज की इन्क्वायरी की जा रही है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां जो वर्षा हुई है वह एक रिकार्डेड वर्षा हुई है। पिछले तीस वर्षों में ऐसी तगड़ी वर्षा नहीं हुई है और उसके बावजूद भी पुल साबित रहा है तो जिसने डिजाइन किया है वह इतना अच्छा डिजाइन किया है, पुल के चौतरफ पानी बहा फिर भी पुल स्टेन्ड कर गया यह क्रेडिटेबल है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपके सामने यह सूचना है कि तीन वर्ष में ऐसी वर्षा नहीं हुई यह गलत है। ६ ईन्च वर्षा हुई है। इतनी वर्षा नहीं हुई जिस प्रकार आप बता रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि १२ हजार का लोस हुआ तो यह ठेकेदार पर जिम्मेदारी आयद की जावेगी या नहीं ?

श्री भीमसिंह : जब इन्क्वायरी पूरी हो जावेगी कि काजेज क्या था, क्यों टूटा, सारी इन्क्वायरी आने पर ही तो किसी को पिन डाउन किया जा सकता है। जब तक इन्क्वायरी नही हो जावे तब तक किसी के जिम्मे यह नहीं डाला जा सकता।

श्री गोविन्दसिंह : यह पुल पहले पांच फिट आगे बना हुआ था, फिर डिजाइन करके पांच फुट पीछे कर दिया। पिलर्स लगाये थे तो ऐसे लगाये थे कि कभी पानी नहीं आवेगा।

श्री दयाचन्द सोन (बारां—सु०) मेसर्स राज एन्ड कम्पनी किससे सम्बन्धित है ? भूतपूर्व पी० डबल्यू० डी० मिनिस्टर से सम्बन्धित हैं क्या ?

मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री मथुरा दास माथुर) : यह सर्विसेबल पुल है। उसके ऊपर से पानी निकल जाय, बह जाय लेकिन पुल को ठेस नहीं लगे। पुल डेमेज नहीं हुआ है। साइड में जो रोड है, आस—पास ज्यादा पानी होने से; एक साथ ७ इंच पानी हो जाने से एक फ्लड आ गया

फ्लड आने की वजह से साइड में जो सड़क बनी थी उस पर डामर हो नहीं पाया था, मिट्टी ही पड़ सकी थी दो महीने पहले ही बनी थी तो इस वजह से वह कच्ची मिट्टी सड़क की कट गई और दोनों साइड से वह सड़क वह गई। अब उसके नुकसान का एस्टीमेट करीब १२ हजार का हम आंकते हैं। अब इसके बाद में पता लगेगा कि क्या कारण था इसके टूटने करने का। एडीशनल चीफ इन्जीनियर वहां गये हैं। वे आ गये हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद बताया जा सकेगा कि क्या है क्या नहीं है, और किसकी रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जिस कम्पनी के मार्फत इसका काम हुआ है उस ने जहाँ जहाँ भी काम किये अक्सर वहाँ

Page No. 3

ऐसा ही होता रहा है। क्या सरकार यह भी देखेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई कम्पनी हो, कोई ठेकेदार हो। अगर ठीक काम नहीं करेगा तो जिम्मेदारी उसकी होगी, या सुपरवाइज ठीक नहीं किया तो सुपरवाइज करने वाले इन्जीनियर की होगी और सबको जो जिम्मेदार होंगे सजा मिलेगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस कम्पनी ने इस तरह से जितने गड़बड़ी के काम किये उनमें एक बार भी आपने ऐक्शन लिया है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : हमें क्या पता, कौनसी कम्पनी है।

आवां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

१२२. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) आवां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कब खोला गया था और उस पर कितना स्टाफ कब से काम कर रहा है ?

(२) आवां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर मकान की क्या व्यवस्था है और सरकार द्वारा अब तक मकान के लिए सहायता नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या स्थानीय पी. एम. ओ. ने गांव द्वारा ३५ हजार रुपये की लागत से निर्मित भवन में ही आवश्यक रद्दोबदल करके काम में लेने की सिफारिश की है ? यदि हाँ, तो कब कब और इस पर कितनी रकम खर्च होजाने का अनुमान है ?

(४) सरकार द्वारा मकान के सम्बन्ध में आखिरी फैसला किया गया है और उसके आधार पर धन की क्या व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) दिनांक १०।४।६५ से खोला गया था और उसमें दो कम्पाउन्डर ग्रेड II तथा एक मिड वाइफ और २ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अप्रेल १९६५ से ही काम कर रहे हैं और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जून ६६ से काम कर रहा है।

(२) यह केन्द्र जनता द्वारा दिये गये भवन में चल रहा है। बजट में प्रावधान नहीं होने से सहायता प्रदान नहीं की जा सकी।

(३) डाईरेक्टर मैडिकल एवं हैल्थ सर्विसेज को पी. एम. एच, ओ. द्वारा १५ ७।६६ को प्रस्ताव भेजा गया था।

(४) आज कल इकोनोमी कट की वजह से नये काम हाथ में लेना बन्द है। इसलिये अभी कोई कार्यवाही होना सम्भव नहीं है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, लास्ट ईयर कोई कट नहीं था तो लास्ट ईयर प्रोवीजन क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किय कि हर साल बजट में प्रोवीजन के अनुसार ग्रान्ट दी जाती है। तो जिनको देनी थी, उनको दे दी। इसका नम्बर उस वक्त नहीं आया।

श्री जुझारसिंह आपने पहले कहा कि मकान नहीं लेंगे, इसके बजाय दस हजार रुपया दिया जावे। फिर चालीस हजार की बात कही। फिर उन्होंने यह बात मंजूर कर ली कि मकान ले लेंगे और २१ हजार में ही काम चलावेंगे। तो इस तरह से आपने इस काम को पूरा करने में अननेसेसरी डिले की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जनता का कोई नुकसान नहीं हुआ। काम कर रहा है वह सेन्टर। सरकार ने मना नहीं किया है। साधनों के अनुसार एड भी दे दी जावेगी। पहले मकान मांगा, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जुझारसिंह : मेडिकल और इस तरह की एज्यूकेशनल ग्रान्ट अभी भी दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एजूकेशन के लिये जो बजट सेक्सन्स हैं उसके माफिक खर्च किया जाता है।

प्रश्न संख्या १२३

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२४

श्री रावतराम।

अनुपस्थित कृपया आगे देखिये

श्री रामकिशन।

नीम का थाना पंचायत समिति का ट्रैक्टर

१२५. श्री रामकिशन (वैर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

१, नीम का थाना पंचायत समिति का ट्रेक्टर कितने रुपये में व कब खरीदा गया था ?

२. इस ट्रेक्टर की आमदनी व खर्च का आज तक का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें :

३. यदि इस ट्रेक्टर से नुकसान हुआ है, तो नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है ?

४. क्या यह सही है कि यह ट्रेक्टर प्रधान व बी. डी. ओ. के निजी काम में सवारियां लाने ले जाने के काम में लिया जाता है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास)

१, माह जून १९६४ में १८,९३९) ४२ में खरीदा गया।

२. विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

३. कोई नुकसान नहीं हुआ है।

४. जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामकिशन : यह जो विवरण दिया गया है आमदनी और खर्च का, यह ग्रोस इन्कम हैं या नैट इन्कम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आमदनी में से जो खर्च हुआ वह निकाल दीजिये, वह नैट हो जावेगा।

श्री रामकिशन : यह खर्चा किस किस में हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डीजल आईल, आइल, ड्राईवरों का खर्चा, ट्रेक्टर की मरम्मत और जो एक्सेसरीज और स्पेयर पार्टस हैं उनमें ।

श्री रामकिशन : इसमें डीजल भी शामिल है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हाँ ।

श्री रामकिशन : मरम्मत कब किस २ चीज की हुई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी डिटेल्स मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री रामकिशन : दो साल में इतना हुआ तो आमदनी इससे भी अधिक होनी चाहिये । आप, हम, सब जानते हैं कि नया ट्रेक्टर था, प्रारंभ में उस पर इतना खर्चा मरम्मत का भी नहीं आ सकता, अगर उसको ठीक से मेन्टने किया जावे और कम से कम सौ रुपया प्रतिदिन की आमदनी उससे हो सकती है, उस हिसाब से अधिक लाभ होना चाहिये । यह तो आमदनी में से खर्चा निकालने के बाद तीन हजार आपका वेलेन्स रहता है । यह भी टीयर-वीयर में चला जावेगा फिर दो साल में ट्रेक्टर १५ हजार का केवल खर्चा कैसे करा सकता है !

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर आमदनी १८ हजार कैसे हो सकती है ।

श्री रामकिशन : यह तो बताया न । एक ट्रेक्टर सौ रुपया रोज में जाता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) खर्च और आमदनी का ब्यौरा भी मांगा गया था पर माननीय मन्त्रीजी ने ब्यौरा न देकर टोटल दे दी है आमदनी की और खर्चे की । तो या तो मन्त्रीजी को अंग्रेजी ज्यादा आती है । हिन्दी में प्रश्न होने से वे उसे समझ नहीं पाये, पूरा ब्यौरे का मतलब साफ है । फिर अगर माननीय मन्त्रीजी की फाइल में ब्यौरा हो तो उसे छिपाने की कोशिश न करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : ब्यौरे का मतलब इन्कम और एक्सपेन्डीचर समझते हैं इससे ज्यादा इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है, वह मैंने बता दिया है ।

रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित रक्खा जावे और आमदनी और व्यय का पूरा ब्यौरा मन्त्री महोदय से प्राप्त किया जावे, ताकि इस में हुआ घोटाला पूरी तरह से सदन के सामने आ सके ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) इस खर्चे में डेप्रिसियेशन भी दो सालों का शामिल किया गया है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस ट्रेक्टर के साथ यदि कोई गड़बड़ी की गई हो तो आप वह बता दें । मैं जांच करके बता दूंगा । पोइन्टेडली किसी बात के लिये पूछना चाहते हों तो मुझे बतावें ।

श्री रामकिशन : पूछा ही यही है कि ब्यौरेवार खर्च और आमदनी बताई जावे । फिर इसी ट्रेक्टर का सवाल नहीं है । जनरली मैं कहना चाहता हूँ कि जहां भी पंचायत समितियों में ट्रेक्टर हैं, अधिकांश मै उनका दुरुपयोग होता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

(बसों की मरम्मत)

१२६. **श्री तेजाराम गहलोत** : (सोजत) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वर्ष १९६६ में रोडवेज निगम की बसों को ठीक करने का कोटा डिपो ने किसी को ठेका दिया था ? यदि हां, तो उस ठेके की शर्तों की कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उक्त ठेके के तहत कौन कौन सी बसें ठीक कराई गईं ? उक्त बसों में क्या क्या खराबी थी ? प्रत्येक बस के बारे में अलग अलग सूचना देने की कृपा करें ।

(३) उक्त बस किस किस तारीख को ठीक होकर वापिस सर्विस पर आई प्रत्येक बस की सूचना दें व वापिस किस किस तारीख को कितने मील की यात्रा करने के बाद खराब हुई ?

(४) उक्त ठेके पर मरम्मत कराने पर हर बस पर कितने कितने के स्पेअर पार्ट्स मगाये गये ?

उप मन्त्री यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) कोटा डिपो ने किसी से भी बसों को ठीक कराने का ठेका नहीं दिया था । ठेका तो निगम द्वारा पुष्पा मोटर्स कम्पनी, कोटा को दिया गया था । जिन शर्तों पर ठेका दिया गया था उसकी प्रतिलिपी सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(२) उक्त ठेके के तहत पुष्पा मोटर्स कम्पनी, कोटा से जिन बसों की मरम्मत कराई गई व जो खराबी थी उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी है ।

(३) उक्त बसें उनके आगे अंकित दिनांक को ठीक होकर वापिस आईं, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(४) उक्त ठेके पर मरम्मत कराने पर बसों में जो स्पेअर पार्ट्स मंगाये गये उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जैसा भाग (४) में बताया गया कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, वह सही नहीं है, सूची नहीं रखी गई है ।

अब दूसरी जो सूची दी है कि किस तारीख को बस खराब हुई और किस तारीख को ठीक होकर आई, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आइटम नंबर ११ पर जिस बस को १६ को ठीक होकर आने की बात बताई है उसी को, २० को फिर खराब होने की बात कही गई है । फिर १८।७ को ठीक हो कर आई और तीन—चार दिन चल कर २२ को फिर खराब हो गई । फिर एक दो दिन में ठीक होना बताया गया है, और फिर ४।८ को खराब हो गई और इस तरह आठ दस हजार रुपया रिपेयर में खर्च किया । इस तरह से अगर दूसरे तीसरे दिन खराब होती रही तो क्या मरम्मत कराई गई या रुपये का ही एड-जस्टमेंट हुआ है केवल ? अगर एक बार

Page No. 7

(श्री तेजाराम गहलोत)

रिपेयर कराने के बाद खराब होती है तो फिर उसे पहले के लिए पेमेंट क्यों किया गया ? उसकी क्या गारन्टी रही ? इसके लिए मन्त्री महोदय बतावें। फिर एक बस ग्रौर है १६ को ठीक होकर २० को खराब कैसे हो गई ?

श्री भीमसिंह : जब कोई भी नई मशीन आती है या पुरानी की मरम्मत होकर आती है तो नट बोल्ट्स हैं, रेडियेटर हैं वे ढीले हुए होंगे, लीक हुआ होगा तो ऐक दो दिन रिचैकिंग के लिए उसे भेजते हैं या छोटे-मोटे कामों के लिए भी उसे रोकना पड़ता है। तो जो मिसाल आइटम नंबर ११ की दी। वह ११ को ठीक होकर आई ३०-६-६६ को खराव हुई तो बाकी के दिन तो चलती रही वह। एक दो दिन रिपेयर में लगा जो वाजिब है। यह नहीं कि खराब होकर इतने दिन खड़ी रही। अगर इस तरह का कोई केस हो और आप सूचना देंगे तो मैं उस पर कार्यवाही करने को तैयार हूँ।

श्री तेजाराम गहलोत : जैसा कि १०,४०६ रुपये खर्च करके गाड़ी ६ तारीख को ठीक होकर आयी और २० तारीख को फिर फेल हो गयी तो उससे क्या लाभ ? लेकिन जिसके ऊपर आप दस-दस हजार रुपये रिपेयर पर खर्च कर दें और एक दिन भी नहीं चले इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है ? मैंने इसके अलावा पूछा था कि कितने मील चलने के बाद गाड़ी खराब हुई उसकी सूचना आपने नहीं दी फिर भी आप कहें कि ठीक है, तो क्या आपने जांच की है ?

श्री भीमसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूची (ग) दी हुई है उसमें सारा माइलेज दिया हुआ है। कोई गाड़ी १६ हजार मील चली है और कोई १७ हजार मील चली है। सब हजारों की फिगर्स हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : मैंने प्रश्न पूछा है कि कितने मील चलने के बाद खराब हुई और आपने कुल कितने मील चली यह सूचना दी है। आप तो यह बतायें कि रिपेयर करने के बाद में कितने मील चलकर वे खराब हो गयीं ?

श्री दलपतसिंह (आबू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी माननीय सदस्य श्री "कालाबादल" ने प्रश्न पूछा था। कोटा रूट पर पचासों बसें खराद हो गयी थी। आबू क्षेत्र में भी काफी खराब होती हैं। और माननीय सदस्य (श्री तेजाराम गहलोत) भी कह रहे हैं कि काफी बसें खराब हो जाती हैं। यह प्रश्न ट्रान्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी में चला था और एक हाई पॉवर कमेटी बनी थी। हमें मालूम हुआ है कि व्हीकल्स के पार्ट्स कालेबाजार में बिकते है और जो व्हीकल्स में अच्छे पार्ट्स लगते है वह तो बाजार में चले जाते हैं और उसकी जगह पर रॉटन टाइप के इस्तेमाल होते हैं। आपने पचास-पचास हजार की व्हीकल्स खरीदी हैं और उनके पार्ट्स इधर-उधर होने से सैंकड़ों व्हीकल्स दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं। और हाई पॉवर कमेटी में इन्टेलीजेन्ट डिपार्टमेन्ट कमेटी इस ट्रान्सपोर्ट में होनी चाहिए और जब तक आप यह नहीं करेंगे और ओरिजिनल पार्ट्स बाजार में जाने से नहीं रोकेंगे तब तक गड़बड़ियां होती रहेंगी।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो तीन-चार सौ गाड़ियों का फ्लीट है उसमें से १५ गाड़ियों की रिपेयर की गयी। इन १५ गाड़ियों में से १ गाड़ी का एक्सीडेन्ट होने की वजह से वह ऑफ दी रोड हैं और उसके बाद में १४ गाड़ियां चल रही हैं और यह रिपेयर होने के बाद में कोई १५ हजार मील चल चुकी हैं और कोई १३ हजार मील चल चुकी हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य स्वयं जानते है, चुनावों में स्वयं भी जीप रखते हैं, गाड़ियां खराब भी होती हैं, ब्रेक डाउन भी होते हैं, मशीनें फेल भी हो जाती हैं। अब माननीय सदस्य कहते हैं कि पार्ट्स वगैरह की चोरियां होती हैं तो मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य को यदि कोई जानकारी है तो वह पर्सनली मुझे दे सकते हैं तो उसके ऊपर इन्क्वायरी की जायेगी और जो चोरी करता है उसको बचाने की सरकार की कतई मन्शा नहीं है लेकिन सरसरी तौर पर लांछन लगा दें तो उससे तो कुछ होता नहीं है। मैंने कहा कि १५ गाड़ियों में से १ गाड़ी का तो एक्सीडेन्ट हो गया जो कि ऑफ दी रोड है और बाकी की १४ गाड़ियां हजारों मील चल चुकी हैं।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा सु०) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया कि यह हजारों मील चल चुकी है तो यह आई जिस दिन से चल चुकी हैं या रिपेयर होने के बाद से ?

श्री भीमसिंह : रिपेयर हुई उसके बाद से।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : अध्यक्ष महोदय. दो-तीन रोज में सारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। नये पार्ट्स बदलते हैं तो वैसे वर्कशाप में जब गाड़िया गयीं तो पुराने पार्ट्स स्टोर्स में जमा होने चाहिए वह जमा नहीं हैं और नये पार्ट्स तो कहीं चले गये और पुराने कहां गायब हुए, इसका पता चलायें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : पुराने नये हो गए।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : आप इसकी जांच करें अपने सारे रेकर्ड और फाइल से। हर आठवें और चौथे रोज, मैंने लिखकर दे रखा है। आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है और लांछन लगाते हैं। आपने नये पार्ट्स लगाये नहीं और पुराने ही लगा दिये और नये पार्ट्स को बाजार में बेचा गया आप इसकी जांच तो कर लें।

श्री भीमसिंह : माननीय सदस्य का ऐसा खयाल है कि नये पार्ट्स नहीं लगाये हैं तो मैं माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग चाहूँगा और उनको विश्वास दिलाता हूं कि यदि चोरी के मामले सामने लाये गये तो उनकी इन्क्वायरी की जायेगी और किसी ने चोरी की या ऐसी बात पाई गई तो उस पर अवश्य एक्शन लिया जायेगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छाबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि कोई उदाहरण सामने रखा जाये तो मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूं कि अभी ११ सितम्बर को कोटा से २ बजे चलने वाली बस वहां से देवली १२ मील चलने के बाद में रुक गई और वहां इसलिए खड़ी हो गयी कि उसका भूला

Page No. 9

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

टूट गया और वहां हमारे पूछने पर ड्राइवर ने कहा कि मैंने लिखित में दिया था कि इसको ठीक किया जाये लेकिन बिना ठाक किए ही उसको गाड़ी दे दी गई। आखिर पता नहीं भगवान जाने वह गाड़ी वहां से कब रवाना हुई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न सदन में बार बार उठाया है और वह प्रश्न यह है कि आपका जो सिस्टम है आपने १० हजार रुपया मेजर रिपेयर्स पर खर्च किया, बोरिंग करवाया, रिंग्स चेन्ज किये—उसके बाद में आपका सिस्टम यह है कि फोरमैन चैक करके सर्टीफिकेट इश्यू करे और उसके बाद में ड्राईवर और कन्डक्टर बस को लेकर जायें। यह सिस्टम मेरे लगातार ३ दफा इस क्वेश्चन को रेज करने के बाद में भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ और गाड़ियां बहुत ही माइनर रीजन्स से खराब खड़ी हो जाती है। वहां ड्राइवर को स्पेयर नहीं दिये जाते हैं, उनके पास एक पोइन्ट भी एक्स्ट्रा नहीं है और गाड़ियां छोटी-छोटी चीजों के लिए खड़ी हो जाती हैं। यदि ड्राइवर गाड़ी खराब हो जाये तो उसका इन्जिन नहीं खोल सकता। वह कुछ कर नहीं सकता। यह जो आपकी मेजर स्टोपेजेज हैं, ब्रेक डाउन्स हैं यह इसलिए हैं कि आपको फोरमैन सर्टीफिकेट इश्यू नहीं करते। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि ड्राइवर ने लिखकर दे दिया लेकिन फौरमैन ने फिटनैस सर्टीफिकेट दे दिया फिर भी कम्पलेन्टस के बावजूद गाड़ी चली और ब्रेक डाउन हो गया; आपने रिपेयर्स पर दस हजार रुपया खर्च किया और ब्रेक डाउन एक ही चीज पर हो सकता है। वहां आपके वर्कशाप में सुपरवाइजर ठीक तरह से सुपरवीजन नही करते हैं और सारा का सारा दोष ड्राइवर्स के ऊपर आकर पड़ता है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह जवाब आप दे दें। मैंने आपके सामने स्पष्ट उदाहरण रख दिया और घटना भी आपको बताई कि यह गाड़ी आपकी ठीक होकर निकली और थोड़ी दूर जाने के बाद ही खराब हो गयी।

श्री भीमसिंह : जो आपने घटना बताई है वह इससे कोई सम्बन्ध नही रखती। जो आपने व्हीकल्स बताई तो क्या उन १५ में से वह थी ? यह तो आपके सामने लिस्ट मौजूद है उसमें स्पेसीफिकली बतायें कि इस लिस्ट में फलां नम्बर की गाड़ी है तो मैं उसको तलाश कर सकता हूं। नहीं तो डेट्स दी हैं उस डेट की लॉग-बुक से मालूम कर लेंगे कि इन १५ गाड़ियों में से वह गाड़ी रूट पर थी या नहीं।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक इन्सीडेन्ट बताती हूं जिससे माननीय मन्त्री महोदय का सिर शर्म से झुक जायेगा ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो कभी नहीं झुकेगा।

कुमारी उमा माथुर : मदार के पास जिस ट्रेन का एक्सीडेन्ट हुआ उस दिन मैं भी उस ट्रेन में थी और उसमें से बचकर कुछ लोग जो अजमेर स्टेशन पर आये तो रोडवेज ने अनाउन्स किया कि जो लोग जयपुर

(कुमारी उमा माथुर)

की तरफ आना चाहते हैं वह इस तरफ आकर बैठ जायें और बहुत से लोग। उधर जाकर बैठ गये वह गाड़ी २।। घन्टे तक पैसेंजर्स के साथ डिपो में खड़ी रही और इसलिए खड़ी रही कि डिपो में ऑइल नहीं था और बाहर से वह ले नहीं सकते थे। उसका परिणाम यह निकला कि जो यात्री इतने परेशान थे और जो किसी तरह से बचकर आये हुए थे उनको गाड़ी नहीं मिली। उसके बाद में बहुत शिकायत करने के बाद में शाम को ३ बजे दूसरी गाड़ी दी। जयपुर आकर मैं दूसरी गाड़ी में बैठी तो वह गाड़ी शाहपुरा में जाकर रुक गयी और उसमें कुछ खराबी हो गई जिसके कारण वह बहुत लेट पहुंची। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर रोज अलवर से जितनी गाड़ियां आती हैं उनमें से एक दो रास्ते में जरूर पड़ी रहती हैं। ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स कहते हैं कि हमने शिकायत की और गाड़ी कोई पांच मील पर खड़ी हो जाती है और कोई तीन मील पर खड़ी हो जाती है। इसके लिए बीसियों शिकायतें लिखी जा चुकी हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता है। रोडवेज की ऐसी हालत है उससे तो अच्छा यह हो अध्यक्ष महोदय, कि वह गाड़ियां बन्द कर दी जायें और प्राईवेट गाड़ियां चलाने की इजाजत दे दें।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : (सिकराय–सु.) माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इतना करप्शन है कि मैं निवेदन करूं कि मिलकर गाड़ियों को खराब करके खड़ी कर दी जाती हैं और पुलिस वाले ट्रक वालों से पैसे लेते हैं। हर गाड़ी को ब्रेकडाउन करते हैं। मैं दिवेदन करूंगा कि वहां पर तेजा जी का मेला लगता है वहां पर रोडवेज की गाड़ियों का ब्रेकडाउन करा कर प्राइवेट गाड़ियों को परमिट दिया और उसमें डिपो मैनेजर ने लिया है। मिनिस्टर साहब आप तो थे नहीं बाहर चले गये थे लेकिन इतना करप्शन है कि जितनी रोडवेज की बसें थीं उनका ब्रेकडाउन कराया है और प्राइवेट गाड़ियों से सौ-सौ रुपया लिया है एक रात का।

(शोरगुल)

(कुछ माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : मन्त्री महोदय निरुत्तर हो गए हैं क्या !

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मेरा रोडवेज के सम्बन्ध में ही दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

अलवर जिले के स्कूल

१२७. **कुमारी उमा माथुर** (रामगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(१) जिला अलवर में इस साल कितने स्कूल और किस किस स्थान पर अपग्रेड किये गए और किस २ स्थान पर विज्ञान का विषय खोला गया ?

(२) यह भी बताने की कृपा करें कि अप-ग्रेड करने तथा साइन्स विषय खोलने के क्या आधार रखे गये हैं ?

Page No. 11

(कुमारी उमा माथुर)

(३) क्या रामगढ़ माध्यमिक तथा मालाखेड़ा स्कूल में विज्ञान का विषय खोलने की मांग तथा आवश्यक धन राशि की आफर राज्य सरकार के पास आई थी ?

(४) क्या कस्बा बहादुरपुर, तहसील अलवर के मिडिल स्कूल को भी अप-ग्रेड करने की मांग मन्त्री महोदय के पास आई थी ? यदि हां, तो रामगढ़ तथा मालाखेड़ा में विज्ञान का विषय क्यों नहीं खोला गया तथा बहादुरपुर मिडिल स्कूल को अप-ग्रेड क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (१) अलवर जिले में जो स्कूल क्रमोन्नत किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) स्कूल क्रमोन्नत करने के आधार पर व विषय खोलने के आधार की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं।

कुछ माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है, साहब।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं तो बहुत जोर से बोल रहा हूं !

(२) स्कूल क्रमोन्नत करने के आधार व विषय खोलने के आधार की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं।

(४) मेरे दौरे के समय बहादुरपुर को उच्चतर माध्यमिकशाला में उन्नत करने को कहा गया था किन्तु भवन की व्यवस्था नहीं होने से विचार नहीं किया जा सका। आयन्दा विचार किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुमारी उमा माथुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तीन के उत्तर में जो मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है वह आपकी सूचना बिल्कुल गलत है। रामगढ़ पंचायत समिति ने मन्त्री महोदय के पास लिख कर कई बार भेजा है। इसके अतिरिक्त अलवर शिक्षा विभाग ने भी उसी रामगढ़ स्कूल को रिकमण्ड करके भेजा है। साइंस क्लासेज खोलने के सम्बन्ध में वहां भवन का भी कुछ निर्माण हो चुका है और आगे जितने भी भवन की आवश्यकता होगी उसके लिए पंचायत तैयार है। इसके अतिरिक्त इसके लिए जो भी मनी की आवश्यकता होगी वह भी देने को तैयार हैं। यह सब मन्त्री महोदय के पास लिख कर भेज दिया गया था और मैं स्वयं भी मन्त्री महोदय से मिली थी और उन्होंने कहा था कि जब भी स्कूल खोले जायेंगे उस समय हम इसको भी कंसीडर करेंगे। यह मन्त्री महोदय ने स्वयं ने कहा था और अब ये कहते हैं कि रामगढ़ की तरफ से कोई इस प्रकार का ऑफर नहीं मिला, तो यह बिल्कुल गलत है। मैं आशा करती हूं कि मन्त्री महोदय यह जानकारी करेंगे कि यह जानकारी आप तक क्यों नहीं पहुंची ?

Page No. 12

(कुमारी उमा माथुर)

इसके अलावा बहादुरपुर के स्कूल के सम्बन्ध में भी यह कहा गया था कि स्कूलों की इस प्रकार से नीलामी नहीं करेंगे और आवश्यकतानुसार जहां २ इसकी आवश्यकता होगी, इसके लिए स्कूल खोले जायेंगे। इसके बावजूद भी वहां पर स्कूल को उन्नत नहीं किया गया। उस समय भी आपसे कहा गया था कि बिल्डिंग के लिए बीस हजार रुपये देने को जनता तैयार है। इसके बाद भी यह कहना कि बिल्डिंग पर्याप्त नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। वहां पर जिस प्रकार की बिल्डिंग अभी भी बनी हुई है उसको बढ़ाने के लिए बीस हजार रुपया काफी है। इसलिए मैं आशा करती हूं कि मन्त्री महोदय अब भी इस बात को कंसीडर करेंगे और इसी सेशन में स्कूल खोलने की व्यवस्था करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बहादुरपुर माध्यमिकशाला की बिल्डिंग का तो पहले ही झगड़ा नहीं निपटा है। वह तो इवेक्यू प्रोपर्टी है, उसका निपटारा तो अभी तक हुआ ही नहीं है फिर उस पर बीस हजार की नई बिल्डिंग किस प्रकार से बना सकते हैं।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या यह सही है कि साइंस क्लासेज खोलने का कोई आधार नहीं है ? कई जगह तो पांच—पांच हजार रुपये लिए गए हैं और मेजोरिटी जगहों पर कोई पैसा नहीं लिया गया है और मनमानी करके साइंस क्लासेज खोल दी गई हैं ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जितना जनता का सहयोग मिल रहा है उसको लेने का प्रयास किया जाता है।

श्री जुझारसिंह : आप प्रतिबन्ध लगा दें और लोगों को मजबूर कर के सहयोग लें तो बात दूसरी है, लेकिन जहां पर भी आपकी मेहरबानी हो गई वहां पर आपने बिना किसी प्रकार का पैसा लिए ही स्कूल खोल दिए हैं। रामगंजमण्डी में पैसा दिया गया लेकिन फिर भी स्कूल नहीं खोली गई और दूसरी जगहों पर बिना पैसे के ही स्कूल खोल दिये गये मनमानी करके।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रामगंजमण्डी के तो स्वयं प्रमुख साहब ऑफर करके गए हैं कि पांच हजार रुपया दे देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कहीं तो चालीस हजार रुपये तक लें और कहीं पर बिना पैसे के ही स्कूल खोल दें, तो इसका क्या आधार है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ज्यादा स्कूल खोलने का प्रयास ही आधार है।

श्री जुझारसिंह : इनकी मर्जी आई है वहां तो एक—एक कांस्टीट्युएंसी में सात—सात स्कूल खोले गए हैं और रामगंजमण्डी में साढ़े सैंतीस हजार रुपये लेकर भी स्कूल नहीं खोला गया है और कहीं पर कई—कई स्कूल अपनी मर्जी से, मनमानी करके खोल दिए गए हैं। जो पैसा दें उनके यहां तो नहीं खोलें और जो पैसा भी नहीं दें और आवश्यकता भी नहीं हो वहां पर भी इनकी मेहरबानी हो गई तो स्कूल खोल दिए गए हैं। अपनी कांस्टीट्युएंसी में इन्होंने सात—सात स्कूल खोले हैं, हाई स्कूल खोले हैं अपने यहां पर।

कुमारी उमा माथुर : मंत्री महोदय जवाब दें कि अलवर जिले में स्कूल खोलने

(कुमारी उमा माथुर)

के लिये आपने कितने कितने और किस किस से रुपये लिये हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अपने क्षेत्र में एक पैसा भी नहीं लिया है यह बात निश्चित है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे यहां पर भी भी लिए हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने पैसे लिए हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां, लिए हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कितने लिए हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बीस हजार रुपये लिये हैं ।

श्री रामा नन्द अग्रवाल : किस बैंक में रखे हैं क्या हिसाब है उनका ? आप हाउस के फ्लोर पर इकबाल कर रहे हैं कि बीस हजार रुपये लिए हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गडयाला, पिनान, शाहबाद, मांढन, गढी, सवाई रामपुर इन स्थानों से बीस हजार रुपये लिए गए हैं ।

कुमारी उमा माथुर : आपका उत्तर समझ में नहीं आया ।

श्री रामकिशन (वैर) : मामला यह है, अध्यक्ष महोदय, कि स्त्री सवाल पूछ रही है और मर्द उत्तर दे रहे हैं । स्त्री की आवाज तो सुनाई देती है लेकिन मर्द की बात नहीं सुनाई देती है ।

श्री हरिदेव जोशी : वह मर्दानी स्त्री है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गढयाला, पिनान, शाहबाद, मांढन, गढी, सवाई रामपुर इन स्थानों से बीस बीस हजार का अनुदान लिया गया है ।

कुमारी उमा माथुर : और सांइस खोलने के लिए कितने कितने लिए हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : बीस बीस हजार रुपये की नीलामी का सिस्टम जारी रखा गया है या बन्द कर दिया गया है अब ?

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हाण्डा ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि योजना मंत्री महोदय ने यह प्रोमिज किया था कि कहीं पर भी स्कूल खोलने के लिए पैसा कोई आधार नहीं होगा, जहां पर नैसेसिटी होगी वहां पर ही स्कूल खुलेंगे, इस प्रकार का आश्वासन दिया था और उसके बावजूद यहां पर इस प्रकार से मनमाने ढंग से पैसे लेकर स्कूल खोले जा रहे हैं । वहां की रिक्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रखा जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन–सु.) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे

(श्री श्रवणलाल)

कि अब भी इसी प्रकार से बीस बीस हजार रुपये लेकर स्कूल खोलने का कार्यक्रम चला रखा है या बन्द कर दिया गया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना अगला प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

सार्वजनिक उद्योग मंत्री (श्री मथुरा दास माथुर) : (१) जी नहीं.

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ का जो यातायात से सम्बन्धित प्रश्न है, मैं उसको पूछना चाहूंगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इस तरह से नही पूछ सकते ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० १४६ ।

कुमारी उमा माथुर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मंत्री महोदय ने ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो दे दिया था, आपको संतोष नहीं हुआ । आपके यहां स्कूल खुले नहीं हैं इसलिए ।

ठेके पर ली गई बसें

१४६. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) क्या यह सही है कि २५-२६ मार्च को शीतला माता के मेले के अवसर पर रोडवेज विभाग द्वारा कमल एण्ड कम्पनी जयपुर की पांच बसें ठेके पर ली गई थीं ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है उपरोक्त दिनों में रोडवेज की बहुत सी बसें वेकार खड़ी थीं ?

उप मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) हां, पांच बसें किराये पर ली गई थीं ।

(२) बहुत सी गाड़ियां चालू हालत में नहीं थीं इस कारण कमल एण्ड कम्पनी से पांच बसें किराये पर ली थीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : शीतला माता के मेले पर जब आपके वर्क शॉप में गाड़ियां खड़ी थीं तो फिर पांच बसें कमल एण्ड कम्पनी से किराये पर लेकर यह एहसान क्यों किया गया कम्पनी पर ?

श्री भीमसिंह : कमल एण्ड कम्पनी पर एहसान करने का प्रश्न नहीं है । गाड़ियां चालू नहीं थीं और अगर शीतला के मेले पर गाड़ियों की व्यवस्था नहीं की जाती तो जनता को कष्ट होता । इसलिए यह गाड़ियां कांट्रैक्ट बेसिस पर लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई गईं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इस सारे काम में कितना पैसा कमल एण्ड

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कम्पनी को दिया गया और कितना पैसा रोडवेज को मिला ?

श्री भीमसिंह : कुल आमदनी १३७०, ७८ पैसे हुई और ७३७ रुपये कमल एण्ड कम्पनी को दिए गए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सवाल इस बात का नहीं है कि उन्होंने जो बसेज़ लीं वे कमल एण्ड कम्पनी से लीं या और किसी से लीं। यह मेला जब हुआ उस वक्त में कुछ नई गाड़ियां आपके यहां पर आ चुकी थीं और वह डिपो के अन्दर खड़ी थीं और उन गाड़ियों को उन रोड्स पर नहीं चलाया गया और कमल एण्ड कंपनी से गाड़ियां लेकर, जो यहां पर सिटी बसेज़ चलती हैं, उनको किराये पर लेकर नाजायज़ फायदा पूंजीपति को दिलाया गया और जो आपकी रोडवेज़ की गाड़ियां खड़ी थीं उनको क्यों नहीं चलाया ?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है उस में यह है कि गाड़ियों की कमी थी। उसके बावजूद अगर सदस्य महोदय यह कहते हैं कि नई गाड़ियां डिपो में खड़ी थीं तो भी कमल एण्ड कम्पनी की गाड़ियां लेकर भेजीं तो मैं रोडवेज़ से एन्क्वायरी करूंगा। अगर यह सत्य पाया गया कि गाडियां खडी होते हुए भी बाहर से ली गई तो जिस आफिसर ने यह आर्डर निकाला है और जैसा कि आप कहते हैं कि उनको अनुचित फायदा देने के लिए यह किया गया है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। अगर यह गलत निकला तो माननीय सदस्य को जानकारी कर लेना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस रोज गाड़ियां आपकी वर्कशाप में सिक खड़ी थीं तो उस रोज की लाग बुक को चैक करें कि आया गाड़ियां सिक थीं या ठीक थीं ?

श्री भीमसिंह : एन्क्वायरी होगी तो सभी चीजें होंगी।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय–सु०): क्या कमल एण्ड कंपनी में सुखाड़ियाजी के शेयर हैं, साले के नाम पर ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन !

कस्बा नापासर की जलप्रदाय योजना

१२९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि कस्बा नापासर जिला बीकानेर के लिए संशोधित जल-प्रदाय योजना बनाई जा चुकी है ? अगर हां, तो कुल खर्च का क्या अनुमान है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कस्बे में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या बहुमत में है ? अगर हां, तो क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त वर्गों के निमित्त जल-प्रदाय कार्यों के लिए निर्धारित राशि में से कुछ धन राशि उक्त योजना के लिए भारत सरकार से मांगी जा सकती है ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) जी हां, कस्बा नापासर के लिए संशोधित जल-प्रदाय योजना बनाई जा चुकी

Page No. 16

(श्री हरिदेव जोशी)

है। कुल खर्च लगभग ५,७६,००० रु० होने का अनुमान है।

(२) जी हां, उक्त कस्बे में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों की बहुतायत है। जी हां, समाज-कल्याण विभाग द्वारा जल योजनाओं के प्रति धनराशि मांगी जा सकती है। उक्त कस्बे के लिए दिनांक ३-८-६६ को समाज कल्याण विभाग, नई दिल्ली से प्रार्थना की गई है कि यह धनराशि विशेष कर स्वीकृत कर दी जावे।

श्री भीमसेन : क्या सरकार को इस योजना में कुछ पैसा दिया गया है?

श्री हरिदेव जोशी : भारत सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा सुना है कि कुछ रुपये रखे हैं। अगर नई योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृति मिलेगी तो निश्चित रूप से की जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह प्रश्न संशोधन कार्यों के लिए हैं। वहां पर वाटर सप्लाई है उसके संशोधन कार्यों के लिए रुपया क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से मिला है?

श्री हरिदेव जोशी : किसी पर्टीक्यूलर स्कीम के लिए नहीं मिला हैं। लम्प सम रुपया कुछ दिया है, ऐसा मैंने सुना है। अधिकृत सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : नापासर पंचायत समिति की ओर से इस बारे में पत्र लिखा गया है और आपने केन्द्रीय सरकार से बात चीत की है तो खास तौर से उसी के लिए सहयोग इस प्रकार का मिला है क्या?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया है कि किसी एक पर्टीक्यूलर स्कीम के लिए नहीं मिला है, बल्कि राजस्थान रुरल वाटर सप्लाई के लिए ४५ लाख रुपया भारत सरकार स्वीकृत करने जा रही है, ऐसी सूचना मुझे मिली है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल!

गैस टरबाइन

१३० श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): (२) **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) (३) **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) मैसूर राज्य से गैस टरबाइन कब खरीदा गया था व इस पर कुल लागत कितनी लगी?

(२) गैस टरबाइन कोटा में किस तारीख से चालू हुआ व इसने कुल कितने दिन तक कार्य किया व उससे कितनी बिजली पैदा करने पर कितनी आय हुई? बिजली उत्पादन में प्रति युनिट कितना खर्चा आया?

(३) गैस टरबाइन पर डीजल व स्टाफ पर कितना व्यय हुआ?

(४) इसे मैसूर से कोटा तक लाने में तथा वहां लगाने में कितना व्यय हुआ?

(५) गैस टरबाइन कब से बन्द पड़ा है व क्यों? खरीदने से पूर्व दूसरे स्पेअर पार्ट्स के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई थी?

(६) क्या यह सही है कि यह गैस टरबाइन आसाम से मैसूर स्टेट ने खरीदा और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वहां पर भी इसका कोई समुचित उपयोग नहीं हुआ था ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री घासीराम यादव): (१) गैस टरबाइन जो कि कोटा में लगा हुआ है मैसूर राज्य विद्युत मण्डल से नवम्बर, १९६५ में खरीदा था। इस टरबाइन के लिए मैसूर राज्य विद्युत मण्डल को अग्रिम राशि (एडवांस पेमेंट) के ७०,००,००० रु० दिये गये हैं। अभी इसका पूरा हिसाब होना बाकी है।

(२) गैस टरबाइन कोटा में १–३–६६ को चालू किया गया। इसने कुल तीन महीने तक काम किया और इसके बाद आवश्यकतानुसार (इमर्जेंसी) में काम में लेने के लिए रखा हुआ है। इसने कुल ६१,०१,००० यूनिट्स उत्पन्न किये हैं। तेल, लुब्रिकेटिंग आइल वस स्टाफ की तनख्वाह का अकाउन्ट देते हुए प्रति यूनिट खर्चा करीब ४७ पैसे पड़ता है। कोटा में गांधी सागर, अमरकण्टक, भाखरा व कोटा पावर हाउस गैस टरबाइन से उपलब्ध बिजली वितरित की जाती है। और इस तरीके से (इन्टेग्रल आपरेशन की वजह से) इस टरबाइन से उत्पन्न बिजली से कितनी आय हुई बताना सम्भव नहीं है।

(३) गैस टरबाइन पर डीजल, लुब्रिकेटिंग व स्टाफ आदि पर जून, १९६६ तक करीब २८,६८,००० रु० खर्च हुआ है।

(४) इस गैस टरबाइन को मैसूर से लाने व लगाने में कुल अब तक ५,४६,५३७ रु० हिसाब में आया है।

(५) गैस टरबाइन को जून में काम में लेना बन्द कर दिया है और इसे केवल इमर्जेंसी में चलाने के लिए रखा है। दूसरे स्पेयर पार्ट्स के लिए आर्डर कर दिया है।

(६) इसकी जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जो आपने प्रश्न के खण्ड (२) में बताया कि कुल तीन महीने चला है तो मैं भी जानकारी चाहता हूं कि इन तीन महीनों में इन्-ऑल उसके वर्किंग आवर्स कितने हैं ?

(विराम)

गैस टरबाइन ने जो तीन महीने वर्क किया है तो कितने घंटे इसने काम किया है कुल ?

श्री घासीराम यादव : कुल कितने घंटे काम किया है, वह तो पता नहीं है, लेकिन यूनिट का पता किया है वह इस सदन की मेज पर रख दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो तीन महीने आपने काम किया है तो इस गैस टरबाइन के वर्किंग आवर्स कितने हैं ?

श्री घासीराम यादव : नम्बर एण्ड डेट ऑफ वर्किंग आवर्स नहीं, लेकिन यूनिट्स का पता किया है वह बता सकता हूं। इसने मार्च में १३,२३,६०० यूनिट्स, अप्रेल में २१,३४,०५०, मई में २३,५७,००० और जून में १,६६,०००।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि यह जो तीन महीने का वर्किंग

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पीरियड बताया है तो तीन महीने में ६० दिन होते हैं तो उन ६० दिनों में से सिर्फ २० दिन ही काम किया है इस गैस टर-बाइन ने ?

श्री **घासीराम यादव** : नहीं यह गलत बात है। २५ दिन एक महीने में काम किया। २५ दिन एक महीने काम किया, व १६ दिन एक महीने काम किया और ४ दिन एक महीने में काम किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गैस टरबाइन के लिए ७० लाख एडवान्स दिया है लेकिन कुल कीमत कितनी है, वह नहीं बताया हाउस को ?

श्री **घासीराम यादव** : कुल कीमत अभी इसकी तय नहीं हुई है। जितनी कीमत में मैसूर गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लिया था उतने ही रुपये देना तय किया था और ७० लाख एडवान्स पेमेन्ट किया है। वे बाकी रुपया और सेल्स टैक्स मांग रहे हैं उसके बारे में कॉरस्पोन्डेन्स चल रही है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : क्या गवर्नमेंट ने खरीदने से पहले, नेगोशियेट करने से पहले यह मालूम किया कि नहीं कि इसकी बुक वेल्यू क्या है, मैसूर राज्य ने खरीद की उसकी इस समय बुक वेल्यू क्या है ? यानी इस बात को देखे बगैर ही चाहे वह ८ करोड़ हो, चाहे ५ करोड़ हो, चाहे १० करोड़ हो, इसकी प्राइस कितनी है यह अभी तक मालूम नहीं है, तो यह क्या स्थिति है ? इसको बताइये।

श्री घासीराम यादव : जितना रुपया उसमें लगा था और जितना उसके लिए खर्चा हुआ है वह सारा देना तय किया है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : आपको मालूम है नहीं कि कितने में उन्होंने खरीदा और लागत क्या है ?

श्री घासीराम यादव : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, मगर ६० लाख की कीमत आंकी है और बाकी का रुपया खर्चे का आने का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गैस टरबाइन खरीदने का निर्णय किया है तो क्या यह सही है कि टैक्निकल ऑफिसर्स ने इसको नहीं खरीदने की राय दी थी और उसके बावजूद भी स्टेट लेवल पर श्री के० एल० राव के प्रेशर पर राज्य सरकार ने इसको खरीदा है ?

श्री घासीराम यादव : श्री के० एल० राव का सुझाव था कि हमारे यहां शोर्टेज है तो इसको ले लेना चाहिए, लेकिन उनके कहने से खरीदा हो ऐसी बात नहीं है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह सही है कि टैक्निकल ऑफिसर्स ने इसको खरीदने के खिलाफ राय दी थी ?

श्री **घासीराम यादव** : टैक्निकल ऑफि-सर्स ने कहा था कि इससे खर्चा बढ़ेगा लेकिन उस समय हमारे सामने इसके सिवाय और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैसूर राज्य से जब आपने इसको खरीदा तो मैसूर राज्य में

Page No. 19

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह गैस टरबाइन वर्क नहीं कर रहा था, बेकार पड़ा था ?

श्री घासीराम यादव : यह बात सही नहीं है। ६४ की फरवरी को यह काम कर रहा था। एक साल तक इसने काम किया लेकिन ५ महीने से इसलिए काम नहीं कर रहा था कि उनका दूसरा प्रोजेक्ट चालू हो गया था और उससे पॉवर आना शुरू हो गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने यह मालूम करने की कोशिश की कि मैसूर राज्य में जो इस गैस टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता था तो पर-यूनिट कितना खर्चा आता था और इसका रेकरिंग एक्स-पैन्डीचर कितना था ?

श्री घासीराम यादव : यह मालूम किया था। काफी खर्चा आता था। काफी खर्चा होता है, यह हमको मालूम था कि हम नुकसान में पड़ सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपको पहले जानकारी थी कि गैस टरबाइन से जो बिजली पैदा होगी, जैसा कि आपने बताया कि ४७ पैसा खर्चा हुआ, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, आप चैक कर लें, मन्त्री महोदय ने जो कहा है वह गलत है। यह खर्चा ६० पैसे पर-यूनिट हुआ है, फिर भी आपके कहने के अनुसार ४७ आ गया तो आपको पहले जानकारी थी कि इसका खर्चा ४७ पैसे पर-यूनिट आयेगा ?

श्री घासीराम यादव : पहले जानकारी की थी और उन्होंने सुझाव दिया था कि ३६ पैसे पर-यूनिट खर्चा आयेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह यूनिट इसलिए खरीदा गया कि वहां पर आपको कोटा में जो कास्टिक सोडा फैक्ट्री सेठ भरतलाल की जिनको कि ३ पैसे पर-यूनिट में बिजली देते हैं उनको आपका बिजली सप्लाई करना था ?

श्री घासीराम यादव : जो आरोप लगाया गया है यह गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): आप चम्बल की ३० पर्सेन्ट बिजली अकेले भरतराम चरतराम को नहीं देते हैं ?

श्री घासीराम यादव : यह भी गलत है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि आपके विद्युत् मण्डल के अधिकारी ने इस हाउस की एक जिम्मेदार कमेटी के सामने यह बयान दिया है कि इस गैस टरबाइन ने सिर्फ २० दिन ही काम किया है तीन महीने में ?

श्री घासीराम यादव : नहीं यह गलत बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री जी से कि वे इस सदन में जवाब देने के लिए ही जवाब न दें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके चीफ इन्जीनियर ने यह बयान सदन की जिम्मेदार समिति के सामने दिया है कि २० दिन काम किया।

श्री घासीराम यादव : आपके सामने दिया होगा, मेरे सामने नहीं दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि मंत्री जी कहते हैं कि इमर्जेन्सी में काम में लेने के लिए बंद किया है ? मैं कैटेगोरिकली मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरी इन्फोर्मेशन है कि यह गैस टरबाइन आपने बंद नहीं किया है लेकिन यह खराब है इसलिए बंद है। आप क्या कहते हैं, क्या यह वर्किंग ऑर्डर में है ?

श्री घासीराम यादव : मैं कह सकता हूँ कि यह वर्किंग ऑर्डर में है, बंद इसलिए नहीं हुआ कि यह खराब है बल्कि हमको पॉवर चम्बल से मिल गई १० हजार किलोवाट और भाखरा से मिल गई १ लाख ८ हजार किलोवाट। इस पर खर्चा ज्यादा होता था इसलिए इस को बंद कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १ मार्च से इसको शुरू किया और जून में बंद हो गया इसके लिए पहले प्लान प्रोजेक्ट बनाया होगा, एस्टिमेट बनाया होगा, गवर्नमेंट को अमरकंटक से बिजली मिलनेवाली थी उस वक्त इस गैस टरबाइन के लिए निगोशियेशन्स चल रही थी उसको परसू नहीं करना था क्योंकि अमरकंटक से मिल जानेवाली थी। केवल ३ महीनों में २० दिन चलाने के लिये राजस्थान के करोड़ रुपये बर्बाद कर दिये इसके पीछे क्या था ?

श्री घासीराम यादव : यह मसला सन् ६५ में नहीं बल्कि सन् ६४ से चल रहा था। ६४ में यह अन्दाज हो गया था कि बिजली कम हो जायगी इसलिए ६४ में मीटिंग हुई दिल्ली में, प्लानिंग कमीशन के सामने, सब उसमें मौजूद थे। उस समय यह तय हुआ था कि उस साल नवम्बर में यह आ जायगा। रेल्वे से आने में देर लगेगी। गवर्नमेंट ने यह सोचा कि अगले साल शायद अच्छी वर्षा हो जायगी तो बिजली की दिक्कत नहीं रहेगी, यह सोच कर एक साल तक इसको लाना डेफर किया और अगले साल इसको खरीदा है। अगले साल मैसूरवाले देने को तैयार नहीं थे। बहुत कुछ कोशिश करने पर उन्होंने हमें इन्सानियत के नाते दे दिया। अमरकंटक की बिजली भी नहीं मिल पाई। जून में भाखरा की बिजली मिली है और मिलते ही हमने इसको बंद कर दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इस गैस प्लान्ट को लेकर आपके विद्युत बोर्ड ने इन्कम और एक्सपेन्डिचर को लेकर एक बुकलेट प्रकाशित की है ?

श्री घासीराम यादव : मैं समझा नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक बुकलेट लोस एण्ड प्रोफिट दिखाते हुए, कितना डीजल खर्च होगा, कितना रेकरिंग और नोन-रेकरिंग खर्चा होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी आदि सारी बातें दिखाते हुए छपवाई है ?

श्री घासीराम यादव : कोई नहीं छपवाई। २८ लाख का खर्चा हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं दुःख के साथ कहता हूँ कि मंत्री जी को पता नहीं है आपके डिपार्टमेंट ने छपवाई है। उसमें उन्होंने मंजूर किया है कि हम मजबूर हैं कोस्टली पड़ता है इसलिए बंद करते हैं।

श्री घासीराम यादव : ठीक है यह अलग सवाल था, मेरी जानकारी में नहीं था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा कि आपने बताया डी. सी. एम. को ३ पैसा पर-यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं और गैस टरबाइन उनके लिए नहीं खरीदा यह कहते हैं। यह साफ है कि जिस रोज से उनको यह मालूम हुआ कि टरबाइन उनको बिजली नहीं दे सकेगा, डी. सी. एम. ने उसी रोज जर्मनी से ३ टरबाइन मंगा कर अपनी फैक्ट्री में लगा दिये और आपका यह बंद हो गया। आप यह बताइये कि हर रोज इसको चलाने के लिए आपको हर रोज कितना डीजल, तेल आदि चाहिये ?

श्री घासीराम यादव : इसमें काफी हाई स्पीड का डीजल खर्च होता है और करीब १० हजार, मेरे पास पूरे फिगर्स नहीं हैं, लेकिन काफी हाई स्पीड का डीजल खर्च होता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ५६,०००) डेली खर्च होते हैं। आप यह कहते हैं कि हमने मर्जी से बंद कर दिया इमर्जेन्सी के लिए रखते हैं, लेकिन मैं डैफिनेटली कहना चाहता हूं कि आपके इन्जीनियर्स की ओपीनियन यह है कि ५६०००) रु० डेली सरकार खर्च नहीं कर सकती। आपने ४६-४७ पैसा पर-यूनिट खर्चा आना बतलाया लेकिन ६२ पैसा पर-यूनिट इसकी प्रोडक्शन कोस्ट है इतनी बिजली इससे पैदा नहीं हो सकती। साढ़े तीन लाख रुपयों की कीमत की क्रेन इसमें टूटी हुई आई है इसलिए यह चल नहीं सकता। आपको इतना फोरिन एक्सचेन्ज मिलेगा तब आप साढ़े तीन लाख रुपये की क्रेन मंगवा पायेंगे। श्री के. एल. राव के कहने से और उनके प्रेशर से आपने यह गैस टरबाइन खरीदा। खरीदने से पहले हमने इसी हाउस में सरकार से कहा था कि आसाम सरकार ने भी वहीं से खरीदा है आप उनसे जांच करवाइये। आसाम में वह गैस टरबाइन काम नहीं कर रहा है, पर आपने जांच नहीं करवाई। आपका भी काम नहीं कर रहा है। यह एल. आई. सी. के यहां गिरवी रखा गया है। आपकी सरकार डूबी और एल. आई. सी. को भी डुबोया। यह गैस टरबाइन चल नहीं सकता। आपको के. एल राव को खुश करना था इसलिए खरीद लिया। आप कहते हैं कि ७० लाख में खरीदा लेकिन उसकी प्राइस सरकार ने ६२ लाख दी है और आने-जाने की लागत मिला कर कुल खर्चा १ करोड़ २ लाख रुपये हुआ है।

श्री घासीराम यादव : मैं निवेदन कर चुका हूं कि माननीय सदस्य ने कहा वह गलत है। ७० लाख रुपये दिये हैं और कोई खर्चा नहीं हुआ है। पार्ट्स खराब होने का कहा वह भी गलत है। स्टार्टिंग इंजिन खराब था उसको ठीक कर दिया गया और जो मंगाना था वह दुबारा मंगा कर वर्किंग आर्डर में चालू कर दिया। ये चार गैस टरबाइन भारत में आये थे, दो मैसूर को दिये गये, एक आसाम को और एक आन्ध्र को दिया गया था। कोरस्पोंडेन्स सेल्स टैक्स के बारे में चल रही है।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या यह सच है कि विद्युत् मंडल के फाइनेन्शियल रूल्स अलाउ नहीं करते कि कीमत तय किये बिना लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण पटेल !

(श्री मानिकचन्द सुराणा बोलने के लिए खड़े होने पर)

Page No. 22

(श्री अध्यक्ष)

श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मन्त्रीजी ने जवाब दिया कि गैस टरबाइन आसाम में भी काम कर रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने गैस टरबाइन खरीदने से पहले आसाम सरकार से जानकारी हासिल करने के लिए लिखा-पढ़ी की थी क्या कि वहां पर टरबाइन ने कितने दिन काम किया है, क्योंकि विधान सभा में वार्निंग विद्युत् मंडल को दी थी कि इसको लाकर राजस्थान के एक करोड़ रुपये वेस्ट करेंगे यदि इसको खरीदा तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस वार्निंग पर आसाम सरकार से आपने कोई जानकारी हासिल की थी ?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आपने खरीदा तो डेप्रिसियेशन की कीमत काटी या नहीं या उतनी ही कीमत दे दी जितने में मैसोर गवर्नमेंट ने खरीदा था ?

श्री घासीराम यादव : हमने जानबूझ कर शौक से नहीं खरीदा, हमें दिक्कत थी इसलिए खरीदा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रेशर से खरीदा यह कहिये।

श्री घासीराम यादव : ३५ परसेन्ट बिजली में कट हो जायगा था सन् ६४ में, १२६४० था उसके बाद १५ फीट पानी डेम में और कम हो गया था....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं कारण नहीं पूछ रहा हूं।

श्री घासीराम यादव : हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहां के चीफ मिनिस्टर साहब को और विद्युत मिनिस्टर साहब ने वहां के विद्युत् मिनिस्टर साहब को इसके बारे में लिखा, बड़ी मिन्नतें की और यह कहा कि आपके पास दो टरबाइन हैं उनमें से एक दे दीजिए तब उन्होंने दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने आसाम से इन्क्वायरी की या नहीं ?

श्री घासीराम यादव : इन्क्वायरी करने का टाइम नहीं था, ३५ परसेन्ट कट बिजली में हो चुका था उसको पूरा कैसे करते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या कारण है कि डी० सी० एम० जर्मन टरबाइन्स लगाकर बिजली की कमी पूरी कर सका और आप नहीं कर सके ?

उप मन्त्री, उद्योग (श्री मनफूलसिंह): आप को यह पता नहीं है कि १० हजार किलोवाट चाहिए था

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह टरबाइन कितना पुराना है, कब खरीदा गया और कब भारतवर्ष में आया ?

श्री घासीराम यादव : मैंने सुना नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कितना पुराना है...

श्री अध्यक्ष : यह टरबाइन कितना पुराना है ?

(१२ मध्यान्ह)

श्री घासीराम यादव : यह आते ही मैसूर में लगाया गया था, १९६४ की

Page No. 23

(श्री घासीराम यादव)

फरवरी में लगाया गया था, उसके बाद में एक साल तक काम किया और फिर पांच महीने बन्द रहा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आसाम से यह गैस टरबाइन मैसूर में आया था ?

श्री घासीराम यादव : चार इकट्ठे गैस टरबाइन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मंगा कर सारे देश में बांट दिये थे, दो मैसूर को दिये, एक आन्ध्र प्रदेश को दिया और एक आसाम को दिया ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भारत में यह कब आये और कितना पुराने हैं ?

श्री घासीराम यादव : फरवरी १९६४ या जनवरी, १९६४ में आये ।

विद्युत मन्त्री (चन्दनमल वैद) : मैन्यूफेक्चरिंग की डेट है ३१ जनवरी, १९६३ ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या यह सही है कि भूतपूर्व विद्युत मन्त्री ने इस गैस टरबाइन को सफेद हाथी बताया था और वर्तमान विद्युत् मन्त्री ने इसकी आलोचना की थी जो अखबारों में प्रकाशित हुई है ?

श्री घासी राम यादव : यह सही हो सकता है जो आपने कहा लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह हाउस की प्रोसीडिंग्स में रिकार्ड है ।

श्री घासीराम यादव : लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि हमने जान-बूझ कर नहीं खरीदा है, लेकिन वास्तव में इसकी जरूरत थी ।

श्री भैरोंसिंह : वह मेरा सवाल नहीं है ।

श्री घासीराम यादव : और दुनियां का कोई कन्ट्री केवल हाइडल पॉवर पर निर्भर नहीं करता है, हाइडल पॉवर के साथ साथ थर्मल पॉवर भी चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह नहीं है । मेरा सवाल यह है कि जिन मंत्री महोदय ने इसको खरीदा उन्होंने इसको सफेद हाथी बताया था और जो उनके बाद में नये मन्त्री आये उन्होंने इसकी आलोचना की-क्या यह दोनों बातें सत्य हैं ?

श्री घासीराम यादव : इसमें आलोचना का सवाल नहीं है । क्योंकि गैस टरबाइन खरीदना जरूरी था, इसलिए इसको खरीदा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही नहीं है कि नये मन्त्री महोदय ने जो आलोचना की वह अखबारों में प्रकाशित हुई थी ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व विद्युत मन्त्री और नये विद्युत् मन्त्री- दोनों हाउस में बैठे हैं और उनके स्टेटमेंट्स से यह सवाल रिलेट करता है जब कि उप-मन्त्रीजी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया ।

श्री घासीराम यादव : मेरा निवेदन है कि इस सवाल से बयान का ताल्लुक नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सवाल से तो बयान का बहुत ताल्लुक है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्रीजी इसकी वकालत कर रहे हैं जब कि विद्युत् मंत्री महोदय ने इसकी आलोचना की है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह सवाल इस बात पर बेस करता है कि भूतपूर्व विद्युत् मंत्री ने यह बयान दिया कि यह गैस टरबाइन सफेद हाथी है और वर्तमान मंत्री महोदय ने इसकी आलोचना की है ।

श्री घासीराम यादव : क्योंकि इसको लेना जरूरी था इसलिए यह लिया गया । इसमें जरूरत के अलावा और कोई बात नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उप मंत्री हैं इसलिए आपको इसका जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया है ।

श्री चन्दनमल बैद : सफेद हाथी किसने कहा है ?

श्री भैरोंसिंह : यह हाउस की प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्ड है । जिस समय मानसिंह महार ने इस गैस टरबाइन के सम्बन्ध में कुछ तथ्य इस सदन के सामने रखे तब उस समय के विद्युत् मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि यह सफेद हाथी है—यह मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सफेद हाथी कई दफा रखने पड़ते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उसके बाद में नये मंत्री ने प्रेस को एक स्टेटमेंट दिया है और प्रेस को वह स्टेटमेंट देकर, जो गैस टरबाइन खरीदा, उसकी आलोचना की है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, सफेद हाथी होता है वह पैसा बहुत खाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह सफेद हाथी बिना काम का है । इस पर जो पैसा खर्च हुआ है उसका उपयोग नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण पटेल !

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, केवल एक सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह : भूतपूर्व विद्युत् मंत्री ने इसे सफेद हाथी बताया, नये विद्युत् मंत्री इसे ऊंट बताते तो समझ में आ सकता था ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि आप इसे बारह महीने चलाने की, इस गैस टरबाइन को बारह महीने चलाने की इन्टेन्शन रखते हैं, ऐसी इन्टेन्शन राज्य सरकार की है तो क्या यह केलकुलेट किया है कि आपका विद्युत् मण्डल कितने महीने के बाद में कोर्ट में इन्सोल्वेन्सी की दरख्वास्त दे देगा ?

श्री घासीराम यादव : विद्युत् मण्डल के कुछ करने का सवाल नहीं है, जब हमारी हालत ठीक हो जायगी एटोमिक एनर्जी से या किसी और तरह से तो हम इसे बेच देंगे और यह बिक जायगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कौनसा मूर्ख तलाश कर लिया है जो इस सफेद हाथी को खरीद लेगा ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : एक गंगानगर में है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो शेर के लिए सवा शेर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या के० एल० राव इसको वापिस ले लेंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ले लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : बहुत अच्छे ! बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया !

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण पटेल !

सरपंचों के विरुद्ध मामले

१३१. श्री **लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय सु.) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सिकराय पंचायत समिति के अन्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतों के सरपंचों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं या उनमें मुकदमे चलाये जा रहे हैं ?

(२) सरकार के पास विचाराधीन मामलों में निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) पांच पंचायतों के सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है।

(२) नियमानुसार जांच पूर्ण होने पर शीघ्र ही निर्णय दिया जाएगा।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : क्या यह सही है कि चांदोला के सरपंच के खिलाफ आठ सौ रुपये की रिकवरी का मामला तय कर दिया गया है, उसके बाद जब तहसीलदार ने मकान कुर्क करने की कार्यवाही कर दी तो उसको रोक दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कौन से सरपंच के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : चांदोला घाटा, जहां पर आप लड्डू खाकर आये थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सवाल पूछा है—सिकराय पंचायत समिति के अन्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतों के सरपंचों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं या उनमें मुकदमे चलाये जा रहे हैं ? उसके जवाब में मैंने कहा—पांच। उन पांच में इस ग्राम पंचायत का नाम नहीं जिसके बारे में आप कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, पहले जो मैंने प्रश्न किया था....

श्री दामोदरलाल व्यास : I want notice.

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : आप आठ सौ रुपये वसूल करने की तैयारी करें। चांदोला के सरपंच के खिलाफ स्कूल बनाने के सम्बन्ध में आठ सौ रुपये की रिकवरी का मामला तय हुआ है लेकिन वह एक समस्या

Page No. 26

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

आपके लिए हो गई है और वह वसूल नहीं कर पा रहे हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : आप यह बता दें कि यह ग्राम पंचायत सिकराय में है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सिकराय पंचायत समिति के अन्तर्गत जो पांच केस हैं उसमें यह चांदोला का नहीं है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : क्या आपने इन पांच सरपंचों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है ? जो कार्यवाही की जा रही है वह कब से की जा रही है ? कितना समय लग चुका है ? और आगे क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस ग्राम पंचायत के लिए पूछ रहे हैं ?

श्री श्रवणलाल : आप जिन पांच का बता रहे हैं उनका बता दीजिये। जब एक का पूछते हैं तो कहते हैं कि नोटिस चाहिये। आप पांचों का बता दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत तेज बोल रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : पांचों का बता दीजिये कि कब नोटिस दिया गया, कब मुकदमे जारी किये गये, किस किस तारीख को इन्क्वायरी की गई, क्या इन्क्वायरी की गई और किस के प्रति क्या एक्शन लिया गया ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : आप यह बता दीजिए कि क्या यह ग्राम पंचायत सिकराय पंचायत समिति में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पांचों सरपंचों को कब नोटिस दिये गये, कब कब इन्क्वायरी की गई क्या इन्क्वायरी की गई it is very difficult to give a reply and I want notice for that.

श्री दुर्गालाल बाड़दार : यह बता दीजिये कि चांदोला पंचायत सिकराय पंचायत समिति में है या नहीं ? कम से कम यह तो बता दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। आप गजट में देख लीजिये कि वह है या नहीं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : माननीय पंचायत मंत्री मेरे प्रश्न का जबाब नहीं दे सकते, This is highly objectionable.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : पंचायत मंत्री कोई चलते फिरते गजट हैं ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैंने प्रश्न पूछा कि चांदोला ग्राम पंचायत सिकराय पंचायत समिति में है या नहीं तो आप उत्तर देते हैं कि गजट में देख लीजिये। आप यह नहीं बता सकते तो आप किस कारण से यहां बैठे हैं ? आप पंचायत मंत्री के पद का परित्याग कर दीजिये, कोई दूसरे मंत्री आयेंगे जो बता सकेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक है छोड़ देंगे।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : बड़े आश्चर्य की बात है, (व्यवधान) I am in possession

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

of the floor of the House हम प्रत्यक्ष आपसे इन्फोर्मेशन सीक करते हैं और एक मामूली सी जानकारी चाहते हैं तो हमें कहा जाता है कि जाकर गजट में देख लीजिए। फिर क्यों आप अपने आप को मंत्री कहलाते हैं, क्यों पंचायत मंत्री कहलाते हैं जब आप उत्तर नहीं दे सकते ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप सवाल तो पूछते नहीं हैं, भाषण दे रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या चांदोला ग्राम पंचायत पंचायत समिति सिकराय में है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य बिला वजह टेम्पर तेज कर रहे हैं। आप सोचिए, राजस्थान में करीब ७४०० ग्राम पंचायतें हैं, मेरे लिए यह नामुमकिन है कि हरएक के बारे में यहां पर बताऊं। पहले से किसी के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिन पांच के सरपंचों के विरुद्ध........

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप यह कह सकते थे कि मेरी अभी जानकारी में नहीं है, मैं जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल साहब, मुझे जानकारी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : The way in which the reply is being given is highly objectionable and I seek the protection of the chair.

श्री दलपतसिंह (आबू) : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की यह नीति है, आयन्दा यह रुपयों का मामला सरपन्चों के पास में नहीं रखा जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसा ?

श्री दलपतसिंह : जो भी डेवलपमेंट के वर्क्स चलते हैं, रोड्स का काम चलता है, जो भी विकास की योजना बनती है उनके अन्दर सरपंचों के द्वारा रुपया खर्च होता है। तो क्या सरकार यह विचार रखती है कि वह रुपयों वाले मामले सरपंचों के पास नहीं रखे जायं ताकि भ्रष्टाचार के केस पनप नहीं पायें राजस्थान के अन्दर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा कोई निर्णय अभी नहीं लिया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह जिन पांच मामलों के संबन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा है, यह पांचों मामले डिपार्टमेंट के पास में विचाराधीन हैं या एन्टी-करप्शन के पास हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह अलग अलग स्टेज के ऊपर हैं, वह डिपार्टमेंट के पास है, एन्टी-करप्शन के पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह - फिर यह भ्रष्टाचार के केस आपने एन्टी करप्शन को क्यों नहीं रेफर किए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह लफ्ज भ्रष्टाचार तो इनके सवाल में लिखा हुआ था। जिस तरह के केसेज हैं वह मैं बता दूं, ग्राम पंचायत वामनपाड़ा का ३८०० रुपये की राशि का दुरुपयोग का सवाल है, जिसका हिसाब-किताब पेश नहीं किया है। यह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मामला है ७ जून ६६ का, जिलाधीश से प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर आगे कार्यवाही की जा रही है। दूसरा मानपुर ग्राम पंचायत का है जिसमें जांच १६--७--६५ से चल रही है, इसमें पंचायत कोष के दुरुपयोग का सवाल है, भ्रष्टाचार नहीं है। देवली में भी....

श्री भैरोंसिंह : बीच में यह बता दें कि दुरुपयोग और भ्रष्टाचार में क्या फर्क है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भ्रष्टाचार और दुरुपयोग में बहुत फर्क है। अनियमित रूप में खर्च किया गया हो, ठीक तरह खर्च नहीं किया गया हो–यह तो दुरुपयोग में आता है। और भ्रष्टाचार का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं।

देवली वाले मामले की ८ जुलाई को रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसमें अनियमित रूप से खर्च करने की बात है। हींगड़ा के बारे में प्रारम्भिक जांच की रिपोर्ट ८ जुलाई, ६६ को प्राप्त हो गई है और इसमें सरकारी अनुदान और पंचायत कोष के दुरुपयोग की व अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं और वह विचाराधीन है। सिकन्दरा का मामला है वह इस प्रकार का है जिसमें चार्ज शीट देकर जवाब मांगा गया है और २५–६-६६ को उसका जवाब आ गया है और अब आगे कार्यवाही की जा रही है।

श्री दलपतसिंह : मैं जानना चाहूँगा, सरकार कहती है कि अभी तक जो रुपयों का मामला सरपंचों के द्वारा होता है उसको आगे भी वापिस लेने का सरकार विचार नहीं रखती है। वह क्यों नहीं रखती है जब कि एक मीटिंग के अन्दर जब जयप्रकाश बाबू आये थे, जो ऑल इंडिया बेसिस पर पंचायत संघ के अध्यक्ष हैं....

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह पालिसी मैटर है।

श्री दलपतसिंह : उन्होंने यह कहा था कि यह जो भ्रष्टाचार के मामले आते हैं और सरपंचों पर आरोप लगाया जाता है और ग्राम पंचायतों के सरपंच जयपुर में इधर-उधर फिरते रहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार के पास जब अच्छे सेक्रेट्रीज़ ट्रेण्डशुदा हैं तो रुपयों का मामला सरपंचों के द्वारा क्यों कराती है और इसको वापिस लेने के लिए सरकार विचार क्यों नहीं रखती है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। इसी सदन में इसी सरकार ने आश्वासन दिया था कि सादिकअली कमेटी के अनुसार इलेक्शन करवाएंगे और दूसरा अमेन्डमेंट लाकर इसको ठीक करवाएंगे। लेकिन अभी तक वह ठीक नहीं हुआ। मैं यह कहूंगा कि किसी भी सरपंच के पास पैसा नहीं रहना चाहिये। इसके लिये आपने सदन में घोषणा की थी। आपने उनके पास पैसों का मामला रख कर सारे सरपंचों के गले में फांसी डाल रखी है। दो-दो आने और चार-चार आने के वाउचर नहीं होते हैं तो उस पर एक्शन होता है। वे लोग एकाउन्टेन्सी पास नहीं होते हैं। मैं यह कहूंगा कि अगर आपको डेमोक्रेसी को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चलाना है तो आपको चाहिये कि उनके लिये सेक्रेट्री की व्यवस्था करें और आपको करनी होगी। आपने कहा था, मगर आज तक आपने नहीं की है। आप करोड़ों रुपये खर्च करते हैं मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी मेज पर एक पैसा भी देखा? अगर आपकी मेज पर पैसे रखे जाते तो आप पर लाखों रुपयों के केसेज चलते।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि चुनावों के पहले अमूमन ऐसा होता है कि इस प्रकार की सरपंचों के खिलाफ शिकायत आदि होती हैं उनके मामलों को सरकार स्थगित कर देती है....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य दूसरे मामले पर कहना चाहते हैं इसलिए पहले इसका उत्तर आने दें।

श्री दामोदरलाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि इस पर विचार नहीं रखते। मैंने यह कहा कि अभी निर्णय नहीं लिया है। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर-शोर से यह बात रखी थी कि सरपंच के पास प्रजातन्त्र में पैसा रखने की पॉवर नहीं होनी चाहिये। सरकार स्वयं सैद्धान्तिक रूप से इसको स्वीकार करती है और किया है और मैंने यह निवेदन किया कि यह सरकार के विचाराधीन है कि पटवारियों को या ग्राम-सेवकों में से किसी को सेक्रेट्री बनावें या इन्डिपेन्डेन्ट किसी को सेक्रेट्री बनावें। यह मामला कमेटी के सुपुर्द है इसका निर्णय आने पर कार्यवाही होगी।

श्री दलपतसिंह: मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने कहा कि विचार रखती है अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। आपने सुना नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि चार-चार, पांच-पांच साल तक मामले को लटकाये रखा जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं यह समझता हूं कि यह राजनैतिक कारणों से किया जाता है और सरपंच पर दबाव डाला जाता है और अगर यही व्यवस्था है तो मेरे ख्याल से जनतन्त्र पनपाने वाला नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय को चाहिये कि यह तय करें कि सब मामले इतने दिनों में, अमुक समय में तय हो जाने चाहिये। इसके लिए अवधि निर्धारित करें कि इतने समय में ये मामले तय हो जाने चाहिए। त्रिशंकू की तरह लटकाये रखना ठीक नहीं है। वे सत्तारूढ़ दल में मिल जाते हैं तो उन पर से मुकदमा हटा दिया जाता है। यह मेरा कटु अनुभव हुआ है। मेरे ख्याल से यह कोई अधिनायकवाद नहीं है यह भ्रष्ट अधिनायकवाद की बात हो जाती है। यदि इसी तरह से आप करेंगे तो आपका यह विकेन्द्रीकरण तो कहीं चला जावेगा और उसकी जगह विनाशीकरण होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि विरोधी दल के नेता ने इस प्रकार की बात कही। वे एक भी बात ऐसी तो दें जिसमें राजनैतिक

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कारणों से ऐसा किया गया है, जैसा उनको अनुभव है, अगर वे एक भी उदाहरण दे दें तो मैं उनको सदन के सामने चैलेंज करता हूं और मैं सजा पाने को तैयार हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि मैं उनको उदाहरण के रूप में बताऊं, सरपंच चपला, आसपुर के खिलाफ चार आने घटने पर आपने एक्शन लिया और उस पर वह मामला चार-पांच वर्षों तक त्रिशंकू की तरह लटका रखा है। आपने कहा कि लिखिये। लिखूंगा। आपके मन में पाप है, आपका दिल साफ नहीं है, आपकी नीति कुटिल नीति है और आप इन्साफ नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अभी पंचायत मन्त्री ने जो चुनौती दी है कि एक भी ऐसा केस बताया जावे। आपने जब से पंचायती राज शासन संभाला है उस दिन से लेकर दो विपरीत घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा। एक जगह पर उप-मन्त्रीजी को काले झण्डे बता दिये वहां पर सरपंच को इसलिये नोटिस दिया गया कि उप-मन्त्रीजी को काले झण्डे बताये थे ...

एक माननीय सदस्य : वे कौन थे ?

श्री भैरोंसिंह : वे रामदेवसिंहजी थे जिनको काले झण्डे दिखाए गये।

दूसरा डीडवाना के सरपंच के खिलाफ ताजी रात हिन्द के कई मामले चल रहे हैं और वे वर्षों से चल रहे हैं। कोई ता० हि० का ऐसा जुर्म नहीं जो आपके खिलाफ नहीं लगा हो। उनका मामला मन्त्री महोदय के पास वर्षों से पड़ा है मगर अभी तक एक रत्ती भर भी एक्शन नहीं लिया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वे कौनसे हैं ?

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री जयनारायण सारोदिया (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने इसके लिए चैलेंज दिया है। मैं १० नाम इस तरह के अभी बता सकता हूँ जिनमें राजनैतिक कारणों से उनको दबाया है। इसको मैं चैलेंज करता हूं। १० मामले बता सकता हूं जिनको राजनैतिक कारणों से दबाया और परेशान कर रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, आसपुर में एक पंचायत में ५१ हजार रुपये खर्च हुये हैं और दूसरी पंचायतें जो विरोधी पक्ष वालों की हैं वहां पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं हुई है। मैं यह नहीं कहता कि आपने वहां पर ज्यादा खर्च क्यों किया ? मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको जहां पर ज्यादा खर्च करना है करिये, लेकिन हरएक पंचायत में यह तो व्यवस्था होनी चाहिये कि कम से कम इतना खर्चा तो होना चाहिये। यह कौनसी व्यवस्था है कि एक पंचायत में आप लाखों रुपया खर्च करें और दो-तीन दूसरी पास की पंचायतें, जो विरोधी पक्ष की हैं, उसमें कुछ भी खर्च नहीं करें और उनको सिंगल डाउन कर दें। इस पर अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते समय मैं और भी विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारी सरकार के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जनता का प्रश्न है आपको समानता से खर्च करना चाहिये अगर आप नहीं करते हैं तो यह discrimination है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : आपके विरोधी पक्ष की भूली पंचायत है वहां के सरपंच को आपने सस्पेन्ड किया। कई बार एक्शन लिये। वह हाईकोर्ट में गया और जीत कर आया। आपको तीन-चार बार झूठे पड़ना पड़ा। आपके पक्ष की पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ गबन के मामले होने पर भी शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि जयपुर देहात जिला कांग्रेस के तत्वाधान में आमेर में जो सम्मेलन हुआ उसमें राजबहादुरजी भी शामिल हुये थे। उसमें कहा गया कि पंचायतों पर राजनैतिक कारणों से हस्तक्षेप होता है। क्या मन्त्रीजी इस बात को डिनाई करेंगे। वहां पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह बात कही गई थी।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि सारी बातों पर बहस इस समय उपयुक्त नहीं है। इसके लिये कल से अवसर प्रारम्भ हो रहा है। ताकि ठीक तरह से उनका उत्तर मिल सके।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री रामकिशन [वैर] : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न बहुत महत्व का रह गया है। मैं कल के सब छोड़ दूंगा। टीचर्स की समस्या है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि प्रश्न १५१ को ले लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं लेना चाहते ?

श्री रामकिशन : १५१ प्रश्न ले लिया जावे। मेरे कल के छोड़ दूंगा।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी।

एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूलों की उपयोगिता

१५१. श्री रामकिशन (वैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राज्य में एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल कितने हैं और प्रतिवर्ष इन स्कूलों में कितने शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर निकल रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पहले प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को ही रोजगार नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो हर वर्ष इन स्कूलों को चलाने में सरकार की दृष्टि में इसकी क्या उपयोगिता है ?

शिक्षा मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) इस वर्ष राज्य में बेसिक एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या निम्न प्रकार है :

(अ) कुल राजकीय ट्रेनिंग स्कूल ४४

(ब) कुल प्राइवेट मान्यता प्राप्त संस्थाएं १०

(स) हैन्डी क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कूल्स २

इस प्रकार कुल ५६ एस. टी. सी. स्कूल मय हैण्डी क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कूल परसराम

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

द्वारा, जयपुर व उदयपुर के हैं। साधारणतया इनमें १३० के औसत से अध्यापक प्रशिक्षण के लिये भरती होते हैं। इस प्रकार ५६ विद्यालयों में ७२८० अध्यापक भर्ती होते हैं।

(२) यह सही है कि कुछ प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को रोजगार नहीं मिल रहा है परन्तु उनको रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। निम्नलिखित एस. टी. सी. शालाओं को इस वर्ष बंद भी कर दिया गया है। इससे प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में कमी होगी :

(१) शारदा बी. एस टी. सी ट्रेनिंग स्कूल, शाहपुरा बाग, जयपुर

(२) वैदिक कन्या बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, आदर्श नगर, जयपुर

(३) ज्ञान भारती बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, सांभर लेक।

(४) महिला शिक्षा सदन बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, भरतपुर।

(५) महिला विद्यापीठ बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल भुसावर (भरतपुर)

(६) श्री आदर्श महिला बेसिक एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, हिण्डौन।

(७) स्वामी केशवानन्द बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, आमेर रोड़, जयपुर।

इसके अतिरिक्त इस वर्ष दो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय गोनेर व टोंक को साधारण प्रशिक्षण के लिये बन्द कर सेवारत अध्यापकों के अभिनवीकरण के लिये (रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग) बदल दिया गया है। इस प्रकार कुल मिला कर ९ प्रशिक्षण विद्यालय बंद कर दिये गये हैं।

श्री रामकिशन : यह सवाल अपने आपमें इतना गम्भीर है कि ७ हजार ट्रेन्ड टीचर्स हमारे यहां निकल रहे हैं और ९ स्कूलें बन्द करने के बाद भी साढ़े पांच हजार ट्रेन्ड टीचर्स निकलते जायेंगे, तो क्या सरकार की स्पष्ट नीति है कि जहां ट्रेन्ड टीचर्स मिले उनको अनट्रेन्ड टीचर्स के स्थान पर रखा जाय। जिला परिषद् टीचर्स का सिलेक्शन करती है, इसके लिये कमीशन बना हुआ है, जिलावार सिलेक्शन होता है, किसी जिले में ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हैं तो वहां अनट्रेन्ड को सिलेक्ट करते हैं....

खनिज-मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह नहीं है....

श्री रामकिशन : हम तो रोजाना देखते हैं। इसलिये हम सरकार से चाहते हैं कि जितने ट्रेन्ड टीचर्स बैठे हैं उनको, आपने कहा कि लगाने का प्रयास किया जा रहा है तो क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस वर्ष २००० अध्यापकों के नये पद स्वीकार हुए हैं, १००० प्रशिक्षण में गये हुए हैं, ५०० स्थान पदोन्नति के कारण रिक्त होने हैं, इस तरह ३५०० अध्यापकों को इस वर्ष लगा सकेंगे। और अधिक इस वर्ष अध्यापक नहीं लगा सकेंगे।

श्री रामकिशन : भरतपुर में १८०० ट्रेन्ड टीचर्स हैं, वे लोग सांचौर, बाड़मेर

(श्री रामकिशन)

आदि किसी भी जगह पर जाने के लिये बोन्ड लिखने को तैयार हैं, जिन जिलों के अंदर ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हैं, वहां की पंचायत समितियों को आप बाध्य करने को तैयार हैं क्या कि जो ट्रेन्ड टीचर्स हैं उन्हीं को रखा जाय, अनट्रेन्ड टीचर्स को नहीं लगाया जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पंचायत समितियों को सूचना दी गई है कि अगर अनट्रेन्ड अध्यापकों को लगाया जायगा तो ग्रान्ट-इन-एड नहीं देंगे। जब तक हमारे यहां से नोन-अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लिया जाय तब तक कहीं कोई अनट्रेन्ड टीचर नहीं लगाया जाय।

श्री रामकिशन : डिस्ट्रिक्ट वाइज लेंगे या स्टेट लेवल पर ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है पर हम देखेंगे कि कहां ट्रेन्ड टीचर्स हैं, हमने फिगर्स मांग रखे हैं कि कितने ट्रेन्ड टीचर्स कहां मिल सकते हैं, तो ट्रेन्ड टीचर्स की दरख्वास्त जहां से मांग होगी वहां भिजवा दी जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : क्या यह सही है कि इकोनोमिक कट लगा रखा है इसलिए जितने नये स्कूल खोले गए हैं उनमें अध्यापकों को भर्ती नहीं किया जा रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : १५ तारीख तक इस बारे में अवश्य भ्रान्ति थी पर बाद में मीटिंग कर के इस भ्रान्ति को दूर कर दिया गया है कि टीचर्स के बारे में कट का कोई असर नहीं पड़ता।

श्री रामकिशन : आपने एक आश्वासन दिया कि पंचायत समितियों को अनुदान नहीं दिया जायगा जो कि अनट्रेन्ड टीचर्स को लगायेंगी। सेलेक्शन जिला परिषद् करती है तो या पंचायत मन्त्री जी से सलाह कर के आश्वासन दिलाया जायगा कि कहीं भी अनट्रेन्ड अध्यापकों को नियुक्त करने के लिए कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या अन्य अधिकारी जिम्मेदार होगा, उससे तमाम तनख्वाह वसूल की जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आपने लड़कों के स्कूल अपग्रेड किये हैं पर लड़कियों के स्कूल अपग्रेड नहीं किये, तो जो महिलाएं ट्रेन्ड अध्यापिकाएं हैं, उनको स्थान नहीं मिलेगा, उनके लिए भी क्या आप ख्याल करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : समझ में नहीं आया, दुबारा फरमाया जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मन्त्री महोदय ने कहा कि जो पंचायत समितियां अनट्रेन्ड टीचर्स को रखेंगी उसको ग्रान्ट-इन एड-नहीं देंगे। तो ग्रान्ट-इन-एड रोक लेंगे, इसकी गारन्टी क्या है, इस एश्योरेन्स की गारन्टी क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनके बिल्स शिक्षा विभाग में आकर पास होते हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एस० टी० सी० स्कूल्स चले, इसमें प्रभाकर और दूसरी हिन्दी परीक्षाओं को मेट्रिकेयूलेशन के बराबर मान कर जिनको भर्ती किया,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उसके सर्टिफिकेट्स को बोगस माना गया, ऐसे सर्टिफिकेट् जिन लोगों ने दिये, क्या उनको डिस्क्वालिफाई माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष : यह बिलकुल जुदा प्रश्न है।

श्री रामकिशन : पहले सवाल का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि सरकार की यह नीति है कि अन्ट्रेन्ड व्यक्तियों को भर्ती नहीं किया जाय, इसके लिए उन्होंने यहां तक कदम उठाये हैं कि यदि पंचायत समितियां अनधिकृत् रूप से अनट्रेन्ड टीचर्स की नियुक्तियां करेंगी तो अनुदान नहीं दी जायगी। यह पूछा गया है कि क्या गारन्टी है, कौन गारन्टी दे ? गारन्टी का सवाल नहीं, है सरकार ने नीति स्पष्ट की है, इसकी तामील होगी। विशेष तौर से गारन्टी की आवश्यकता नहीं। सरकार ने जो जवाब दिया है वह संतोषजनक है।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

राष्ट्रीयकृत पाठ्स्तकों की कीमत

१२ **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(१) क्या यह सही है कि सरकार की नीति राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों को 'नो लोस नो प्रोफिट' पर देने की है ?

(२) क्या यह सही है कि १९६४-६५ में इन पुस्तकों पर मंडल को २७ प्रतिशत के लगभग लाभ हुआ है ?

(३) यदि हां, तो लाभ के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ने अपनी नीति बदल दी है ?

उत्तर

१. जी हां, अभी तक यही नीति रही है।

२. जी नहीं। मण्डल को १९६४-६५ में किताबों की बिक्री पर २७ प्रतिशत लाभ नहीं हुआ है। केवल १७.५ प्रतिशत का लाभ हुआ है।

३. १९६४-६५ वर्ष में विशेष लाभ के कारण निम्न है।

(अ) उस वर्ष में १ लाख रुपये का लाभ का विशेष आयोजन किया गया था। यह राशि गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्र वृति देने के लिए रखी गई थी।

(ब) उस वर्ष पुस्तकों का मुद्रण बहुत सस्ती दरों पर हुआ था। इसका कारण यह था कि पंजाब से नए मुद्रकों ने टेन्डर दिये थे क्योंकि उस साल उनको पंजाब सरकार को पुस्तकों का मुद्रण नहीं मिल सका था।

(स) पुस्तकों को सस्ती दरों पर छपाई के कारण पुस्तकों की लागत में कमी हुई, किन्तु पुस्तकों की बिक्री का मूल्य कम नहीं किया क्योंकि पुस्तकों के मूल्य का निर्धारण प्रतिवर्ष नहीं किया जाता।

Page No. 35

छापर बीदासर और चाड़वास के लिए जल प्रदाय योजना

१२४. **श्री रावराम**(सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि जिला चूरू के कस्बे छापर, बीदासर और चाड़वास के लिए जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं ? यदि हां, तो इन कस्बों को पानी कहां से दिया जायेगा ?

(२) क्या इस योजनाओं का सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि बीदासर और छापर के नागरिकों की ओर से जलप्रदाय योजना के लिए कुछ धन राशि सरकार को देना तय किया गया है ? यदि हां, तो कितनी धन राशि ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कस्बों को जल प्रदाय योजना के संबन्ध में वहां की नगर पालिका अथवा अन्य संस्थाओं के साथ सरकार ने कोई एग्रीमेंट कर लिया है ? यदि हां, तो कब ?

(५) निश्चित तौर से उक्त कस्बों में जल प्रदाय योजना का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा और लोगों को पानी कब तक दिया जा सकेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं योजनाए स्वीकृत नहीं हुई हैं। छापर व बीदासर कस्बे की जल योजना बनाई जा रही है। चाड़वास की योजना बनाने के लिए अभी तक कोई पंचायत का प्रस्ताव या जिलाधीश की ओर से सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि इसको भी योजना में लिया जा रहा है। उपरोक्त योजनाओं के लिए पानी सांडवा अथवा बरजानसर से लिया जायगा।

(२) जी हां, छापर व बीदासर का सर्वे हो चुका हैं। चाड़वास का नहीं ?

(३) बीदासर के नागरिकों की ओर से २ लाख पचास हजार रुपये और छापर के नागरिकों की ओर से २ लाख देने का तय किया गया हैं।

(४) जी। नहीं

(५) योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आवश्यक वित्त व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्री प्राप्त होने पर २–३ साल में।

गंगानगर शुगर मिल के मोलेसेज का बेचान

१२८. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंह नगर) : क्या सार्वजनिक उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि १९६१–६२ में गंगानगर शुगर मिल का टैंक क्रेक हो गया था तथा सारा मोलेसेज बेचना पड़ा था ?

(२) यह मोलेसेज किसको किस भाव पर बेचा गया था ?

उत्तर

(१) जी नहीं ? १९६१–६२ में शुगर मिल, गंगानगर का कोई टैंक क्रेक नहीं

Page No. 36

(श्री सार्वजनिक उद्योग मंत्री)

हुआ था और न ही इस विशेष कारण से कोई मोलेसेज बेचना ही पड़ा था ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नीम का थाना डाक बंगले का पेड़

२३. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नीम का थाना डाक बंगला का एक टीकर का पेड़ कट गया है ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या इस संबंध में बाबूलाल मेट पर कोई जुर्माना हुआ ? अगर हां, तो किस की रिपोर्ट पर ? क्या वह गिरफ्तार हुआ था और कोई मुकदमा बना ? घटना कब की है और पुलिस में चालान कब किया ? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि बाबूलाल मेट के संबंध में पुलिस ने कोई मौत्तिली की बात कही और क्या उसे मौत्तिल किया गया ? अगर हां, तो कब और नहीं तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सही है कि इस प्रकार का आरोप विभाग के पास आया है कि यह पेड़ तत्कालीन संबंधित सहायक इंजीनियर ने कटवाकर जयपुर में अपने मकान पर भिजवा दिया ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

शीशम के पेड़ की कटाई

२४ **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि नीम का थाना छावनी रोड पर स्थित १८१ नं० का पी० डब्लू० डी० का शीशम का पेड़ जो कि नीम का थाना नगर पालिका के दफ्तर के सम्मुख स्थित था, कटा लिया गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस संबंध में पेड़ कटने से पूर्व ही समाजवादी दल की ओर से सहायक इंजीनियर के यहां कोई रिपोर्ट भी दी गई थी और पेड़ न कटे, इस हेतु कार्यवाही चाही गई थी ?

(३) इस पेड़ को किसने काटा और किसकी इजाजत से ?

(४) क्या यह सत्य है कि इस पेड़ में से लकड़ियां बेची गई और ४०.४५ रु० की लकड़ियां रूड़ा गाड़िवान साकिन नीम का थाना को दी गई ? क्या इस संबंध में सरकार के पास कोई शिकायत भी आई ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या किया ?

(५) क्या यह मामला पुलिस के हवाले किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या नतीजा हुआ ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

प्रतापगढ बांसवाडा सडक

२५. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

१. क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़ गढ,, तहसील प्रतापगढ में प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा सड़क के लिए सन ६५–६६ में ४ लाख ८० हजार रुपया मंजूर हुआ था ?

२. क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सडक पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और अब भविष्य में इस सड़क का काम कब तक पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

१. चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ से बांसवाडा रोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति १९६३ में ४,८०,००० रु० की दी गई है वर्ष ६५-६६ में ४,८०,००० रु. का बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है ।

२. इस सड़क के ४ मीलों में कार्य चल रहा है बाकी कार्य के सम्बन्ध में अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

प्रतापगढ से धरियावद सडक

२६. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ)-- क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

१- क्या यह सही है कि जिला चितौड़गढ, तहसील प्रतापगढ में प्रतापगढ से धरियावद सड़क के लिए सन ६५-६६ में ६ लाख ४० हजार रुपया मंजूर हुआ था ?

२. क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

चितौड़गढ जिले में प्रतापगढ से धरियावाद रोड की प्रशासनिक स्वीकृति ६,४०,००० रु० की दी गई है वर्ष १९६५–६६ में ६,४०.००० रु. बजट में स्वीकृत नहीं किया गया है ।

२. इस सड़क पर घाटा के भाग को छोड़ कर अन्य कार्य अर्थाभाव के कारण नहीं किया गया है ।

तहसील सिकराय के गावों में नल योजनाए

२७. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय सु०) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) तहसील सिकराय में किन किन गांवों में जल प्रदाय योजना शुरू की हुई है और किन किन में पूर्ण हो चुकी है ?

२. किन किन गांवों में जल प्रदाय योजना के लिये सर्वे करा लिया गया है ?

उत्तर

१. तहसील सिकराय में किसी भी गांव में जल प्रदाय योजना शुरू नहीं की गई है । गोजगढ ग्राम को जल प्रदाय योजना बनाने के लिए सर्वे किया जाकर योजना तैयार की

(श्री जनस्वास्थ्यमन्त्री)

जा चुकी है। तथा उसे तकनीकी की जांच के अनुसार संशोधित रूप में तैयार की जा रही है।

२. सिकन्दर मानपुरा व सिकराय ग्राम को जल प्रदाय योजना बनाने के लिए सर्वे करने का कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

हिण्डौन के पंचायत क्षेत्रों में बिजली

२८. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु०): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

१. क्या यह सच है कि चम्बल की बिजली हिण्डौन पहुँची है? यदि हां, तो पंचायत क्षेत्रों में बिजली देने के क्या लक्ष्य हैं?

२. किसानों के कुओं पर बिजली देने के लिए सरकार क्या सोच रही है?

उत्तर

(१) जी हां। पंचायत क्षेत्र में शीघ्रतीशीघ्र अधिकाधिक विद्युत प्रसारण के लिए सरकार प्रयत्नशील है किन्तु अर्थाभाव के कारण किसी लक्ष्य के बारे में निश्चित रूप से कहना कठिन है।

(२) किसानों को अधिक कुओं पर बिजली देने का सरकार का निश्चित लक्ष्य है।

(१२. म. प.)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र कृषि विभाग की अधिसूचना

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि उपज विपणि अधिनियम, १९६१ की धारा ३६ [५] के अन्तर्गत कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १० (११०) कृषि ५।६५, दिनांक २८ मई १९६६ सदन की मेज पर रखता हूँ जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, १९६३ में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

(१२. २६ म. प.)

कतिपय प्रतिवेदनों को सदन की मेज पर रखे जाने के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय...

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले। अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले सदन में भी व्यवस्था दी है कि सरकारी पक्ष की तरफ से वे सारी रिपोर्ट सदन में पेश की जानी चाहिये जिनको सदन में पेश करने की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। पिछले सत्र में भी आपने सरकार को बराबर हिदायतें दी थी। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके उन आदेशों की, आप द्वारा दी गई उन इन्सट्रक्शन्स की, जिन रिपोर्ट्स को सदन में पेश करने का रूल्स में कानून में प्रावधान है, उन रिपोर्ट्स को सदन में पेश नहीं कर के, आपके आदेशों की अवहेलना सरकारी पक्ष ने और राजस्थान सरकार ने की है जो विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट

(श्री भैरोंसिंह)

समाचार पत्रों में जा सकती हैं पर विधायकों को नहीं दी जा सकती। सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था कि विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट ज्योंही सरकार को मिलेगी, सदन की मेज पर वह रिपोर्ट रख दी जायगी। यूनिवर्सिटी की एन्युअल रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी गई, यूनिवर्सिटी के कानून में प्रावधान है कि यूनिवर्सिटी की एन्युअल रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय वह रिपोर्ट आज तक सदन की मेज पर सरकार की ओर से नहीं रखी गई।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्य सलाहकार समिति के कार्य-क्रम के अनुसार २६ तारीख तक विधान सभा का अधिवेशन चलेगा इस प्रकार की व्यवस्था की है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हमने चौथी पंचवर्षीय योजना पर अभी तक बहस नहीं की है। हम इस अधिवेशन के बाद बैठने वाले नहीं हैं। आम चुनाव आयेंगे और चौथी योजना भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिस पर कम से कम उसका अन्तिम शेप आने से पहले जैसे लोक सभा में और अन्य विधान सभाओं में विचार हो रहा है और हुआ है, उसी प्रकार से यहां पर भी विचार किया जाना चाहिये।

इसके अलावा हमने पिछली बार टीनेन्सी बिल के लिए सिलेक्ट कमेटी नियुक्त की थी। उसने अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की थी। श्री दौलतमल भंडारी की अध्यक्षता में रेवेन्यू लाज कमीशन की नियुक्ति की थी। उसकी सिफारिशों के आधार पर टीनेन्सी बिल सदन में पेश हुआ, सिलेक्ट कमेटी में गया, उसने अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की और उसके माध्यम से हम किसानों को कुछ राहत पहुँचाना चाहते थे। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार किसानों को राहत देनेवाले इस टीनेन्सी बिल को चुनाव के बाद पेश करना चाहती है या चुनाव से पहले वह भी सरकार स्पष्ट कर दे इसलिए इन सब चीजों का स्पष्टीकरण हो जाय। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में, विजिलेंस कमीशन के बारे में, विश्वविद्यालयों के बारे में, और खास तौर से चौथी योजना के लिए चर्चा होनी चाहिये। जो स्टडी ग्रुप्स सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, उनकी रिपोर्ट अगले विधान सभा अधिवेशन में दें और उस समय दें जब चौथी योजना अन्तिम शेप के अन्दर आ जाय, तो न तो उनका उपयोग रहेगा न हम उनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी हालत में जितने स्टडी ग्रुप्स नियुक्त हुए हैं, खास तोर से इकोनोमिक्स और स्टेटिस्टिक्स विभाग प्लानिंग के इन्कम की दृष्टि से, खर्च की दृष्टि से अलग अलग विभागों ने जो स्टेटिस्टिक्स तैयार किये हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट सरकार को पेश की है, वे सारी रिपोर्टस सदन में पेश की जाय। इसलिए आपने जो आदेश दिए हैं, उनकी तामील सरकार से कराई जाय और कानून में जिन बातों का प्रावधान है, उनके पालन के लिए सरकारी पक्ष से हिदायत की जाय ताकि अविश्वास प्रस्ताव से पहले ये सभी रिपोर्ट्स सदन के समक्ष रखी जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई समर्थन की आवश्यकता नहीं हैं। माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं उन सारी बातों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कई विषयों की ओर संकेत किया है। ऐसी रिपोर्ट्स जो कानून के अनुसार सदन में पेश की जानी चाहिएं, उसके लिए माननीय सदस्य का कहना सही है–उनमें से कुछ रिपोर्ट्स सदन के सामने नहीं हैं, उनके लिए विधान सभा सचिवालय भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसलिए मैं विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि शीघ्र ही इस बारे में पूरी जानकारी कर लें ताकि ऐसी कितनी रिपोर्ट्स हैं जो सदन के समक्ष रखना अनिवार्य है और जो सरकार ने नहीं रखी हैं, कब तक रखनी चाहिए, शीघ्रातिशीघ्र सदन को बता सकें–बता ही नहीं सकें, अगर पालन भी कर सकें प्रावधानों का, तो माननीय सदस्यों को काफी संतोष हो जायगा।

जहां तक सवाल है कौन सा कार्यक्रम रहे प्लानिंग के बारे में, कौनसा विधेयक के बारे में इस प्रकार की चर्चा की आवश्यकता नहीं है और इस बारे में चर्चा उठाना ठीक नहीं होगा। उसके लिए कई बार कार्य सलाहकार समिति में भी विचार किया गया है और जो कार्यक्रम सदन के समक्ष है वह भी जाहिर हो चुका है, लेकिन जहाँ तक कानूनी रिपोर्ट्स का सवाल है, मैं, उनका पेश होना बहुत आवश्यक समझता हूँ और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने रेवेन्यू लॉज कमीशन नियुक्त किया था और कमीशन ने ४ वर्ष की मेहनत के बाद रिपोर्ट पेश की....

श्री अध्यक्ष : हरेक रिपोर्ट पर अगर भाषण देने लगेंगे तो सदन का कार्यवाही नहीं चलेगी, इसलिए ऐसी बातें आपको कार्य सलाहकार समिति के सामने उठानी थी। सदन की यह परम्परा नहीं रही है कि व्यक्तिगत मामलों को लेकर सदन में चर्चा उठाए, उनको इन्क्लूड किया जाय या नहीं इसके लिए प्रक्रिया है, और भी कई अवसरों पर विचार किया जा सकता है। इससे सदन का समय नष्ट होगा, इसलिए आप संतोष कर लें और आज की कार्यवाही को आगे चलने दें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(१२, ३५ म. प.)

भरतपुर जिले में विद्युत करेन्ट से मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा संबंधी में ध्यानाकर्षण

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत भरतपुर जिले में विद्युत् से मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिलाये जाने के विषय की ओर विद्युत् मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री चंदनमल वैद (विद्युत मंत्री) : माननीय सदस्य के ध्यान–आकर्षण प्रस्ताव के बारे में सहायक अभियन्ता, बयाना, से फोन पर बात करने से जानकारी मिली है

(श्री चन्दनमल वैद)

कि बयाना में १२ अगस्त को बिजली के करेन्ट से एक आदमी की मृत्यु हो गई। इस बारे में विद्युत निरीक्षक नियमानुसार जांच कर रहे हैं और जांच की रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्यवाही होगी। भुसावर की घटना के बारे में कोई सूचना नहीं है। विद्युत निरीक्षक को इस घटना के बारे में पता लगाने को कहा जा रहा है।

श्री रामकिशन : जानकारी को कौन सी बात है। दो मुद्दे थे एक तो यह कि विद्युत विभाग को सूचित किया गया था। इसमें एक २५–२६ वर्षीय नौजवान वकील की मृत्यु हुई है। मोहल्ले में तीन दिन से लिकेज हो रहा था और मोहल्ले वालों ने विभाग को सूचित किया था कि इसमें करेन्ट आ रहा है तब भी विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहां का नगरपालिका का चेयरमैन और दूसरे मेम्बर्स उस इलाके को देखने गए, अचानक करेन्ट आने की वजह से मृत्यु हो गई, तो जांच किस बात की की जा रही है। एक तो बात है कि विभाग को सूचित किया गया फिर भी क्यों नहीं कार्यवाही की और दूसरे, जो मरे है उनके बारे में सरकार की नीति क्या है? और जहां तक भुसावर का संबंध है एक मनुष्य और बैल मर गया था। सवाल यह है कि विभाग को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए थी और क्या की?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : भरतपुर शहर में ही विद्युत विभाग का एक कर्मचारी करेन्ट से मरा है और उस संबंध में आपको जानकारी विभाग ने नहीं दी है, बाजार में मरा है और इन्हीं दिनों मरा है।

श्री चंदनमल वैद : मैं कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो ध्यान–आकर्षण प्रस्ताव रखा है उस बारे में जबाब दे रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह : भरतपुर जिले....

श्री चंदनमल वैद ; आपने दो घटनाओं के बारे में जिक्र किया, उनका जवाब दे रहा हूं। यदि किसी तार, खंभे या और किसी उपकरण से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत विद्युत निरीक्षक उसकी जांच करता है उसके बाद ही नियमानुसार कार्यवाही होती है। वह उसकी जांच कर रहा है रिपोर्ट आते ही कार्यवाही की जायगी।

भुसावर के बारे में बयाना के सहायक इंजीनियर से बात की है यह कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। जब तक विभाग से कोई सूचना न हो, मैं नहीं कह सकता कि घटना घटी या नहीं घटी, क्या इंतजाम हुआ, इसलिए विद्युत निरीक्षक से कहा हैं कि मौके पर जाकर पता लगाए, अगर घटना घटी है तो पूरी जांच करे और रिपोर्ट करें ताकि कार्यवाही हो।

श्री रामकिशन : आपने विद्युत निरीक्षक से यही कहा है कि करेन्ट किस लिए हुआ? क्या यह इस बात की भी जांच करेंगे कि वहां के मोहल्ले वालों ने पहले ही सूचित किया था कि ४ दिन से करेन्ट आ रहा है उसके पश्चात् भी............

श्री चंदनमल बैद : जांच में सारी बात होगी कि किसकी गलती थी, पहले सूचित किया गया है या नहीं। विद्युत् निरीक्षक लाईसेन्सी से अलग है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे अजमेर की कंपनी हो, उनको लाईसेन्स दे रखा है, वे लाईसेन्सीज हैं। किसी कारण से घटना होती तो जांच विद्युत निरीक्षक करता है। उनका लाईसेन्सी से संबंध नहीं है, वह सरकार का ही एक अंग है।

(१२.३९ म. प.)

"राजस्थान पत्रिका" के कार्यालय पर हुए हमले संबंधी वक्तव्य एवं सदन की कार्यवाही पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : पिछले दो दिन से जैसे माननीम सदस्यों को विदित है जयपुर के एक स्थानीय दैनिक पत्र के कार्यालय में एक घटना के संबंध में सदन में काफी चर्चा हुई और कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और उस घटना के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत ज्यादा बहस की जाय, इसकी आवश्यकता नहीं हैं, केवल मंत्री महोदय, अभी तक इस बारे में जो मुद्दे उठे हैं, उनके बारे में अपने विचार रखें कि सरकार की क्या निश्चत नीति है इस बारे में उनकी ओर से एक वक्तव्य हो तो उचित है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज की जो निर्धारित कार्यवाही है उसके समाप्त होने से पहले ही वह वक्तव्य दे दें कि क्या स्थिति है और सरकार ने आज तीसरे पहर तक क्या निर्णय लिया है और क्या कार्यवाही की है, ताकि माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है और जो बातें उठाई हैं, उनका कुछ हद तक समाधान हो सके।

एक निवेदन और माननीय सदस्यों से मैं करूंगा कि जो विधायी कार्य पिछले दिनों में निर्धारित किया गया था वह इसलिये नहीं लिया जा सका कि कई ऐसे अहम मसले थे जिन पर माननीय सयस्य विचार रखना चाहते थे। इसीलिए विधायी कार्य आगे रखा गया और इसका परिणाम यह है कि आज तीन विधेयक विचारार्थ और पारण के लिये हैं। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ स्थगन प्रस्तावों पर विचार हो जाय उसके पश्चात सदन की कार्यवाही इस तरह से चलाने में सहयोग दें जिससे निर्धारित कार्यक्रम पूर्ण रूप से समाप्त हो सके और कल जिस आवश्यक प्रस्ताव पर बहस करें उसमें किसी प्रकार की बाधा न आये।

(१२.४२ म. प.)

बीकानेर वाटर वर्क्स के कर्मचारियों को हड़ताल संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना वाटर वर्क्स बीकानेर के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में आयी है--माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास और योगेन्द्रनाथ हांडा की ओर से। उन्होंने अपने स्थगन प्रस्ताव में कहा है कि बीकानेर वाटर वर्क्स कर्मचारियों ने आज भूख हड़ताल शुरू कर दी है या करने वाले हैं और जो स्थिति है उस पर सरकार की ओर से व्यक्तव्य दिया जाय इस लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री अध्यक्ष)

करूंगा कि इसके सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें।

श्री हरिदेव जोशी (जल प्रदाय मंत्री) अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बीकानेर वाटर वर्क्स के कुछ कर्मचारियो ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन कुछ दिनों पूर्व दिया था। मैंने उनके उस ज्ञापन को चीफ इन्जीनियर पब्लिक हेल्थ के पास भेज दिया था और वाटर वर्क्स फेडरेशन के पदाधिकारियों से इस सम्बन्ध में चर्चा की। उसके बाद में इसी मसले को लेकर बीकानेर गया था और कर्मचारियों के जिस सेक्शन ने नोटिस दिया था उनसे मैंने चर्चा की। उनसे चर्चा करने के बाद में यह निर्णय हुआ था कि वे अपनी मांगों को अपनी यूनियन और फेडरेशन के मार्फत राज्य सरकार के पास भेजेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपकी और सदन की सूचना के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वाटर वर्क्स विभाग के कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण के लिए पिछले १२ वर्ष से एक परिपाटी का निर्धारण किया वह है पब्लिक सेक्टर की मीटिंग इन्वाइट करना। यूनियन के सब प्रतिनिधि और सारे एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स जो हमारे डिविजन के इन्चार्ज हैं, उच्चाधिकारी और फेन्डरेशन के अधिकारी हैं, ६ महीने में एक बार सम्मिलत रूप से बैठते हैं उनकी ग्रिवान्सेज में भी उनके साथ बैठ कर सुनते हैं और उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। एक बार पब्लिक सेक्टर की मीटिंग हो चुकी है और पिछली मीटिंग में यह तय हुआ था कि जो कुछ भी निर्णय लिये जा चुके हैं उन्हें इम्पलीमेंट करने के लिये सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर और फेडरेशन के रिप्रेजेन्टेटिव्ज डिविजन्स में जाकर उन शिकायतों और मांगों का निराकरण करायेंगे और अगर कोई भी चीज बाकी रह जाती है तो वे इन्डिपेन्डेन्टली गवर्नमेंट के पास भेज देंगे। उन सब चीजों के अनुसार बीकानेर के अन्दर लगभग ३०० कर्मचारियों में से १५ कर्मचारियों ने इस सारी परिपाटी के विपरीत यह चीज खड़ी की है जो ट्रेड यूनियन की स्थिति के विपरीत बनी है न फेडरेशन इस सारी चीज को उचित समझता है और न राज्य सरकार के सामने ही यह सारी चीज साफ है। फिर भी मैं कोई दूसरी प्रकार की बात न कहते हुए, मैं उन मजदूरों से, जिनके सम्बन्ध में यह बात है, स्वयं व्यक्तिगत रूप से यह देख रहा हूँ कि तत्काल कठिनाइयां दूर करना है तो करूंगा और यह आश्वासन दे सकता हूँ कि बीकानेर में, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि पानी देना केवल कुओं पर ही आधारित है, कल से दो आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बाकी सारे के सारे काम कर रहे हैं और बीकानेर शहर में पानी देना बन्द नहीं हुआ है। इन सारी डिमान्ड्स को लेकर शहर के लोगो को पानी की कोई कठिनाई नही होगी। कर्मचारियों का जहां तक सवाल है वे अपने फैडरेशन के जरिये या इन्डिविजुअल अपनी बात ले आवें राज्य सरकार के समक्ष और उसका हर हालत में समाधान कर दिया जावेगा या तो वे मुझे कन्विन्स कर दें या मैं उनको कन्विस कर दूं इस हद तक मैं जा सकता हूँ और यह आश्वासन मैं माननीय सदस्यों को दे सकता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय मंत्री महोदय ने जो आश्वासन

(श्री मुरलीधर व्यास)

दिया और जो प्रोसिजर एडॉप्ट किया उसके लिये धन्यवाद इतना अच्छा प्रोसिजर. उसको एडॉप्ट करने के बावजूद आपके पास शिकायतें किस प्रकार आयीं और दूसरी बात जब इस प्रकार का प्रोसिजर और १५ कर्मचारी हों और दो भूखहड़ताल पर बैठे हों और निदान किया हो और फिर उस प्रोसिजर के अन्तर्गत शिकायतें आयीं होगी और निदान किया होगा । जिसको आप फैडरेशन कहते हैं बिजली नल फैडरेशन....

श्री हरिदेव जोशी : केवल वाटर वर्क्स फैडरेशन है, बिजली का अलग है ।

श्री मुरलीधर व्यास : दोनों मिले हुए है । अभी राजस्थान नल बिजली फैडरेशन है । यह पर्चा भी मौजूद है । आपने डिस्कस किया और फैसला होता है अच्छी बात है । लेकिन कौनसा आपका फैडरेशन है यह हमारे समझ में बात आयी नहीं । आप यह बात कह दें कि पानी बन्द नहीं होने देंगे, हो सकता है उसके लिये प्रयत्न करें परतु जब कि वाटर वर्क्स के कर्मचारियों ने कई दिन पहले ही नोटिस दे दिया और बातचीत कर ली, किसने बातचीत की मैं नहीं जानता, बातचीत कर ली और नोटिस दे दिया और कोई कार्यवाही नही होने से उनको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा । यदि आपके प्रोसिजर के अनुसार कार्यवाही हो जाती और उनको संतोष हो जाता तो उनको भूख हड़ताल पर क्यों बैठना पड़ता । जितना उत्तर दायित्व उस बात के लिये, है, साधारण आदमी नहीं प्रेसिडेन्ट और सेक्रेटरी है........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्या नाम है उनके ?

श्री मुरलीधर व्यास : शिवसिंह और छांगानी । ये वर्षों के हैं, महीने दो महीने के होते तो बात दूसरी होती । वाटर वर्क्स का रिकार्ड है कि दस वर्षों से ये ही प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी है उनसे बातचीत न करे और दूसरे से बात करें । मैं कोई राजनैतिक मसले को नहीं उठाना चाहता और आप राजनैतिक दृष्टिकोण हो तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता । ये लोग काम करते हैं । वे भूखहड़ताल पर बैठे हैं प्रेसिडेन्ट और सैक्रेटरी । उनकी डिमान्ड पर फैसला हुआ है और माथुर कमेटी के मंहगाई के मामले को लेकर इसी सम्बन्ध में सारी बातचीत हुई है फिक्सेशन, प्रमोशन आदि के बारे में उनसे बातचीत हुई है । आज जिन मुद्दों को लेकर कर्मचारियों में असतोष है, उसको दूर करके २६ तारीख के पहले अपनी तरफ से कार्यवाही करके ऐसा मौका न पैदा करें कि भूख हड़ताल पर बैठे उससे आम हड़ताल हो जाय और आगे असंतोष बढ़े । आपके कर्मचारी है उनको संतुष्ट करें और भूख हड़ताल पर बैठे हैं इससे आगे कार्यवाही न बढ़े इसलिये आप उन सारी बातों के लिये उनको बुला कर उनसे बातचीत कर लें ताकि उनको संतोष हो सके और भविष्य में संघर्ष न हो । मैं इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक नयी सूचना दी कि नल वर्कस फैडरेशन कोई अलग से है राजस्थान में. तो जो

Page No. 45

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रजिस्टर्ड फेडरेशन है वह बिजली और नल कर्मचारी फेडरेशन है जो कि आइटक के नीचे फंक्शन करती है और उसी के यह दो पदाधिकारी प्रेसीडेण्ट और सेक्रेटरी बीकानेर के अन्दर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी मांगें बहुत स्पष्ट हैं। अनेक बार मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत की जा चुकी हैं। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि एक मेमोरन्डम इन लोगो ने उनको पहले भी प्रस्तुत किया है। उसके बाद में यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि उन्होंने धरणा दिया और अन्तिम स्टेज में आकर जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया। कर्मचारियों की मांगें विक्टीमाईजेशन की है। बहुत से कर्मचारी जो कि सीनियर हैं और जो प्रमोशन्स डिजर्व करते हैं उनको प्रमोशन्स नहीं देकर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, यूनियन्स के अनुसार कि यह इन्टक में काम करता है या आइटक में काम करता है। इस रूप में उनका विक्टीमाईजेशन नल कर्मचारियों का हुआ है और मंत्री महोदय इसकी इन्क्वायरी कर लें कि जिन कर्मचारियों को वह असंतुष्ट कहते हैं और जिनकी गिनती १४–१५ मानते हैं वह विक्टीमाईजेशन के गम्भीर केसेज़ हैं ऐसी बात नहीं है कि सारी फेडरेशन जो कि राजस्थान से ताल्लुक रखती है इन कर्मचारियों के पीछे है और इनकी मांगों से सहानुभूति रखती है। मुख्य मसला जो मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये रखा है और जिसके ऊपर हड़ताल की है वह यह है कि विक्टीमाइजेशन हुआ है। इनकी सीनियोरिटी को ओवरलैपिंग किया गया है–उसकी इन्क्वायरी मंत्री महोदय कर लें और उनका उनको हक दे दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के नल कर्मचारी यूनियन के नाम से जो कह रहे हैं कि प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी वहाँ पर दोनों भूख-हड़ताल पर बैठे है, तो उनमें से एक तो यूनियन के सदस्य हैं, एक आदमी इनकी यूनियन का है और एक आदमी हमारी यूनियन का है और जो हमारी यूनियन का आदमी है वह कोई पदाधिकारी नहीं है सिर्फ साधारण मेम्बर हैं और उसका मेरे पास अभी सुबह तार आया है कि उसने आज सुबह भूख हड़ताल खत्म कर दी है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी कौनसी यूनियन हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इन्टक।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अगर आपके वाला है तो आपके वाले से तो यही आशा हो सकती थी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय अभी ५-७ दिन पहले दस-पन्द्रह आदमियों ने कहा कि हम १० से शाम के ५ बजे तक धरणा देंगे मांगो को मनवाने के लिए तो उनकी माँगें क्या हैं यूनियन अपने आप में कन्सील कर रही है और हमारे ५-६ आदमी आये हुए हैं। उन्होंने जब देखा कि हमारी मांगें मान ली जायेंगी और मैनेजमेन्ट काफी तौर से मानने के लिए तैयार है और यहाँ वह मैनेजमेन्ट से बातें करने के लिए

(श्री मुरलीधर व्यास)

आये हुए हैं तो पीछे से भूख हड़ताल पर १० आदमी हैं उनमें से एक आदमी को बैठा दिया और एक आदमी को जिस को कि गलत बैठा दिया है वह कल सुबह आ जायेगा । उसने कहा है कि मैंने गलती की है । भूख हड़ताल वहां दो दिन से जरूर थी, लेकिन अब कोई भूख हड़ताल नहीं है और आप ऐसी बातें सदन में कह कर, जो गलत-फहमी में सदन को डालते हैं यह ठीक नहीं है । वह कल सुबह यहां आ जायेगा और जो डिमाण्ड है, नल और बिजली का एक फेडरेशन था, एक यूनियन थी किसी जमाने में और जब विद्युत् विभाग में जो हैल्पर गये तो वह तो कन्फर्म हो गए और नल विभाग के लोगों के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है और जो उसमें हैल्पर होकर आये वह हैल्पर के हैल्पर ही हैं और जो सेकन्ड हैल्पर आये वह सेकण्ड हैल्पर ही हैं । इसी तरीके से जो दूसरे आदमी थे वह बिजली विभाग में चले गये तो बिजली- वाले तो ऊंची तनख्वाह पर चले गये, उनको प्रमोशन्स मिल गए तो जल प्रदाय योजना में मजदूरों के साथ बराबर ज्यादती हुई है । मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया था उसको वह पूरा करेंगे और जिस प्रकार से विद्युत् मण्डल ने अपने कर्मचारियों के साथ किया है वैसा ही जल प्रदाय योजना में भी होगा । लेकिन भूख हड़ताल जैसा प्रश्न नहीं है । वहां ५ आदमियों का डेप्यूटेशन आया हुआ है और बात चीत से शायद कुछ ठीक हो जायेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने डॉक्यूमेन्ट पेश किया है और आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरे पास यदि है । मैं उसको पेश कर दूंगा, और मर चाहेंगे तो कल उस आदमी को ही पेश कर दूंगा । २५० आदमी हैं और उनमें २३५ आदमी हमारी यूनियन के सदस्य हैं—आपका क्या है वहां ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, सदन के ३ माननीय सदस्यों ने किसी न किसी को अपना बताया और किसी ने किसी को अपना बताया और अपने क्लेम्स खड़े किये....

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने किसी को अपना नहीं बताया । मैंने तो फैडरेशन का बताया है ।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक गवर्नमेन्ट का सवाल है अध्यक्ष महोदय, यह सारे के सारे कर्मचारी उस आर्गेनाईजेशन के पार्ट हैं जिसमें वह काम कर रहे हैं । वे ३०० हों या १५ हों एक की कठिनाई को, ३०० की कठिनाइयों को और ३१००० की कठिनाइयों को गवर्नमेन्ट उतना ही वेट देती है जितना कि देना चाहिए और इसलिए आप देखेंगे कि मैं जयपुर से चल कर बीकानेर गया । उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था । वहां जाकर उनका सौजन्य था कि मुझसे मिलने के लिए आये जिन्होंने स्ट्राइक का नोटिस दिया था वे और दूसरे लोग भी । उन सब ने मुझसे बात की । इसके बाद में उन्होंने मुझे इन्वाइट किया अपने रिक्रियेशन सेन्टर के अन्दर । मैं वहां गया और उन सब से चर्चा की । मुझे खेद यहां है कि उन्होंने मुझसे यह कहा था कि वे अपने फैडरेशन की मार्फत इन सारी चीजों को गवर्नमेंट के सामने रखेंगे ऐसा उन्होंने

(श्री हरिदेव जोशी)

नहीं किया। हमारे लिए कठिनाई यह है कि या तो हम इनफॉर्मल चर्चा करके सारी चीजों का फैसला कर लें अथवा वे कायदे से कोई चीज सामने रखते हैं तो मुझे भी उसी प्रोसिजर से चलना पड़ता है जो कि लेबर लॉज कहते हैं। अब वे लेबर लॉज के अनुसार नहीं चल कर ऐसा काम करते हैं जो कि उस इन्सटीट्यूशन को नुकसान पहुंचता है, तो हमारे सामने परेशानियां पैदा होती हैं।

दो मुद्दे माननीय सदस्यों ने खड़े किये। एक तो यह है कि बीकानेर शहर के अन्दर पानी की सप्लाई बन्द नहीं हो। मैं सदन को एश्योरेन्स देता हूँ कि वह सप्लाई, जहाँ तक सरकार का बस चलेगा, हर्गिज बन्द नहीं होगी। दूसरे कर्मचारियों का विक्टीमाइजेशन हो रहा है यह कहना गलत है। मैं इससे डिनाई करता हूं कि कतई ऐसा प्रश्न नहीं है। जो उन्होंने डिमाण्ड रखी है वह प्रॉसेस में है और किस तरह से है इसको भी अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट किया कि फेडरेशन की मीटिंग के अन्दर मैं शरीक हुआ हूं, मैंने उनको सुना है। पब्लिक सेक्टर की मीटिंग के अन्दर उनके प्रतिनिधि और राज्य सरकार के प्रतिनिधि और मैं बीच बैठ कर में उनको सुन करके जो हमारे फैसला करने की बात थी, उनका फैसला हमने कर दिया। उनका फैसला करने के बाद में....

मुरलीधर व्यास : कौनसी डिमाण्ड का किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : आप सुन लीजिए। उनका फैसला करके इम्पलीमेन्ट करने के लिए ऑफिसियल्स और नॉन-ऑफिसियल्स की एक कमेटी बना दी वह उसको इम्पलीमेन्ट कर रही है। जो केसेज फारवर्ड करने के थे गवर्नमेन्ट को उनको हमने गवर्नमेन्ट को भेज दिया और मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि कर्मचारियों की कोई भी वाजिब मांग जिससे मैं कन्वीन्स्ड हूँ कोई ऐसी मांग नहीं रहेगी जो कि उनकी मानी नहीं जायेगी। यह विश्वास मैं सदन की मार्फत कर्मचारियों को देना चाहता हूँ। ...

श्री मुरलीधर व्यास : कौनसी डिमाण्ड पर बातचीत हुई, क्या निर्णय हुआ यह तो मालूम हो जाये ताकि हमको भी मालूम हो जाये कि आपने यह डिमाण्ड पर फैसला दिया है ? बाकी बातचीत तो आपने बताई नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज उसमें नहीं थी, इसलिए मैं सारी चीजों की डिटेल्स लेकर नहीं आया हूँ माननीय सदस्य मेरे पास आ कर बैठें तो मैं सारी चीजें दे दूगा। फेडरेशन को मैं सारी चीजों से अवगत करा चुका हूँ।

We are in touch with the Federation.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह हैं कि फेडरेशन दो हैं। नल बिजली वर्क्स फेडरेशन एक है जिसका रजिस्ट्रेशन आपने ना मन्जूर कर दिया था लेकिन कोर्ट में उनके फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन मन्जूर हो गया है और आपको जो कैंसिल करने का ऑर्डर है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसको रद्द कर दिया गया है। तो उस कन्ट्रोवर्सी में, जो कि कोर्ट ने फैसला दे दिया है और जो सेटल हो गयी, मंत्री महोदय उसको दुबारा उठाने की कोशिश नहीं करें अब

(१ म. प.)

यह अब रिकॉग्निशन का प्रश्न अवश्य चल रहा है। उस फैडरेशन का यह कहना है कि उसका रिकॉग्निशन किया जाय क्योंकि वह बहुमत की फैडरेशन है और बहुत से पहले की फैडरेशन है, लेकिन उनका जायज हक है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां पर दो रजिस्टर्ड फैडरेशन हैं और ये नल और बिजली को मिलाकर मिला जुला फैडरेशन है। ए. आई. टी. यू. से सम्बन्धित फैडरेशन है और यूनियन के तहत यह स्ट्राइक चल रही है, यह उसी से सम्बन्धित है। यह हो सकता है कि एक यूनियन की जानकारी नहीं हो। माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां पर इन्टक के मेम्बर हैं। हो सकता है कि उन्होंने किसी दबाव से भूख हड़ताल तोड़ दी हो, उनके मेम्बर ने चूंकि भूख हड़ताल तोड़ दी इसलिए भूख हड़ताल खत्म हो गई-यह स्थिति नहीं है। उनकी यूनियन के मेम्बर भूख हडताल करें तो उसे भूख हडताल मानें और दूसरी यूनियन के मेम्बर भूख हडताल करें तो उसे भूख हडताल नहीं माना जाय, कम से कम मन्त्री महोदय को तो मैं इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि जो माननीय सदस्य ने इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है वह माननीय मन्त्री महोदय ने अपनाने को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी की भी मांग हो, जो भी जायज मांग होगी उस पर विचार करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेटिंग दिमाग लेकर वे नहीं चल रहे हैं। जो फैडरेशन की मांग है चाहे एक फैडरेशन की मांग हो, चाहे दूसरे फैडरेशन की मांग हो, उनकी मांगों पर विचार करके आप फैसला कीजिए और इस स्थिति को और ज्यादा खराब होने से बचाइए।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : प्रश्न यह है कि माननीय गोकुलप्रसादजी की मांग और मुरलीधरजी की मांग का प्रश्न है, प्रश्न है मजदूरों की मांगों को हल करने का। हमारी इंटक और ए. आई. टी. यू. दोनों ही वहां पर हैं और अगर इण्टक और ए. आई. टी. यू. के प्रेसीडेन्ट ने मिलकर भूख हड़ताल की है, तो फिर तो उनकी मांगों में और भी स्ट्रेन्थ आती है और मजदूरों में यूनिटी पैदा होती है। मैं तो उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह सूचना दी। मजदूर तो जब भी एक हजार लडेंगे कुछ न कुछ हासिल करेंगे। मेरा कहना तो इतना ही है कि जिन १५ का विक्टिमाइजेशन हो रहा है या और भी जिन लोगों का विक्टिमाईजेशन हो रहा है, उनके बारे में आप विशेष रूप से ध्यान दें और उनकी मांगों को स्वीकार करें। जैसा अभी गोकुलप्रसादजी ने अर्ज किया कि नल और बिजली विभाग के सेपरेट हो जाने के बाद बिजली विभाग के अहलकारों को तो इन्क्रीमेंट मिल गए हैं और वाटर वर्क्स के अहलकारों को इन्क्रीमेंट नहीं मिले हैं। इसके अलावा जो बोनस के पेमेंट का सवाल है और जिसको लेकर सारे राजस्थान को बन्द किया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गया था और जिसके लिए सरकार हाईकोर्ट में गई हुई है कि बोनस एक्ट के तहत चार प्रतिशत का पेमेंट हो जाना चाहिए वह इश्यू भी अभी पैंडिंग है। इसके अलावा केजुअल लेबर का इश्यू भी इन्वोल्व्ड है जो लोग कई सालों से कैजुअल चल रहे हैं, उनकी परमानेंसी अभी तक उस डिपार्टमेंट में नहीं हो पाई है, तो इन सारे इश्यूज को अगर माननीय मन्त्री महोदय हल करने का प्रयास करते हैं तो वे धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी इस सम्बन्ध में जो मजदूरों की मांगें हैं उनको मुख्य रूप से सामने रख कर जो भूख हडताल की गई है और भूख हडताल इसीलिए की गई कि सारे दरवाजे खटखटाए, मेमोरेण्डम भी लेड किए, मगर कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब जाकर यह भूख हडताल का कदम उठाना पडा हैं। अगर माननीय मंत्री महोदय मजदूरों की मांगों को मंजूर करेंगे तो उनका स्वागत किया जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे कुछ कहने की जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खास तौर पर जो बोनस का प्रश्न उठाया गया है, माननीय मन्त्रीजी उसका उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि क्या मांगें हैं, उनमें से कितनी स्वीकार की जा सकती है, इस सबकी जानकारी नहीं है इस समय उनको। माननीय सदस्य उनसे मिलेंगे तो उससे अवगत करा देंगे।

(१.४ म. प.)

पंचायत समिति, खण्डेला के प्रधान की गिरफ्तारी से सम्बन्धित स्थगन

प्रस्ताव पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : दो स्थगन प्रस्तावों की पंचायत समिति खण्डेला के प्रधान की गिरफ्तारी और उनके साथ गिरफ्तार किए गए अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में, माननीय सदस्य श्री मानिकचंद सुराना व रामानन्द अग्रवाल ने सूचना दी है। इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री जी कृपया कुछ स्पष्टीकरण कर दें। इसके पश्चात माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहें तो वे इस बारे में जानकारी करा दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (गृह मन्त्री) : आज तो मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, कल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानकारी दे दें, फिर कल आप जानकारी दे दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जानकारी किस बात की नहीं है, कम से कम यह तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : इससे सम्बन्धित सारे तथ्यों की।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्या कर रहे थे अब तक ? इसके लिए तो सी. एम. के सामने तक धरणा दे दिया गया था।

Page No. 50

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस विश्व में ऐसी तो कोई जगह बची नहीं जहां इस मामले की जानकारी नहीं पहुंची हो । मंत्री महोदय ने कान ही बन्द कर रखे हों, कान पर पट्टी बांध रखी हो तो बात दूसरी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द्र सुराणा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि माननीय गृह मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि इनको खण्डेला के मामले में कोई जानकारी नहीं है....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : पूरी जानकारी नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस मोशन को एडजोर्नमेंट मोशन को दिए हुए, अध्यक्ष महोदय, चार रोज से अधिक हो गए हैं और माननीय मंत्री जी को भी यह नोटिस बाकायदा दिया हुआ है, और मै समझता हूँ कि इस सचिवालय से भी इसका नोटिस माननीय मंत्री जी को जाता है । खण्डेला के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना १५ अगस्त को हुई है जिस दिन को हम सब अपना इन्डिपेंडेंस डे मानते हैं और राजस्थान में यह पंचायती राज के विकेन्द्रीकरण और जनतन्त्र के विकेन्द्रीकरण का जो सरकार ढोल पीटती है और उसके साथ साथ जो यह सरकार कहती है कि हमने पंचायतों को यह अधिकार दे दिए हैं, पंचायत समितियों को ये अधिकार दे दिए हैं और जिला परिषदें बना दी हैं— यह घटना एक प्रधान के साथ हुई है और वह भी १५ अगस्त के दिन हुई है । यह बात इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है । अध्यक्ष महोदय, १०७ के मुकदमे और १५१ के मुकदमे पंचायत समितियों के प्रधानों पर और जिला परिषदों के प्रमुखों पर बने हैं, और राजस्थान में इस तरह के मुकदमे बने कि जिसमें प्रधान के लिए यह आर्ग्यू किया गया है कि १०७ जाब्ता फौजदारी में उनको गिरफ्तार करना निहायत आवश्यक हो गया है, मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में एक बहुत गम्भीर बात है । इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक बात और भी इसमें है कि इस विधान सभा में यह आश्वासन दिया हुआ हैं इस राज्य सरकार का कि हम किसी सरपंच के हथकड़ी नहीं लगायेंगे, हम किसी प्रधान के हथकड़ी नहीं लगायेंगे और हम किसी प्रमुख के हथकड़ी नहीं लगायेंगे । चुने हुए प्रतिनिधियों के हथकड़ी राज्य सरकार नहीं लगायेगी यह आश्वाशन इस विधान सभा में राज्य सरकार का दिया हुआ है । इस आश्वासन के बाद, अध्यक्ष महोदय, एक बार पहले भी एक सरपंच का सवाल उठा था और उस वक्त भी आप उप गृह मन्त्री थे और उन्होंने यह घोषणा की थी कि उस पुलिस अधिकारी को मुअत्तिल कर दिया गया है जिसने सरपंच के हथकड़ी लगाई और, अध्यक्ष महोदय, आज फिर १५ अगस्त के दिन इस खण्डेला के प्रधान के हथकड़ी लगाई गई, उसको बाजार में गिरफ्तार किया गया और उनके साथ एक स्टेंडिंग कमेटी के चैयरमैन, श्री हनुमान सिंह आर्य थे । अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वे किधर के हैं, कांग्रेस में वह कांग्रेस की आपसी गुटबन्दी के कारण यह सब किया गया हो, इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक बज

(श्री शसतीचन्द्र अग्रवाल)

चुका है, डाक्टर ने आपको आराम की सलाह दी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस तरह से यह घटना हुई और यह घटना भी विरोधी दल के साथ नहीं हुई है और अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही है कि यह गिरफ्तारी कांग्रेस के प्रधान की सरकार ने की है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके स्वास्थ्य का ध्यान आ जाता है जब धरा-प्रवाह भाषण देने की तमन्ना दिल में जागती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सबसे बड़ी बात इसमें यह है अध्यक्ष महोदय, कि जिन आधारों पर प्रधान को १५ अगस्त को गिरफ्तार किया गया, वे सब आधार १६ तारीख को ही काफूर हो गए। १६ अगस्त को इनमें से एक भी आधार बाकी नहीं रहा और इस प्रधान के अलावा २२ अन्य व्यक्तियों के वारण्ट भी जारी किए गए। वहां के एस. डी. एम. ने डी. वाई. एस. पी. को आदेश दिया कि इन २२ व्यक्तियों को गिरफ्तार करिए। जब वह खण्डेला में खबर फैली और १६ अगस्त के दिन करीब दस हजार व्यक्तियों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और आठ-दस हजार व्यक्ति वहां पर जमा हो गए, जिला कलेक्टर से भी मिले तो जिला कलेक्टर घटना–स्थल पर आए, और अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने सारे मामले में इन्टरवीन किया और सारे आधारों को देखा और देखने के बाद यह आदेश दिया कि यह मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें १०७ और १५१ जाब्ता फौजदारी के अधिकारों का प्रयोग करने की आवश्यकता हो। उन्होंने सारे मामलों को सस्पेंड कर दिया और उन्होंने उसी वक्त बिना शर्त उनकी रिहाई के आदेश वहां पर दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि इतना बड़ा काण्ड हो जाने के बाद आपका एस० डी० एम० २३–२४ व्यक्तियों के खिलाफ वारन्ट जारी करे, आपकी पुलिस और एस० डी० एम० दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करे २४ व्यक्तियों में से जो कि प्रधान और स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष है, और दूसरे दिन आपका कलेक्टर उनको छोड़ दे, और आपकी पुलिस उनको हथकड़ी लगाये, तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है? आज तक डी० वाई० एस० पी० को मोअत्तिल नहीं करने की क्या वजह है? इस विधान सभा में जो आश्वासन दिया है कि चुने हुए व्यक्तियों के हथकड़ी नहीं लगायेंगे, इस आश्वासन को क्या राज्य सरकार क्रियान्वित नहीं करना चाहती हैं? हो सकता है कि गृह मंत्रीजी आपका प्रमोशन हो गया है और आपका प्रमोशन इन्हीं कारणों से हुआ है, ऐसा मैं समझता हूँ....

श्री भैरोंसिंह : इस कारण से नहीं हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इनका प्रमोशन कई कारणों से हुआ है। इनके प्रमोशन के सारे कारनामों में, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जाना चाहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रमोशन इनकी काबलियत की वजह से हुआ है कि आग

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लगाओ और बुझाओ, इसमें ये एक्सपर्ट हैं। यही इनकी काबलियत है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आग लगाने का प्रश्न है बुझाने का नहीं। उदयपुर में आग लगा दी, नाथद्वारा में चीफ मिनिस्टर पर पत्थर फिकवा दिये और उसकी रिपोर्ट करा दी और सब कुछ कर दिया और मुकदमें बना दिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (गृह मंत्री) : मैं इन आरोपों का विरोध करता हूँ, खण्डन करता हूँ। ये आधारहीन हैं, मिथ्या हैं और द्वेषपूर्ण हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : नाथद्वारा में आपने योजना बनाई थी पत्थर फिकवाने की। आपने पहलवान को भेजा था, उसके बाद पत्थर फेंकने लगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हर मुलजिम यही कहता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ये द्वेषपूर्ण, मिथ्या और आधारहीन है।

श्री विजयसिंह झाला : बिल्कुल सही है। आप बाहर से ही भाग गये कि कहीं पत्थर न लग जायं अपने सिखाये हुए पट्ठों के।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ये बिल्कुल द्वेषपूर्ण आरोप हैं।

श्री विजयसिंह झाला : बिल्कुलसही आरोप हैं। आप अगर जांच करायेंगे तो मैं साबित करूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय गृहमन्त्रीजी के, मैं समझता हूँ, जितने बयान हुये हैं लाठी चार्ज के, जितने बयान झगड़े फसाद के, गोली काण्ड के हुये हैं वे अपने आपमें एक डॉक्युमेंट हैं। अगर उन सारे डॉक्युमेन्टस की एक किताब छपवा दी जाय और गृह मन्त्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र में बंटवा दी जाय तो किसी भी प्रतिनिधि को कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी जनतन्त्र में कितनी आस्था है। इसलिए यह जो मामला है, इस मामले की पूरी बात मैं कहना चाहता हूँ। इनको इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। इनका यह बयान भी गलत है। इनको पूरी जानकारी नहीं है वह अपने आप में मिथ्या और सरासर झूंठा बयान है।

श्री भैरोंसिंह : इसके कागज इनकी टेबल पर अभी भी पड़े हुये हैं–इनको अभी देख लिया जाय।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंहजी यदाकदा ही सत्य बोलते हैं और कितना सच बोलते होंगे यह इससे मालूम हो जायगा। ये पेपर्स देख लिये जाएं तो अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इजाजत दीजिये देखने की।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : भैरोंसिहजी आप कितना सत्य बोलते हैं इसका परिचय मिल जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : टोंक में लाठी चार्ज के बारे में जब आपने बयान दिया था तब भी यह कहा था कि कल

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बयान दूंगा, लेकिन उसके ५ मिनट बाद ही आप कागज निकाल कर पढ़ने लगे। यह आपका जादू का पिटारा है, इसमें कुछ भी गायब हो सकता है और कुछ भी आ सकता है। लेकिन आप सबसे पहले तो यह बताइये कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? माननीय मुख्य मन्त्रीजी के निवास स्थान पर १७५ व्यक्तियों ने धरणा दिया जिनमें दसों सरपंच और बीसों पंच थे। यह एक जिले की राजनैतिक स्थिति के कारण हुआ है जिसमें पंचायत समिति खंडेला के प्रधान का प्रभाव कम कराना चाहते थे सीकर में। इससे हमारा ताल्लुक नहीं। आपने डी० वाई० एस०पी० को मोअत्तिल नहीं किया। १७५ व्यक्तियों ने मुख्यमन्त्री के निवास स्थान पर धरणा दिया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही उस सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध नहीं हुई। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि खंडेला के प्रधान से आपका कोई विवाद हो सकता है और सीकर में उसका प्रभाव किसी तरह से घटे। आप नहीं चाहते हों कि वह आगे आये। यह आपका आन्तरिक मामला हो सकता है। आपकी राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि डी० वाई० एस०पी० ने चुने हुए प्रधान के हाथ में हथकड़ियां लगाई हैं उसके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है? आपकी सरकार ने इस घटना की जांच क्या किसी सी०आई०डी० से करवाई है? किसी डी. आई. जी. रैन्ज ने इसकी जांच की है या नहीं? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन श्री आर० के० चतुर्वेदी ने इस मामले में कोई जांच की है और यदि कोई जांच की है तो किसके आदेश से की है, यह भी मैं जानना चाहता हूँ! अध्यक्ष महोदय, ये रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन क्यों गये इसका भी एक लम्बा किस्सा है जो मैं आगे कहूंगा, लेकिन यह ताज्जुब की बात है कि इस मामले में रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन श्री आर० के० चतुर्वेदी मौके की जांच करने के लिये गये। मैं जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि क्या राज्य सरकार ने एन्क्वायरी कराई है इसलिए रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन वहां गये! अगर ऐसी बात है तब तक तो मुझे खुशी है कि वे जुडिशियल एन्क्वायरी करने आये हैं उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दें। यदि वे आपके आदेश से, राज्य सरकार के आदेश से इस मामले में पुलिस के द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्यादतियां की गई हैं, एस० डी०एम० वारन्ट जारी करता है और कलेक्टर उनको खारिज करता है और काफी लोग इकट्ठा होते हैं और १७५ आदमी सत्याग्रह करते हैं, इन सारे तथ्यों को देखते हुए १५–१६ अगस्त को यह घटना हुई उसको आज एक महीना और ५ दिन का अर्सा होने जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार मौन है। हम चाहते हैं कि यह राज्य सरकार इस मौन को तोड़े और जो सम्बिन्धित अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ बाजाब्ता कार्यवाही करे। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के लिये तो यह दैनिक मामला हो गया है, चाहे लाठी चार्ज का मामला हो टोंक में वह कोई कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ नहीं करेगी और यहां पर बयान ऐसे देगी कि किसी तरह से पुलिस अधिकारियों को बचाया जाय। इसलिये मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कहना चाहता हूं कि उनका शायद ऐसा इशारा हो कि वह ऐसा बयान दें। इसी प्रकार से खंडेला की घटना से जिन पुलिस अधिकारियों का सम्बन्ध हो उनके बचाव की कोई योजना हो, लेकिन सारी योजना, माननीय गृह मन्त्रीजी यह मानकर आप चलें कि आप यहां सदन में सिर्फ जवाव देने के लिए ही नहीं आते है, लेकिन अगर वास्तव में आप लोकतन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं तो सदन के बाहर भी बहुत बड़ा अवाम है जिसका यह सदन प्रतिनिधित्व करता है, तो आपके सारे जवाबों का सारा असर उन पर पड़ता है, और आपके सारे जवाब जिन सिद्धान्तों को आपने प्रतिपादित किया है ऐसा प्रकट करते हैं कि आप उन सिद्धान्तों को नहीं मानते हैं, उनको वालाएताक रखना चाहते हैं तो हम उनकी रक्षा करने के लिए मौजूद है। इस सारी स्थिति को देखते हुए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार अपना सम्पूर्ण बयान दे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थगन प्रस्ताव खंडेला के प्रधान की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में रखा गया है यह एक ऐसा दृष्टान्त है जो कि हमारे संविधान के द्वारा हमारी स्वतन्त्रता के जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं उनका दिन–दहाड़े हनन करने का बहुत ही खुले रूप में यह एक दृष्टान्त है। अध्यक्ष महोदय, इस बात का बराबर पार्लियामेंट में व दूसरी असेम्बलीज में भी विचार किया गया है कि यह धारा १०७ जाब्ता फौजदारी केवल इसीलिए बनाया गया है कि जिससे असामाजिक तत्वों की कोई जुर्म करने की प्रवृति को रोका जा सके, लेकिन उसका प्रयोग राजनैतिक विद्वेष को निकालने के लिए किया जा रहा है, यह इस दृष्टान्त से साफ तौर से जाहिर होता है। अध्यक्ष महोदय, इस दफा १०७ के खिलाफ इसको जाब्ता फौजदारी से निकाल देना चाहिए। इसका इस प्रकार से दुरुपयोग होता है इस बात को लेकर इस संसद, लोक सभा के इस स्तर पर एक नॉन ऑफिशियल रिजोल्यूशन संयुक्त सोशियेलिस्ट पार्टी के लीडर डॉ० राममनोहर लोहिया ने रखा था कि दफा १०७ कॉन्स्टीट्यूशन में जो हमें मौलिक अधिकार दिये हुए हैं, पर्सनल लिबर्टी के, इनका बुरी तरह से पुलिस के द्वारा जगह जगह पर हनन किया जाता है इसलिए इसको जाब्ता फौजदारी से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यदि हम इस घटना के क्रम को देखें कि किस तरह से वह वारन्ट जारी किया गया, क्या सारी भूमिका थी और किस तरह

(१. २०. म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस धारा का दुरुपयोग करके एक चुने हुए प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया, उसके हथकड़ियां लगाई गई और उसको बेइज्जत करके कुछ लोगों की भावनाओं को पूरा करने के लिये, कुछ लोगों के राजनैतिक विद्वेष को पूरा करने के लिये उसका उपयोग किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एस. डी. एम. हैं देवदत्तजी, मेरी जानकारी के अनुसार देवदत्तजी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खिलाफ शिकायत उन्होंने कारवाई थीं । डी. वाई. एस. पी. के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रधानजी ने कई बार शिकायत की थी इसलिये वे इनसे रंजिश रखते थे ग्रौर व्यक्तिगत तौर से उनसे दुश्मनी निकालना चाहते थे । भूतपूर्व प्रधान थे उनके भाई श्री चतुर्भुज गोयल ग्रौर उनके भाई श्री सीतारामजी ने जबर्दस्ती से हाई स्कूल की जमीन पर कब्जा किया था, उसके विरुद्ध हाई स्कूल के स्टूडेन्टस ने हड़ताल की थी ग्रौर वहां के नागरिकों ने उनकी सहानुभूति में हड़ताल की थी; माजरा सरा यह था । लेकिन क्योंकि ग्रधिकारीगण उन श्री सीतारामजी की नाजायज मदद करना चाहते थे, उनको हाई स्कूल की जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा करने में मदद दे रहे थे इसलिये इन लोगों ने उनसे षड़यन्त्र रच कर इस प्रकार की कार्यवाही की। उस पावन दिवस को, १५ ग्रगस्त, को जब प्रधानजी ३ स्कूलों में झंडारोहण करके घर वापिस ग्राये तब १०७ के वारेन्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया । सामान्य तौर से उपाध्यक्ष महोदय १०७ दफा में वारन्ट या गिरफ्तारी उस समय की जाती है जब कि इम्मीनेन्ट डेन्जर ब्रीच ग्रॉफ पीस का हो, जब कि जुर्म रोकने की संभावना नहीं हो, दोनों तरफ की ताकत का ग्राम इज़हार हो गया हो या इस प्रकार की लड़ाई होने की संभावना हो, उस वक्त उनको कस्टडी में लेकर गिरफ्तार करने की नौबत ग्राती है । इस मामले में जब कि प्रधानजी झंडा रोहण करके, तीन स्कूलों में लगातार झंडा रोहण करके शाम को ४ बजे ग्रपने घर पहुंच जाते है, झगड़े का कोई सवाल नहीं है, घरमें जाने के बाद उनको गिरफ्तार करते हैं । खुले तौर पर पुलिस के पास पॉवर्स हैं-दफा १०७ जाब्ता फौजदारी का उनका खुले तौर से दुरुपयोग है । जो घोषणा पार्लियामेन्ट एसेम्बलीज़ में बैठ कर की है कि १०७ दफा जाब्ता फौजदारी का राजनैतिक विद्वेष निकालने में इस्तेमाल नहीं किया जायगा, राजनैतिक मसलों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, ट्रेड डिस्प्यू में इसका इस्तेमाल नहीं किया जायगा, वहीं इस तरीके से इस्तेमाल किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ग्राश्चर्य है कि यह बात साबित होने के बाद तमाम जनता इकट्ठी हो गई, कलेक्टर साहब वहां पर ग्राये ग्रौर उन्होंने फौरन इन्क्वायरी करके पाया कि उन लोगों को बेजा तरीका से गिरफ्तार किया गया है इसलिए उनको बाइज्जत रिहा किया गया ग्रौर उनके मुचलके नहीं लिये गये, जमानत नहीं ली गई । इसका साफ मतलब है कि जब उनको बेकुसूर पाया, तो जिन लोगों ने उनके हथकड़िया डालकर गिरफ्तार किया था, एस. डी. एम. ने वारन्ट जारी किया था, वे लोग मुजरिम हुए क्योंकि उन्होंने नाजायज तौर पर किसी को हिरासत में लिया इसलिये प्राइमा–फेसी केस उनके खिलाफ बनता है । उनके सामने कलेक्टर या डी. एम. ने प्रधानजी को छोड़ा था इससे साबित हो गया कि वे निर्दोष थे । उसी वक्त डी० वाई० एस० पी० के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये था ग्रौर एस० डी० एम० के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये था । कलेक्टर साहब को उनके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिये था ग्रौर उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिये था ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक नागरिक जो चुना हुआ, पंचायत समिति का हैड, उसको इस तरीके से बेजा तौर पर गिरफ्तार कर लें और उसके बारे में इस तरह का लीनियेन्ट एटिट्यूड लें यह गम्भीर बात है। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आप और यह सदन लगातार देख रहे हैं कि गृह मन्त्रीजी का इस प्रकार की घटनाओं के प्रति किस प्रकार का रवैया है–चाहे वह टोंक में लाठी चार्ज करने का मामला हो और वहां की पुलिस ने वहां की जनता के साथ ज्यादतियां की हों, चाहे 'राजस्थान पत्रिका' के खिलाफ बड़े मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों द्वारा कुछ विद्यार्थियों को भड़का कर करवाई गई गुंडागर्दी का मामला हो, चाहे मानपुरा थाने में कुछ अध्यापकों को थानेदार द्वारा पीटने की रिपोर्ट करवाई हो, इन तमाम घटनाओं के प्रति गृह मंत्रीजी का एक ही रुख है, एक ही दृष्टिकोण है। वह दृष्टिकोण यह है कि पहले तो लाइल्मी जाहिर करना, घटनाओं से वाकफियत नहीं है, पूरे समाचार मालूम नहीं है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान में २३२ प्रधान हैं केवल, और उन २३२ में से एक प्रधान इस तरह से गिरफ्तार हो जाय, उसके हथकड़ियां लगा कर हवालात में उसको बन्द कर दिया जाय, कलेक्टर उसको निर्दोष पाकर रिहा करे और राजस्थान के गृह मन्त्री इस सदन में बैठकर यह जवाब दें कि पूरे तथ्य मालूम नहीं हैं; मै कहना चाहता हूँ कि निकाल देना चाहिये ऐसे मत्री को मन्त्री मण्डल से, गैर–जिम्मेदार ऐसे मन्त्री को। यदि एम. एल. एज़. के साथ इस तरह की घटना हो, मन्त्रीयों के साथ इस तरह की घटना हो तो क्या आप जवाब देंगे कि मालूम नहीं है? आपका मालूम नहीं है तो आपका आई. जी. पी. भी यही जवाब देगा और उसने दिया भी है। 'राजस्थान पत्रिका' की घटना पर उसने जवाब दिया कि रिपोर्ट लिखित में दीजिये। जब तक लिख कर नहीं दोगे तब तक मेरी आंख बन्द है, कान बन्द है, मुंह बन्द है। आपका यह रवैया देखर बड़ा ताज्जुब होता है। जो घटनाएं इस तरह की हुईं, गृह मन्त्रीजी को तैयार होकर अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिये थी, खेद प्रकट करना चाहिये था, विश्वास दिलाना चाहिये था इस सदन के द्वारा राजस्थान की दो करोड़ जनता को, कि इस प्रकार की जो घटना हुई है उस पर मन्त्रीजी जो सख्त कदम उठायेंगें और पुनरावृति नहीं होने देंगे। जिस तरह का रवैया गृह मन्त्रीजी का देख रहे हैं––चाहे इस तरह की घटना हो, चाहे टोंक की घटना हो–उनका सामान्य तरीके से सदन में जवाब होता है, इस तरह का रवैया अपनाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे प्रोत्साहित कर रहे हैं मुजरिमों को, प्रोत्साहित कर रहे हैं पुलिस के उन कर्मचारियों को और उनकी बेजा कार्यवाहियों को–उनकी मुजरिमाना कार्यवाहियों को रोकना नहीं चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं यह कहूं कि जो रवैया हम देख रहे हैं इस सदन में, जब मन्त्री जी के पास यह डिपार्टमेंट था, जब उनके पास इसकी जिम्मेदारी थी उस समय ये उपगृह मन्त्री थे, तब हम यह समझते थे कि मुख्य मन्त्रीजी, जिनके पास गृह मन्त्रालय है, उनके सामने इनकी चलती नहीं होगी और डोमिनेटिंग होंगे, लेकिन जब उनको पूरा फोर्टफोलियो संभलाया गया तब उनकी असलियत, उनकी काबलियत और उनकी एफिसियन्सी राजस्थान की जनता के सामने, इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सदन के सामने आई। इस तरह की घटनाओं के बारे में कोई एक्शन की बात कही जाय तो उसको टालने और बच निकलने का रास्ता अपना रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के गृह मन्त्री की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि इस तरीके के गृह मन्त्री को मन्त्री मण्डल से निकाल दिया जाय। बिल्कुल नाकाबिल हैं ये गृह मंत्री इस पोर्ट-फोलियो को सम्भालने के लिए ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : छाती ठोक कर कहता हूँ कि आप नहीं निकाल सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहना चाहता हूं कि अगर सुखाड़ियाजी अपने मंत्रीमण्डल से नहीं निकालेगें तो ......

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह विधान है, मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि आप मुझे नहीं निकाल सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो राजस्थान कि जनता आपको निकालेगी, अगर आपका यह रवैया रहा कि आप प्रधान को पिट-वायें और अध्यापकों को पिटवायें तो कल आपको एम० एल० एज० को भी पिटवायेंगे। इसलिए आप इस रूल को इस प्रवृति को प्रोत्साहन न दें। यह खतर-नाक प्रवृति है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या छाती है आपकी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह खतरनाक प्रवृति है। अभी तक तुम दूसरों की टोपियों को उछलवा रहे हो, दूसरों की पिटाई करवा रहे हो, और दूसरों के ऊपर लाठियां चलवा रहे हो, और हंस रहे हो, खून बरसते देख कर तुम उसे ठिठोली समझ रहे हो, उस पर हंस रहे हो। लेकिन यही लाठियां तुम्हारे सिर पर पड़ेंगी, जब यही लाठियां तुम्हारे सिर को तोड़ेंगी तब पता लगेगा। जब तुम्हारे सिर से लहू निकलेगा तब तुम कहोगे कि यह प्रवृति को मैंने उस वक्त पर ठीक नहीं किया। तब तुम्हें अक्ल आवेगी अपनी नादानी पर। तब तुम कहोगे कि दूसरी राजनैतिक विरोधी पार्टी के लोगों के विरुद्ध मैंने इस प्रकार की नादानी की कार्यवाही की थी, वह नादानी की हरकत की थी और अराजकतावादी बातें की थीं लोगों ने, उनको मैंने टाल दिया था और फिर आपको अपना दोष पूरी तरह से समझ में आयेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आप ईमानदारी से कहते हैं कि आपको खण्डेला की घटना के बारे में आज तक पता नहीं ? हम लोग, जिनके पास में कोई सोर्स नहीं है और जिनको इन बातों से चिन्ता होती है, चिट्ठियों के जरिये जानकारी करते हैं, हम सारी बातों की मालूमात करते हैं और आप गृह मन्त्री होते हुए भी यह कहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : On point of order, Sir. आपका गला खराब हो जाएगा; आप बहुत तेज बोल रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप चुने हुए लोगों की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए नहीं हैं-यह आपके रवैये से साफ जाहिर होता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहता हूं कि इन गृह मन्त्रीजी को इस एडजोर्नमेंट मोशन का आज ही जवाब देने के लिए बाध्य किया जाय। सारा स्टेटमेंट डिपार्टमेंट के पास मौजूद है और इस मामले में सारी इन्क्वायरी वगैरह हो चुकी है, इसलिए इनको आज ही फौरन जवाब देना चाहिए। अगर आपका जवाब कुछ अधूरा रहेगा, उसमें कोई कमी रहेगी और हम मामले में सारी पूरी जानकारी करना चाहेंगे तो हम बाद में पूछ लेंगे, तब आप पूरक उत्तर के रूप में फिर जवाब दे सकते हैं। लेकिन यह बात कह कर आपको इस मसले को टालने का मौका न दिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय,..........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १६ फरवरी के बाद में इन गृह मन्त्री को पता लगेगा। × × × × तब मालूम होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please, !

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of privilige, Sir. On a point privilige, Sir. जो भाषा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बड़ी पवित्र भाषा का प्रयोग किया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो भाषा का आपने प्रयोग किया है × × ×........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : You deserve this.

श्री निरंजननाथ आचार्य : × × ×

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is your fate.

श्री निरंजननाथ आचार्य : × ×

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is your fate.

श्री निरंजननाथ आचार्य : और यह × × की नाराजगी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × × × की बात कह कर डराते हो, मुझे डर दिखाते हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : × × × बात पर मुझसे खीझ रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज यह है कि यह जो शब्द इन्होंने कहे हैं, उनके लिए मैं अर्ज करूंगा कि इनको एक्सपंज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : That will be expunged.

श्री निरंजननाथ आचार्य: और माननीय सदस्य को यह उत्तरदायित्व दिया जाय कि वह × × का गुस्सा यहां नहीं दिखायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी को बता देना चाहता

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हूँ कि यह माननीय सदस्य नहीं बैठायेंगे, आपको जो लोग बैठायेंगे वह जनता के होंगे जिनके खिलाफ आप प्रिविलेज मोशन नहीं ला सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो मैं कर दूंगा आपके लिए।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इनको बैठायेंगे × × × ×, दोनों को बैठायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह जो × × पड़े हुए हैं उनकी दुश्मनी है। मैंने जो × × × × काम कराया है उसके लिए गुस्सा आता है। अरे भैरोंसिंहजी, बोलते क्यों नहीं हो, चुपचाप क्यों बैठे हो ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह क्या बोलेंगे ? तुम्हारा × × × × है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अरे भैरोंसिंहजी, बोलते क्यों नहीं हो ? चुप-चाप क्यों बैठे हो ? इनके × × × × पकड़वाया अब बोलते क्यों नहीं हो, भैरोंसिंहजी क्योंकि × × × पकड़वाया है इसलिए खिसिया रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा : अरे ऐसे × × मेरे लिए रोज मरते हैं और रोज जिन्दा होते हैं। तुम्हारे × × × × जैसे नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बार बार मेरा नाम मंत्री महोदय ने लिया है। मैं यह उचित समझता हूं कि यह मामला मंत्री महोदय को हाउस में नहीं लाना चाहिये। वह इस मामले के बारे में हाउस में नहीं कहें। और मैं उनको यह विश्वास दिला दूं कि जो कुछ इस मामले में गृह मंत्री या सरकार ने कार्यवाही की है, तो उसकी जलन के कारण कोई माननीय सदस्य सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं समझता हूं इसलिए बार बार इसी मामले को रेफर करना शोभाजनक नहीं है, किसी एक बात को लेकर बार बार सदन में कहना उचित नहीं है। मान लीजिये कि किसी सदस्य के रिश्तेदार ने कोई अपराध किया है, उस अपराध में उन सदस्य की कोई कनाइवेन्स हो, तो बात समझ में आ सकती है कि अमुक एम. एल. ए. के कारण उसके रिश्तेदार ने अपराध किया है। अब किसी एम. एल. ए. के किसी रिश्तेदार ने कोई अपराध कर लिया और उसके लिए मंत्री महोदय यह परम्परा मान कर चलना चाहते हैं कि क्योंकि किसी एम. एल. ए. के किसी रिश्तेदार ने अपराध किया है, इसलिये सदन में बैठनेवाले सम्बन्धित सदस्य उसके लिए जिम्मेदार हैं तो मैं समझता हूं कि आप इस परम्परा को भविष्य में भी रखें मैं व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ, लेकिन सरकारी पक्ष में बैठने वाले किसी सदस्य का या मंत्रीमंडल के अन्दर बैठने वाले किसी माननीय सदस्य का कोई रिश्तेदार अपराध करता है तो उस अपराध की जिम्मेदारी लेने के लिए यदि सरकारी बैंचेज पर बैठने वाले सदस्य तैयार हैं, तो मैं समझता हूँ कि बात दूसरी ही होगी वरना मैं समझता हूँ कि इस प्रकार

× × × × अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री भैरोंसिंह)

के मसले का बार बार उल्लेख करना मंत्री जी के लिए उचित नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of personal clarification, sir ...

श्री निरंजननाथ प्राचार्य : आप तो कह कर टाल गये लेकिन मैं तो भुगत रहा हूँ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यदि मेरा बहनोई किसी अपराध के अन्दर पकड़ा गया ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of order, sir...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्री जी बराबर कल से ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : on a point of order, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री हाण्डा के कोई रिश्तेदार किसी जगह कोई अपराध करें । मैं व्यवस्था का प्रश्न यह उठा रहा हूँ । आज जो सवाल खण्डेला का चल रहा है उसके लिए माननीय सदस्य हाण्डा कोई बात माननीय मंत्री के लिए कहें तो उसका यह उत्तर नहीं हो सकता यह × × × × × खिसियाना है या पता नहीं कौन कौन से शब्द उन्होंने कहे । उनको नाराजगी है । कोई मामला उनके × × × × का हो सकता है लेकिन आप खन्डेला के प्रधान के विषय के अन्दर × × को ले आयें क्योंकि वह बोल रहे हैं, तो रामानन्द अग्रवालजी के तो कोई × × × × नहीं हैं, न मेरे × × × × हैं । आखिर एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर बहस हो, उस पर वाद-विवाद हो तो उसके जवाब में कुछ तथ्य हो सकते हैं ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्य यह भी कह सकते हैं कि × × × × × × × × × × × × × × × × × ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह उनकी सफाई नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह संसदीय भाषा है, यह परम्परागत भाषा है । इस तरह की भाषा एक तरफ से चलती है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (कुछ कागजों की ओर संकेत कर) मैं आपके नेक कारनामे पढ कर बताऊं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रकार की भाषा मेरे जीवन में मैंने नहीं सीखी । मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता । आखिर हमारी कुछ परम्परा है, कुछ प्रणाली है और हमारा कुछ अनुशासन है, मैं समझता हूँ कि जो भाषा उपयोग में लाई गई है वह असंसदीय है और आपने उसका कॉग्नीजेन्स लिया है । मैं समझता हूँ कि बीच बीच में श्री हाण्डा बोलते हैं, उसके पीछे कुछ वृत्ति है और उस वृत्ति के कारण से खुले तौर से बार बार इस प्रकार का भाषा का, असंसदीय भाषा का प्रयोग उनके द्वारा होकर हमारे सिर को नीचा किया जा रहा है ।

× × × × अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाले गए ।

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वह बाहर करें, इस हाउस में न करे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of personal explanation, sir,……

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली): माननीय सदस्य जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उसको सुन कर बाहर से आने वाले लोग क्या फील करते होंगे कि इस हाउस में इतने बड़े बड़े लोग किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। इस का असर उनके ऊपर बुरा होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं यह व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने स्टेट कर देता हूँ और बैठ जाता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इनके पहले एक व्यवस्था का प्रश्न मेरा है उस पर निर्णय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निर्णय दे दिया है कि जिस प्रकार के वाक्य या शब्द माननीय सदस्य ने प्रयोग किये हैं उनको प्रोसीडिंग्ज़ से एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और माननीय आचार्य जी ने जो कहें हैं वह पड़े रहें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह उचित समझता हूँ कि जिस प्रकार की उस वक्त शब्दावली इधर या उधर से आई × × × × × इत्यादि वह भी एक्सपन्ज कर दी जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : नहीं, नहीं, ठीक है, अच्छा है, इसमें क्या बात है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि जब तक केस चलेगा तब तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज़ के मामले होम मिनिस्ट्री के हम लायेंगे तब तब होम मिनिस्टर एक ही जबाब देकर निकलते रहेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपको जबाब नहीं दिया था। उनको जबाब दिया था।

श्री ज्ञानचंद मोदी (नीम का थाना): उपाध्यक्ष महोदय, खण्डेला की जो बात कही है उसके सम्बन्ध में मैं प्रकाश डालना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने हमारे ऊपर कई आरोप लगाये हैं। पन्द्रह अगस्त को प्रधान गोपालसिंहजी ने....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि कल जिस प्रकार हमने तय किया था, हमें सारा बिजनेस निपटाना है और उस दृष्टि से हम यदि सारी चीजों को आगे बढ़ायेंगे तो ज्यादा उचित होगा। संक्षेप में।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : थोड़े में ही कहूंगा। पन्द्रह अगस्त को हाई स्कूल में एक मीटिंग थी और गोपालसिंहजी प्रधान थे, उन्होंने झण्डा फहराया। उस समय उन्होंने अपने भाषण में बताया कि यह जो जमीन

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

सीताराम महाजन की है इस पर कब्जा कर लिया जाय और उसके आधार पर कुछ बातें कहीं। उसी को लेकर विद्यार्थियों में जोश आया और डण्डे को तोड़–फोड़ दिया और आग लगा दी, मशीन कुएं में डाल दी, कुएं को पत्थर से भर दिया। इस तरह करीब बीस-पच्चीस हजार का नुकसान हुआ। सीताराम महाजन ने जा कर उसकी थाने में रिपोर्ट की, लेकिन वहां के थानेदार ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में वह नीम के थाने गया और वहां जाकर एस० डी० एम० को रिपोर्ट की कि ऐसी हालत है जिसमें मेरी जान-माल को खतरा है, जिससे मेरी रक्षा की जाय। उस रिपोर्ट पर एस० डी० एम०, नीम का थाना और डी० वाई० एस० पी०, खंडेला आये। जिस वक्त वह वहां आये तो जुलूस बाजार में घूम रहा था और दुकानें बन्द कर दी गई थीं। उन्होंने कुछ लोगों के बयान लिये लिखित में और यह वाकया पाया कि वास्तव में हालत गम्भीर है और बाजार बन्द हो रहे हैं। उस पर उन्होंने वारण्ट दिये और उनको गिरफ्तार किया गया। जब वह गिरफ्तार कर रहे थे उस समय वह किसी तरह भाग गये। उसके बाद में घर से बुला, कर उनको गिरफ्तार किया गया और हथकड़ी लगाई गई।

थाने में ले जाकर उनको बिठा दिया गया। ये सारी बातें सत्य हैं इसलिये आज जो झगड़ा चल रहा है कि यह क्यों ? जब एक आदमी का २०–२५ हजार रुपयों का नुकसान हो गया और उसको किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा तो यह आग नहीं उगलेगा तो क्या होगा ? यह, किसका कुसूर है. यह नहीं देखा गया। यह है कि इसको गिरफ्तार करो और उसको गिरफ्तार करो। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये। मुख्य मंत्री के सामने धरना दे दिया गया है उस पर आप नहीं आवें। आपको यह देखना है कि किसने आग लगाई और उस वजह से २० हजार का नुकसान हो गया। इसलिये आपको यह चाहिये कि उन लोगों को पहले आप गिरफ्तार करें और यह जो भाषण २६ अगस्त को दिया गया उस पर यह सारी स्थिति खड़ी हुई है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी जांच हो।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो खंडेला के मामले में यहां पर जो प्रस्ताव आया है, उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हो जिसको यहां रखना जरूरी है तो उसके लिये प्रस्ताव जरूर आना चाहिये। पर जिस ढंग के हाउस में प्रस्ताव आते हैं और जिस ढंग से उन पर बहस होती है, माननीय सदस्यों को चाहिये कि अपने लोग जो एम० एल० ए० चुन कर आते हैं वे एक लाख जनता के प्रतिनिधि बन कर यहां पर आये हैं। अगर हम इस प्रकार की बातें यहां पर बैठ कर करेंगे, अगर बाप इस प्रकार की बातें यहां करेंगे तो बेटे क्यों नहीं करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : आपके तो बेटा है नहीं !

श्री मुक्तिलाल मोदी : सारे लोग कहते हैं कि एक लाख जनता के प्रतिनिधि होकर इस प्रकार की बातें करते हैं। आप कहिये अगर सरकार ज्यादती करे तो अवश्य कहिये, कोई एम० एल० ए० ज्यादती

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

करता है तो उसके लिये भी कहिये और कोई दूसरा ज्यादती करता है तो उसके लिये भी कहिये। हर सदस्य को इसके लिये कहने का अधिकार है और उनको कहना चाहिये। मगर खंडेला की बात के लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकार ने थानेदार से रिपोर्ट ली और गोपालसिंहजी ने भाषण दिया और माननीय सुराणाजी ने कहा कि वह जमीन स्कूल की है। मैं यह कहूंगा कि आज भी जमीन के पर्चे उनके पास मौजूद हैं; सीतारामजी को हक मिला हुआ है। इस तरह का वातावरण बना कर अराजकता फैलावें। किसी के मकान को आप लूट लें, किसी का समान जला दें–किसी को कोई दावा नहीं हो? पुलिस को भी हटा दो। मरे जिसको मरने दो, मारे जिसको मारने दो और लूटे जिसको लूटने दो, क्या जरूरत है सरकार को? अगर आपकी यही मंशा है कि पीटे जिसको पिटने दो और मारे जिसको मारने दो। अगर यह हो जावेगा तो...........

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of information, sir,.......

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप मुझे बोलने दें फिर बोल लें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिन तथ्यों की बात.......

(श्री मुक्तिलाल मोदी के साथ साथ बोलते रहने के कारण अश्रव्य)

श्री मुक्तिलाल मोदी : जब वे बोले तो हम नहीं बीच में बोले, इसलिए हमको पहले बोलने दें, वे बीच में नहीं बोलें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपको यह सूचना के तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बोल रहे हैं तो आपको शान्ति से सुनना चाहिये, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। माननीय उपाध्यक्ष, खंडेला के लोगों ने यह कहा कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का हम लोगों को लाभ मिलेगा। दुकानें जबर्दस्ती बन्द करवाई गईं।

प्रजातन्त्र में इस तरह के झगड़े होने की स्थिति है कि सीतारामजी के....

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य थोड़ा संक्षेप में कहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपने दूसरों को २०–२० मिनट दिये हैं। मैने तो अभी शुरू ही किया है। यह सारा वातावरण हुआ, सीतारामजी और उनका प्रश्न नहीं था। यह प्रश्न सारी जनता का प्रश्न था। जब आप 'राजस्थान पत्रिका' की बात कहते हैं, एक तरफ आप यह बात कहते हैं कि 'राजस्थान पत्रिका' के साथ अन्याय हुआ और दूसरी तरफ आप खंडेला की बात करते हैं। अगर कोई प्रधान किसी को लूटने की बात बात करे कोई एम. एल. ए. किसी को लूटने के लिए कहे तो वह नहीं होगा। उनकी यह बात नहीं चलेगी। इस हाउस में वही बात चलेगी जो उचित होगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने पुलिस फिर किस लिए बनाई है? कोई किसी को मार दे तो मार दे, ऐसा नहीं हो सकता।

(श्री मुकतीलाल मोमी)

मेरे को कोई मार देगां तो मार दे, मेरे तो कोई रोवेगा नहीं। मगर उसके तो बाल-बच्चे रोवेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको तो हम रोवेंगे, चिल्ला चिल्ला कर रोवेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप ऐसी स्थिति में सारी जनता को बचाने के लिए कोशिश करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मर गये तो सदन विधवा हो जावेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह बात चलती है तो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन को इनकी इन्क्वायरी के लिए तैयार किया जा सकता है और अगर हम हाउस में भी बात गलत कहें, तो मैं कहता हूँ कि खंडेला की जनता में यह भी चलें, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी चलें और मैं भी चलता हूँ वहां पर पता लगावें तो आपको मालूम होगा कि उनके साथ ज्यादती हुई है। अगर उनके साथ ज्यादती नहीं हुई, तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो....

एक माननीय सदस्य : यह बात होम मिनिस्टर साहब कहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तो होम मिनिस्टर साहब जाने और आप जानो। होम मिनिस्टर साहब ने उनको पकड़ा ही नहीं। वे उनको पकड़ नहीं रहे हैं इस बात का तो झगड़ा हो रहा है। पहले पकड़ें तो सही। होम मिनिस्टर साहब तो किसी को पकड़ नहीं रहे हैं। इसलिए तो मैं भी यही कह रहा हूँ और कह क्या रहा हूँ? हम तो यह कहते हैं कि होम मिनिस्टर साहब से कि इतने दिन हो गये एक ही आदमी को आपने पकड़ा....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी सरकार निकम्मी है....

श्री मुक्तिलाल मोदी : जैसा भाषण दिया गया वहां पर कोई दूसरा प्रश्न नहीं था, जमीन का प्रश्न था। मकान मिला हुआ है, डंडा खिंचा हुआ मौजूद है फिर समझ नहीं आता कि स्कूल की जमीन किस प्रकार आई। अगर स्कूल की जमीन होती तो मान लेते। मैं खुद कहता हूँ कि आप राजस्थान में स्कूलों को जमीन दीजिए, वहां पर स्कूल की जमीन नहीं दबाई है। मैं चलने को तैयार हूँ, स्कूल की जमीन नहीं दबाई है, उसके पास पर्चा मौजूद है। इतना होते हुए भी उसके बाद गांव में आतंक, हुल्लड़बाजी फैलाना और इस प्रकार की बातें करना यह सब नहीं चलेगा। अगर आप पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन रखते हो तो आपकी यह सब बातें नहीं चलेंगी। एक बात चलेगी। एक बात चलेगी, जो सही होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कराई जावे।

श्री किशनसिंह बाटड (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह मामला है, इसमें गोपालसिंह का हाथ होता अगर साबित हो जाय तो मैं स्तीफा देने को तैयार हूं, नहीं तो असेम्बली से माननीय सदस्य स्तीफा दे दें........

(विरोधी पक्ष की ओर से हीयर हीयर)

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो माननीय सदस्यों ने दो बातें कहीं हैं........

(शोरगुल)

श्री किशनसिंह बाटड़ : यदि गोपालसिंह का हाथ इसमें हो तो मैं स्तीफा दे दूं। हाँ, लड़कों ने क्या किया, क्या नहीं किया, जमीन किसकी है, इसके बारे में मैं नहीं कहता लेकिन यह कहता हूँ कि गोपालसिंह का इसमें कोई हाथ नहीं और डी. एस. पी. ने हुक्म दिया कि मेरे सामने इसको पकड़ो, हथकड़ी डालो, मैं कहता हूं....

(शोरगुल)

गोपालसिंह प्रधान है, जिम्मेदार आदमी है, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और उस पुलिस अफसर को मोअत्तिल नहीं करना, यह सब क्या है ? हमारी सरकार क्या चाहती है ?

(हीयर–हीयर)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हमारी सरकार चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहती है।

श्री किशनसिंह बाटड़ : चुने हुए बेगुनाह लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वह मुजरिम नहीं..

(हीयर–हीयर)

श्री ज्ञानचन्द मोदी : मैं कहता हूँ....,

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अरे, उनकी सुनो।

श्री किशनसिंह बाटड़ : डी. एस. पी. को ६ महीने हो गये उनके पीछे पड़े हुए, पहले ही उनके हथकड़ी डालना चाहता था पर मौका नहीं मिला, यह मौका मिला और हथकड़ी डाल दी। मैंने खंडेला में थानेदार से पूछा कि गोपालसिंह को कैसा पकड़ा तो कहा कि मुझे पता नहीं, डी. एस. पी. साहब से पूछो, वे ही जानें, । मैंने डी. एस. पी. से पूछा कि आपने गोपालसिंह को क्यों पकड़ा तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, वारण्ट हमारे पास आया था, एस. पी. ने वारण्ट दिया। थानेदार ने कहा कि वारण्ट हमको डी. एस. पी. ने दिया, एस. पी. ने नहीं दिया डी. एस. पी. कहते हैं कि एस. पी. ने दिया और एस. पी. कहते हैं कि एस. डी. ओ. ने दिया। गोपालसिंह के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया, यह हमारे लिये अच्छा नहीं लगता। इसकी पहले जांच करायें, अगर गोपालसिंह का हाथ उसमें मिल जाय तो मेरा स्तीफा ले लेना।

गोपालसिंह अपनी हैसियत रखता है, इसके लिये पूरी फिर तहकीकात करानी पड़ेगी और हमको समझाना पड़ेगा कि हम क्यों बोलते हैं। दूसरी पार्टी वाले बोलते हैं, तो कहते हैं कि विरोधी दल वाले बोलते हैं, पर हमारे साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, यह सोचने की बात है। इसलिये बहुत गम्भीरता के साथ सोच-विचार करके आयन्दा एक्शन लेना चाहिये, उन्होंने झण्डारोहण किया अपनी पंचायत समिति के गांवों में, पंचायत समिति में फिर आकर बैठे तो हथकड़ी डाल दी। गोपालसिंह को पकड़ने

(श्री किशनसिंह बाटड)

के लिये वे लोग गावों में फिर रहे थे, गांव–वालों ने बताया कि यहाँ नहीं हैं, इससे साफ साबित होता है कि गोपालसिंह वहाँ नहीं थे, इस चीज को नोट कर लीजिये और जाँच करा लीजिये कि उस वक्त गोपालसिंह वहाँ नहीं थे।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : माननीय सदस्य ने कहा कि गोपालसिंह काइसमें हाथ नहीं है। मैं कहता हूँ कि गोपालसिंह ने सबसे पहले वहाँ भण्डा फहराया और कहा था कि यह स्कूल की जमीन है, इस पर कब्जा कर लो। जांच कर लीजिये, यह गलत साबित हो तो मैं स्तीफा देने को तैयार हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मसला बहुत दुख पूर्ण है। दो बातें बड़ी साफ हैं वे यह हैं कि वे प्रधान हैं, प्रधान को १५ अगस्त को चार जगह जाना पड़ता है, यह भी सही है कि वह दुर्घटना घटी। यह भी सही है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ये दो लोग उनके खिलाफ थे, वे सर्विस क्लास के लोग हैं, वे इस मौके की ताक में थे और इस मौके की ताक में रहते हुए यह घटना घटी, यह घटना घटते ही वे ताक में तो थे ही उतावले हो गये, बच्चो को पूछा तक नहीं, क्योंकि उतावले हो रहे थे, दोनों के दोनों उसके खिलाफ इसलिये उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गी कर लेते हैं, एक नहीं सैकड़ों होते हैं, मर्डर के केसेज बता सकता हूँ, होम मिनिस्टर ने स्वयं ने कहा है सेशन जज ने पुलिस ऑफिसर को कन्डेम किया है, खुली अदालत में सेशन्स जज ने कहा है कि इसने खुले तौर से मर्डरर को छोड़ा है। मैं पुराने होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ तुमने सॉलम एफमेशन के आधार पर हाउस में अन्डरटेकिंग दी थी कि किसी इलेक्टेड मेम्बर को हथकड़ी नहीं पहनाई जायगी, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि इसके गुलाम, टुक्कड़खोर. जनता के टैक्स से पलने वाले ने चुने हुए आदमी को हथकड़ी कैसे लगाई ? वे आपके ऑर्डर को नहीं मानते। सरकारी नौकर, नमकख्वार नौकर भी आपके हुक्म को नहीं मानते और जैसे वोटों से हम चुने हुए हैं, उस तरह वोटों से जो चुने हुए हैं उनको हथकड़ी लगा के ले जाता है, क्योंकि प्रज्युडिस्ड थे इसलिए हथकड़ी लगा कर ले गये। इस सदन के अन्दर एक मिनिस्टर होम मिनिस्टर की हैसियत से अन्डरटैकिंग दे कि चुने हुए मेम्बर को हथकड़ी नहीं लगाई जायगी फिर भी हथकड़ी लगायें। वह नॉकर कौन है जो होम मिनिस्टर की इस प्रकार की अन्डरटेकिंग के बावजूद चुने हुए मेम्बर के हथकड़ी लगाये, उसको सस्पेन्ड करें, उसको सजा दें। इस सदन में सौलम प्रॉमिज किया तो उसके बारे में बतायें कि कैसे इलेक्टेड आदमी के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया ? आज साबित है कि उसको पकड़ लिया, बहुत अच्छा किया, गलत को पकड़ा, सही को पकड़ा पर यहां क्या सांप सूंघ गया है पुलिस को और सरकार को कि राजस्थान पत्रिका के कार्यालय के भीतर नौकरों को मारा-पीटा और भाग गये, जो रोटी के लिए रात को दो दो बजे तक काम करते हैं उनको बुरी तरह से मारना-पीटना, मैं उन्हें स्टूडेन्ट्स नहीं मानता, वे गुण्डे हैं, कोई स्टूडेन्ट नहीं वे लोग जो हैं क्राइम करनेवाले लोग हैं।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

(२.०० म. प.)

वे लोग जो क्राइम करने वाले हैं, जिन्होंने क्राइम किया है, उन लोगों का ६ दिन तक क्या हुआ ? एक प्रधान को हथकड़ी लगाई, यह हुकूमत सोती रही, प्रेस के कर्मचारियों, उन गरीबों के जो अस्पताल में पड़े हैं, बच्चे क्या खायेंगे, कहां से खायेंगे ? ऐसी घटना खंडेला में हो सकती है, लेकिन जयपुर जैसे शहर में ऐसी घटना हो जाय उसके सम्बन्ध में गृह विभाग का क्या जवाब है, पुलिस का क्या जवाब हैं ? गोपालसिंह का जहां सवाल आता है तो हथकड़ी लगाई और यहां जो घटना हुई किन की शय से, जिनकी वजह से हुकूमत निष्क्रय, अकर्मण्य है और इस गुण्डागर्दी की वजह से घर घर में आतंक छाया हुआ है, जनजीवन सुरक्षित नहीं है, सारे सदन ने चिन्ता व्यक्त की है उसके बाद भी हुकूमत मौन है ? यह व्यक्तिगत हुकूमत है या कानून की हुकूमत है, यह सदन को सोचना पड़ेगा। यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह हमारे अधिकारों और संविधान का सवाल है। हमारे नौकर हमारी जनता के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, यह हमारे लिए बिल्कुल शर्मनाक बात है । इस सदन में बैठे हुए भी हम निष्क्रिय हैं इस नौकर-शाही के सामने, जो हमारे टुकड़े खाते हैं, जिनको बड़ी तनख्वाह देते हैं, वे हंस रहे हैं विधान सभा पर, मिनिस्टरी पर और जनता पर।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना सब-डिवीजन के संबंध में इस विधान-सभा में यह पहला स्थगन प्रस्ताव या पहली विशेष घटना नहीं है जिसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया हो। नीमकाथाना सब-डिवीजन में पुलिस गोली चलाए, लाठी चार्ज हो, मंत्रियों को काले झण्डे दिखाए जायं, मंत्रियों की सुरक्षा के लिए लाठी चार्ज किया जाय, अनावश्यक रूप से गिरफ्तारियां की जायं, इस प्रकार के मसले कई वर्षों से लगातार इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं । मामले यहां तक भी बढ़ गये कि किसी एक व्यक्ति विशेष को फंसाने के लिए अदालत में फर्जी रेकॉर्ड बनाया। ऐसी हालत में प्रशासन का दृष्टिकोण क्या है, अगर हम थोड़ा सा समझ लें और उसके बाद खण्डेला की घटना का विवेचन हो तो परिणाम वास्तव में क्या होने चाहिए वे अपने आप सामने आ जायेंगे। खंडला में जिस स्कूल के प्रश्न को लेकर जैसे माननीय श्री मुक्तिलाल ने बताया कि सीताराम के नाम खातेदारी है, वह तो श्री मुक्तिलाल जानते हैं कि खातेदारी किस प्रकार से प्राप्त की गई है। खातेदारी के सम्बन्ध में दावे, जितने भी स्कूल से रिप्रेजेन्टेशन वगैरह दिये गए, उन दावों को किस प्रकार से खारिज किया गया, किस प्रकार से रिप्रेजेन्टेशन्स को खारिज किया गया। खंडेला के स्कूल का विवाद इसी १५ अगस्त को हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। आज से ६ वर्ष पहले इसी स्कूल की इसी भूमि के प्रश्न को लेकर लड़कों ने आन्दोलन किया था । उस समय भी जिलाधीश यहां थे. मैं भी था। यह भूमि बिल्कुल स्कूल से लगी हुई है। उस समय इस विवाद की समाप्ति का एक रास्ता निकाला गया कि जबरदस्ती इस पर कब्जा नहीं करें, यह भूमि स्कूल को हैंड ओवर की जायगी, दान पत्र लिखा जायगा। उस समय यह विवाद समाप्त

(श्री भैरोंसिह)

किया गया और बीच में खातेदारी हक प्राप्त किए गए। यदि श्री मुक्तिलाल का कहना है कि भूमि पर स्कूल का अधिकार नहीं होना चाहिए या बच्चों को खेलने के लिए खंडेला में और कोई भूमि प्राप्त हो तो मैं समझूंगा कि लड़कों की जिद्द कि हम इसी भूमि पर खेलें न मानने का कोई कारण बन सकता है। लेकिन खंडेला में बच्चों के खेलने का और कोई स्थान नहीं है और स्थान की प्राप्ति के लिए यह आन्दोलन आज का ही नहीं है, वर्षों से यह आंदोलन चला आ रहा है। जब ऐसी बात है तो सरकार का कर्त्तव्य था कि खेलों के लिए स्कूल के सामने जो एन्क्लांजर्स हैं वे खुले रहने चाहिए थे, आज तक सरकार को उसपर कोई एक्शन लेकर विवादको समाप्त करना चाहिए था। सरकारने विवादकोसमाप्त नह :किया लड़कों की मांग को पूरा नहीं किया, उनके खेलने के साधनों को नहीं जुटाया। अब कौनसा चारा लड़कों के सामने था ?

इसी प्रकार आज से ३ वर्ष पहले इस भूमि पर कैसे अधिकार प्राप्त किये जायं. खंडेला में नागरिक सभा हुई और उसमें प्रस्ताव पास किया गया और सरकार के पास भेजा गया कि हम भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे, सरकार को चाहिए कि यदि खातेदारी में भूमि किसी को मिल गई तो लैंड एक्विजीशन की कार्यवाही करके उसे प्राप्त किया जाय और जिसका कब्जा है, उसको मुआवजा दिया जाय और उसके बाद कब्ज़ा स्कूल का कराया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। अगर कब्जा किसीको मिला हुआ है तो मुआवजा देकर भूमि दी जाय।

श्री भैरोंसिह : मैं भी आपकी ही भावना को व्यक्त करता हूं। आज तक लड़कों की मांग को सरकार ने ठुकराया। आज तक लड़कों ने आन्दोलन के रूप में, स्कूल में हड़ताल करने के रूप में, जनता की प्रतिष्ठित नागरिकों के आंदोलनों के रूप में, सरकार से कई बार मांग करने के बाद में, इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और जब सरकार कानों में तेल डालकर सो जाय तो लड़कों के सामने, मुक्तिलालजी भी स्वीकार करेंगे, कोई चारा नहीं रहता है क्योंकि कई बार वह भाषण देते हैं कि यदि सरकार मानती नहीं तो सरकार के समझाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। उन्होंने खुद भी आंदोलन किया था। जब शहापुरा से कोर्ट कोटपुतली चली गई तो वह कांग्रेस के बैंचों से उठ कर अपोजीशन में आ गए, गिरफतार हो गए। वह मुक्तिलालजी आज भी कहते हैं कि यदि सरकार कानों में तेल डालकर सोती रहे तो आंदोलन करना चाहिये। लड़कों ने आंदोलन किया। उसके बाद भी सरकार ने नहीं सुना। तब श्री गोपालसिंह ने भाषण दिया कि इस जमीन पर कब्जा कर लिया जाय। मैं समझता हूं कि यह श्री गोपालसिंह का प्रश्न नहीं है। लड़कों की कई मांगें होती हैं, समस्याएं होती हैं। उनको लेकर कौनसा विधान सभा का सदस्य है जो जनता में खड़े होकर यह नहीं कहता कि यदि सरकार कान में तेल डालकर सोती रहे तो कब्ज़ा किया जाय ? हम सरकार के सामने जब खड़े होते हैं तो उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, सरकार के

(श्री भैरोंसिंह)

ओमीशन्स के कारण विवश होना पड़ता है। यदि उस भाषा का प्रयोग भी किया जाय तो उसके कारण क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, क्या शांति भंग हो रही थी ?

मुक्तिलालजी जानते हैं कि आज खंडेला में दो दल हैं, दोनों बराबर के हैं। एक दल को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, दूसरे को सरकार का विरोधी समझा जाता है, विरोधी पार्टी की आवाज को नीम का थाना में नहीं सुना जाता है। सीकर में सुना जायगा, जयपुर में सुना जायगा, लेकिन नीम का थाना में नहीं। उन सब चीजों के कारण जनता में इस प्रश्न को लेकर बहुत बड़ा रोष था, आज कोई श्री गोपालसिंह का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता हो और उसको ही केवल फुटबाल या वोलीबाल खेलना हो, ऐसी बात नहीं है। वह सार्वजनिक स्कूल है जिसमें प्रत्येक घर का बच्चा पढ़ता होगा। यदि सभी बच्चों ने आंदोलन करके भूमि पर अधिकार कर लिया है तो यह सिद्ध होता है कि जनता की इच्छाएं थीं कि उस भूमी पर कब्जा किया जाय। जनता की इच्छा पूर्ति के लिए लड़कों ने आंदोलन के किये और उस भूमि के अंदर प्रवेश किया। कांग्रेस हुकूमत के लिए तोड़-फोड़ की कार्यवाही मामूली सी बात है, चाहे जयपुर में हो, चाहे विश्वविद्यालय में हों, यह मामूली चीज है। शासन के अंदर तोड़फोड़ की घटनाओं को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, तो वहां भी कोई विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

वहां पर सरकार पहुंचती नहीं है। गोपालसिहजी और जगह कार्यवाही करने के पश्चात् जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनको वहां पर १०७ और १५७ में गिरफ्तार किया जाता है। उनके हथकड़ी लगाकर उनको थाने ले जाया जाता है। कोई सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे, कोई मजिस्ट्रेट वारन्ट इश्यू करे इस बात को तो महसूस करके चलता है। गोपालसिहजी अपने घर पर आजाद होकर बैठे हैं तो उनके द्वारा शांति भंग हो जावेगी, सारा खण्डेला लुट जावेगा, कोई कहे कि निश्चित रूप से झगड़ा हो जावेगा। आप कहीं जनता में जाकर पूछ लें, कलेक्टर ने खुद ने रिपोर्ट की है कि खण्डेला में ८–१० हजार आदमी इकट्ठे होकर गये और उन्होंने यह मांग की कि गोपालसिहजी को एकदम रिहा किया जाय, जनता यह उचित नहीं समझती कि गोपालसिहजी को हथकडी लगाकर उनकी एक्टीविटीज को कर्व करने के लिये गिरफ्तार किया जाय। यदि आप खण्डेला में वोट लेना चाहें, जनता में किसी से भी जानकारी करना चाहें तो बिना जाने मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुमत इस बात का है कि उनके साथ गलत कार्यवाही की गई है और जिन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, गोपालसिंहजी मेरी पार्टी के नहीं हैं, मेरे विचारों के नहीं हैं, मेरे और उनके विचारों में काफी मतभेद हैं लेकिन फन्डामेंटल प्रश्न आता है कि गोपालसिहजी को वैमनस्य के कारण, आपके दो गुटों में वैमनस्य के कारण गिरफ्तार किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में

(श्री भैरोंसिंह)

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन रही है। विरोधी पक्ष में बैठे हुये लोग उसके वर्षों से शिकार होते रहे हैं। हमारी बात आप सुनें या न सुनें लेकिन हम अपनी ग्रिवान्सेज़ को रखते हैं, हमें जो मौलिक अधिकार मिले हुये हैं उनके अन्तर्गत हम इन ग्रिवान्सेज़ को वेन्टीलेट करते हैं। हम इस पवित्र हाउस में आकर अपनी ग्रिवान्सेज़ को वेन्टीलेट करते हैं और यही एक बड़ा उनके लिए संरक्षण है। इसके बावजूद भी सरकार के पक्ष से विरोधी पक्ष के साथ जो व्यवहार होता आया है मैं आज कहने की स्थिति में हूँ कि विरोधी पक्ष में ही नहीं कांग्रेस पक्ष में भी बैठने वाले देख लें कि उनके साथ भी हमारे जैसा व्यवहार हो रहा है जो सुखाड़ियाजी और कुम्भारामजी के विशेष गुट के माने जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि राजनैतिक लड़ाई राजनैतिक रूप में नहीं लेकिन उसका सारा रंग पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक पहुंचा है। सब देखने लग गये हैं सुखाड़ियाजी और कुम्भारामजी की लड़ाई। कुम्भारामजी का आदमी है तो उसको जेल खाने में डालें, उसको सजा दें, सुखाड़ियाजी के आदमी ने किया है तो उसको सुखाड़ियाजी बचायें सुखाड़िया गुट के आदमी उसको बचायें और वही कारण है उसके पीछे कोई खण्डेला का स्कूल नहीं है, उसके पीछे कोई गोपालसिंहजी का भाषण नहीं है, उसके पीछे कोई उस भूमि के तोड़-फोड़ का कारण नहीं है, सीधा-साधा प्रश्न यह है कि गोपाल सिंहजी को लोग यह कहते हैं कि ये कुम्भारामजी के समर्थक हैं। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि कौन किसका समर्थक है। सरकारी अधिकारियों में यह भावना पैदा हो गई तो लोकतन्त्र को ही खतरा पैदा हो जावेगा। आज गोपालसिंहजी कुम्भारामजी के हैं इसलिये उनको गिरफ्तार किया गया, कल सुखाड़िया जी के होंगे तो उनको गिरफ्तार किया जायेगा। इस प्रकार की बातें पैदा नहीं होनी चाहिये।

आज दुर्भाग्य यह है कि राजनैतिक मतभेद, कांग्रेस में गुटबाजी है उसके आधार पर राजस्थान की सर्विसेज़ ने काम करना शुरू कर दिया, और मैं समझता हूँ विधान सभा के १५ वर्ष के जीवन में मैं यह अनुभव करके चल रहा हूं कि आज हमारी राजस्थान की सर्विसेज़ को इतना डीमोरेलाइज़ कर दिया गया है कि आज सर्विसेज़ में जस्टिस करने की हिम्मत नहीं है। न्याय की भाषा बोलना और न्याय की भाषा के अनुकूल आचरण करना सरकारी अधिकारियों ने छोड़ दिया है, न्याय करना और जस्टिस करने की हिम्मत मंत्री मंडल में तो है नहीं सर्विसेज़ में भी नहीं रही। आज यहां मंत्री महोदय बैठे हैं। वे अपने आपको समझते होंगे कि हम मंत्री हैं? कोई उद्योग मंत्री है, कोई बिजली मंत्री है, कोई गृह मंत्री है। यह अपने आपको मंत्री समझते होंगे लेकिन वे कहते हैं कि फलां पटवारी का ट्रान्सफर कर दो, फलां छोटे से छोटे अधिकारी का ट्रान्सफर कर दो। तुम्हारे हाथ में क्या है? आज राजस्थान की हुकूमत एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले ४ दिन से विधान सभा में राजस्थान पत्रिका के मामले को लेकर, टोंक में जो लाठी चार्ज हुआ है उसके मामले को लेकर या अध्यापकों को थाने में लेजाकर पीट देने के मामले को लेकर जो

(श्री भैरोंसिंह)

प्रश्न चल रहे हैं, मंत्रियों में से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि खड़े होकर कह दे कि इन्क्वायरी करायेंगे, डी. आई. जी. पी. या मजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी करायेंगे। उनको केवल एक ही काम दिया हुआ है कि वे अपनी तनख्वाह लें, मंहगाई भत्ता लें, खूब दौरे करे, उद्घाटन भाषण और चाटन जितना वो कर सकें करें और यही नहीं मौका मिले तो जेबें भी भरें। इसके अलावा और कोई काम नहीं है सरकारी काम में हस्तक्षेप करने का। मंत्री मंडल में कोई इन्डिपेन्डेन्स है ही नहीं, मंत्री की कोई इन्डिपेन्डेन्ट है ही नहीं, जो सुखाड़ियाजी कहें वह करें, वे कोई अपना इन्डिपेन्डेन्ट डिसिज़न ले ही नहीं सकते, और उसका परिणाम आज हम यह देख रहे हैं कि पिछले ३–४ दिन से राजस्थान की इस विधान सभा में कांग्रेस पक्ष ऐसा बैठा नजर आ रहा है जैसे उसको सांप सूंघ गया हो, जैसे कोई प्राणहीन व्यक्ति बैठा हो, जिस व्यक्ति की लोकतन्त्र में आस्था न हो, किसी प्रकार जिसमें दम न रहा हो, जिसकी लोकतन्त्र में आस्था सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हो। कोई जवाब नहीं, कोई आर्ग्यूमेन्ट नहीं, कोई लॉजिक नहीं। मंत्रीजी जिद्द करके कह देंगे "यह नहीं हुआ, लाठी चार्ज नहीं हुआ, सरकारी अधिकारी का दोष नहीं।" यही एक भाषा वे जानते हैं इसके अलावा उनके पास कोई लॉजिक नहीं। लोकतन्त्र में आपके पास लॉजिक होनी चाहिये, आपके पास लॉजिक होनी चाहिये जिससे आप दूसरों को कन्वीन्स कर सकें। मूलतः हम आपके विरोधी नहीं हैं। नीति में विरोध है इसी कारण से आज हम इधर बैठे हुए हैं और आप उधर बैठे हुए हैं। आचार्यजी मेरे कोई दुश्मन नहीं हैं। सरकारी पक्ष के किसी व्यक्ति से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और न ही कोई मेरे दुश्मन हैं। न आचार्यजी मेरे दुश्मन हैं और न मैं उनका दुश्मन हूँ। विचारधारा में मतभेद है; लोकतन्त्र में यह अधिकार मिला हुआ है। उसको प्रकट करते हैं जनता को अधिक से अधिक आकर्षित करते हैं। जो स्वतन्त्रता मिली है उसका उपभोग कर रहे हैं। उसी आधार पर मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप गृह मंत्री बने हैं, किन्हीं परिस्थितियों के कारण बने हैं आप भी महसूस करते हैं और इलेक्शन तक कोई आपको हटाने वाला भी नहीं है। एश्योरेन्स का सर्टिफिकेट मेरी तरफ से दे सकता हूं।

एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मथुरादासजी गृह मंत्री रहे, कई दिनों तक गृह मंत्री रहे, अच्छे काम किये विधान सभा में उनकी तारीफ हुई। आप उप–मंत्री बने, कई अच्छे काम किये तो उनकी विधान सभा में चर्चा की। अच्छे काम किए तो विरोधी दल ने उनको एप्रिशियेट किया। मैं यह नहीं चाहता कि सरकारी पक्ष एक जिद्द और हठ लेकर बैठ जाय। आज खण्डेला में १०७ और १५७ की कार्यवाही हुई। प्रधान को जंगले में हथकड़ी डाल कर गिरफ्तार करके डाल दिया जाय, राजस्थान पत्रिका के मसले को लेकर आज जयपुर की सम्पूर्ण जनता ही नहीं, भारतवर्ष की समस्त जनता और संसार की तमाम प्रगतिशील पत्र-पत्रिकाओं में सरकार की निन्दा हो रही है और उसके बावजूद आपके आई. जी. पी., डी. आई. जी. पी., एस. पी., डीवाई. एस. पी.,

(श्री भैरोंसिंह)

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बाकी के अधिकारी एक व्यक्ति को भी नहीं पकड़ सके। पुलिस को लिस्ट दे दी कि अमुक अमुक मुल्जिम है लेकिन किसी एक पर भी हाथ नहीं डाल सके। मंत्री महोदय को यह पता लगता कि मैडीकल कॉलेज का कोई लड़का जनसंघ का है, आर.एस.एस का है, समाजवादी विचार का है, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है तो पत्रिका के कार्यालय से एडवर्ड मेमोरियल पहुँचने के पहले ही उसको जंगले में रख देते। लेकिन मुल्जिमों में कुछ अफसरों के, कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको गिरफ्तार करने से उनका लाइफ केरियर खत्म हो जावेगा; उसमें संकोच है। एक व्यक्ति के कैरियर का संकोच है लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसका कोई संकोच नहीं है। गोपाल सिंहजी को हथकड़ी लगा कर जंगले में डाल दिया इसलिये कि गोपालसिंहजी ने कहा कि दूकानें बन्द हों, जबरदस्ती बन्द हों, वे बन्द न हों इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया। जो लोग खंडेला की स्थिति को जानते हैं उनके लिए यह एक मखौल है। यदि लाठी लेकर भी चले जायें और कहें कि दूकानें बन्द हों तो भी दूकानें बन्द नहीं होंगी।

जिनको बन्द करना है वह एक इशारे पर बन्द करने वाले हैं। बिल्कुल दो डिवीजन्स हैं, बिल्कुल सीधी पार्टीबाजी चल रही है, उस पर यह कहा जाये और उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि नीम का थाना में आज जैसी स्थिति है और नीम का थाना ने एक ऐसी स्थिति राजस्थान में प्राप्त कर ली है कि वहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति के प्रश्न को लेकर बहुत बड़ा विवाद चलता है। आज अगर इन्डिपेन्डेन्ट जस्टिस करने वाले अधिकारी की नियुक्ति वहां पर हो जाये तो किसी पार्टी को कोई ग्रिवान्सेज नहीं होंगी। हमारे माननीय श्री दामोदरजी जानते होंगे वह पंचायतों के मंत्री भी हैं और जिस समय वह पंचायत समिति के प्रधान थे तो कितने ही घोटाले इस राजस्थान की हुकूमत के सामने आये हैं, कितने ही रकम के दुरुपयोगों के मामले राजस्थान की हुकूमत के सामने आये हैं, कितने और किस किस प्रकार आचरणहीनता के मामले विधान सभा और राजस्थान सरकार के सामने आये हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। गोपालसिंहजी जो अपने प्रतिद्वन्द्वी को हरा कर जीत गया तो आप उसको गिरफ्तार करलें, उसको हथकड़ियां डलवा दें और इस तरह की आप शेखी बधारें तो, इन शेखियों की बातों से आप जनतंत्र के मूल पर अघात कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह मुख्य मंत्रीजी ने आसश्वाशन दिया कि हमने जांच करवाई, जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि डी० एस० पी० को बुलाकर कहा, कि जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि हमने रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को उसकी जांच के लिए लिखा है, मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने जांच की वह सारी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ताकि कम से कम इसका तो पता चले कि जिसके आधार पर सरकार निर्णय करने वाली है उसका क्या नतीजा निकला ? सदन को सरकार के सामने प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिये। इन सब बातों की जानकारी देना सरकार का परम कर्तव्य है और यदि गृह मन्त्री इस अपने परम कर्तव्य को पूरा करने से संकोच करते हैं तो जनता भी समय आ रहा है जब वह अपने संकोच करने के शस्त्रों का प्रयोग करेगी और कौन किसकी क्या हालत करता है, यह समय आयेगा तब मालूम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में सरकार से एक निवेदन करके बैठता हूं। वह यह है कि आप आपस के मतभेदों के अन्दर विरोधी दल और कांग्रेस पार्टी के विभिन्न गुटों के रूप में लोकतंत्रीय आस्था को समाप्त करने में सदन का दुरुपयोग न करें। अगर दुरुपयोग जारी रहेगा तो लोकतंत्र

(श्री भैरोंसिंह)

का संघर्ष सरकार के विरुद्ध नहीं होगा इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन शक्तियों को आगे बढ़कर लोकतंत्र के ऊपर हमला करने वालों से बदला लेना होगा। लेकिन उस समय स्थिति भयंकर होगी और उस स्थिति से बचने के लिए शान्ति और अहिंसा की रक्षा करने वालों, अशोक चक्र और स्तम्भ से प्रेरणा लेनेवालों, 'सत्यमेव जयते' से प्रेरणा लेनेवालों, कम से कम गांधीजी के नाम पर तो सत्य बोलना सीखो। उस अन्याय और झूठ बोलने में यदि आपको कोई रोष आता है तो मुझे उससे कोई गिला नहीं, भगवान आपको दण्ड देगा।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि काफी विवाद इस पर हो चुका है लेकिन मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि थोड़ा संक्षेप में रहें क्योंकि २॥ बज रहे हैं और कल के निर्णयानुसार आज सारी कार्यवाही समाप्त करके उठना है। इसलिये मैं आपके सहयोग का प्रार्थी हूं और आश्वस्त भी हूं कि आज सारा कार्य समाप्त हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी इस विषय में व्यवस्था दे रखी है। शीघ्र ही इन तथ्यों के ऊपर जानकारी करके सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जायेगा। लेकिन इस विषय में यदि और कुछ कहना चाहते हैं तो एक, दो व्यक्ति साधारण सा, संक्षेप सा वक्तव्य दे दें तो अच्छा रहेगा और आगे की कार्यवाही फिर होने दें।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्डेला को मसलो जिको है आज हाउस में...

श्री उपाध्यक्ष : अब थोड़ो संक्षेप में ही रहणो चाहवे।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, एक दिक्कत यह है कि कुछ लोगों का प्रसंग इस लिए भंग हो जाता है कि आप उठते ही संक्षेप की बात कह देते हैं। जब कोई हमारा आदमी बोलने के लिए खड़ा होता है तो आप झट से पहले से ही कह देते हैं कि संक्षेप में रहें। वह बिल्कुल संक्षेप में ही रहेंगे लेकिन इस तरह का व्यवहार तो कम से कम नहीं होना चाहिए।

श्री मोहनलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, जो खन्डेले को मसलो है वो बड़ो गहन है। आ सरकार खन्डेले में नहीं जठै भी ईं का हाथ पड़े है उपाध्यक्ष महोदय, आ ही दशा करे है। एक जगह नहीं, जगह जगह याको काम ही यो ही है कि आछा-आछा आदमियां की बेईज्जती कराणो। म्हे इतनी दफा मथुरादासजी सूं और बाके मुंह सूं या बात सुणी कि चुणा हुया आदमियां के हथकड़ी नहीं लगाई जावेगी। मैं या समझूं हूं कि निरंजननाथजी आचार्य म्हाराऊं घणा निकट है, वह तो ईं बात में आस्था राखे है के आज की जिसी स्थिति चाल रही है बीं स्थिति में जो हथकड़ी सरपन्च के लगाई और वो आदमी जो आपणे घरे बैठ्यो हो और जो बात ही वा ग्रामसभा में कही ही। तो मैं निवेदन करणो चाहूं हूं कि जिका सामणे बैठणिया लोग है बां को तो रात-दिन पब्लिक मीटिंग में झूठा आश्वासण देणरो काम है और लोगों ने भडकावे है, यो तो इण लोगों रो रात-दिन को काम है। और अणुचे कोई आदमी सरपन्च थो और जिको जनता री वास्तविक बात कह दी तो बींकां घर जाकर दफा १०७, ११७ और १५१ में गिरफ्तार करो हो तो यो अन्याय है। जनतंत्र को अैं लोग गलो घोट रिया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यो निवेदन करणो चाहूं हूं कै अैं लोग फरवरी में जो टोपी पहर बैठ्या है, मैं समझुं हूं के याकी शकल फरवरी के बाद दिखाई नहीं देवेगी। आर जनता या लोग री असली चित्र समझबा लागेगी तो एक भी आदमी या मां सूं चुनाव में आबां वाला

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थिति आज बणरी है ई स्थिति रो एकमात्र यो ही उपाय है कि कोई आज कांग्रेस को आदमी बैठे जावै है तो कलेक्टर के पास जावे या डी एस० पी० के पास जावै है, बा अन्याय के सिवाय दूसरो काम नहीं करवावे है । म्हारो जो क्षेत्र है बठै फूलचंदजी को टकराव हो ग्यो । फूलचंदजी आजकल सुखाड़िया का दायाँ हाथ बणयोडा है । पटवारी को तबादलो करा दियो, कठे मास्टर को तबादलो करा दियो और कठे चपडासी को तबादलो करा दियो । इतरां सूं रात दिन या ही स्थिति रहवे है और राज्य का अधिकारियां का बल पे जीतकर आणो चावै है । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसूं निवेदन करणो चाहूं हूं कि आपणां देश में इणतरां सूं जनतंत्र है और बोटा का बल पर लोग जीतकर आवें है तो एक पाबन्दी होणी चाहिजे कि जो ऐ अत्याचार कर रया है कि कुणोंडा आदमियां ने भी गिरफ्तार कर र्‌या है तो कम सूं कम जो अठे भी कुणा हुआ मन्त्री हैं वे नोकरशाही के चक्कर में आकर अन्याय और अत्याचार करे है वो बंद होणो चाहिजे । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसूं निवेदन करणो चाहूं हूं कि आचार्यजी ने अभी एक स्टेटमेंट देणो चाहिजे । आज सत्य के कारण सूं ही आप सत्ता के ऊपर आरूढ हो । अगाचे ये लोकतंत्र ने जिन्दो रखबो चाहो हो के कोई भी अधिकारी अन्यांय नहीं करै तो आप ई पर निर्णय लो और हाउस में भी पहली भी बारंवार या घोषणा हुई ही के जिको जो कानून की अवहेलना करेगो वी ने सस्पेन्ड करांगा और खुली जांच करावांगां । तो मैं कहूँ हूं कि ई मसले की पूरी जांच होनी चाहिजे और दोषी अधिकारियों नै दण्ड मिलनो चाहिजे । मैं कहणो चाहूं हूँ कि जे आज की सी स्थिति रही तो और दो-चार महीणा रह गया है फिर अन्याय नहीं करोगा । मैं निवेदन करूं कि आज राजस्थान की स्थिति डावाडोल है और कोई भी अधिकारी जो कांग्रेसी एम०एल०ए०, मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर है बाके कहवो सूं काम करे तो यो जनतंत्र को गलो घोटणो है । फूलचन्दजी को तो एक ही काम है क टेली-फोन चल्यो जावे के फलां आदमी ने हटाणो है और यो और कहवे है कि सुखाड़ियाजी का आर्डर्स हैं, अगर नहीं कियो तो मैं डूब जाऊंगो ।

डूबणो तो थाने है ही, डूबोला तो ये निश्चित रूप सूं और सुखाड़ियाजी ने भी सागे लेकर डूबोगा । ये जित्ता लोग बैठ्या है उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपनै केणो चाहूँ हूं इं कै आज जो खण्डेला की बात है आ बहुत सीरियस है और गृह मंत्रीजी ने आप बाध्य करके ई पर स्टेट मेंट दिराओ और अगर अै नहीं देवे तो मैं आपसूं कहणो चाहूं हूं कै आज ही हाउस की तरफ सूं ई ढंग की व्यवस्था हो कै यांकै खिलाफ कोई न कोई एक्शन होणो चाहिजे । आ ही मैं निवेदन करणो चाहूं हूँ कि आप थोड़ा आनें पाबन्द करो कै शासन की तरफ सूं, मंत्री मण्डल की तरफ सूं अत्याचार और अन्याय नहीं करे ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आपने कल वादा किया था कि........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : केवल पांच मिनट बोलना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर इतनी डिबेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब पक्षों की ओर से राय आ चुकी है और वैसे कल भी अवसर मिलेगा आपको, सब बातों को कहने का। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप सहयोग करें और इसमें........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ पांच मिनट बोलने दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इन सब का मन भर जाएगा, राजस्थान पत्रिका के सम्बन्ध में जिस प्रकार का रवैया सरकार की तरफ से अख्तियार किया गया है वह लोकतंत्र की हत्या है, इसलिए उसके लिए एक कन्डोलेंस प्रस्ताव पास कर लिया जाय खड़े होकर तो ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज खास करके सदन में खंडेला की घटना को लेकर और अभी हाल की २-४ घटनाओं को लेकर जो कुछ चर्चा आज २-३ दिन से चल रही है उसकी तरफ मैं कुछ ध्यान आपके जरिये सरकार का आकर्षित करना चाहता हूँ । खण्डेला की घटना में जहाँ तक एक प्रधान को इस प्रकार से १५ अगस्त के दिन, जो कि मुल्क की आजादी का दिन था और एक झण्डा फहराने के बाद एक डी वाई० एस० पी० उसके घर जाकर गिरफ्तार करता है, हथकड़ी लगाता है. तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे मुल्क की आजादी के लिए और हमारे कॉन्स्टीट्यूशन के लिए और सदन में जो मंत्री महोदय ने बार बार आश्वासन दिया उसके बावजूद यह घटना हुई, यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। उसके साथ साथ जैसा कि राजस्थान के अन्दर इस लोकतंत्र के अन्दर पक्ष और विपक्ष होते हैं और विरोधी पक्ष के साथ में हुकूमत का जिस तरीके का रवैया रहता है और उसके अन्दर जिस तरह से एक दमन की कार्यवाही की जाती है, उससे विरोधी पक्ष तो परेशान है ही और अभी जिस प्रकार की घटना सरकारी पक्ष के सामने आई है कि एक पक्ष कहता है कि इस मुद्दे पर त्यागपत्र देंगे तो दूसरे पक्ष ने कहा कि दूसरे मुद्दे पर त्याग पत्र देंगे, मैं त्याग-पत्र देने को तैयार हूँ और दूसरे कहते हैं कि वे त्याग-पत्र देने को तैयार हैं और इसके साथ साथ जो घटना भैरोंसिंहजी ने सामने रखी कि राजस्थान के अन्दर हुकूमत की पार्टी भी आज दो भागों में विभाजित है और उसके विभाजन का असर एक दूसरे पक्ष पर हो रहा है। इससे सारी हुकूमत अपने अपने पक्ष में बंटी हुई है और अपनी सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं और जैसा अभी मोहनलालजी सारस्वत ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि मंत्री लोग और दूसरे अन्य सदस्य लोग किस प्रकार से मिलजुल कर अपने अपने क्षेत्र में अपने-अपने आदमियों का किस तरह से वहाँ पर तबादला करवाते हैं और इस तरह से वहाँ पर इधर से उधर बदला-बदली करवाते हैं। यह जो सारी स्थिति है, यह हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है और मैं समझता हूँ कि इस समय जो राजस्थान की हालत है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस राजस्थान की हालत को देखते हुए मैं महसूस करता हूँ कि आने वाले चुनाव हमारे लिए एक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चीज होगी और आज जिस तरह से राजस्थान की हुकूमत चल रही है और इस हुकूमत में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस तरह से शासक दल कार्य कर रहा है और उनमें आपसे में भी परस्पर एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं और अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए जिस प्रकार की कार्यवाहियां करते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूँ मेरी मांग हुकूमत से यह है कि आज जो हालत है उस हालत में मैं कहना चाहता हूँ कि सारे राजस्थान के चुनावों के पहले, ४ महीने पहले इस मंत्री मण्डल को त्याग-पत्र दे देना चाहिए क्योंकि अब इस सदन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है. अब इस मंत्री मण्डल की कोई आवश्यकता नहीं है, अब इस मंत्री मण्डल को रिज़ाइन कर देना चाहिए, सत्ता से अलग हो जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को इनको हटा कर राज्यपाल का प्रशासन कायम कर देना चाहिए, तब ही सारे काम ठीक तरह से चल सकेंगे और चुनाव भी ठीक तरह से होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य........

श्री मुरलीधर व्यास : अभी तो यह बहुत छोटी सी घटना हुई है लेकिन आनेवाले चुनाव में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सरकार सत्ता के बल पर, सरकार के साधनों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। इसलिए मेरी मांग है कि हुकूमत को इस मुद्दे पर त्याग-पत्र देना चाहिए और लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिए इनको कम से कम अपने आप ही ऑफर कर देना चाहिए कि हम त्याग-पत्र देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरा प्रश्न एक बहुत छोटा सा कहना चाहता हूँ इस घटना को लेकर। अभी जो घटना घटी है उन घटनाओं में जिस प्रकार से कहते हैं कि हम लोग मंत्री मण्डल की तरफ और खास करके सुखाड़ियाजी की तरफ देखते हैं। जो घटनाएं घटी हैं, वह चाहे राजस्थान पत्रिका के बारे में हों, चाहे वह घटना खण्डेला की हो और चाहे कोई अन्य घटना हो उसके अन्दर जो फौरन कार्यवाही होनी चाहिए वहां पर अगर हुकूमत ऊपर की तरफ देखती रहे और कोई कार्यवाही नहीं करे तो ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत नाम के लिए जरूर है परन्तु काम की दृष्टि से हुकूमत निर्जीव हो चुकी है और इसलिए यह जो रवैया हुकूमत का है यह बहुत बुरा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस विषय पर बोलना था उससे काफी विषयान्तर कर गए हैं, इन सब बातों को कहने का आपको फिर मौका मिलेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो अभी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ आप दूसरे

(श्री मुरलीधर व्यास)

लोगों को तो काफी समय दे देते हैं और मैं जब भी बोलता हूँ, दस मिनट भी बोलता हूँ तो आप रोकने की चेष्टा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बहुत बोलें इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कोई होड़ तो है नहीं बोलने की यहां पर। स्थगन प्रस्ताव के मौके पर तो कोई खास बात पर प्रकाश डालना हो तो वही डाला जा सकता है।

श्री **मुरलीधर व्यास** : मैं उपाध्यक्ष महोदय, माँग करता हूँ इस हुकूमत से कि इस खण्डेले के मामले के अन्दर मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है लेकिन जो बातें यहाँ पर कही गई; एक घटना इतने लम्बे अर्से से पूर्व घटी और उस घटना के घटने के बाद राज्य काएक गृह मंत्री जिसको कि एक-एक घटना की जानकारी रखना चाहिए और वह मंत्री इतने दिनों के बाद यह कहे कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं कि उनके खुद के लिए, जो उनका उत्तरदायित्व है उसके लिए खुद को शोभा नहीं देता इस प्रकार की बात कहना।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और वाकई अगर यह बात सही है कि उन्हें जानकारी नहीं है तो मैं कहता हूँ कि वह बिल्कुल अयोग्य हैं, इस पद के लायक नहीं हैं उनको खुद को रिजाइन कर देना चाहिए। कम से कम गृह मन्त्री को जो जानकारी रखनी चाहिए वह नहीं होना अपने आप में अयोग्यता का प्रमाण है और उसके लिए उन्हें खुद को रिजाइन कर देना चाहिए। मैं इस प्रकार से फिर कहता हूँ, मैं वह लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोकतंत्र के अन्दर आपका उत्तरदायित्व है इस मामले में कि जो कुछ भी घटना घट जाती है उसके बारे में जानकारी आपको अवश्य देनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए और अगर नहीं देते हैं तो त्यागपत्र देना चाहिए, आप इसके लायक नहीं हैं, आपको खुद को हट जाना चाहिए।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, माननीय श्री हरिराम बोलना चाहते हैं माननीय हाण्डा और माननीय अब्दुल जब्बार बोलना चाहते हैं ....

श्री अब्बदुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आप से निवेदन करता हूं कि कुछ समय का भी ध्यान रखा करें। आपके ही द्वारा यह व्यवस्था हुई थी कल कि आज सारा कार्य हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह कोई पार्टी के व्यू पोइन्ट रखने का प्रश्न नहीं है। जिस समय आपको पार्टी का व्यू पोइन्ट रखना चाहिए उस समय आप रख सकेंगे। यह तो स्थगन प्रस्ताव का विशेष विषय है और इस पर स्पष्टीकारक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बजाय भी अगर थोड़ा बहुत जो कुछ कहा गया है उसको भी अकोमोडेट किया गया तो अब आप के वादे के अनुसार ही कम से कम इसको संक्षेप में करके आप जल्दी से समाप्त कर लें तो अच्छा। क्यों कि जैसा कल

(श्री उपाध्यक्ष)

निश्चत किया गया था सारे बिज़नेस को आज समाप्त करना है और उसमें काफी समय लग जाएगा।

अगर एक-एक बात पर सदन के सभी व्यक्ति बोलना चाहें तो कभी काम समाप्त नहीं होगा।

श्री **अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) : ऐसा कुछ नहीं होगा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आप इसमें बहुत ही सँक्षेप में २-४ मिनट कह दें लेकिन अगर भाषण ही प्रारम्भ कर देंगे तो यह कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।

श्री अब्दुल जब्बार ; मैं तो अपने एड-जोर्नमेंट मोशन के बारे में पूछ रहा था, मुझे इस विषय पर नहीं बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका मोशन बाद में आएगा।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : गृह मन्त्रीजी के रवैये के बारे में और पुलिस जिस तरह से लापरवाही का रवैया अख्तियार किये हुए है उस पर काफी बहस चल रही है और काफी सुझाव इस बारे में लोगों की तरफ से आये हैं। इतना सब होने पर भी मामला चाहे राजस्थान पत्रिका पर हमले का हो, किसी भी प्रधान के हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार करने का हो, १०७ में गिरफ्तार करने का हो, चाहे खण्डेला के बारे में हो, मन्त्री महोदय का रवैया और उनका उत्तर इस प्रकार का है वह बड़ा हास्यास्पद है। खंडेला के बारे में तो वे कहते हैं कि उनको ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है और पत्रिका के हमले के बारे में कहते हैं कि हमलावरों के हुलिया वे नहीं जानते न, उनके नाम ही जानते हैं। इस तरह का जवाब किसी भी जिम्मेदार मन्त्री या सरकार के किसी अधिकारी के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना जवाब है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनिट भी नहीं हुआ है अभी तो उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपके अनुसार तो नहीं हुआ पर घड़ी के अनुसार हो गया है। आप बराबर आश्वासन भी देते हैं और उसे लोपित भी कर देते हैं। यदि कार्यवाही को आगे बढ़ाना है तो कोई भी सीमा होनी चाहिये। वैसे आपको बोलने के कई अवसर मिलेंगे। इसलिए मैं आपको इतना निवेदन करता हूं कि आप समय का और अपने आश्वासन का ध्यान रखें।

श्री हरिराम चौहान : मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही हुआ है। माफ करें, मैं तंग हूं। मैं कभी भी बिना रोके-टोके अपनी पूरी बात नहीं कह पाया हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री **हरिराम चौहान** : मेरी तकरीर, आज ५ साल का अर्सा होने आया, कभी भी पूरी नहीं होने दी गई। मेरा यह सीधा इलजाम है फिर वह चाहें चेयर पर हो या चाहे उधर बैठने वालों पर हो। इस अर्से में कभी भी शाँतिपूर्ण तरीके से मेरा १० मिनट का भाषण नहीं होने दिया गया। १।। साल तो जेल में ही डाले रक्खा गया। बाकी अर्से में जब जब भी बोलने खड़ा हुआ २–४ मिनिट भी नहीं बोलने पाया कि घन्टी खटा-खट बज जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : तब आप बोल लें फिर।

श्री **हरिराम चौहान** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इनके पास

(श्री हरिराम चौहान)

हुलिया नहीं है, नाम नहीं है तो क्या वे यह समझते हैं कि डाका डालने वाले और हमला करने वालों के नाम और हुलिया भी जानना जरूरी है, नहीं तो क्या सरकार कोई कार्य-वाही नहीं करेगी, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी ? अगर यही है तो फिर जनता का यह लाखों रुपया आप अपनी सी०आई०डी० पर. पुलिस पर क्यों खर्च कर रहे हैं ? आपको आपके इन पुलिस अधिकारियों को और स्टाफ को इतनी बड़ी बड़ी तनख्वायें किस बात की मिल रही है ? अगर पुलिस इस तरह की बात करे तो आपको उन अधिकारियों को तुरन्त सस्पेण्ड कर देना चाहिये वरना खुद को स्तीफा देना चाहिये ।

इसी तरह से खण्डेला का मामला है । मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी गुट्ट-बन्दी के लिहाज से किसी का पक्ष करें । क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि चाहे कुम्भाराम गुट्ट हो, चाहे सुखाड़िया गुट्ट हो दोनों ही एक थैली के चपटे-बट्टे हैं । दोनों ही एक रुपये के खोटे सिक्के हैं । दोनों ही इस देश के लिये, इस राजस्थान के लिये एक तरह से लानत हैं । तो ये दोनों ही उन कर न आने पावें और न राज उनके हाथ में पड़ने पावे, इस तरह का मैं और मेरी पार्टी प्रयत्न करते हैं, हालां कि यह सही है कि मेरी पार्टी छोटी-सी है ।

तो किसी भी तरह से मैं इस बारे में पक्ष-विपक्ष की बात नहीं कहना चाहता । पर जब सदन में यह निश्चित रूप से घोषणा की गई की कोई भी चुना हुआ व्यक्ति, चाहे पंच हो, सरपंच हो, या विधान सभा और संसद् का सदस्य हो, चाहे प्रधान हो या प्रमुख हो इनमें से कोई गिरफ्तार किया जावेगा तो उसे हथकड़ी नहीं लगाई जावेगी । अब अगर किसी को हथकड़ी लगा कर इन में से गिरफ्तार किया जाता है तो वह सदन का अपमान है । सदन का अपमान करा कर भी अगर कोई मन्त्री मन्त्री बना रहता है और उसके नीचे काम करने वाले विभाग के अधिकारी बने रहते हैं तो यह जनतन्त्र की मखौल है । मन्त्री को सदन से माफी मांगनी चाहिये । पर बजाय माफी मांगने के आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात की जा रही है । वे यहां गुर्राते हैं, सीनाजोरी करते हैं । इस तरह की प्रवृत्ति प्रजातन्त्र में बर्दाश्त करना प्रजातन्त्र की हत्या करना है ।

ये छोटे-छोटे सवाल बेशक लगते हों पर इनका असर बड़ा दूरगामी होता है । जैसा रामानन्दजी ने कहा इस १०७ धारा को यह सरकार समाप्त तो करने की हिम्मत नहीं कर सकती, पर इतनी उमीद तो इस जनतन्त्रीय सरकार से निश्चित रूप से की जा सकती है कि वे यह घोषणा करें कि इस धारा १०७ का प्रयोग जन-आन्दोलनों को दबाने के लिये जन-नेताओं पर कुठाराघात करने में नहीं किया जावेगा । आज ये १४४ धारा का प्रयोग करते हैं । अंग्रेजों के युग को ये समाप्त नहीं कर पाये । अंग्रेजों की दी हुई यह एक लानत है, इसे हटा सकें, यह आपकी हस्ती नहीं है, यह हमें मालूम पड़ गया है । आज आप भी उसी नौकरशाही के चंगुल में फँस कर रह गये हो ।

अगर आप ईमानदार हैं अपने सिद्धान्तों के प्रति, अपने समाजवाद के नारे के प्रति तो कम से कम यह घोषणा आप तत्काल करें कि आप धारा १०७ और १४४ का प्रयोग नहीं करेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी करने वाला हूं । मैं चाहता हूं कि

(श्री हरिराम चौहान)

यह सरकार जल्दी से यह घोषणा करे कि पत्रों पर हमला करने वालों को, खंडेला में ज्यादती करने वालों को और सरपंच को हथकड़ी पहिनानेवालों को अध्यापकों की पिटाई करने वालों को इस तरह के गलत काम करने वालों को वह गिरफ्तार करेगी और सजा देगी। अगर यह आप नहीं करते हैं तो यह सरकार इतनी नालायक और निकम्मी है कि इसे सरकार में रहने का कतई कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया गया-पत्रों पर हमले होते रहे, धमकियां मिलती रहीं तो सारा जनजीवन खराब हो जावेगा। एम. एल. ए. को १०७ में और डी. आई. आर. में गिरफ्तार किया जाता है, मेरे जैसे आदमी को १६ महीने जेल में रखा जाता है तो यह कौनसी किस्म का प्रजातन्त्र कहां से आ गया? आप पत्रकारों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, पंचों, सरपंचों, प्रधानों, प्रमुखों और एम. एल. एज को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, शिक्षकों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते तो फिर भूखी-नंगी गरीब जनता को क्या गारंटी दे सकते हैं कि आप उसकी गरीबी को दूर कर पावेंगे? आप इन आई. सी. एस. और आर. ए. एस. से बनी हुई इस नौकरशाही से मिलकर देश को किधर ले जावेंगे, यह आप ही जानें। अगर गरीब लोगों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते तो उनको न इस नौकरशाही की जरूरत है और न आपकी। न किसान को जरूरत है आपकी न मजदूर को।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो काफी समय हो चुका।

श्री हरिराम चौहान : मैं समाप्त करता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, आप प्राइवेट प्रोपरटी को संरक्षण और सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं, सेठों को बनाये रहने की गारंटी उनको दे सकते हैं। सेठों की एक इन्च जमीन जावे तो कितनों को ही गिरफ्तार कर सकते हैं। मिल में हड़ताल हो तो मिल-मालिक की हिफाजत कर सकते हैं, उसके स्वार्थों की रक्षा करने के लिए आप और आपकी यह नौकरशाही जमीन आसमान एक कर देंगे। पत्रकार पर हमला होने पर. पत्र पर हमला होने पर हुलिया और नाम की बात करेंगे!

इस तरह की हरकतों से आप बाज आवें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर निश्चित रूप से कोई मंत्री इसकी छानबीन की गारंटी न दे, इनकी सुरक्षा की गारंटी न करे तो आप भी उनको फटकारें, उनको लानत दिलावें यह कह कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ।

(२.५० म. प.)

अन्य स्थगन–प्रस्तावों के संबंध में व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक।

श्री रामकिशन।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है।

Page No. 81

श्री उपाध्यक्ष : Already much time has been taken.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपको विनयपूर्वक कहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please.

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मेरा भी एडजोर्नमेंट मोशन है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री रामकिशन ।

एक माननीय सदस्य : मेरे को कभी समय नहीं मिलता ।

श्री उपाध्यक्ष : सभी को बोलने का अवसर मिलेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी है । आज १५ दिन हो गये भूख-हड़ताल किये । बड़ी विषम परिस्थिति चल रही है । मौत के मुंह में जा रहा है ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : उदयपुर नगर का महाविद्यालय बंद कर दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यही निवेदन कर सकता हूं आप से कि कुछ कार्य चल सके तो आपका सहयोग उसमें अपेक्षित है ।

श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये हांडा साहब कह रहे हैं । दो आदमी १५ दिन से भूख हड़ताल पर हैं सरकार जवाब ही नहीं दे रही है । वे वैसे भी हरिजन हैं, उनकी कोई सुनता नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ४ हरिजन तहसील के सामने १५ दिन से भूख हड़ताल पर हैं । २ की दशा बहुत गम्भीर है । मैंने नम्र निवेदन किया कि यह प्रश्न सदन में उठाने दें । १५ तारीख से मेरा इस बारे में स्थगन प्रस्ताव है । सरकार कुछ जवाब देना चाहती नहीं ।

श्री रामकिशन : वैसे ही उनकी कोई आवाज नहीं सुनता ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आश्वस्त करता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव कल ले लिया जावेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पर अगर रात को कोई हरिजन मर गया तो इसकी जिम्मेदारी सदन की होगी । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने १५ तारीख से यह स्थगन प्रस्ताव दे रखा है । ४ व्यक्ति मौत के मुंह में जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में यह कहना कि अभी कुछ कहने की आज्ञा नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा शिरोधारी कर के बैठजाता हूं मैं तो आपके कमाण्ड में चलने वाला व्यक्ति हूं । आपकी जिम्मेवारी हैं उनकी ।

श्री उपाध्यक्ष Order please । यह तो हो चुका है, आप उनको आगे बढ़ने दीजिये ।

श्री रामकिशन : मुझे केवल इतना निवेदन करना था कि जो हांडा साहब का

(श्री रामकिशन)

स्थगन प्रस्ताव है भूख हड़ताल के सम्बन्ध में तो उन गरीब हरिजन भूख हड़तालियों की १५ दिन के बाद क्या स्थिति हो गई होगी। फिर उन गरीब हरिजनों का वैसे भी काम कौन करता है। इसके लिये भू-राजस्व पर मिलने वाले मेरा समय मैं उनके लिये छोड़ने को तैयार हूँ। आप वह समय इस महत्वपूर्ण काम के लिये इनको दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेण्डमेन्ट है।

श्री रामकिशन : आप इनको समय दे दीजिये, मैं उसे वापिस ले लूंगा। बिल को पास कराने में एक दम सहयोग दे देंगे हम।

श्री उपाध्यक्ष : आपने स्वयं कल कहा था कि ये तीनों बिल आज लिये जावेंगे।

श्री रामकिशन : वह तो अब भी कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आश्वस्त करता हूं कि फिर जो भी समय मिलेगा उसमें इनको इस स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर तो समय मिलेगा नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपका सहयोग मिलेगा तो मैं आश्वस्त करता हूँ। मैं भी तो वादा करता हूं।

श्री रामकिशन : मैं तो इतना सहयोग दे रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि अपना सारा समय छोड़ने को तैयार हूँ अगर उनकी बात पर आपने ध्यान दे दिया तो।

श्री उपाध्यक्ष : Now we have taken further business.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके बाद तो स्थगन प्रस्ताव को ले सकते नहीं। आप आज्ञा करेंगे तो संक्षेप में मैं प्रस्तुत कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्तुत करेंगे तो विवाद छिड़ जावेगा।

श्री रामकिशन : उनकी बात सुन कर मेरा जो संशोधन है उसे वापिस लेने का समय मुझे दे दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : कल उनके लिये समय नियत है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : उसको भी कल ले लेंगे।

श्री जोधसिंह चौहान : मिनिस्टरों को भी खाना नहीं दिया जावे। उनको भी भूखे रखा जावे २४ घंटे तक भी रखा जावे तो पता लग जावे कि भूख हड़ताल कैसी होती है।

(२. ५८. म. प.)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६६

(पूर्व कम से अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल के सम्बन्ध में इस सदन में बहुत बहस हो चुकी है और जो अनियमितताएं और गैर कानूनी काम इसके सम्बन्ध में हुए हैं उन पर काफी प्रकाश पड़ चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा क्षमा करें। मैं इन्टरप्शन कर दूं। हमारे सामने एक तो भूराजस्व संशोधन विधेयक है, जिनमें ५ या ६ अमेण्डमेण्ट और आवेंगे और फिर धारावाइज चलेगा तो उसमें भी कुछ समय लगेगा उनमें कुछ अमेण्डमेन्ट्स हैं।

फिर राजस्थान मोटर वेहिकल एक्ट है।

इसको भी कमेटी के सुपुर्द करने के अलावा और भी क्लाजेज है उन पर संशोधन है। बाद में आता है ऑफीशियल लैंगवेज बिल। उस पर भी संशोधन है। फिर खण्डश बहस होगी। इसलिये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं माननीय सदस्य अपने भाषण बहुत संक्षेप में दें, तो उत्तम होगा। मैं ऐसी आशा कर ही सकता हूँ कि रामकिशनजी जैसे कुशल वक्ता बिलकुल सूत्र में सारी की सारी बातें कह दें।

(३.० म. प.)

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि राजस्थान राजस्व मण्डल में जो....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): आपने जो संज्ञा दी है कि वे कुशलवक्ता है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको देता हूँ।

श्री रामकिशन : अनियमितताएं इस मामले में हुई है वे सदन के सामने पहले आ चुकी है इसलिए मैं उनको दोहराना किसी भी प्रकार से पसन्द नहीं करूंगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी बात के लिए इसी सदन में हम लोगों को मोअत्तिल होना पड़ा था और जो सरकारी पक्ष के लोग हैं उन्होंने उसको पारित करवाया था। उपाध्यक्ष महोदय, हमने उसका विरोध किया था और उपाध्यक्ष महोदय, विरोध करने में खास भावना यही थी कि सरकार के द्वारा जल्दबाजी और दलीय स्वार्थ के कारण इतने अनुचित काम करवाये जाते हैं कि जिससे लोकतन्त्र के लिए और उनके खुद के लिए ये प्रणालियां घातक हो सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में तथ्य सामने आये हैं, सामने यहां तक आये हैं जैसा कि राजस्व मन्त्रीजी ने खुद ने फरमाया कि मन्त्री मण्डल की बाकायदा बैठक नहीं हुई। हमें सम्भावना थी कि इस तरह का मामला आ सकता है और उस मामले के खिलाफ यह फैसला ले लेना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं कि संविधान की धारा २७३ में यह स्पष्ट लिखा है कि मन्त्रिपरिषद् राज्यपाल को सलाह देगी। मन्त्रीपरिषद् की बैठक हुई नहीं, बैठक के सामने कोई सामग्री नहीं, फैसले के लिए कोई सामान नहीं कि राजस्व मण्डल के बारे में कौनसा मामला अवैध है और कौनसा वैध।

(श्री रामकिशन)

इस संबंध में मंत्रि-मण्डल को जानकारी नहीं। इन सारी बातों के बावजूद अध्यादेश जारी कर देते हैं तो यह लोकतन्त्र का तो मजाक है ही, संविधान के भंग का स्पष्ट मामला है। इस तरह से संविधान को तोड़ना मैं समझता हूं, चाहे मामला कितना ही गम्भीर हो रात के १० बजे बैठक की जा सकती थी लेकिन अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। इस बात से प्रकट होता है कि यह हमारी सरकार कभी संविधान की परवाह नहीं करती है न हमारी सरकार के दिमाग में मर्यादा का सवाल है। न संविधान का सम्मान है और न मर्यादा का।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा इन बातों में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह जानकारी चाहता हूँ कि राजस्थान का एक एक्ट था। उसकी धारा ४(४) में लिखा है कि उसका संशोधन तभी पारित किया जा सकता है जब कि उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। यह लैण्ड रेवन्यू एक्ट था जो कि राजस्थान में लागू किया गया था। वह राष्ट्रपति की अनुमति से लागू किया गया था, और अब राष्ट्रपति की सहमति के बगैर ही उसका संशोधन कर दिया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से संविधान का तोड़ना होता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यह सरकार इस संविधान का बार बार मखौल न बनाये और बार बार उसको तोड़ने की कोशिश न करे और इस अध्यादेश के संबंध में जो गड़बड़ियां हुई हैं जो अनियमितताएं हुई हैं। सरकार की कमियाँ रही है वे सदन के सामने आयें। और जैसा कि आपने कहा मुझे संक्षेप में कहना है इसलिए उन सारी बातों को छोड़ देता हूँ। लेकिन इस लैण्ड रेवेन्यू बिल के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अजीब ढंग का विवाद चल रहा है सदन में कि राजस्व मन्त्रीजी के विरोध के बाद यानि उन्होंने कुछ मामले जो सीलिंग के सम्बन्ध में थे उनके संबंध में मंत्रि-मण्डल के लिए कुछ सुझाव दिये हैं वे सुझाव अस्वीकार हुए हैं या स्वीकार हुए, यह नहीं मालूम। राजस्व मन्त्रीजी ने अपने वक्तव्य में बताया कि वे केबिनेट की प्रोसीडिंग्स सदन के सामने रखेंगे। लेकिन मुझे एक बड़ी हंसी इस बात पर आती है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री सुखाड़िया साहब जो कानून ५६ में पास हुआ उसको ६६ में लागू कर रहे हैं तो आज तो जिस जमीन का बंटवारा होना था वह हो चुका है। जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने जमीन बांट दी है तो उसके संबंध में आज मुख्य मन्त्रीजी अपने आपको प्रगतिशील साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि मुख्य मन्त्रीजी बड़े प्रगतिशील है और जिन लोगों ने ऐसे सुझाव रखे हैं वे प्रतिगामी और पैसे वालों के समर्थक है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता कि मुख्य मन्त्रीजी समर्थक हैं या राजस्व मन्त्रीजी, लेकिन मेरी राय में ५६ का कानून ६६ में लागू किया जाय तो आप खुद ही सोचलीजिये कि यह उसी तरह की बात हुई कि चोर पहले कह दे कि वह चोरी करेगा तो कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा कि अपने यहां ताला नहीं लगायेगा या बचाव के साधन उपलब्ध नहीं कर लेगा मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहूँगा कि कौन प्रगतिशील है और कौन प्रतिगामी, क्योंकि मैं थोड़े में ही कह कर जाना चाहूंगा और अब इस बिल में कोई तथ्य नहीं रहा

(श्री रामकिशन)

है। लेकिन इसी बात को लेकर कोई प्रगतिशील बन रहा है और किसी को प्रतिगामी बनाया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कांग्रेस दल को लकवा मार गया है और मैं तो इस पार्टी को हमेशा हमेशा लकवा मार पार्टी कहता हूँ। इस पार्टी को लकवा मार गया है।

यह प्रज्ञाहीन संज्ञाहीन और गुणहीन पार्टी है। एक पक्ष के लोग कहते हैं कि वे प्रगतिशील लोग हैं और दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि हम प्रतिगामी हैं। न वे प्रगतिशील हैं और न ये प्रतिगामी हैं। १० साल तक इस कानून पर आचरण नहीं हुआ तो इसके लिए राजस्व मन्त्री, इसके लिए मुख्य मन्त्री, इसके लिए सिंचाई मन्त्रीजी और कांग्रेस का हर चार आना सदस्य जिम्मेदार है। इसमें कुछ प्रगतिशील बन जाते हैं और कुछ प्रतिगामी बन जाते हैं, यह सब मूर्खों को बहकाने के साधन हो सकते हैं, लेकिन समझदार आदमी के लिए कोई बात नहीं है। हमारे यहां पुराणों में सहस्त्रबाहु का आख्यान है। पहले कहीं सहस्त्रबाहु हुआ हो या न हुआ लेकिन सहस्त्रबाहु का अवतार सुखाड़िया साहब हैं। यह सहस्त्रबाहु कभी राजपूतों से हाथ मिलाता है, कभी जाटों से मिलाता है, कभी ब्राह्मणों से हाथ मिलाता है और कभी बनियों का हाथ पकड़ता है और उन सब का मतलब यह होता है कि एक दूसरे को लड़ाकर राज्य करना। पुराने सहस्त्रबाहु में कोई कला रही हो या नहीं रही हो लेकिन इस उदयपुर के सहस्त्रबाहु ने जो कला हासिल की है वह अद्वितीय है। लेकिन इस सहस्त्रबाहु की भुजाओं का खण्डन किया नहीं गया कांग्रेस के दल के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आज आप इस सहस्त्रबाहु को सुधारना चाहते हैं जिसको डा० मेहताब नहीं सुधार सके, तो यह आपकी दुराशा मात्र है। अगर आपके मन में यह विश्वास जम गया है कि यह पूंजीपतियों की सरकार है, यह धनवान लोगों की सरकार है तो सुधार की आशा छोड़ कर इसको तोड़ने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप यह बात नहीं करते हैं तो लोकतन्त्र की सेवा नहीं कर रहे हैं और विरोधी दलों के वोट बांट कर उस सहस्त्रबाहु की भुजाओं को मजबूत कर रहे हैं, सहस्त्रबाहु के हाथ खण्डन करने के बजाय उसको १००१ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े से में ही इतना कह कर क्योंकि मुझे जाना है अपने दल के लोगों को मौका दूंगा। न यह हमारी नीति है और न हमारी पार्टी की नीति है, यह सुखाड़ियाजी की नीति है। इसमें न उनके मन्त्रिमंडल की जिम्मेदारी है, न और किसी की। हम इस भ्रम में न पड़ जांय कि कोई प्रगतिशील है और कोई प्रतिगामी है जिस स्थिति में यह अध्यादेश लागू किया गया है वह स्थिति आवश्यक हो सकती है, लेकिन इससे मर्यादा का भंग हुआ है, संविधान का भंग हुआ है और एक तरह की परम्परा को भंग करने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय और राजस्व मंत्री में इतना साहस होना चाहिए कि वे कहें कि इससे संविधान का मखौल हुआ है, मर्यादा भंग हुई है

(श्री रामकिशन)

और मुख्यमंत्रीजी के कहने-सुनने से यह गलत काम हुआ है। इसलिए इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करना चाहिए। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, इनसे पहले मेरा नाम है जो लिस्ट आपके पास है उसमें।

श्री उपाध्यक्ष: इनके आगे है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने पेश किया गया है उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एमेंडमेंट और वेलिडेशन बिल जिन परिस्थितियों में लाया जा रहा है, जिन परिस्थितियों में रेवेन्यू बोर्ड ने इस बिल को अवैध घोषित किया और आज फिर जिस रूप में इसको वापिस इस सदन में रखा जा रहा है तो यह दुबारा उन्हीं गलतियों को दोहराने की कोशिश है जिन गलतियों के कारण यह बिल अवैध घोषित किया गया। उपाध्यक्ष जी, इससे पहले जब इस सदन में इस बिल के सम्बन्ध में चर्चा हुई तो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया था इस सदन में कि विधान के अनुसार जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय को इस प्रश्न पर मंत्रि-मंडल की ओर से जो एडवाइस के रूप में परामर्श मिलना चाहिए था उसके लिए मंत्रि–मंडल की बैठक नहीं हुई, और माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है इस सदन में कि ५ तारीख को इस कानून के अवैध घोषित हो जाने के बाद ६ तारीख तक यानि ५ और ६ तारीख के बीच में मंत्री–मंडल की कोई बैठक नहीं हुई उससे पहले कोई मंत्री-मंडल की बैठक हुई थी, कौन सी तारीख थी, वह अभी बता नहीं सकता, परन्तु कोई बैठक हुई थी उसमें कोई निर्णय इस संबंध में ले लिया गया होगा। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के जिस आर्टिकल के तहत जो पॉवर्स गवर्नर को ऑर्डिनेन्स जारी करने के हैं उसमें गवर्नर महोदय को इस बात के लिए सेटिस्फाइड होना आवश्यक है कि मंत्री–मंडल की ओर से इस प्रकार का परामर्श मिलना आवश्यक हैं। मंत्री मंडल को इस ड्राफ्ट पर, जो यह कानून अवैध घोषित हुआ है, इस कानून के अवैध घोषित होने के कारण फिर दुबारा यह अवैध न हो जाय इसलिए इस ड्राफ्ट पर भी अपना माइन्ड एप्लाई करना आवश्यक है। यह बात मंत्री मंडल के जरिये नहीं हुई ६ तारीख को राजस्व मंत्री जी के बयान से यह बात साबित हुई। यह बिल पहले अध्यादेश के रूप में था और अब यह बिल के रूप में हमारे सामने है। इस अध्यादेश के तहत आज भी राजस्व -मंडल फंक्शन कर रहा है उस पर मंत्री–मंडल ने अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया, इस ड्राफ्ट को मंत्री–मंडल ने नहीं देखा और वास्तविकता यह है मेरी जानकारी के अनुसार कि यह अध्यादेश केवल चेयरमेन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और चीफ सैक्रेटरी ने उनकी बुद्धि से जैसा भी वह बन सका ड्राफ्ट बना कर गवर्नर के पास भेज दिया बिना मंत्री–मंडल के विचार किये; इसी कारण इतना डिफेक्टिव ऑर्डिनेन्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जारी हुआ और इतना डिफेक्टिव ऑर्डिनेन्स के स्वरूप में यह बिल पेश किया जा रहा है। न केवल मंत्री-मंडल की ही बैठक हुई, बल्कि मेरी यह मान्यता है उपाध्यक्ष महोदय, कि इस ऑर्डिनेन्स को गर्वनर महोदय को मंत्री मंडल के परामर्श के बाद भी निकालने का अधिकार नहीं था। यदि हम संविधान के आर्टिकल २१३ की ओर गौर करें तो उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्टिकल में साफ लिखा है:

"If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it nesessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require--

Provided that the Governor shall not, without instructions from the President, promulgate any Ordinance if:-

(a) a Bill containing the same provisions would under this Constitution have required the previous sanction of the President for the introduction thereof into the Legislature, or

(b) he would have deemed it necessary to reserve a Bill containing the same provisions for the consideration of the President; or

(c) an Act of the Legislature of the State containing the same provisions would under this Constitution have been invalid unless having been reserved for the consideration of the President, it had received the assent of the President."

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो आर्टिकल २१३ की तहत राज्यपाल को अध्यादेश निकालने का अधिकार है वह यदि उनको मंत्री-मंडल की ओर से एडवाइस भी मिल जाय तब भी उनका अपने आपको सेटिस्फाई होना आवश्यक है और यदि वे सेटिस्फाई हो जांय इस रिक्वायरमेन्ट को भी पूरा करदें तो भी यदि वह बिल इस प्रकार का है कि प्रेसीडेन्ट की पूर्व कन्सेन्ट लेना आवश्यक है या बाद में कन्सेंट लेना आवश्यक है, उनके सिगनेचर्स लेने आवश्यक हैं, तो बिना प्रायर कन्सलटेशन के इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स नहीं निकाला जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि ५ तारीख को जब राजस्व मंडल कानून अवैध घोषित किया गया और ६ तारीख को दुबारा ऑर्डिनेन्स के रूप में लागू किया गया, मेरी जानकारी के अनुसार प्रेसीडेन्ट से इस प्रकार की कोई संक्शन नहीं ली गई और न ही गवर्नर की ओर से इन्ट्रोड्यूस करते समय इस तथ्य को बताया गया है। मैं अब भी कहता हूँ कि इस प्रकार की सेंक्शन नहीं ली गई है इसलिये ऑर्डिनेन्स अवैध था। आज भी राजस्व मंडल अवैध है और जो कार्य कर रहा है वह अवैध रूप से कार्य कर रहा है और अवैध घोषित होनेवाला है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) कब होगा ?

श्री रामानंद अग्रवाल : रिट चल रही है। यह तथ्य है जिसने मंत्री मंडल को पहली गलतियों के कारण ८-१० वर्ष तक उनको पता न हो, यह बात नहीं है कि मंत्री-मंडल को जानकारी नहीं थी। जानकारी थी। रेवेन्यू लॉज कमीशन में इस पर डिस्कशन हुआ था। हाई कोर्ट के जज उसके चेयरमेन थे। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है सेकिन्ड रिपोर्ट उसमें यह कहा है कि जो क्वालिफिकेशन्स रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स की होनी चाहिये वे आज तक निर्धारित नहीं की हैं इसलिये निर्धारित होनी चाहिये। इन्डाइरेक्टली उनका यह संकेत था कि गैर-कानूनी तौर से राजस्व मंडल का गठन है इसको दुरुस्त करें। अक्लमंद के लिये इशारा काफी होता है लेकिन मंत्रिमंडल ने संकेत नहीं लिया। प्रेसीडेन्ट की कंसेन्ट नहीं लेने के कारण यह अध्यादेश अवैध घोषित जरूर होगा, अलट्रावायर्स होगा। गवर्नर को पावर्स नहीं है ..

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसका जवाब राजस्व मंत्रीजी ने दिया था।

श्री रामानंद अग्रवाल : और यदि जिस रूप में है आज इसको बिल के रूप में पेश किया है तो आज भी उसी तरीके से गलतियां मौजूद हैं। मसलन आप कहते हैं कि मैम्बर्स ३ से ७ तक हो सकते हैं तो कौन तय करेगा कि तीन होंगे, चार होंगे या सात होंगे। आपने इस बारे में बिल में किसी ऑथोरिटी को जिम्मेदारी नहीं दी इसलिये अनिश्चित स्थिति रहेगी। पहले वर्डस थे :

"State Government shall determine"

इन शब्दों को निकाल दिया है और अनिश्चित स्थिति में सारी बातों को छोड़ दिया है जिसकी वजह से गफलाबाजी होने वाली है और जिस रूप में राजस्व मंडल के गठन के बारे में संशोधन ला रहे हैं उसमें आपको फिर इस प्रकार की दिक्कत होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी जब वे सुधार करने वाले हैं इसका मौका है तो तमाम बातें देखें। जो आलोचना राजस्व मंडल के गठन के बारे में सदन में होती रही है, जिस प्रकार से सरकार की तरफ से मनमानियां होती रही हैं उन बातों को देखें और संशोधन करें तो तमाम चीजों का समावेश हो। जैसा कि रेवेन्यू लाज कमीशन ने कहा कि अपोइंटिंग आथोरिटी सरकार नहीं होनी चाहिये बल्कि सिलेक्शन कमेटी के जरिये होने चाहिये, जिनमें ३ आदमियों का सजेशन दिया था एक तो हाई कोर्ट के चीफ-जस्टिस, दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और तीसरे आदमी के लिये सजेशन दिया था चीफ सेक्रेटरी होने चाहिये। तो कुछ लोगों का सुझाव था कि उनके स्थान पर स्पीकर आफ दी लेजिस्लेटिव एसेम्बली हों। इस तरह की यह कमेटी हो और उसकी सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो पक्षपात के आरोप लगाये जाते हैं जो आपके नूरे नजर होते हैं उनको मुकर्रर करते हैं और उनसे फैसले करवाते हैं और जब आप के हक में फैसला उसने दे दिया तो फिर उसको दूसरी जगह अपोइन्ट कर देते

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं। इस तरह की जुडिशियल बोडी हाइयेस्ट रेवेन्यू बोडी की मंजिलें नजर रखना चाहते हैं यह तरीका गलत है। आज भी बावजूद रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट के इसको बदलने को तैयार नहीं हैं यह मैलाफाइडी जाहिर होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी जब रेवेन्यू लॉ में अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं तो फिर इसको लाने की क्या जरुरत है ? इससे जो भी जरूरी चीजें हैं जिनमें अंधाधुन्धी की हुई है उनमें संशोधन आवश्यक है, सुधार आवश्यक है उनको लाना चाहिये। लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १०१ का जो दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से लैंड एलाटमेंट में धांधलियां हो रही हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बारे में संशोधन की जरुरत है। उसका दुरुपयोग हो रहा है उसका आफिसर दुरुपयोग करते हैं उसका मंत्री लोग दुरुपयोग करते हैं। उसके अन्दर सुधार करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस हद तक बात नोटिस में आई है कि आपके इस लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा १०१ की जो भी भावनायें हैं और जो भी उसके तहत रूल्स बने हुए हैं, आपके अधिकारीगण उन बातों की परवाह न करके, लैण्ड एलाटमेंट कमेटीज की परवाह न करके, उनकी एडवाइजरी कैपेसिटी भी नहीं मान कर मनमाने तरीके से लैण्ड एलाटमेंट करते हैं और आपकी हायर आथोरिटी और हायर लोग लैण्ड अपने तौर तरीके से एलाट करवाते हैं। उसका लैण्ड एलाटमेंट कमेटीज को पता भी नहीं लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जिम्मेदारी बड़े बड़े लोगों की है, बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदारों की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बहुत क्लीयर-कट केस रखना चाहता हूं। इस जयपुर नगर के नजदीक ही यह आपका सांगानेर है। इस सांगानेर के पास एक गांव है, जो मौजा देवरी है। इस मौजा देवरी के अन्दर एक माफीदार की जमीन थी करीब ४० बीघा उस माफीदार की जमीन थी। जब वह माफीदार मर गया तब उस माफीदार की जमीन जिसका कुछ हिस्सा खुद काश्त में था और १०-१५ बीघा माफी की जमीन थी। उस समय श्री मुन्नालाल गोयल, जो मुख्य मंत्री के दामाद हैं, वहां पर बी. डी. ओ थे। यह १९६१ की बात है। तब बी. डी. ओ. के पद के कारण और मुख्य मंत्री के दामाद होने के कारण इन मुन्नालाल गोयल ने उस जमीन को जो कि माफीदार की जमीन थी, जो माफीदार मर गया था, जिसका वारिस नाबालिग था और जिसको यह मालूम नहीं था कि उसके बाप की जायदाद के साथ क्या हो रहा है, अपने इन्फ्लूएन्स से, अपने ससुर साहब के इन्फ्लूएन्स को इस्तेमाल करके, उनका जो इन्फ्लूएन्स राज्य अधिकारियों पर है उसका इस्तेमाल करके अपने तीन आदमियों के नाम एलाट करवा लिया, उस ४० बीघा जमीन को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के नाम में बेजा तरीके से एलाट करा लिया। वह लैण्ड एलाटमेंट कमेटी की तरफ से नहीं हुआ। जो सांगानेर की लैण्ड एलाटमेंट कमेटी थी उसकी तरफ से एलाटमेंट आर्डर नहीं हुआ बल्कि वह एलाटमेंट का आर्डर आपके यहां से, सचिव के यहां से हुआ है। मेरे पास में उसकी नकल है, एफ २ (३८३) रेव-बी. ६१ दिनांक ४-८-६१ एफ २ (३८४) रेव-बी-६१ दिनांक ४-८-६१, एफ २ (२८३) रेव

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बी-६१ दिनांक ४-८-६१ श्री राजेन्द्रप्रसाद, श्री ललिताप्रसाद, श्री कन्हैयालाल जी को मौजा देवरी में खसरा नम्बर २८३, २८४, २८५, २८६ २८७,२८८,२८६ ४० बीघा जमीन एलॉट की गई। यह कौन है रघुनाथ प्रसाद, यह कौन से नये किसान आ गये ललिताप्रसाद ? उपाध्यक्ष महोदय, यह ललिताप्रसाद पुत्र श्री कैलाशचन्द्र, राधा-गोविन्द भवन, बी १५८, बापूनगर, जयपुर में रहते हैं और यह मुन्नालाल गोयल के रिश्तेदार हैं। यह कन्हैयालाल जैन, यह इंडियन वुलन कार्पेट फैक्ट्री, पान का दरीबा जयपुर के रहने वाले हैं। यह हमारे मुख्य मंत्रीजी की श्रीमतीजी इन्दूबालाजी के धर्मभाई बनें हुए हैं। और तीसरे श्री राजेन्द्रप्रसाद, गोखले मार्ग, सी स्कीम, जयपुर अपोजिट जल महल होटल यह वहाँ पर रहते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन तीनों महानुभावों को इसका पता भी है या नहीं—यह मैं नहीं कह सकता। इनके नाम में एलॉटमेंट करवाया है श्री मुन्नालाल गोयल ने उनका कब्जा आज भी है। उसमें उन्होंने कुआ बनाया है, उसमें उन्होंने क्वार्टर बनाया है जिसमें उनके सर्वेन्ट्स रहते हैं। आप उस इलाके में जाकर इन्क्वायरी कर लिजिये, वहां के आस-पास के पड़ौसियों से पूछ लीजिये कि इस जमीन पर कौन काबिज है, और उस गरीब माफीदार का जो नाबालिग लड़का था, जो अब बालिग हुआ है, उसको डराया और धमकाया जाता है मुन्नालाल गोयल की तरफ से कि तुमने इस सवाल को उठाने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं है। मेरे से वैर रख कर तुम यहां रह नहीं सकते। इस तरीके से जो लैण्ड रेवेन्यू बिल की धारा १०१ है, जिसके तहत बने हुए रूल्स हैं और उनके नीचे मुकर्रर लैण्ड एलॉटमेंट कमेटीज हैं—उनकी यह हालत हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ राजस्व मंत्रीजी से, जो कहते हैं कि हल जोतने वाले के पास में जमीन होनी चाहिये। आप किशनगढ़ के अन्दर गये और वहां पर लोगों से कहकर आये कि आपको कोई दुःख हो तो छः पैसे की चिट्ठी मेरे पास डाल देना। आपके पास यह माफीदार गया है और आपको दर्ख्वास्त दी है। आप बड़े बड़े भाषण देते हैं जनता में असर पैदा करने के लिए लेकिन आपकी भी पुंगी बन्द है, आपकी भी हिम्मत नहीं होती, श्री मुन्नालाल गोयल, जो सुखाड़ियाजी के दामाद हैं, यह इस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करके इस तरीके से कार्यवाही करें और आप भूल जायं अपने भाषणों को जिनमें आपने कहा है कि हल जोतने वाले के पास, जमीन के बेटे के पास जमीन होनी चाहिये। कौन सा हल चलाने वाला है ललिताप्रसाद ? कहां कोई थी जमीन ललिताप्रसाद ने ? मैं कहता हूँ, आपके भाषणों में जो बात थी उसकी वास्तविकता आज सदन के सामने आ जायगी। आप अपने आपको निर्भीक कहते हैं। आप कहते हैं रिफोर्म करने की बात। आप लड़ना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप लड़ने की बात करते हैं पक्षपात के खिलाफ। हम देखना चाहते हैं कि कितनी दम है आपके अन्दर, कितनी हिम्मत है आपके अन्दर। अगर है तो एक जाँच कमेटी मुकर्रर करें सदन के अन्दर जो जाँच करे मुन्नालाल गोयल की उन तमाम कार्यवाहियों की जिनके द्वारा बी. डी. ओ. के पद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का दुरुपयोग करके इस तरह से जमीन ली है। आप एक्शन लें उस सेक्रेटरी के खिलाफ जिसके पास कौनसी ऐसी पॉवर थी और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा १०१ कौनसा ऐसा अधिकार उन्हें देती है जिसके तहत ऊपर के ऊपर इस जमीन का एलॉटमेंट ऑर्डर उन्होंने कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस तरीके के डॉक्यूमेंट हैं, उसके अन्दर उन चीजों का इन्द्राज हो चुका है उस माफीदार के नाम वह जमीन थी, इस तरीके से पिछले सैटलमेंट के इन्द्राज मौजूद हैं। अगर किसी वक्त पर कोई इन्क्वायरी होगी तो यह सारे कागजात उसके समक्ष पेश किये जायेंगे।, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके का मामला हुआ है। वह यहां पर पहले भी आया है। इसलिए लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर आप अमेंडमेंट करना चाहें उससे पहले देखें कि इन लैण्ड एलॉटमेंट कमेटीज़ की आज किस तरह से दुर्गति हो रही है। कई जगह तहसीलदार अपने आप लैण्ड अलॉट कर देते हैं। कई जगह कहते हैं कि इन लैण्ड एलॉटमेंट कमेटीज़ की हैसियत एडवाइज़री कमेटी की है इसलिए हम चाहें तो इनकी राय मानें और न चाहें तो नहीं मानें। और वहीं पर लैण्ड एलॉटमेंट कमेटीज़ फैसला भी कर देती हैं तो तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी कहते हैं कि कब्जा देना तो हमारे हाथ की बात है, और इस प्रकार किस तरह से दखल दिया जाय या किस तरह से अमल किया जाय-यह हमारे हाथ की बात है और इस तरीके से वह तमाम फैसले एक तरफ रखे रह जाते हैं। इसलिए लैण्ड रेवेन्यू कमीशन ने यह सजेशन दिया था कि यह एडवाइज़री कमेटीज़ खत्म की जायें और पूरी ऑथोरेटी के साथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी पीपुल, एस. डी. ओ. और ऑफिसर को मिला कर एक कमेटी मुकर्रर करें जिसको न केवल एडवाइस देने का अधिकार हो बल्कि वह कमेटी लैण्ड का अलॉटमेंट करे और उसका जो एग्ज़ीक्यूशन करे उसे देख ले तब आकर सही तरीके से लैण्ड एलॉटमेंट होगा। जब ही जैसे सेक्रेटेरियट से डाइरेक्टली एलॉटमेंट का ऑर्डर श्री मुन्नालाल गोयल उड़ा ले गये, कहीं दूसरे कोई व्यक्त उड़ा ले गये, कहीं हरिदेव जोशी ने खातेदारी के हक अपने नाम में दर्ज करा लिये, कहीं सुखाड़ियाजी ने अपने रिश्तेदारों के नाम से कोटा और बून्दी में जमीन दर्ज करा ली–यह चीजें खत्म हो सकती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस बिल में उन चीजों का, उन धाराओं का आप समावेश कीजिये, इस बिल को आप पूर्ण बनाइये। अभी आप इसको अपूर्ण रखने की कोशिश न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो बिल आप ला रहे हैं और इसके तहत जिस तरीके से आपने केवल रेवेन्यू बोर्ड की घटना की बात और इसकी चिन्ता व्यक्त की है, इसके अलावा आपको दूसरी बातों की भी चिन्ता करनी पड़ेगी। आप रोजमर्रा इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जनता के लोगों में अनऑथाराइज्ड कल्टीवेशन की बात है। आपने कई जगह, कई जिलों में तो बन्द कर दिया है लेकिन कितने ही जिले, जो २, ३ जिले हैं राजस्थान में, वहां पर मुस्तसना है। आज भी वहां लोगों पर जुर्माने किये जा रहे हैं।

Page No. 92

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इन्स्टान्स दे सकता हूँ। जिन गांवों में लैण्ड एलॉटमेंट कमेटी ने लैण्ड का एलॉटमेंट कर दिया है। उस समय सम्भवतया यह सोच कर कि उस जमीन का पटवारी और तहसीलदार कब्जा दे देंगे, लोगों को कह दिया कि मिल-जुल कर कब्जा कर लो और काश्त कर लो, लेकिन उसके बाद तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी ने कब्जा नहीं दिया। लैंड एडवीजिशन कमेटी के द्वारा एलोटेड जमीन को अनग्रॉथेराइज्ड जमीन मानकर चल दिये। मेरी कॉन्सटीच्युएन्सी में अकेले एक गांव बल्लपुरा के पास एक गांव में २२ हजार रुपये की पेनेल्टी कायम की है जबकि लैंड अलॉटमेंट कमेटी ने और उसमें हम सब लोगों ने बैठ कर अलॉटमेंट किया सर्वसम्मति से अलॉटमेंट किया और कोई मतभेद नहीं था और गांव वालों ने मिलकर काश्त किया है। यह हो सकता है कि ए की जमीन पर बी ने और बी की जमीन पर ए ने काश्त कर ली हो क्योंकि खसरा नम्बर नहीं मुकर्रर किया था। इसके लिए बजाय इसके आपस में सुलझाने की कोशिश की जाती और जो उनके नम्बर थे उनके नाम कर दिये जाते उन पर जुर्माना किया गया। अलॉटमेंट कमेटी उसको करने के लिए तैयार उसी वक्त थी, मगर यह सब नहीं करके गांव वालों पर २२ हजार का जुर्माना किया। अलवर, भरतपुर और शायद सीकर जिला भी मुस्तशना हो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या आप इससे प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं? यह नहीं हो सकता। इससे प्रोडक्शन को नुकसान पहुँचता है। अनग्रॉथ-राइज्ड कल्टिवेशन के लिए जिन लोगों के पास पहले से जमीन है और उन्होंने जमीन दबा रखी है उनको जमीन देने के लिए मैं नहीं कहता और न मैं उनके पक्ष में हूँ मगर जिनके पास जमीन नहीं है और उन्होंने कल्टीवेशन कर रखा है तो उनके लिए तो आपको सोचना चाहिए। मगर आज हो यह रहा है कि आज आपके तहसीलदार, आपके पटवारी छोटे छोटे हरिजन, माली छोटे छोटे गरीब कोमों को जैसे कुम्हार, खाती आदि है जिनके १-१ २-२ बीघा जमीन को तो अनग्रॉथोराइज्ड मान करके उनके खिलाफ १९१ का मुकदमा कर रहे हैं और जो ठूंठ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ५०-५० बीघा जमीन है १००-१०० बीघा जमीन हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं करते। रामगढ़ में ऐसी जमीनें हैं, गिरी और घनारा में २०० बीघा जमीन है मगर उनका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। चूंकि उनके पास बन्दूकें हैं, बन्दूकों के लाइसेन्स हैं वे बन्दूकें कन्धे पर रख कर चलते हैं। आपके कर्मचारी सब डरते हैं और आपके थानेदार की भी हिम्मत उनके खिलाफ शिकायत करने की नहीं पड़ती है। यह अनग्रॉथोराइज्ड कल्टीवेशन की बड़ी भारी बीमारी है। जिनको आपने मुतस्तशना किया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो जाती है। इससे बहुत दिक्कत हो रही है। इसको आप हल करें, इसको एक कानूनी शक्ल दें। जिन लोगों का कानून में सन् ५५ से कब्जा था और जिन लोगों के पास पट्टा नहीं था उनको भी ट्रेसपासर करके आपने निकाल दिया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि किसानों के बेटों की दिक्कत को एक किसान के बेटे होने के नाते सोचें और आपको सोचना चाहिए।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अन्त में मैं एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप अनअॉथोराइज्ड कल्टीवेशन के खिलाफ इतनी शख्त कार्यवाही करने की बात करते हैं जहां गरीब आदमी आता है मगर जहां अमीर और बड़े बडे लोग आते हैं वहां पर आप यह नहीं करते।

मैंने अलवर में देखा है बड़े बड़े लोगों ने एग्रीकल्चरल लैंड पर कब्जा किया है और कब्जा जमाये बैठे हैं और चल रहे हैं। आपने कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की। मगर कोई गरीब कोली लोगों में ने कुछ छप्पर बना लिए हैं उन गरीब कोलियों को अलवर में नोटिस दिए और यह कहा गया कि तुम्हारे छप्पर उठाकर क्यों नहीं फेंक दिये जावें मैं आप से निवेदन करूंगा कि बड़े बडे लोगों ने तो एग्रीकल्चर लैंड पर मकान बना लिए हैं। आपने एग्रीकल्चर लैंड पर मकान बना लिया है उसके लिए कुछ नहीं करते और कोलियों के छप्पर क्यों नहीं फैंक दिए जावें, इसके लिए नोटिस जारी करते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है! विजयमंदिर पैलेस पर बड़ी सड़क है। उसमें कोई एग्रीकल्चरल लेंड में गरीब कोलियों ने कोई मकान नहीं बनाया, गरीब कोली कच्चे मकानों में रह रहे हैं। उनको आपने हटाने के लिए नोटिस दिया। आप एसेम्बली में जवाब देने के लिए कहते हैं कि हमने इतने लोगों के खिलाफ मुकदमें चलाये। यह सरकार की नीति है वह उचित नहीं है।

अंत में मैं अनअोथराइज्ड कल्टीवेशन की बात कहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई कलेक्टर या कोई बी० डी० ओ० किसी किसान की जमीन पर डाका डाल कर जबरदस्ती उसकी खड़ी फसल पर कब्जा कर ले और लैंड एक्वीजिशन एक्ट की मारफत कोई नोटिस नहीं दे और किसानों की जमीन पर कब्जा करे और किसान रोता फिरे और उसकी कोई सुनवाई नहीं करे तो ऐसे गवर्नमेंट के अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने को तैयार है, यह मैं आपसे पूछना चहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्व मंत्री को निजि पत्र लिखा था और यहां पर मैंने यह कट मोशन मूव किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उमरेन पंचायत समिति का भवन बना है। जब अलवर से भरतपुर जाते हैं तो पंचायत समिति का वहां भवन बना हुआ है। सरकार ने तीन किसानों को जमीन पर डाका डाल कर गैर-कानूनी तरीके से उस जमीन पर कब्जा किया है वर्ना मैं चैलेंज देना चाहता हूं कि यह जमीन कब सरकार द्वारा एक्वायर की गई, कब उन लोगों को नोटिस दिया गया और किस कानून की तहत यह जमान ली गई। जब हमने यहा पर एसेम्बली में, मोशन रखा तो वहां के किसानों को यह कह कर कि गांव में लोगों को जमीन दिलाने की बात है और यह कह कर लोगों से दस्तखत करवा लिए कि हमने अपनी इच्छा से जमीन दी थी। जब मैंने जाकर यह कहा कि एसेम्बली में यह जबाव मिला तब उन्होंने यह कहा कि हमको तो यह कहा गया था कि जमीन मिलेगी और यह कह कर दस्तखत करवा लिए। हमने प्रश्न किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जब फिर वही प्रश्न वहां आ गया और कलेक्ट्री में आया। उमरेन में सारे गांव की मवेशी खड़ी होती है वहाँ पर अधिकारियों ने कहा कि धरजा या मरजा। इस प्रकार उस गरीब को धमका कर दस्तखत करवा लिए। खेती करने के लिए तो गांव वाले लाठियें ले कर आ गए। इस प्रकार गांव वालों के खिलाफ गांव वालों को लड़ाते हैं। आज भी ये तीन किसान अपनी मौरुसी जमीन महरूम है। भवन बनाया गया और जिनकी जमीन थी वे आज मारे मारे फिरते हैं सन् ५८ : ५६ में इन लोगों की जमीन ले ली गई थी।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह घटना राज्य की तरफ से हो रही है। आज राजस्व मन्त्री, मैं समझता हूं कि वकील नहीं हैं लेकिन किसानों की तरफ से कानून जानते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि किसानों का कितना हक बनता है गैर कानूनी तरीके से उस जमीन पर सरकार ने कब्जा किया है। अगर वे हाई कोर्ट में जावें तो बिल्डिंग समेत उस पर कब्जा लेने के अधिकारी हैं मगर चूंकि ये गरीब हैं, उनकी मजबूरी है, उनके पास पैसा नहीं, उनमें से एक बेचारा सरकारी कर्मचारी है, उनकी मजबूरियों का लाभ उठा कर सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार चाहे तो उनको उसके एवज में जमीन दे सकती ही अगर चाही नहीं तो तीन गुनी दूसरी जमीन दे। इसके अलावा जब से सरकार ने नाजायज कब्जा उस जमीन पर किया है उस समय से आज तक का उनको मुआवजा दे ताकि उनके साथ न्याय हो और इन्साफ उन लोगों को मिले।

इन शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल वेलिडेटिंग के रूप में पेश किया है और इसकी आवश्यकता है और हम कोई इसमें वेकुम क्रीयेट नहीं करना चाहते लेकिन आप इसमें सब चीजों को सोच-समझ कर उनका समावेश करें। जिस उद्देश्य से आप इसको करना चाहते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति इससे नहीं होगी। इसलिए मेरा यह मोशन है कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दें। इस सत्र को और १० रोज के लिए बढ़ा दिया जावे। १० रोज के बाद हम बात कर लेंगे। अभी आचार्यजी का नम्बर आ रहा है उनको इससे यह गिला है कि मेरा ही मेरा नम्बर आ रहा है और दूसरों का नहीं आ रहा है तो उनका भी नम्बर आ जावेगा। हम तो सब के साथ समानता का व्यवहार करना चाहते हैं। असमानता का व्यवहार करने की तो आपकी आदत है। और मैं निवेदन करूंगा कि हाउस को १० रोज और बढ़ा दें और इस बिल को पास कर दें।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जनतन्त्र सो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रस्तावों पर बोल लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १६६६ सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है । जो ६ जुलाई को राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेन्स इश्यू किया गया उसको वेलिडेट करने के लिये यह बिल लाया गया है । यह तो मानी हुई बात है कि जो डिस्क्रिपेन्सीज और लेकुनाज रेवन्यू बोर्ड के गठन में थे, यह बात सरकार के ध्यान में आ चुकी थी । जस्टिस भण्डारी की चेयरमैनशिप में रेवेन्यू कमीशन का गठन हुआ था, दूसरा प्रतिवेदन जिसका छपे एक साल से अधिक अवधि हो चुकी है, उसमें इस बात का स्पष्ट संकेत कर दिया था कि रेवेन्यू बोर्ड प्रोपरली कॉन्स्टीट्यूटेड नहीं है और ५६ के रेवेन्यू लॉज की कन्डिशन्स हैं उनको वह पूरी नहीं करता । राजस्थान सरकार का ध्यान उन्होंने इस ओर दो पेजेज के अन्दर आकर्षित किया । इसके बाद बहतर होता कि सरकार उन सारी डिस्क्रेपेन्सीज और लेकुनाज को दूर करती जो बोर्ड के कॉन्स्टीट्यूशन में हैं, वह दिक्कत-अंगेज बात नहीं । पर यह नहीं किया गया और एक नाटक राजस्थान में हुआ । ५ जुलाई को एक प्रश्न उपस्थित हुआ, बोर्ड के अन्दर आपसी झगडे से और एक जजमेंट, श्री बलवन्तसिंहजी के जजमेंट से जो कि कास्टिंग जजमेंट था, जब कि बोर्ड के दो दो मेम्बर्स डिवाइड हो गये थे, वह संकट पैदा हो गया तो सरकार ने देखा कि इस बोर्ड को वेलिडेट करना होगा, अब ऑर्डीनेन्स जारी करना पड़ेगा । राज्यपाल महोदय को एप्रोच किया तो ६ जुलाई को ऑर्डिनेन्स इश्यू कर दिया, जिसको वेलिडेट करने के लिये आज सदन में बिल लाया गया है । कॉन्स्टीट्यूशन की सेक्शन के मुताबिक बिना प्रेसीडेन्ट की कन्सेन्ट के राज्यपाल ने इस रेवेन्यू बोर्ड के सम्बन्ध में ऑर्डिनेन्स इश्यू कर दिया । राज्यपाल के बारे में मुझे अचम्भा नहीं, वे ऐसा करने के आदी है, यह उन्होंने गत सत्र में साबित कर दिया । राज्यपाल महोदय इस सदन में माननीय अध्यक्ष के सारे अधिकारों को लेकर, भारतवर्ष के सारे विधान को खाकर, इस सदन के माननीय सदस्यों को इस सदन से उठा कर बाहर फिकवा सकते हैं तो उन राज्य प्रमुख (राज्यपाल) को प्रेसीडेन्ट की आज्ञा लेना आवश्यक है; ऐसी विधान की माँग है, दरकार है, वे बिना प्रेसीडेन्ट की आज्ञा के ऑर्डिनेन्स की शक्ल दे दें, बिना केबिनेट को कन्सल्ट किये ऑर्डिनेन्स की शक्ल दे दें, इसमें आश्चर्य नहीं । इसका सबूत राजप्रमुख (राज्यपाल) पहले सदन में दे चुके हैं ।

इसमें बहुत लेकुनाज हैं, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस और विधान सभा के सदस्यों को साथ रख कर कोई बोर्ड कॉन्स्टीट्यूट करते, जिसमें कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन इन्क्लूड होते या विधान सभा के अध्यक्ष इन्क्लूड होते और इन क्वालिफिकेशन्स के बारे में विचार करते जो कि बोर्ड के सदस्यों की होनी चाहिये तो उचित होता । पर यहाँ तो पहले कोट कर लिया जाता है और फिर उसके बाद में कट किये हुए कोट के मुताबिक आदमी को फिट किया जाता है । तो यहाँ अधिकारी पहले मौजूद होते हैं, रेवेन्यू बोर्ड में उसको फिट करने के लिये क्वालिफिकेशन्स का निर्माण किया जाता है । पब्लिक सर्विस कमीशन की १४ रिपोर्ट्स सदन में प्रस्तुत हो चुकी हैं और उन रिपोर्ट्स में अनेक गम्भीर केसेज़ उपस्थित किये जा चुके हैं, मन्त्रियों के भाइयों के केसेज हैं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सालों के केसेज हैं और वेटों के केसेज हैं जिनको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने उपस्थित किया है। क्वालिफिकेशन्स का निर्माण ऑफिसर्स के लिये किया जाता है न कि बोर्ड की एफिशियेन्सी के लिये किया जाता है। बोर्ड जस्टिस करे, इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। मैट्रिक पास एक्साइज कमिश्नर हैं कॉग्रापरेटिव डिपार्टमेंट के इन्चार्ज डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर राजस्थान में हो सकते हैं। चाहे टैक्निकल डिपार्टमेंट हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो या और कोई डिपार्टमेंट हो क्वालिफिकेशन्स का कोई प्रश्न नहीं। १२ साल आई. ए. एस. ऑफिसर होना चाहिये इस बोर्ड में। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी। बडे फख्र से कहा गया कि हमारे बोर्ड के चेयरमैन आई. ए. एस. ऑफिसर रहे हैं पर मौजूदा ४ सदस्यों में से स्पेसिफिकली कोई इस क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं करता। १२ वर्ष में किसी का एक महीना घट रहा होगा, किसी के दो महीने घट रहे होंगे, किसी का एक साल घटता है। सब कुछ हड़बड़ाहट में किया गया। इसलिये शायद उस हड़बड़ाहट में सोचा नहीं जा सका कि ११ साल रख देते। यहाँ कोट के मुताबिक आदमी का निर्माण नहीं हो सका, कोट के मुताबिक आदमी को फिट नहीं किया जा सका।

उपाध्यक्ष महोदय, सारी बातों को गत वर्ष में नैग्लेक्ट किया गया। क्वालिफिकेशन्स प्रेस्काइब नहीं कीं, नम्बर प्रेस्काइब नहीं किया और इस प्रकार का बिल लाकर सदन में प्रस्तुत कर दियाँ गया है। न्याय की आशा बहुत कम करनी चाहिये। इस रेवेन्यू बोर्ड में माननीय सदस्य ने अपील की, माननीय सदस्य श्री उमरावसिंहजी ढाबरिया ने नाजायज अलॉटमेंट के बारे में अपील की। इसके सदस्य श्री मधोक को जांच के लिये नियुक्त किया। माननीय सदस्य ने कहा कि हम बयान रेकॉर्ड करवाना चाहते हैं पर इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इनकी मांग की कोई चिन्ता नहीं की गई और बिना उनके बयान रेकॉर्ड किये जजमेंट दे दिया। उनकी एप्लीकेशन्स आज भी पैंडिंग चली आ रही हैं, उनके सम्बन्ध में डेट बताई हुई हैं पर उनको इन्वाइट नहीं किया गया और जजमेंट दे दिया गया। नाबालिग बच्चे भूमिहीन काश्तकार बता दिये और यह सिद्ध कर दिया कि भूमिहीन एक परिवार विशेष के अन्दर ही पैदा होते हैं। दिग्नाग, घनश्याम और बृजप्रकाश की जमीनें हैं, टिनेन्सी एक्ट को ताक में रख कर उनको खातेदारी राइट्स दे दिये जायं। लेकिन कोई चिन्ता नहीं है, कानून से बोर्ड का गठन होना चाहिये लेकिन यहाँ तो अपने आदमियों का कॉन्स्टीट्यूटेड होना चाहिए। क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिए तो उस आदमी के फिटिंग क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिए। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन है तो भी कोई चिंता नहीं, उसका चेयरमैन राजनीति से आया हुआ व्यक्ति हो जाय, उसका चेयरमैन एक ऐसा व्यक्ति हो जो राज्य का मंत्री रहा हो तो भी परवाह नहीं। हाईकोर्ट के अन्दर भी इस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं। सारी वे न्याय की संस्थाएं, जिनसे थोड़ा बहुत रिलीफ जनता प्राप्त कर सकती है, मंहगा रिलीफ जनता प्राप्त कर सकती है, उसके अन्दर भी राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। आपको इस बात की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चिन्ता नहीं कि किसी कानून का पालन हो रहा है या नहीं। कॉलोनाइजेशन एक्ट के अन्दर आपने ६ माही और १२ माही जमीनों के बारे में घोषणा कर दी। इसके लिए लगातार रिप्रेजेन्टेशन्स हुए, रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर नोट ऑफ डिसेन्ट हुआ लेकिन आपके पास तो ४ रुपए एक ही भाव से बारानी, छः माही जमीन की रकम दी जायगी। ४० साल पहले जब नहर आई, १९२६ के अन्दर, लोगों ने जमीन खरीदी २४ किश्तें दीं, जमीन के पूरे मालिकाना हकूक उनको प्राप्त हो गए और सन् १९६५ के अन्दर आप नोटिस निकालते है कि आपकी जमीन अनकमान्डेड है। ४० साल से पानी लग रहा हो, गन्ना पैदा हो रहा है, कपास पैदा हो रही है, रकमें पूरी दे चुके हैं, मालिक हैं, जमीन अनकमान्डेड घोषित हो गई। चाहे ४० हजार में मुरबा खरीदते हैं चाहे ३५,०००) रु० में आप पानी के क्वेन्टम को उसी समय बंद करते है।

राजस्थान केनाल में एलॉटमेंट्स होते हैं, खुले आम नीलाम होते हैं। एक-एक आदमी १५० मुरबा लेता है। वे लोग जिन्होंने मेहनत करके जमीन आबाद की, जिन्होंने अपने को सांपों से डसवाया, जिनके बच्चे जमीन में दफन हो गए। एक छोटे से नुक्ते के लिए ४ साल आपके दरवाजे खटखटाते हैं। लड्ढा साहब हुक्म देते हैं, भटनागर साहब नहीं मानते हैं। दिसम्बर, १९५५ के अन्दर इन्होंने जमीनों का कब्जा लिया था। सिर्फ जनवरी और दिसम्बर, का झगड़ा है। जनवरी फरवरी में होना चाहिए था, वोटर्स लिस्ट और मालगुमारी दिसम्बर इन्डीकेट करती है, उनकी जमीनें नीलाम करते है, लोग कब्जे के लिए पहुँच जाते हैं, गोलियां चलती हैं। इतना ही नहीं, इस प्रकार की गम्भीर घटनाएं रोजाना होने चली है। हर आदमी जो किसी विभाग का कर्मचारी हो, क्लर्क हों, कानूनगो हों, तहसीलदार हो; थानेदार हो, उस इलाके में जमीन का मालिक हो चुका है और अगर कोई जमीन का मालिक नहीं हुआ तो वह भूमिहीन काश्तकार नहीं हुआ जिसने ३०-३० साल से धरती को काश्त किया है।

(३.५३ म. प.)

(श्री सतीशचंद्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

तहसीलदार गुमानसिंह का ट्रांसफर हो गया तो वह प्रेसटिज इश्यू हो गया। एक गुमानसिंह को रिटेन करने के लिए ३४ ट्रांसफर्स कैंसिल करते हैं। क्यों कैंसिल किया? सारा इलाका कह रहा है कि वह एक भ्रष्ट अधिकारी है। ट्रांसफर किया गया, लोगों के निवेदन पर किया गया। वही तहसीलदार वहां के थानेदार साहब और उस इलाके का मशहूर स्मेग्लर गोपी, जिसको आपने ४० मुरब्बा जमीन नीलाम में दी है, थाने के हैड-कांस्टेबिल धर्मसिंह काश्तकार के घर में दाखिल हो जाते है, उसकी मां को पीटते हैं, ३ लोगों को उठाकर ले जाते हैं, नाजायज पिस्तौल का केस बनाते हैं, उस काश्तकार का १२ साल का कब्जा है उस पर हल चलाता है। वह गरीब औरत एस. पी. और डी. एस. पी. के पास जाती है। तहसीलदार गुमानसिंह और थानेदार खुद जा जाकर बिना किसी एफ. आई. आर. के शिकायत के उस सारे इलाके के अन्दर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लोगों की जमीनों पर कब्जा दिलवाते हैं।

अनूपगढ़ में ४ आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं! आपने जमीन फौजियों के लिए एलॉट की है। १६६० के अन्दर आपके दामोदरलालजी, जो राजस्व मंत्री थे, का ऑर्डर जाता है कि जमीन की एलॉटमेंट को रोक दिया जाय, फौजियों को दी जाय। उसके बाद इसी विभाग से ऑर्डर दिया जाता है कि फौजियों को तुरंत एलॉट हो। लेकिन १६५८ से काश्त चली आ रही है, लैंडलेस टिनेन्ट्स को १६५८ में एलॉट हुआ, १६६६ में कब्जा रोकने की आवश्यकता थी? इजेक्ट करना था तो १६५६ में करते, १६६६ में सोच रहे हैं कि फौजियों को बसाया जाय! वहाँ ७ साल से लोग काश्त कर रहे हैं उनके पुराने मालशुमारी गिरदावरी के हक हैं एस० डी० एम० बी० के० शर्मा रेट जारी करता है कि ५००) रू० लाओ और आधा मुरबा लो। हम हरिजनों को खाली जमीन देंगे, खुद कलेक्टर इस बात की रिपोर्ट पेश करते हैं कि शर्मा रोंग एलॉटमेंट्स कर रहा है, खुद गंगानगर के कलेक्टर इस बात को कहते हैं और शर्मा से एलॉटमेंट का हक छीनते हैं, शर्मा का ट्रांसफर होता है।

एक **माननीय सदस्य** : शर्मा कौन ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शर्मा, एस० डी० एम० रायसिंहनगर, जिसकी पिटाई हुई थी, जनता ने पिटाई की। चौधरी कुम्भारामजी भी वहीं मौजूद थे, सिर्फ ५० गज पर थे जब उसकी पिटाई हो रही थी रात्रि को डेढ़ बजे। मैं भी रायसिंहनगर में था, आप ५० गज की दूरी पर मैं, मैं १५० गज की दूरी पर हो सकता हूँ।

यह गंभीरतम मसले हैं। ४० साल हो गए, गंगानगर से कॉलोनाइजेशन एक्ट खतम नहीं करना चाहते। सारे राजस्थान में १६५५ के कब्जों के आधार पर आप खातेदारी हक देते हैं लेकिन गंगानगर के किसान को १६४७ से लेकर आज तक लगातार कब्जा साबित करने की जरूरत है। सारे राजस्थान में ६ गुना लगा लेकर खातेदारी हकूक देते हो लेकिन गंगानगर के काश्तकार को १० किश्तें देनी पड़ेगी। ठीक है, नहरी जमीनें कीमती है लेकिन महाराजा गंगासिंहजी के जमाने में भी कीमती थीं। गंगासिंहजी के राज्य, में जिससे आपने ठोकरें खाई, जिसको आपने रजवाड़ाशाही राज कहा, २४ किश्तों में जमीन मिलती थी। आपके राज्य में १०, माखरा में १५, एक एक किश्त है एक एक हजार की, १२००) की, १५००) रु० की। १०-१० किश्तें। आठ अदा कर दें, नवीं नहीं दें तो आठवीं किश्त की रकम जब्त, जमीन खारिज। उस रजवाडे के राज्य में हमने मिल कर टक्कर ली ४ किश्तें लेते थे, पांचवीं नहीं दे सकते। ४ किश्तों के पेटे जमीन मुजरे हो जायगी। पैसे वाले चिल्लाएं लेकिन जमीन का कब्जा नहीं तोड़ा जायगा धरती नहीं छीनेंगे। आपका राजस्व मंडल रांग्ली कॉन्सटीटयूटेड क्यों न हो? आपका कानून राज्य नहीं है। बनाए हुए कानूनों का पालन नहीं है, नए कानून बनाने का विचार नहीं है, किसान को राहत देने की चिंता नहीं है। एक ही चिंता है आपस में सहर्ष, कुर्सियों की लड़ाई। काश नीतियों की लड़ाई होती।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नीतियों की लड़ाई नहीं। हम नीतियों का प्रश्न उठाते है तो ग्राप विक्टीमाइजेशन करते हैं। कुर्सियों के लिए लड़ते हो तो सुंदर नजर ग्राते हो। काश ग्राप इस बात के लिए लड़ते कि हम राहत देना चाहते हैं। ग्राप नए नए मंत्री पैदा करते हैं। गंगानगर से डिप्टी कॉलोनाइजेशन मिनिस्टर बनाया गया, कोई घोषणा नहीं हुई। यह सही है कि सारे कानूनों का उलघंन करके कुछ लोगों की वसूलियां बंद कराई, कुछ ऐसे तरीकों से जिनकी कानूनी बुनियाद नहीं थी नहीं है वोटर्स लिस्ट तो कोई परवाह नहीं। हुक्म दे दिया कि दे दो। हुक्म दे दिया कि वसूली नहीं होनी चाहिये बन्द की जाय वसूली क्यों ४ ग्रादमियों की बन्द करवाते हो? सारे इलाके की करामो। घोषणा की ग्रापने की इन्सटालमेंट कमती करते हैं. उनको घटाते है, घोषणा की ग्रापने कि ग्रलॉटमेन्ट की पॉलिसी में चेंन्ज करते हैं, घोषणा की ग्रापने कि नीलामी बन्द करते हैं। हमारी ग्रलॉटमेन्ट कमेटीज ग्रलाटमेन्ट करेंगी जिनको वहां के ग्रधिकारी परेशान करना चाहते है ग्रौर वे सूचना नहीं देते। कौनसे इन मंत्रियों को लेकर गंगानगर ग्रौर राजस्थान का भाग्योदय कर दिया। एक मंत्री पैदा होता हैं तो एक लाख का खर्चा बढ़ता है, एक हजार गरीब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निकाले जाते हैं। ग्रौर पांच हजार परिवार बिलबिलाते हैं; जब एक मंत्री का जन्म होता है। एक मंत्री के जन्म से एक हजार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बेकार हो कर फिरते हैं, बेरोजगार हो जाते है। दस परसेन्ट कटौती होती है ग्रौर ५ हजार परिवार बिलबिलाते हैं।

एक माननीय सदस्य : बालक है ग्रभी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सब बालक है। सब के सींग निकले हुए हैं।

सभापति महोदय, बड़े खेद से मैं ग्रन्त में ग्रर्ज करूंगा कि ग्राज जब कि हमारी हालत यह हो गई हैं कि हमने वर्ल्ड बैंक के प्रेसर में ग्राकर ग्रौर ग्रमेरिका के दबाव में ग्राकर हमने ग्रपने मुल्क को बेच डाला है करीब करीब। ५,२०० करोड़ का ग्रनाज खरीदा, १,६०० करोड़ का व्याज ग्रौर ग्रब हमारा कर्जा ७,००० करोड़ के करीब पहुँच चुका है। चीजों के मूल्य बढ़ रहे है। कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। ग्रनाज का उत्पादन देश की स्वतन्त्रता ग्रौर देश में प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये एक मूलभुत प्रश्न बन चुका है लेकिन ग्राज हमको चिन्ता नहीं इस बात की कि राजस्थान केनाल का दूसरा चरण काट दिया जाय १८ हजार कुसेक की सप्लाई के एवज १२ हजार हो ग्रौर ३६ हजार एकड़ केनाल से कमाण्ड होनी थी उसकी जगह दस हजार एकड़ ही रह जाय। इसकी हमको कोई चिता नहीं।

हम फार्म बहुत चलाने जा रहे हैं। मै उनके पक्ष में हूं। किस जगह फार्म बन रहे हैं? हमने तीन लाख एकड़ जमीन राजस्थान केनाल में जागीरदारों को ग्रलॉट कर दी ग्रौर सारी राजस्थान केनाल को जागीरदार केनाल बना दिया। मैंने चीफ इन्जीनीयर से पूछा कितने जागीरदार काश्त कर रहे है? सारी राजस्थान केनाल की मशीनरी काम कर रही हो, चाहे राज्य के चीफ सेकेट्री हो, चाहे ग्राई. जी.

Page No. 100

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पी. हो उनको वहां जमीन मिली है, पानी खेतों में युटिलाइज हो रहा है लेकिन युटिलाइज नहीं हो रहा है । जागीरदार साहब कोई जोधपुर बिराजे हुए हैं, कोई जयपुर बिराजे हुए हैं, कोई बीकानेर और जैसलमेर में बिराजे हुए हैं । खेती नहीं हो रही है और पानी युटिलाइज नहीं हो रहा है । एक हमनें मीटींग की जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, चीफ इन्जीनीयर थे और कॉलोनाइजेशन कमिश्नर भी थे । उन्होंने स्वीकार किया कि वाटर युटिलाइज नहीं हो रहा है । बारह हजार एकड़ जमीन एक्वायर कर ली, ४०–४० साल से जिन लोगों का उन जमीनों पर कब्जा था उनको महरूम कर दिया गया, उन गरीबों से वह जमीन छीन ली गयी, वे लोग बेचारे काश्त कर रहे थे, रोजी कमा रहे थे, उनको महरूम कर दिया । २,००० हजार एकड़ में कल्टीवेशन हुआ । मैंने लेटर्स लिखे मीटिंग में प्रश्न किये, वाटर युटिलाइजेशन कमेटी में प्रश्न रेज किये, चीफ सेक्रेटरी को कहा, चीफ मिनिस्टर को कहा जब तक १० हजार एकड़ के लिए मशीनरी नहीं आती इसका यूज नहीं होता तो टेम्पोरेरी कल्टीवेशन के लिए ही अलाट कर दें । उस फार्म में तीन फार्म बनाना चाहते हैं । छत्रगढ़ बनाना चाहते हैं । राजोड़ी बनाना चाहते हैं । ३०–३० हजार के फार्म खड़ा कर देना चाहते हैं । सूरतगढ़ फार्म की हालत देखिये । ८ लाख के घाटे में चल रहा है । लाखों रूपयों की बकाया है सूरतगढ़ फार्म में । लाखों रुपयों की रिकवरीज को हम नहीं लेना चाहते ।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ....

श्री नाथूराम मिर्धा : (कृषि मन्त्री) सभापति महोदय, यदि इस बिल के साथ कुछ रिलेवेन्सी हो और भाषण हो तो कुछ समय की बचत होगी, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों को यह विदित ही है कि यह विधेयक आज ही पारित होना है । इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय उस पर बहस चल रही है । इसके पश्चात् इसको सलेक्ट कमेटी के अन्दर भेजा जाय इस पर भी प्रस्ताव हैं । यदि इसको पास होने से रोकने की मंशा है तो इस प्रकार के डायेरेक्टरी मंशा पर चेयर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके उनको पेश न करने की व्यवस्था दे सकती है । मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति पैदा हो कि उन मोशन्स को डायेलेटरी मोशन्स होल्ड किया जाय इसलिये बहस सीमित करें जिससे इन पर विचार हो सके ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कुछ टाइम लिमिट कर दीजिये । कई कमेटियों में काम किया, यह हमने जान लिया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय....

श्री सभापति : अब आप समाप्त कर दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत समय न लेते हुए अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि यह तथ्य इस सेकिन्ड रिपोर्ट से ही स्पष्ट है और सरकार को निश्चित रूप से जानकारी थी कि रेवेन्यू बोर्ड लीगेली कॉन्स्टीट्यूटेड नहीं है और इसको बाकायदा रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट जो जनवरी या फरवरी, ६५

Page No. 101

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

में पब्लिस हुई उसमें भी बताया गया और कोई यह डिफिकल्टी नहीं थी कि सरकार इन लेकुनाज को दूर करने की स्थिति में नहीं थी और बोर्ड को लीगेली कॉन्स्टीट्यूट कर लेती। लेकिन इतनी गम्भीर रिपोर्ट के बारे में सरकार को चिन्ता नहीं थी और अब भी निवेदन करूंगा कि जल्दबाजी में इसमें जो लेकुनाज और इर्रेगुलेरिटीज़ हैं उनको दूर न कीजिये, विचार कीजिये, ताकि अभी भी एक अपील मैंने और रामानन्दजी ने लेकुनाज और इर्रेगुलेरिटीज़ बताई उनकी हाईकोर्ट में पेण्डिग हैं और यह बिल फिर रिजेक्ट हो जाता है एट रेण्डम एक दिन बोर्ड इल्लीगल डिक्लेयर हो जाता है तो हड़बड़ाहट होगी कि किसकी परवाह की गई, किसकी सलाह ली या नहीं, केबिनेट ने कन्सीडर किया या नहीं; ये सारी स्थितियाँ फिर उत्पन्न होगी। इसलिये मैं कहता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। वह १० दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। सदन १० दिन के लिये बढा दिया जाय। इस सदन के सामने और कई मसले हैं।

टीनेन्सी एक्ट को लिया जावे, रेवेन्यू लॉज की सारी रिपोर्ट मौजूद है तब तक रेवेन्यू बोर्ड के सम्बन्ध में भी इसे प्रवर समिति को सौंप दें, उसकी रिपोर्ट वह प्रस्तुत कर दे और इसके बाद इसको विचारार्थ लिया जावे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय,....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय,

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा भी नाम है, इधर के लोगों के भी विचार आ जाने चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर काम न हो और न रखना चाहे तो बात दूसरी है।

श्री सभापति : काम तो इतना ही है कि विधेयक को पारित कराने में आप मदद करें। बोलने का समय आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह तो करेंगे ही।

श्री सभापति : जो चेयर की आई पकड़ ले उसी को मौका है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, सवाल यह है कि जो मोशन दिया हुआ है जनमत जानने का अगर वह समाप्त हो गया है....

श्री सभापति : अभी तो प्रवर समिति पर है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये बाद में भी बोल सकते हैं।

श्री सभापति : दोनों प्रस्ताव जनमत जानने सम्बन्धी और प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने सम्बन्धी साथ साथ चल रहे है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं या ज्वालाप्रसादजी को।

श्री सभापति : मैंने इजाजत नहीं दी तो आप जबर्दस्ती क्यों लेना चाहते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जहाँ तक ऑर्डिनेन्स का प्रश्न है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यह ऑर्डिनेन्स निकालते समय जिन बातों पर गौर नहीं किया गया उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जावे।

इस बोर्ड का महत्व हाई कोर्ट के समकक्ष है। यहाँ सदन में भी जब कोई सवाल ऐसा उठता है तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा न्याय इस बोर्ड के मेम्बरों से मिलने वाला है। यह हाईएस्ट बॉडी है और इससे न्याय की अपेक्षा की जानी चाहिये।

इतने महत्वपूर्ण बोर्ड का गठन गलत तरीके से हो और १० साल तक वह काम करता रहे और अन्त में वह बोर्ड अपने खुद के ही फैसले के जरिये अपने को भस्मासुर की तरह खत्म कर दें तब ऑर्डिनेन्स निकले तो हम पूछते हैं इस ऑर्डिनेन्स के पीछे आपकी मंशा क्या हो सकती है चीफ सेक्रेटरी की और दूसरे लोगों की मंशा क्या हो सकती है ?

आपने एक क्वालिफिकेशन रखी है १२ साल का अनुभव होना चाहिये एडमिनिस्ट्रेशन का आई० ए० एस० का। यह अनुभव किसको होगा, उसकी ओर निगाह डालें तो मालूम होगा कि यह सर्विस क्लास अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का इनकम्पलीट आर्डिनेन्स लेकर आती है कि जिससे वे स्वयं उसमें फिट हो जावें। ये आई ए० एस० और आई. सी. एस. इने गिने लोग हैं। पहले भी ये राजाओं के जमाने में ऐसा ही करते थे, आज भी अपने स्वार्थ को रोते हैं। यह कानून किस तरह से लंगड़ाता चल रहा है यह रेवन्यू मिनिस्टर समझने की कोशिश करें।

एक साहब हैं सत्यप्रसन्नसिंह भण्डारी। वे बोर्ड के कमिश्नर भी नियुक्त हैं। उनको रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया। उन्होंने कानून इस तरह का बनाकर रख दिया कि इन लोगों के लिए एक तरह की पिंजरापोल खोल रखी है। यहां से निकले तो वहां रख दिया। कैसे इन पर लोगों को विश्वास होगा।

आपको रेवेन्यू लाज़ कमीशन की रिपोर्ट भी देखनी होगी। उसकी रिपोर्ट पेश हो चुकी है। भंडारी साहब ने पेश कर दी। जो बड़े पुराने कांग्रेसी ईमानदार आदमी हैं। रेवन्यू के डिप्टी मिनिस्टर ने उस रिपोर्ट को पेश कर दिया। सब मेम्बरों के पास आ गई अब उसकी ओर से आंखें मींचने वाले ये कौन होते हैं ! आपने क्यों नहीं सोचा कि यह रिपोर्ट रेवेन्यू लॉज कमीशन की आ चुकी है कमीशन ने पहले से ही कह दिया था कि इन लोगों की क्वालिफीकेशन रखते हैं। हम बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन को रिकमण्ड करते हैं। सारा सदन जानता है कि इसके बाद किस तरह से इन निहित स्वार्थ वाले नौकरशाही के पुर्जो ने सब की आंखों में मिर्ची डालकर यह लूला लंगड़ा आर्डिनेन्स दिया। यह तो हमारे साथ उन की वफादारी का सुबूत नहीं है। मैं और बताऊं। उन्होंने सारी बातें साफ साफ खुलासेवार रखी हैं। रोटी बना कर दे दी है। उन्होंने एक एक क्लॉज के बारे में ड्राफ्ट करके दे दिया। उस ड्राफ्ट को नहीं चाहते थे।

कह दिया गया यह लॉ डिपार्टमेंट में जावेगा। यह बाबा, काका का राज उनका

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रेवन्यू बोड में भी रहेगा। ६० वर्ष तक ये नौकरी करते रहे, इसके बाद इनको अनाथा लय में भेजा जाता हो वैसे इसमें भेजने का प्रबन्ध कर दिया गया।

रेवन्यू बोर्ड, जिसका किसान की जिंदगी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है उसमें किसान की आस्था पैदा करने के लिए कमीशन बनाया गया। १ लाख रुपये खर्च किये गये। उसकी रिपोर्ट आई। उसकी इतनी बड़ी रिपोर्ट आई। उसकी इतनी बड़ी रिपोर्ट को आज आई. ए. एस अफसरों के हवाले कर दिया गया मानो कबाड़खाने में फैंक दिया गया हो। मैं पूछना चाहता हूं कि रेवेन्यु मिनिस्टर को कि चीफ सेक्रेटरी को क्या हक है कि आर्डिनेन्स निकालते समय वह आपको न पूछे उसका ड्राफ्ट आपको न दिखाये।

खैरी साहब हैं, मेरा काम उनसे नहीं पड़ा। पर लोग उनको रेवेन्यू के कानून का पंडित मानते हैं। उनके बगैर इस सरकार का काम नहीं चल सकता। उस जैसे काबिल आदमी ने बोर्ड के बारे में सलाह दे दी। वे कौनसे कारण हैं। लम्बा चौड़ा नहीं है। मैं पढ़ कर बता देता हूं। इसमें सिर्फ यह लिखा है :

"Our first recommendation is that the legislature itself must lay down the qualifications of persons for appointment as member of the Board of Ravenue".

यह अधिकार हमको दिया है। आप हमारे अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। लेजिस्लेचर से तय होनी चाहिये क्वालिफीकेशन। यहां पार्टीबन्दी है आप में। आप यह कैसे कर सकते हैं। हम पोइन्ट आऊट कर सकते हैं। कमीशन की यह रिपोर्ट है। आप इस रिकमण्डेशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते है। दूसरी बात और लिखी है :

"Our second recommendation is that the members of the Board of Revenue should be selected by a High powered Committe composed of Chief Justice of Rajasthan, the Chairman of the Rajasthan Public Service commission and the Chief secretray to the State Government."

यह ३ आदमी हैं जिनका सलेक्शन हो गया। क्वालिफिकेशन्स लेजिस्लेचर तय करे इसको सिलेक्ट करने वाले ३ आदमी होंगे। आज यह बोर्ड किनका बना हुआ है? जहां सीनियर ऑफिसर की किसी से नहीं पटी तो उनके लिए यह पिंजरापोल खोल रखा है। छांट कर उनको भेज दिया। आपने वहाँ पर जुडिशियल आदमी भेजे थे जिनको ५५ साल में रिटायर करने के बजाय ५८ साल तक रखा, क्योंकि कुछ लोग उन सीनियर आफिसर्स से नाराज थे और उनकी यहां मनमानी नहीं चल सकती थी तो उनको रेवेन्यू बोर्ड में भेज दिया और इसलिए भेजा कि ५५ साल के बाद नौकरी करनी है ५८ साल तक तो उनका कहना मानो। इसके बाद में उनको बुलाते हैं और जुडीशियरी का दूसरा नाम रेवेन्यू बोर्ड। ओ! रेवेन्यु बोर्ड तुम्हें इतनी इज्जत है कि जो हाईकोर्ट नहीं कर सकता वह तुम करो और सरकार कहे कि

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तुम २, ३ साल और राज्य करो, हम तुमको यहां से नाराज होकर भेज रहे हैं काले पानी और यहां ठीक बिहेवियर करोगे तो तुमको ३ साल दे दिये जायेंगे और ५८ साल उनके बढ़ जाते है। इस तरह से सरकार ने जुडिशियरी का मजाक उड़ाया है।

कौन है चेयरमैन ? श्री आर० के० चतुर्वेदी. मैं उनको नहीं जानता। इतना करप्शन है। सदन के मिनिस्टर साहब ! आपको कहता हूं कि वहां के ट्रान्सफर और दूसरी चीजों में नीचे से ऊपर तक सब काला हो रहा है और वहां पर आपने १० हजार आदमियों को इनके मातहत कर रखा है यह बिल्कुल गलत है। आप अगर कागजों को देखें और ढंग से देखेंगे तो आपको मालूम होगा। मैं आप को नहीं कहता लेकिन किन्ही के कहे जाने से हो जाते होंगे सारे काम तो वहां सब कामों में पैसा बोलता है, पैसा चलता है। मैं चतुर्वेदी साहब को नहीं जानता, पुराने आफिसर होंगे, मेरा काम नहीं पड़ा लेकिन मैं अजमेर का वातावरण बताता हूं कि अजमेर के अन्दर क्या स्थिति हो रही है। सारे राजस्थान के लोग कोई अपने रिप्रेजेन्टेशन के लिए फिर रहा है, कोई किसी को पटाता हुआ अपने ट्रान्सफर को रुकवाने के लिए फिर रहा है, किसी का वीच में ट्रान्सफर कर दिया तो कोई अपने बच्चों के लिए रो रहा है, किसी की मां बीमार है तो ट्रांसफर नहीं चाहता और वह मनमानी कर रहे हैं। उसमें मैं नहीं कहता कि वह हमारे आफिसर हैं। कैसे आफिसर हैं, मैं नहीं जानता। मैंने चतुर्वेदी साहब को आखों से देखा नहीं लेकिन मैं कहता हूं कि इस रेवेन्यू बोर्ड के १० हजार कर्मचारियों की सीधी जिम्मेदारी देनी चाहिये। या उनके ऊपर ऐसा सुपरवीजन होना चाहिए कि सारी घूसखोरी बंद हो जाये ! उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी घूस जिसके लिए हम छोटों को बदनाम करते है कि पटवारी और गिरदावर घूस खाते हैं, इनमें भ्रष्टाचार है लेकिन इस तरह की स्थिति जहां है, जहां इतनी ज्यादा घूस चलती है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ! आप आंख मींचकर चलें और इस रिपोर्ट को कबाड़ी बाजार में फैंक दें। इसका कोई मूल्य नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि यह सदन को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ इसलिए कि आप मेहरबानी करके जयपुर का जैसा भ्रष्टाचार का वातावरण है और दूसरी चीजों के लिए उस अजमेर की जनता को और १० हजार कर्मचारियों को इस भ्रष्टाचार के कष्ट से उऋण कराइये। जिससे वहां पर जुडीशियरी का नाम पैदा हो।

मैं देख रहा हूँ कि नौकर-नौकर को खा रहा है। मैंने अंग्रेजों के जमाने में भी यह नहीं देखा कि नौकर नौकर से रिश्वत लेता हो। यह आपके रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर नाक के नीचे, जुडिशियरी के नाम पर दूसरों का मखौल उड़ाकर वहां पर नौकर नौकर को खा रहा है, नौकर नौकर का शोषण कर रहा है उससे आप छुटकारा दिलाइये। इसका उपाय एक ही है। यह जो आपके सामने है आप अमेन्डमेन्ट को देखिये। उन्होंने कहा है कि क्वालीफिकेशन्स लेजिस्लेचर तय करेगी। लेजिस्लेचर का मतलब आप। केवल हमको तो बता दिया और हम हाथ उठा देंगे। लेकिन अपोइन्टमेन्ट के बारे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

में बड़ी मौलिक बात कही है कमीशन ने। उन्होंने रखा है पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेम्बर, चीफ जस्टिस जो हमारे हाईकोर्ट का है और चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी कितना एम्पलॉयमेन्ट देगा ? किस तरह से एम्पलॉयमेन्ट मिल रहा है वह भी हम जानते हैं। इससे किसानों को विश्वास होगा, हमको न्याय मिलेगा। हम कहते हैं कि रिकमन्डेशन की है, इतनी सही बात के लिए, इतना गवर्नमेन्ट एक्सचेकर का रुपया खर्च करने के बाद में रिकमन्डेशन को चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड की हालत को देखकर वहाँ पर काम न्याय देने का नहीं है। वह रेवेन्यू बोर्ड ऐसे कामों के लिए ज्यादा है कि जो तहसीलदार, सब–तहसीलदार, गिरदावर की अपीलें सुनें और उनका फैसला करे। मेरे ख्याल से इसका नाम रेवेन्यू बोर्ड से हटा कर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ गिरदावर्स एण्ड पटवारीज़ हो और उसका एक कन्ट्रोलर हो, बजाय इसके कि इसका नाम रेवेन्यू बोर्ड हो। मैं चाहता हूँ कि आप इन सर्विसेज को ऐसे रहमो-करम पर न छोड़ें जिन लोगों के लिए चर्चा इस प्रकार की अजमेर में होती हो। यह तो ऑर्डिनेन्स को जल्दी पास करना चाहते हैं, मैं तो अपील करूंगा कि आप विचार करके इसको मूव कर सकते हैं। मैं खेरी के नाम पर अपील करता हूँ, मैं उस जस्टिस के नाम पर उम्मीद करता हूँ जिसको कि आपने जस्टिस बनाया है जो सीनियर आदमी है जो किसानों की सारी बातों को समझता है, मैं चीफ सेक्रेटरी के नाम पर अपील करता हूं और मैं अपील करता हूँ कि आप ऐसा मत करो। रहम करो किसानों के ऊपर। ऐसा नहीं हो कि अंधी पीसे और कुत्ते खायें। यह मेहनत करते रहें, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स ने अपना वक्त दिया और उसके बाद में अंधी का आटा जैसे कुत्ते चाटते हैं उस तरह से इस रिकमन्डेशन की बात न हो। अब यह ऑर्डिनेन्स नहीं रहा है अब यह बिल की शक्ल में रखा है। सरकार को पूरा अधिकार है कि अमेण्डमेन्ट को अपने आप में एक्सैप्ट करे और जनता को विश्वास दिलाये किसानों को विश्वास दिलाये, सदन को विश्वास दिलाये कि इन किसानों की भलाई के लिए जो रिकमन्डेशन्स हैं तो उसको कांग्रेस सरकार एक्सेप्ट करे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : सभापति महोदय, मैं इस ऑर्डिनेन्स को जो बिल का रूप दिया जा रहा है उसके ऊपर इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं–बहुत संक्षेप में इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। इस बिल के द्वारा वैसे तो माननीय मंत्रीजी बहुत छोटासा संशोधन ला रहे हैं और संशोधन यह है कि रेवेन्यू बोर्ड की फुल-बैंच ने यह फैसला कर दिया कि इसका विधान गलत है, इसका गठन गलत है, इसका कोई नोटीफिकेशन राजस्थान सरकार ने नहीं किया है इसलिए राजस्थान में कोई रेवेन्यू बोर्ड नहीं रहा। इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए और एक अभाव की पूर्ति करने के लिए यह बिल माननीय मंत्रीजी ने पेश किया है।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह मंशा नहीं हो सकती कि राजस्थान में रेवेन्यू बोर्ड रहे ही नहीं। राजस्थान में चूंकि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

राजस्व मण्डल की बेंच ने घोषित कर दिया है कि इसका गठन अवैधानिक है इसलिए नये बोर्ड का गठन ही नहीं करें, यह मंशा हमारी कभी नहीं हो सकती । लेकिन हमारे सिर्फ कुछ संदेह हो सकते हैं, कुछ प्रश्न हो सकते हैं और आज भी जिस रूप में इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है उस पर हमारी कुछ शंकायें हैं । सब से पहली बात तो यह है सभापति महोदय, कि राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन की नियुक्ति जिस सरकार ने की थी और जिस रेवेन्यू लॉ कमीशन ने यह कह दिया था कि अभी तक राज्य सरकार ने रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बरों की योग्यतायें घोषित नहीं की हैं और विधान सभा को फौरन इनकी योग्यतायें घोषित करनी चाहिए जिसका रेफरेंस माननीय सदस्य, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी किया आपके सामने । मुझे इस बात का अफसोस है कि राज्य सरकार के पास इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आने के बावजूद इस दिशा में कोई कदम राज्य सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया और आज तक दुर्भाग्य से, मैं यह कह सकता हूँ कि इस रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट पर यह राज्य सरकार विचार कर रही है । यह तो मुद्दा डेढ़ साल पहले ही राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बरों की योग्यतायें कायम नहीं हैं और इस बोर्ड का गठन कभी भी गैर-कानूनी घोषित हो सकता है । सभापति महोदय, इसका गठन गैर-कानूनी घोषित हो गया और गैर-कानूनी घोषित होने में सब से बड़ी बात यह रही कि उनकी योग्यतायें राज्य सरकार ने कायम नहीं कीं । मेरा निवेदन करना यह है कि यह कोई राज्य सरकार की गफलत से नहीं हुआ कि उनकी योग्यतायें कायम नहीं की गई बल्कि यह राज्य सरकार का डेलिबरेट एक्ट था, जानबूझ कर उनकी योग्यतायें कायम नहीं की गई ताकि जिस आफिसर को, जिस किसी आई. ए. एस. अधिकारी को राज्य सरकार रेवेन्यू बोर्ड में भेजना चाहे, चाहे वह एक साल का क्वालिफाईड हो, चाहे उसकी नियुक्ति को दो साल हुए हों, चाहे दस साल हुए हों, किसी भी प्रकार के आई. ए. एस. को रेवेन्यू बोर्ड में भेजा जा सके । क्योंकि उसकी योग्यता निर्धारित नहीं है, इसलिए इस बड़े अधिकार का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार ने आज तक उसकी योग्यता निर्धारित नहीं की, गलती से नहीं की बल्कि जानबूझ कर नहीं की, यह मेरा सरकार पर चार्ज है ।

और सभापति महोदय, इसके बाद मैं चूंकि यह रेवेन्यू बोर्ड के गठन को रेवेन्यू बोर्ड ने ही गैर-कानूनी घोषित किया है, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब भी समय है, आप अपने इस गठन पर फिर विचार करें । बोर्ड का गठन आप जिस ढंग से कर रहे हैं और जिस ढंग से यह बोर्ड काम कर रहा है उस पर भी विचार करें कि क्या राजस्व का न्याय राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसानों को और उसके साथ ही राजस्थान के हजारों टैक्स चुकाने वाले छोटे-मोटे दुकानदार क्योंकि उनकी अपीलें भी राजस्व मण्डल के सामने जाती है आपके बोर्ड के गठन के आधार पर क्या उनको न्याय

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मिल रहा है ? इस बात पर आज भी चिन्तन और विचार करने की आपको आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि इस बोर्ड में जिसमें आपने अभी चार मेम्बर नियुक्त किये और एक चेयरमैन है अब आपने यह किया है कि सात से अधिक मेम्बर नहीं होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड में दो दिन तो जागीर की अपीलें सुना करते हैं। इस बोर्ड में यह रखा गया है कि दो दिन तो राजस्व की अपीलें सुनेंगे, दो दिन बिक्री कर की अपीलें सुनेंगे और दो दिन जागीर की अपीलें सुनेंगे, इस प्रकार की परम्परा राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड में कायम हुई है नतीजा क्या है कि दो दिन के अनुसार महिने में आठ दिन बारी आती है राजस्व की अपीलों की और आठ दिन बिक्री कर की और आठ दिन जागीरों के मामलों की। और परिणाम स्वरूप राजस्व के मामलें ही इतने हजारों की तादाद में पेंडिंग हैं कि वे आज भी निपट नहीं हैं। बिक्री-कर के मामलें हैं, जागीरों के मामले हैं, वे सब निपटे नहीं है। तादाद जो पेंडिंग केसेज की थी वह तादाद और बढ़ रही है और जो फैसले हो रहे हैं वे राजस्व मण्डल में कम हो रहे हैं। और अभी जैसा माननीय नसीराबाद से आने वाले, सदस्य ने कहा कि हम इसको हाई कोर्ट से थोड़ा सा नीचे दर्जा देते हैं और मानते हैं कि यह हमको न्याय देगा और जब भी विधान सभा में कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है और हम किसी चीज की मांग करते हैं तो राज्य सरकार घोषित करती है कि मेम्बर रेवेन्यू बोर्ड इसकी जांच करेंगे और विधान सभा के विरोधी दल के सदस्य चुप्प एक दम चुपचाप होकर बैठ जाते हैं। कभी राज्य सरकार घोषणा करती है कि चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड इसकी जांच करेंगे तो विरोधी दल सोचता है कि इस मामले की छानबीन होगी और न्याय मिलेगा। लेकिन, सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला कि जो हम इनमें अपना विश्वास रीपोजकर रहे थे, वह मामला अब खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड ने एक मामले में साफ तौर पर यह कह दिया है कि राज्य सरकार कोई मामला सुपुर्द करती है तब रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर न्यायाधीश के तौर पर जांच नहीं करते बल्कि सरकार के नौकर की तरह से जांच करते हैं और सरकारी नौकर से ज्यादा हैसियत उनकी नहीं है। माननीय मंत्रीजी यदि चाहेंगे तो, मैं उस फैसले को भी आपके सामने पेश कर दूंगा और मैं उस फैसले को सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी की जानकारी के लिए पेश कर दूंगा। यह फैसला किस किस मामले के अन्दर दिया गया है यह मैं आपको बताता हूं। यह फैसला श्री आर. एन. मधोक ने, जो राज्य सरकार के बहुत ही प्रिय न्यायाधीश हैं और जिनको सब प्रकार की जांचें, सभी प्रकार की इन्क्वायरीज राज्य सरकार सुपुर्द करती है, उन्हीं के द्वारा यह फैसला दिया गया है। उसकी सर्टिफाईड कापी मेरे पास है। अगर बीकानेर के मेडिकल कॉलेज के मामले की जांच करनी हो तो श्री आर. एन. मधोक जांच करेंगे। उदयपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की विज्ञप्ति का झगड़ा हो, उसका मुआवजा ठीक तरह से दिया गया है या नहीं इसकी जांच करनी होगी तो वह करेंगे श्री आर. एन. माधोक, और उसके बाद में यदि झुंझुनू के कलेक्टर के मामले

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

में जाँच करनी हो और चाहे वहां सरदार हरलालसिंह आन्दोलन कर रहे हों, भूख हड़ताल कर रहे हों कि इस कलेक्टर झुंझुनू ने बहुत गड़बड़ियां की हैं तो उसकी जांच श्री आर. एन. मधोक करेंगे। सब प्रकार की जांच राज्य सरकार की इनके द्वारा होगी।

इसी प्रकार एक मामले में इस राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के रिश्तेदारों को दी गई जमीनों के मामले की जांच करने का कार्य इनको सुपुर्द कर दिया था कि वह इसकी जांच करेंगे। यह विज्ञप्ति मेरे पास है मैं इसको पढ़ कर आपका समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यह विज्ञप्ति राज्य सरकार के मंत्री-मण्डल सचिवालय से तारीख ३–६–६५ को जारी की गई और इसमें लिखा है कि श्री आर. एन. मधोक, सदस्य, राजस्व मण्डल को राज्य सरकार एतद् द्वारा आदेश देती है कि वह निम्नलिखित विषयों की जानकारी प्राप्त करके अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें और निम्नलिखित विषयों की जांच करें कि मुख्य मंत्री के रिश्तेदारों के नाम जो जमीन है, उसके झगड़े के बारे में जाच करके अपना फैसला राज्य सरकार के सामने पेश करें। उनके सामने इस बारे में श्री उमरावसिंह जी ढाबरिया के द्वारा यह दरख्वास्त दी गई कि आप मुझे उसमें गवाह पेश करने का मौका दें। तो उस पर उन्होंने फैसला दिया ढाई पेज का लम्बा चौड़ा, और उसमें पहले तो यह कहा कि मैं इस मामले को कोई इन्क्वायरी कमीशन के तौर पर या जज के तौर पर जांच नहीं कर रहा हूँ। उनका फैसला यह है कि मैं इस मामले के अन्दर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ८ उप-धारा (२) की तहत इसकी जांच नहीं कर रहा हूँ और आखिर में यह लिखा है:

"Lastly, there is the argument that I can not perform any function except those entrested under section 8 (2) of the Land Revenue Act, and that if this enquiry does not fall within the ambit of section 8 (2) I should not hold the enquiry at all."

माननीय मन्त्री जी अब तो अंग्रेजी जानते हैं वैसे उन्होंने सीख ली है अंग्रेजी, फिर भी हिन्दी अनुवाद कर देता हूँ इसका उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ८ उपधारा (२) के अनुसार इसकी जांच नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसके अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। इस पर उन्होंने आगे लिखा है:

"This argument is completely untenable." यह वहस बिल्कुल बेकार है। " Section 8 (2) speaks of the Board and not of an individual Member of the Board called upon by the State Government by name to perform a specific duty."
यह राजस्थान सरकार के एक नौकर के बारे में आदेश है और वह राजस्व मण्डल के किसी सदस्य के बारे में नहीं हैं, यह उनका फैसला है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मतलब यह है उनके कहने का कि राजस्व मंडल को यदि कोई मामला सुपुर्द किया गया हैं तो धारा ८ (२) में आ जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार किसी एक मामले को किसी एक सदस्य को दे दे तो फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा लागू नहीं होती है। यह सुनिये ध्यान से "I am bound by the orders of the Government to hold the enquiry, and section 8 (2) does not have any relevence, nor does it limit my capacity as a civil servant to perform any duties develoved on me by name, by my employer, viz. the State Government."

उनका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार जो मुझे नौकरी देती है उसके किसी आदेश की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। कोई भी जांच सुपुर्द कर सकती है, लेकिन वह जांच राजस्व एक्ट के तहत नहीं है। मैं किसी की कानूनी गवाही लेने या बहस सुनने पर पाबन्द नहीं हूं, इसलिए फैसला अपनी मर्जी से दूंगा। यह सर्टिफाइड कॉपी है। इसलिए यह जो राजस्व मंडल के सदस्यों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जांचों की मखौलबाजी सरकार ने शुरू की है और जिस मखौल के तहत राजस्थान सरकार विधान सभा के विरोधी दलों को धोखा देना चाहती है कि वह जुडिशियल एन्क्वायरी करा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा नियुक्त श्री आर० एन० मधोक ने अपने फैसले में आगे इस पाखंड का पर्दाफाश कर दिया है बिल्कुल कि कोई जुडिशियल एन्क्वायरी मैं होल्ड नहीं कर रहा हूं। सभापति महोदय, आज सुबह ही इसका जिक्र किया था कि चैयरमन रेवेन्यू बोर्ड, खंडेला में गिरफ्तारी कराने के लिए गये थे तो मैं निवेदन करना चाहता हू कि चैयरमैन, रेवेन्यूबोर्ड गये थे क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड जैसा श्री आर० एन० मधोक ने साफ कह दिया है कि वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट के तौर पर एन्क्वायरी कर रहे हैं क्योंकि वे राजस्थान सरकार के आधीन हैं और आर० ए० एस० आफिसर के तौर पर जांच कर रहे हैं। इस सारी स्थिति से यह पता लगता है कि इन जांचों का वह महत्व नहीं है जो महत्व जुडिशियल एन्क्वा-इरी होल्ड करने के वक्त में हो सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि मेम्बर साहब ने जो फैसला दिया है वह इस तरह का है।

अब मैं दूसरे मेम्बर साहब के फैसले के बारे में आपसे बहुत ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड न्यायालय के पाखंड का जो पर्दा है वह खुद वे ही उठा रहे हैं। मेरे पास एक फैसला है। माननीय राजस्व मन्त्री जी यह फैसला एक मुकदमें का है। फसला होने के बाद आप जानते हैं कि आगे हायर कोर्ट में कार्यवाही हो सकती है। यह फैसला एक डिविजन बैंच का है। फैसला होने के बाद गलती का सुधार न हाई कोर्ट में हो सकता है न रेवेन्यू बोर्ड में हो सकता है, लेकिन यह एक जुडिशियल फ़ैसला है। एक बिक्री कर का माम ला है और बिक्री कर का मामला यह है कि जो पुराने बिक्री कर की अपीलें

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

थीं तो हमारे वित्त मंत्री जी ने एक संशोधन किया बिक्री कर में कि पुराने मामलों को एक जज सुनेंगे उसका यह हुआ कि दो जज बिक्री कर की अपील सुनेंगे यह नया कानून बनाया गया। माननीय परसरामजी मदेरणा खुद जानते हैं इस बात को कि जो पुराने अपीलान्ट थे बिक्री कर के मामलों के कि चूंकि हमारे पुराने मामले हैं, इसलिए हमारी सुनवाई एक ही जज कर सकता है। तो उन्होंने जो फैसला दिया है वह छपा है आर. आर. डी. के पेज २९७ में कि दो जज सुनेंगे। फिर मामला डी. बी. में गया, तो डी. बी. ने फैसला किया तीन में से दो जजों ने कि पुराने मामलों को एक जज सुन सकता है और दो जज के सुनने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद में, सभापति महोदय, एक दरख्वास्त लिखते हैं गवर्नमेंट एडवोकेट। वह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है मार्च ६५ में उसका उनको आभास नहीं था, इसलिए वह जो फैसला आपने किया है उसको रेक्टिफाई कर दिया जाय, उसको तरमीम कर लिया जाय। मुझे बहुत अफसोस है, सभापति महोदय, कि उनके इस प्रकार की दरख्वास्त देने के बाद में चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड ने उस सारे मामले में यह लिख दिया कि यह रेक्टिफिकेशन के लिए सारी बेंच के सामने पुनः पेश किया जाय। फैसला हो चुका कि पुरानी अपीलों को एक मेम्बर सुन सकता है रेवेन्यू बोर्ड का, लेकिन चूंकि सरकार नहीं चाहती कि एक मेम्बर सुने इसलिए फिर फैसला हो जाने के बाद चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड के सामने मामला एजीटेट होता है और वह बिना सोचे समझे कि मैं यह बहुत जिम्मेदारी का काम ले रहा हूँ, बिना सोचे समझे न्याय की समस्त परम्पराओं के प्रतिकूल उन्होंने यह लिख दिया कि रेक्टिफिकेशन के लिए यह मामला बैंच में दिया जाय। मामला रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं दिया जा सकता इस तरह से फैसला देकर, लेकिन आपके मेम्बर, आपके चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड मनचाही दिन प्रति दिन क्यों करते है ? सरकार यदि चाहती है कि पुराने मामले भी दो मेम्बर सुनें तो उसके लिए कोई कानून ला सकती है, लेकिन कानून का धींगा धींगी के द्वारा, गलत उपयोग करके पहले से फैसला दे दिया गया है, उसको प्रभावित करने के लिए करती है।

सभापति महोदय, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला लाया हूँ। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आपका सैल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट में अपील हाई कोर्ट में ले जाय, अपील सुप्रीम कोर्ट में ले जाय, लेकिन चेयरमेन का जो उपयोग आप कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में यह बात बैठ गई है कि वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट है। उसके लिए आप अपने कानून का उपयोग करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उपयोग बिलकुल गलत है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, यह मेम्बर रेवेन्यू बोर्ड फैसला दे देते हैं और फैसला पार्टी के खिलाफ दे देते हैं। बिक्री कर के अपीलान्ट के खिलाफ यह फैसला है, लेकिन सरकार को वे चिट्ठी लिखते हैं कि आपका कानून इतना कमजोर है कि वह टिक नहीं सकता। यह एक फैसला है एक अपील का जिसमें श्री आर०के० चतुर्वेदी और श्री बी०के० हूजा ने यह फैसला किया

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं जयपुर माइनिंग डेवपलमेंट सिन्डीकेट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। इसकी तारीख भी इसमें दर्ज है। यह फैसला २ अगस्त, ६६ को दिया गया हैं। फैसला पार्टी के खिलाफ देने के बाद एक चिट्ठी आपकी सरकार को लिखते हैं कि यह कानून टिक नहीं सकता। कानून जब नहीं टिक सकता है तो मै निवेदन करना चाहता हूँ कि फैसला पार्टी के विरुद्ध कैसे दिया जा सकता है? यह आपकी रेवेन्यू कोर्ट की असलियत है। उसका फन्कशनिंग एक दिखावा है न्यायालय का। उसको आपने एक सचिवालय बना दिया है। अपने सचिवालय को रेवेन्यू बोर्ड में परिवर्तित कर लिया है, और आपके रेवेन्यू बोर्ड और आपके सचिवालय में मूल रूप से कोई भेद नहीं रह गया है। मै यह निवेदन करना चाहता हू कि सचिवालय की तरह रेवेन्यू बोर्ड को नहीं समझना चाहिए।

तो रेवेन्यू बोर्ड के जिस मेम्बर, श्री बलवन्तसिंह के कारण आपकी सरकार के खिलाफ फैसला हुआ उसके खिलाफ घटिया हरकतें नहीं होनी चाहिए। इन घटिया हरकतों से साफ यह मालूम पड़ता है कि जो जांच रिपोर्ट....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अपने आप ही लिखकर भेज दिया है या राजस्थान सरकार ने लिख कर मांगा था? चिट्ठी लिखने का क्या प्रश्न होता है क्या सेंस है?

श्री मानिकचंद सुराणा : आपके राजस्व मंत्री जी इस मामले को स्वीकार करें तो मैं राजस्व मण्डल की चिट्ठी, नम्बर और मजमून सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं कि उन्होंने उसी मामले से सम्बन्धित चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यह फैसला दिया है कि यह कानून टिक नहीं सकता आपका कानून कमजोर है आप इसको बदल दें। मामला यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक यह रूलिंग होल्ड कर दी है कि नियमों में कोई पुरानी तारीख से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कानून में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पुरानी तारीख से परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन नियमों में परिवर्तन पुरानी तारीख से नहीं किया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट ने ५० फैसलों में घोषणा कर दी। सैन्ट्रल सेल्स टैक्स के नियम हैं उनमें राजस्थान में धारा ९ की उप-धारा (२) को धारा ९ की उपधारा (३) बना दिया गया है लेकिन नियमों में जहाँ उसको हवाला था वह हवाला देना भूल गये। इस लिए एक मुकदमे में यह सवाल उठा चूंकि धारा ९ की उप-धारा (३) नहीं लिखा है इसलिए राज्य सरकार की कोई पैनाल्टी यदि कोई आदमी बाहर के टैक्स का पेमेंट नहीं करता है तो, वे नहीं हो सकती है। यह मामला जब विचाराधीन आया तो राज्य सरकार को उन्होंने आगाह किया है कि आप इस गलती को ठीक करलें। गलती को ठीक नहीं किया तो पुरानी तारीख से गलती ठीक नहीं हो पायेगी और उससे राजस्थान को करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा। यह चिट्ठी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स ने राजस्थान सरकार को लिखी है।

श्री परसराम मदेरणा (सहकारिता मंत्री) : एज ए कोर्ट उन्होंने चिट्ठी लिखी है और लॉ में कोई लेकूना रह गया है और

(श्री परसराम मदेरणा)

कन्सिक्वेन्शल एमेंडमेंट हुआ है तो कौन सा सेक्रेटेरियेट पैदा करने का काम कर लिया है ? कोई उसमें लेकूना रह गया है तो उसको पोइन्ट आउट किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि फैसले में तो कहा है कि कानून ठीक है। यह इसकी एक कापी है। मैं इसको टेबल ऑफ दी हाउस पर रखने को तैयार हूं।

श्री सभापति : उनकी शिकायत यही है कि उनका जो जजमेंट है वह जुडिशियल जजमेंट नहीं है। अगर रेवेन्यूबोर्ड यह मानता है कि कानून में खामी है, तो वैसा फैसला उनको नहीं करना चाहिये। अगर वैसा फैसला किया है तो सरकार को चिटठी नहीं लिखनी चाहिए थी। This is a very serious matter.

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, ये जजमेंट बता रहे हैं तो जजमेन्ट यदि उन्होंने दे दिया है 'एज ए कोर्ट', तो उसमें न तो रेवेन्यू मिनिस्टर इन्टरफियर कर सकते हैं और न कोई दूसरा इन्टरफियर कर सकता है। अब आप यह बात कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार को चिटठी लिखी है, कानून को दूसरी तरह से इन्टरप्रेट किया है, राज्य सरकार को आगाह किया है तो वह चिटठी बतावें।

श्री सभापति : चिटठी के नंबर दे सकते हैं। चिटठी तो राज्य सरकार के पास है। यदि यह सच है तो गंभीर है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : इन्डिविज्युअल केपेसिटी में वे कुछ नहीं कह सकते।

श्री परसराम मदेरणा : He can point out.

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, जो आपने व्यूज बताये बात वही है।

उन्होंने राज्य सरकार को एक अपील में बचाया और बचाने के बाद आगाह किया है कि आप संशोधन कर दीजिये, रूल्स का सवाल है, संशोधन नहीं किया था इसलिये आगाह किया है कि आप इसमें संशोधन करदें नहीं तो टिकने वाला नहीं है इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि फैसला एक तरह से यदि न्यायालय की तरह करते हैं तो उनको कोई ताल्लुक नहीं है कि राज्य सरकार को हानि होती है, नुकसान होता है या नफा होता है। सभापति महोदय, मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं।

सभापति महोदय, श्री बलवन्तसिंहजी, जिनके कारण यह फैसला आपके खिलाफ हुआ है राजस्व मंडल के बारे में, वह ५ जुलाई, ६६ को फैसला देते ही रिटायर हो गये। उनके रिटायर होने के बाद उनके जो रीडर हैं गुप्ता, उनका हलफनामा लिया जाता है। सभापति महोदय, हलफनामा यह लिया जाता है कि यह फैसला तारीख १ को लिखा नहीं है। फैसले के बारे में ऑर्डर शीट पर लिखा है कि श्री बलवन्तसिंहजी ने १ तारीख को लिख दिया कि फैसला सुना दिया जाय। २ और ३ तारीख को वे रिट

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पिटिशन के सिलसिले में जोधपुर चले गये और ४ तारीख को छुट्टी थी। ५ तारीख को वे वापिस आये और उन्होंने फैसला सुना दिया और उसके बाद रिटायर हो गये। उनके रिटायर होने के बाद सारे फैसले पर लीपा पोती करने के लिये, संदेह पैदा करने के लिये, उनके पी. ए. थे मि. गुप्ता, उनका हलफनामा लिया जाता है कि फैसला १ तारीख को लिखा नहीं है ५ तारीख को लिखा है। आर्डरशीट बोलता है कि १ तारीख को लिखा है उनके रीडर श्री महफूज हुसेन थे-उनका हलफनामा था कि ५ तारीख को उनसे यह कहा कि १ तारीख का आर्डरशीट लिख कर लेआओ कि फैसला लिख दिया गया, सुना दिया जाय और उसने लिख दिया कि यह फैसला कंपलीट हो गया है, तैयार हो गया है, सुना दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप श्री बलवन्तसिहजी की जांच करवाना चाहते हैं क्या ? यदि जांच नहीं करवाना चाहते तो श्री गुप्ता और महफूजहुसैन के हलफ नामे क्या मायने रखते हैं ? उनके खिलाफ इस तरह से हलफनामे करवा कर क्या आप यह सोच रहे हैं

श्री परसराम मदेरणा : आप स्टेट्युटरी मोशन पर बोल रहे हैं। दूसरे सदस्य यह कह रहे थे कि ५ तारीख को फैसला हुआ और आप दूसरी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं १ तारीख को लिखा गया ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : फैसला १ तारीख को लिखा गया यह आर्डर शीट पर है। १ तारीख को लिखा कि फैसला लिख दिया है, सुना दिया जाय ५ तारीख को सुनाया गया। सुनाने से ही तो सुनाया जायगा। ये हलफनामे जो करवाये जा रहे हैं मैं मदेरणा साहब का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि उन्होंने फैसला जो लिखा आपकी सरकार पी. ए. और रीडर पर प्रेशर डालकर कहलवाना चाहती है कि उन्होंने फैसला ५ तारीख को लिखा और १ तारीख को नहीं लिखा, लेकिन सारे रेकॉर्ड में फर्जी दर्ज करवा दिया कि १ तारीख को लिखा इसलिए पब्लिक डॉक्युमेंट को फर्जी करार दिलवाने के लिए लीपापोती करवा रहे हैं ताकि मामला श्री बलवन्तसिहजी पर चलवाया जा सके श्री बलवन्तसिहजी पर आपकी पूरी कृपा है। श्री बलवन्तसिहजी ने हाई कोर्ट में रिट की थी उनको ५५ साल में रिटायर कर दिया था इस बारे में, वे रिट में जीत गये। ५५ साल में जबर्दस्ती रिटायर किया। कानून में कमी थी इसलिए वे भारत सरकार से हुक्म ले आये कि रिटायर कर दिया जाय। एक रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर के लिए जिस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं उससे कोई प्रतिष्ठा रेवेन्यू बोर्ड की नहीं बढ़ती न न्यायालय की बढ़ती है। आपके रीडर और पी. ए. ने हलफनामा दिया उससे जाहिर होगा कि फैसला लिखने की तारीख फर्जी लिखदी इससे साधारण आदमी भरोसा नहीं करेगा आपके न्यायालय पर कि वहां के जज ऐसे हैं जो पुरानी तारीख में फैसला करना लिख देते हैं। आप इस तरह की चीजों से बचाइये और बचाने का तरीका यह है कि चाहे आप १२ साल की क्वालिफिकेशन रखें, चाहे २० साल की क्वालिफिकेशन रखें, लेकिन एक बार रेवेन्यू

Page No. 114

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बोर्ड का मेम्बर किसी को बनादें तो वह राजस्थान सचिवालय में दुबारा नहीं आना चाहिये। यदि वह आता जाता रहता है तो उसकी इन्डिपेन्डेन्स कायम नहीं रह सकती। एक बार न्यायालय में जाने के बाद दुबारा सचिवालय में आ कर आपसे आदेश न ले इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सुझाव मैं देना चाहता हूँ। यह मैंने एक फंक्शनिंग का जिक्र किया।

दूसरा फंक्शनिंग है और जिस तरह से कंट्रोल करते हैं सारे सीलिंग के ऊपर, जमीन के वितरण के ऊपर। सीलिंग के बारे में राजस्व मंत्रीजी ने अपने बयान में बहुतसी बातें कहीं। कुछ मैंने प्रोसीडिंग्ज की नकल ली है, उन्होंने यहां तक कहा कि राजस्थान के चतुर मुख्य मंत्रीजी सफेद झूंठ बोल सकते हैं। यह सही है कि झूंठ या तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा है या राजस्व मंत्रीजी ने। दोनों सही नहीं हो सकते यह बिल्कुल साफ है, या तो १४ तारीख का बयान गलत है या विधान सभा में कहा है वह गलत है। उन्होंने केबिनेट की प्रोसिडिंग्ज की नकल सदन के सामने रखने की बात कही थी—आज वे रखेंगे या नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने वायदे के अनुसार रखेंगे। आपकी इच्छा केबिनेट की प्रोसिडिंग्ज रखने की है क्या ?

श्री कुंभाराम आर्य (राजस्व-मंत्री) : मेरा नंबर आयेगा तब बोलूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नंबर आयेगा तब बोलेंगे, लेकिन स्पष्टीकरण करदें। चार मुद्दे आपने अपने भाषण में कहे ...

श्री सभापति : रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन कर रहा था कि जो चार मुद्दे रखे, उन मुद्दों में एक मुद्दा यह है कि जिस भूमिहीन ने जमीन खरीदली है उसको निष्कासित नहीं किया जाय और सीलिंग लॉ की तहत यदि लेंड होल्डर के पास ज्यादा जमीन थी उसको जिस भूमिहीन ने खरीदी उसको निकाला नहीं जाय, एक मुद्दा यह था। दूसरा मुद्दा यह था कि जिस सिंचित जमीन में कम सिंचाई होती है उसकी सीलिंग लिमिट बढ़ाई जाय। तीसरा यह कि जिस कम जमीन वाले ने अपनी जमीन को सीलिंग लिमिट तक लाने के लिये और जमीन खरीदी है उसको नहीं हटाया जाय।

मैं यह जानना चाहूँगा कि, राज्य के राजस्व मंत्री होने के नाते, यदि सारे प्रस्तावों का विश्लेषण किया जाय और सन् ५५ में सरकार ने कहा था कि कोई बेचान नहीं होगा, खरीद नहीं होगी, सीलिंग से ज्यादा जमीन है वह राज्य सरकार के कब्जे में आ जायगी,

(५ म० प०)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके प्रस्ताव निश्चित रूप से, ऊपरी तरीके से, भूमिहीनों के, भूमिहीन किसानों के पक्ष में मालूम पड़ते हैं। लेकिन यदि उनका विश्लेषण किया जाय तो आपने उनमें यह कहीं नहीं कहा है कि जिस आदमी को राज्य सरकार बीस रुपये प्रति बीघा मुआवजा देती है उसने खुले बाजार में एक हजार रुपये एक बीघा के ले लिए हैं—उन बड़े बड़े किसानों ने और बड़े बड़े भूमि वालों ने एक हजार और आठ सौ रुपये ज्यादा वसूल कर लिये

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं उनसे वह रुपया राज्य कोष में लेने के लिए क्या राजस्व मंत्री जी की कोई योजना है ? अगर है, तो वह बतायें। वैसे उनके पास कोई योजना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : भूमिहीन किसानों को भुलावे में डालने के लिए है।

श्री मानिकचन्द सुराणा – भूमिहीन किसानों की जमीन तो सुरक्षित रहेंगी लेकिन जिसने आठ सौ रुपये ज्यादा प्राप्त कर लिये हैं व जिसको राज्य सरकार बीस रुपये, पच्चीस रुपये, पचास रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा देती, उस भूमि को बड़े लोग भोग रहे है जिनको भोगने का अधिकार नहीं है–उसको आप राज्य कोष में कैसे लायेंगे और कैसे उस अमाउन्ट को उनसे रिकवर करेंगे। उसके लिए राजस्व मन्त्रीजी के पास कोई योजना नहीं है।

सभापति महोदय, राजस्थान में जो सीलिंग लॉ बनाया गया है, मैं उसका कायल नहीं हूं, मैं उसका प्रशंसक नहीं हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार का जो सीलिंग लॉ है, वह दुनिया में जहां जहां सीलिंग लॉ बने हैं, उन सबसे घटिया लॉ राजस्थान का है। हमारे जो पहले राजस्व मन्त्री जी थे, उन राजस्व मन्त्री श्री लड्ढा साहब उनसे कई बार यह बात कही गई कि जिस तरीके से रजिस्टरी होती है उसको आप क्यों नहीं रोक पाते हैं ? तो वह कहते थे कि रजिस्ट्री रोकने का हमारे पास कोई कानून नहीं है, वह भारत सरकार ही रोक सकती है, और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भारत सरकार का ही कर्तव्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ अंक हैं, जो दूसरे देशों में सीलिंग कानून है, फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी है उसका सीलिंग लॉ है, फैडरल रिपब्लिक ऑफ सीरिया है उसका सीलिंग लॉ है, उसको जब देखते हैं, जो यू. एन. ओ. ने छापे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने छापे हैं, तो मुझे लगता है कि राजस्थान सीलिंग लॉ बनाते वक्त एक नजर राजस्व मन्त्री या विधि मन्त्री उस पर डालते तो जितनी बड़ी गड़बड़ी इन पिछले वर्षों में हुई है वह एक न होती। फैडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में, सभापति महोदय, सारी रजिस्ट्री रोक दी गई है और फैडरल रिपब्लिक ऑफ सीरिया में भी सारी रजिस्ट्री रोक दी गई है।

(५.३ म. प.)

सदन की अगली कार्यवाही के सम्बन्धमें वाद–विवाद

श्री सभापति : सदन का समय लगभग समाप्त हो रहा है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित कर दूं कि एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पर सदस्य काफी एजीटेटेड थे, उस एक 'राजस्थान पत्रिका' के सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी सदन के सामने अभी वक्तव्य देंगे।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): आज नहीं दिलाया जाय क्योंकि पांच तो बज गये हैं। कल से लिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (गृहमंत्री): नो–कान्फीडेंस में वह रख दिया जाय।

श्री सभापति : जी ?

श्री निरजंननाथ आचार्य : मेरा निवेदन है कि 'राजस्थान पत्रिका' के मामले में नो-कांफीडेंस के समय भी बोलेंगे, तो उस समय रख लिया जाय। यदि आप यह कहते हैं कि आज समय नहीं है तो उस समय रख लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : कल पर रख दिया जाय, कल क्वेश्चन आवर के बाद में रख दें क्योंकि आज जवाब देंगे तो वह कुछ क्वेरी छोड़ देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आज ही हो जाय।

श्री उमराव सिंह ढावरिया : वक्तव्य आज कैसे होगा, अब तो हाउस का समय समाप्त हो गया है।

श्री हरिदेव जोशी (मंत्री, जन सम्पर्क विभाग) : सभापति महोदय, 'राजस्थान पत्रिका' के सम्बन्ध में एक दो मिनिट का टाइम मैं भी चाहूँगा।

श्री सभापति : आज नहीं कल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, दरअसल हम काफी चिन्तित हैं। हम उम्मीद करते थे उस पर आज बहस होगी। अब क्योंकि उस पर आज बहस नहीं हुई, गवर्नमेंट ने अभी भी इसमें दो दिनों में क्या कुछ किया है उसकी जानकारी करने के लिए हम काफी इच्छुक हैं। लेकिन प्रतिक्रिया में सवाल जवाब करने का मौका दिया जाय उसके बाद में हाउस एडजोर्न हो। यदि फौरन जवाब के बाद में एडजोर्न न कर दें और माननीय मंत्री से हमारे सवालों का जवाब दिलवा दें तो उचित होगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : इस प्रश्न पर वाद विवाद काफी हो गया है। मुझे जवाब देना है, उस जवाब पर प्रतिक्रिया या जवाबुल्ल नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जवाबुल्ल तो होगा।

श्री मुरली धर व्यास : आपकी (सभापति महोदय) मर्जी पर है, इनको (श्री निरंजन नाथ आचार्य) को यह कहने का अधिकार नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे बोलने दीजिये। इसलिए मेरे स्टेटमेंट के बाद कोई जवाब नहीं होता और मैं कम से कम तीन चार मिनिट में अपना जवाब खत्म कर दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने जिस तरह रखा है, एक किस्सा है कि "लाल-बुझक्कड़ बूझिया और न बूझे कोय। पग में चक्की बांध के हिरणा कूदा होय।" हाथी के पर के निशान थे तो हिरणा पैर में चक्की बांध कर कूदा। आपकी बात पर कोई बात पूछें नहीं। हम हजार बातें पूछते हैं।

श्री सभापति : बाकी जो बिजनेज है, आप अपना भाषण समाप्त कर दें तो लेजिस्लेटिव बिजनस की कुछ स्टेज तो पूरी कर दें, जनमत जानने के प्रस्ताव हैं और प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव हैं उनको

(श्री समापति)

अभी डिस्पोज ऑफ कर दें। यह सदन की इच्छा की बात है, आगे की स्टेज कल ले सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं, कम से कम यह स्थिति जो भी है, उसमें पब्लिक ओपिनियन और सिलेक्ट कमेटी में भेजने के मोशन हैं इनको आज ही डिस्पोज ऑफ कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्व मन्त्री का भी उत्तर होगा। इसका मतलब है कि राजस्व मन्त्री का उत्तर होना चाहिए। वह अभी माननीय सदस्य इस पर बोल रहे हैं जिन जिन के नाम हैं, उसके बाद में वह उत्तर देंगे तो वह वक्तव्य नहीं हो पायगा क्योंकि काफी लेट हो जायगा।

श्री सभापति : कम से कम आप (श्री मानिकचन्द सुराना) कहना तो खत्म कर दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : समय सोच समझ कर उतना बढाया जा सकता है करीब डेड-दो घंटे जिससे यह समाप्त हो जाय और राजस्व मन्त्री जी भी घंटा भर बोलना चाहेंगे, वैसे उनका उत्तर आना भी चाहिए।

श्री सभापति : वह संक्षेप में बोलते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह तो मंत्रों के तौर पर बोलते हैं, उक्ति के तौर पर होते हैं उनके शब्द। लेकिन उनके मन्त्रों और उक्तियों को सदन के माननीय सदस्य तो ज्यादा सुनना चाहते हैं। पिछली बार भी वह घंटा घंटा भर बोले हैं, आज भी बोलना शुरू करेंगे तो घंटा भर तो बोलेंगे। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप इस बात पर अभी निवेदन मत कीजिये। बाद में निवेदन कर दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा (सहकारिता मन्त्री) : इस पर....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मन्त्री) : As decided by the Chair.

श्री सभापति : सरकार की तरफ से आज जवाब दिया जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री सभापति : आज देना है तो कब तक समय बढाना है। इस पर विचार कर लिया जाय कि मन्त्री महोदय आज उत्तर देना चाहेंगे या कल देना चाहेंगे क्योंकि यही बिजनस कल केरी ओवर होगा, कल भी विधेयक चलेंगे। सदन के सामने बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने जो नया बिजनेस तय किया है वह सार्वजनिक निर्माण मन्त्री प्रस्तुत करेंगे उसके बाद में तय करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मन्त्री जी के उत्तर के बाद कई प्रश्न उठ सकते हैं तो उनकी जानकारी करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से उस समय तक....

श्री सभापति : आपकी सलाह की जरूरत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल उत्तर दें। आज जो स्पीकर हैं वह बोल लें और वह उत्तर कल दें।

श्री सभापति : स्पीचेज समाप्त कर दी जाय। केवल गवर्नमेंट रिप्लाई कल लिया जाय, उस गवर्नमेंट रिप्लाई के बाद में आज का बिजनेस समाप्त हो जाय। उसके बाद कल फिर भाषण नहीं होंगे. इन मोशन के प्रश्न पर, जहां तक इन दो प्रस्तावों का प्रश्न है, इन दो प्रस्तावों पर कल भाषण नहीं होंगे, केवल राजस्व मंत्री का उत्तर होगा। उसके बाद में प्रस्ताव पर मत लिये जायेंगे और फिर क्लाॅज बाई क्लाॅज पर बहस होगी, और फिर थर्ड रीडिंग की स्टेज पर पहुँचेंगे ताकि कल पूरे विधेयक हो जायं।

श्री रामानन्द अग्रवालः Agreed.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह उचित है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : (श्री मानिकचन्द सुराणा के खड़े होने पर) अब आप समाप्त कर दें, कल क्लाॅज बाई क्लाॅज और थर्ड रीडिंग की स्टेज पर बोल लें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : विद इन टेन मिनिट्स समाप्त कर देता हूँ।

श्री सभापति : दस मिनिट का समय क्यों बढावें जब इतना एकाॅमोडेट कर रहे हैं। क्लाजेज पर बहस होगी और फिर पासिंग की स्टेज पर बहस होगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : केवल दस मिनिट में मैं समाप्त कर देता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आपके भाषण को आधा घंटा तो हो गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आधा घंटा नहीं हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : रैवेन्यू बोर्ड की जितनी खराबी बतानी थी वह बतादी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, अभी मेरा रिप्लाई शेष है।

श्री सभापति : काहे का ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'राजस्थान पत्रिका' का। (व्यवधान)

मैं चेअर से निवेदन कर रहा हूँ।

श्री सभापति : आपने निवेदन किया था कि अविश्वास के प्रस्ताव के समय देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मान लिया जाय तो अच्छा है।

श्री सभापति : मुझे क्या आपत्ति है, यह सरकार के सोचने की बात है, The Chair has nothing to do. It is for the Government whether they want to give a reply now or in the 'No Confidence' Motion.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I agree to this issue that at the time of 'No Confidence Motion I will be replying.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह तो नहीं होना चाहिए। नो कांफीडेंस तो २६ को आ रहा है। जब 'नो-कांफीडेंस' २६

(श्री भैरों सिंह)

को आ रहा है तो आप २६ तक जवाब नहीं देना चाहें—यह उचित नहीं है। प्रश्न इतना सा है कि वह इस समय जवाब दें या कल जवाब दें। हमें इसमें आपत्ति नहीं है कि माननीय मंत्री जी इस वक्त ही जवाब दें। लेकिन उनका जो स्वभाव है और माननीय गृह मंत्री जी का जो रुख रहा है उससे परिचित होने के नाते कह रहा हूं कि यह कई कन्ट्रोवर्सी पैदा करेंगे....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप देखेंगे कि कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं होगी, जो भी बात होगी वह स्पष्ट होगी। इसलिए मुझे आदेश दिया जाय कि मैं रिप्लाई दूं।

श्री भैरोंसिह : मैं जो कह रहा हूं उसे आप सुन लें। ये ऐसी कन्ट्रोवर्सीज पैदा करेंगे जिस पर माननीय सदस्यों को क्लेरीफिकेशन कराना जरुरी होगा और माननीय सदस्य क्लेरीफिकेशन चाहेंगे और उस पर समय लगेगा। इसलिये मेरा कहना यह था कि यह कल अपना स्टेटमेंट क्वेश्चन आवर के बाद में दे दें और अगर उस पर कुछ क्लेरीफिकेशन कराने की जरुरत हुई तो करा लेंगे। अगर संतोष कराने के लिये कि हमने इस पर स्टेटमेंट दे दिया है उसके लिये स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो इससे हमें कोई संतोष नहीं होगा। इससे सारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिये आप कल इस पर स्टेटमेंट दे दें ताकि कल तक क्या होता है यह सब जानकारी आ जावेगी। रात को आप क्या क्या करने वाले हैं वह भी आप कल सुबह कृपया स्टेटमेंट दे दीजिए। अगर आपका स्टेटमेंट संतोषप्रद हुआ तो कोई क्वेरीज की जरुरत पैदा नहीं होगी और कोई क्वेरीज आपसे नहीं की जावेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने अपना डिसीजन दे दिया है कि इसका रिप्लाई कल होगा। फिर मैं समझ नहीं सका कि एक चीज पर आते हैं और वह तय हो जाती है तो फिर उसी पर बातचीत शुरु हो जाती है। आपने यह कह दिया कि यह कल होगा और यह होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आज ही मैं अपना जवाब दूं यह पहले चेअर से व्यवस्था दी जा चुकी है। इसके बाद में मैंने यह निवेदन किया कि यदि माननीय सदस्य चाहें तो, और यदि संभव हो तो, नो-कोनफीडेन्स में यह सब मसला उठेगा तो उस समय इसका जवाब दिया जा सकता है। मगर इसके जवाब के लिये मैं अभी भी तैयार हूं, कोई कन्ट्रोवर्सीज नहीं है। इस पर मुझे अधिक नहीं कहना है दो चार मिनट लगेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मुझे....

श्री भैरोंसिह : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि लैंड रेवेन्यू का बिल पास होने के बाद में ये अपना स्टेटमेंट देंगे। उनको यह आशा थी कि ४ बजे तक बिल पास हो जावेगा। उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट दे दें। लेकिन लैंड रेवेन्यू बिल पास नहीं हुआ है तो चेयर की रुलिंग पर यह व्यवस्था करें, तो आपको जवाब देना चाहिये लैंड रेवेन्यू बिल पास होने के बाद। इसलिये आप कल जवाब दें

(श्री भैरोंसिंह)

और आपकी कलाबाजी कल बता दीजिये। आपको एक दिन का और मौका दे रहे हैं कि जो भी प्रगति कर रहे हैं उसको भी आप कल तक बता दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों का कोआॅपरेशन होता तो यह चार बजे तक पास हो सकता था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय आपका इस पर जो विचार-विमर्श हुआ है उसका अर्थ यह होगा कि मैं स्पष्टीकरण करने की स्थिति में हूँ तो कर दूं। मेरे लिये यह आब्लिगेटरी नहीं है कि मैं स्पष्टीकरण करूं ही। फिर भी सदन में कुछ तथ्यों को रखा गया है उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, यदि सदन मुझसे स्पष्टीकरण चाहे तो–व्यवस्था यह हो चुकी है। इसलिये मैं बहुत कम समय लूंगा।

श्री सभापति : मुझे इसमें कोई आपति नहीं है, लेकिन आपके वक्तव्य के बाद जो स्पष्टीकारक प्रश्न हों और जिस पर आज आप स्टेटमेंट देने के इच्छुक हैं उससे संतोष सभी सदस्यों को हो और जो भी प्रश्न आवेंगे उनका उतर भी दिलाना आवश्यक होगा, इसलिये जितना समय लगेगा और उसमें ६–७ या ८ बजेतक हाउस चलेगा मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है और अगर सदन की यह इच्छा हो कि अधिक देर तक नहीं बैठा जावे और यह आपका स्टेटमेंट कल के लिये हो जावे, यह सदन की इच्छा हो तो, अविश्वास के प्रस्ताव पर हो जाए और कल न होकर आगे सोमवार को बतला दिया जावे। ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूं कि अभी लैंड रेवेन्यू बिल पर बहस चलेगी और जवाब कल 'राजस्थान पत्रिका' के बारे में हो जाए। इसलिये पहले जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है वह रख दीजिये। जो प्रतिवेदन है वह आप रख दीजिये।

(५. १५ म.प.)

कार्य सलाहकार समिति के २८ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा वाद-विवाद

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के २८ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : वह अभी हमें वितरण नहीं हुआ है।

श्री सभापति : यह आप बता दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : जिसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं। स्थिति इस प्रकार पैदा हुई कि विरोधी दल के सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ निवेदन किया और उसके फलस्वरुप आकस्मिक बैठक बुलाई गई और उसमें निर्णय लिया गया वह इस प्रकार है :

कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, दिनांक २१ सितम्बर, ६६ को हुई। समिति अपने २७ में प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सिफारिश करती है कि २२ से २९ सितम्बर, १९६६ तक लिये जाने वाले कार्य के लिये समय का बंटवारा इस प्रकार किया जाय :

गुरुवार, दिनांक २२ सितम्बर, १९६६

निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण।

(१) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक १९६६

(२) राजस्थान मोटर गाडी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६

(३) राजस्थान राजभाषा (संशोधन) विधेयक १९६६..

गुरुवार, दिनांक २३ सितम्बर, १९६६

खाद्य स्थिति एवं अकाल सहायता पर बहस।

सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार-दिनांक २६, २७, २८, एवं २९ सितम्बर, १९६६.

मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर बहस।

नोट—(१) गैर सरकारी सदस्य कार्य नहीं लिया जायेगा।

(२) उपरोक्त समय के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

(३) ता० २९ सितम्बर, ६६ को समय ८·३० बजे प्रातः का होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, यह जो कार्य सलाहकार समिति की जिस समय मीटिंग हुई हमें उसकी सूचना नहीं मिल पाई और उसके सदस्य होने के नाते यह जो निर्णय हुआ उसमें हमसे कन्सल्ट नहीं किया गया। इसमें एक लेकुना बड़ा भारी रहा है कि जो संकल्प हमने राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित होनी चाहिये—उसके लिए एक संकल्प, गैर सरकारी दिवस के लिये दिया है और उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिस प्रकार से वातावरण बना है। तमाम दलों की तरफ से विरोधी दल की ओर से और कांग्रेस के कुछ महानुभावों की तरफ से स्टेटमेंट हुये हैं कि यह जोधपुर में हाईकोर्ट की सीट कायम रहे और जयपुर में हाईकोर्ट की ब्रांच रहे इस प्रकार की बात हम लाना चाहते हैं संकल्प के द्वारा। जबकि आप लोगों ने इस तरह निर्णय लिया तो मैंने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से बात की हैं और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस बारे में बातचीत करली जावेगी और इसको एडजस्ट करने की कोशिश की जावेगी। इसलिये इसमें जो नोट दिया गया है कि गैर सरकारी दिवस फिर नहीं रहेगा इस बात से मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर आप निर्णय नहीं करें और इस इश्यू को ओपिन रखें और हाईकोर्ट की बैंच का प्रश्न है उसको हम संकल्प के रूप में डिसकस कर सकें और इसको हम किसी प्रकार एडजस्ट कर सकें। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको इस अमेंडमेंट के साथ स्वीकार किया जावे, और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रीजी जिन्होंने यह रिपोर्ट पेश की है वे भी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मानधातासिंह (महुवा) : सभापति महोदय, गैर सरकारी एक दिवस तो रखना

आवश्यक है पूरे अधिवेशन में एक दिन तो होना ही चाहिये। या तो इसको ३ तारीख को रख लिया जाये या शनिवार को रख लिया जाये।

श्री **ज्वालाप्रसाद** शर्मा (नसीराबाद): सभापति महोदय, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। यह चीज बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में आई और इस प्रतिवेदन के सिलसिले में मैं यह कहना चाहूँगा कि यह मौलिक अधिकार की बात है कि नॉन ऑफिशियल डे हो। नॉन-ऑफिशियल डे के लिए हर एसेम्बली में प्रावधान है। पार्लियामेंट से हर वीक होता है। हमारे यहां सेशन के सेशन निकल जाते हैं और नॉन ऑफिशियल डे नहीं होता। हाईकोर्ट की बैंच के लिए इधर के लोग भी इन्ट्रेस्टेड हैं और उधर के लोग भी इन्ट्रेस्टेड हैं। इसलिये इस पर डिसकशन होना चाहिये और बात जाननी चाहिये।

एक बात और कहूंगा कि हमको सरकार की तरफ से एजेन्डा कुछ भेजा जाता है और कुछ किया जाता है, हमको रूट आउट किया जाता है। जो हमको बुलाया गया, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट संशोधन विधेयक को पास करने के लिये बुलाया गया था, अखबारों में भी मामला आ जाय उसके बाद आज सारी जनता उत्सुक है, सारे किसान उत्सुक हैं कि टीनेन्सी संशोधन विधेयक पास कर दिया जायगा, उसके बाद नॉन ऑफिशियल डे के लिये सारी जनता उत्सुक है। रेवेन्यू लॉ कमीशन की रिपोर्ट को आज मेन्शन किया गया, उसके ऊपर सिलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट आ जाय, पैसा खर्च हो जाय और वह लेप्स हो जाय तो यह कतई उचित नहीं होगा, इस प्रकार हम अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करेंगे। यह मैं सदन के नोटिस में ले आता हूं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: ३० तारीख तक का एजेन्डा दिया है, तो ३० तारीख को गैर सरकारी दिवस रख ले, उसमें क्या एजेंडा होगा यह सब तय कर लिया जायगा और सब एडजस्ट भी हो जायगा।

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेडा): अभी स्पीकर साहब से भी बात की थी, जहां तक हाईकोर्ट का मसला है वे इजाजत दें तो एडजर्नमेंट मोशन दिये हुये हैं, किसी समय बहस हो जायगी, पर जैसा कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जो कानून हमारे राजस्थान का अहम मसला है, उसको पास करने के लिये हमें बुलाया गया था लिखकर दिया गया था कि इस टीनेन्सी कानून को हाउस पास करेगा उसको नहीं रखते हैं तो यह उचित नहीं है। ऐसा जरूरी बिल जो सिलेक्ट कमेटी द्वारा ऑफिस में भेज दिया गया है उसको पास करना जरूरी है। अगर ऐसा ही इनके काम है तो ३० तारीख को, एक दिन की छुट्टी कर दीजिये फिर इस कानून को पास कर लीजिये। पर इस बिल को पास किये बिना हाउस को एडजर्न किया जाना उचित नहीं होगा।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): इस सिलसिले में पहले जो जो बिल लाने चाहिये थे उनके बारे में सरकार ने पहले ही सूचना दे दी थी, बड़ा खेद है कि इस बिल को पास नहीं किया जा रहा है लैंड रेवेन्यू बिल भी बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, इसको जरूर पास करना चाहिये।

श्री सभापति : राजस्थान टीनेन्सी अमेंडमेंट बिल ।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार द्वारा अपने राजनैतिक झगडों की वजह से ऐसा महत्वपूर्ण कानून दूर फेंका जा रहा है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम अशासकीय कार्य के लिये एक दिन रखा जाना जरूरी है । इसको अगर रखा नहीं जाता है. ऐसे बहुत से मुद्दे हमारे सामने आते हैं जिनको कि हम अशासकीय कार्यवाही के दिन रखें, उससे हमें वंचित रख दिया जाता है, अशासकीय दिवस अगर नहीं रखा जाता है तो बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों को हम रखना चाहते हैं, उससे हम वंचित हो जायेंगे । हमें दो चार दिन बढ़ाने भी पड़े तो अवश्य बढ़ाना चाहिये और अशाशकीय दिवस रख कर हमें महत्वपूर्ण मुद्दे का रखने का अवसर दिया जाना चाहिये । यह नहीं कि सरकारी पक्ष की मर्जी के मुताबिक जो चाहा कर दिया जाय । पहले ३० तारीख तक रखा था, अब २६ तक ही कर दिया । सदन की इच्छा है इन सारे जरूरी मुद्दों पर विचार करने को तो दो तीन दिन बढ़ा देने चाहियें । मैं सरकारी पक्ष से यही निवेदन करूंगा कि सदन की इच्छा का ख्याल रखें ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : निर्दलीय का भी दल होता है, इसलिये यह आवश्यक था कि बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी में हमको भी बुलाते । जो पहले प्रोग्राम तय हो गया उसको जरूर करना चाहिये । टिनेन्सी बिल जैसा जरूरी कानून जो किसान है और जनता के हितों का कानून राजस्थान की ८५ प्रतिशत जनता किसान जनता है, उनके अधिकारों को दिलाने वाला कानून विड्ड्रा किया जाता है यह राजस्थान की किसान जनता के साथ अन्याय है । मैं यह निवेदन करूंगा कि बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी में निर्दलीय को भी बुलाया जाय ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, इस एजेन्डा में जो सबसे बड़ा संशोधन मैं चाहता हूं वह यह है कि सरकारी पक्ष की नीति रही है वह वह बड़ी ही दयनीय रही है, काफी बिल इस सत्र में पास करने के लिये दिये थे । हम समझते थे कि अबकी तो यह सत्र आखिरी सत्र है महीने डेढ़ महीने चलेगा । सबमें महत्वपूर्ण राजस्थान टिनेसी अमेंडमेंट बिल रखा गया था पर जिस प्रकार मन्त्रीमण्डल के सदस्यों ने इस बिल की अवहेलना की. उसको देखकर बड़ा दुःख होता है । इस बिल को जो कि सिलेक्ट कमेटी से संशोधित हो कर पहुँच गया है उसे पारित करना बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है । इस बिल को जब तक पारित नहीं किया जाता तब तक तो काश्तकारों को राहत की बात कही जाती है वह बेकार है और जो पॉवर्स नये तरीके के काश्तकारों को दिये जा रहे हैं, उनसे काश्तकारों को ६ महीने या साल भर के लिये सरकार और वंचित करना चाहती है—सरकार का इस प्रकार का रवैया काश्तकार वर्ग के लिये बहुत ही नुकसान की बात है । यह वापिस सदन के सामने आ गया है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, खास तौर से राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे अपने आपको कर-साण कहते हैं, यह एक कर सांण का नया तबका उन्होंने बनाया है, उनसे निवेदन करूंगा कि वे हिम्मत से काम लें । वे कहा करते हैं

(श्री मानसिंह महार)

कि वे किसी से दबते नहीं। अगर वे दबते नहीं तो इस बिल को पास कराने के लिये कटिबद्ध हों और इस सदन में खड़े हो कर घोषणा करें तभी हम समझेंगे कि वे किसानों से सही माने में सहानुभूति रखने वाले हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह एजेंडा रखा जाता है, अगर सरकारी पक्ष अकर ३० तारीख से टिकट के बारे में अर्जिओं के बारे में छुट्टियां चाहता है तो हम दो चार दिन की छुट्टियां कर देंगे, पर उसके बाद फौरन बैठकर राजस्थान टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल को जरूर पारित किया जाय क्योंकि यह काश्तकारों को बहुत पॉवर्स देता है। उन पॉवर्स को आज के राजस्थान के दबे हुए किसानों के लिये बहुत बड़ी आवश्यकता हैं। किसानों को ऊंचा उठाने की दोहाई देने वाले उधर बैठने वाले मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि जो मंत्री जवाब दें उनसे निवेदन करूंगा कि आपको वोट लेने हैं तो किसानों के सामने हाथ फैलाना होगा, उसमें आप एक्सपर्ट हैं। अगर आप इस बिल को इस सदन में पास नहीं कर के किसानों के अधिकारों पर कुठाराघात करेंगे तो आपकी काश्तकार बहुत दुर्गति करने वाले हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल को इस सदन में पारित किया जाय।

श्री हरिदेव जोशी (खनीज मंत्री): सभापति महोदय, यदि मैं चाहूं तो कुछ और नहीं समझा जाय। शायद ऐसा समझा जा रहा है कि मैं राजस्थान सरकार की ओर से प्रस्ताव रख रहा हूं, जिससे माननीय सदस्य इधर उधर की बातें रख रहे हैं। मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के उस प्रस्ताव रख रहा हूं जिस पर विरोधी दल के नेता महारावल साहब, जनसंघ के नेता और दूसरे नेताओं ने बैठ कर निर्णय किया। उस निर्णय को मैं केवल पढ़ कर सुना रहा हूँ। उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैंने इन चीजों को रखा है। केवल उनकी चीज को रखा है जो उन्होंने निर्णय किया है बिजनैस एडवाइजरी कमेटी बिजनैस तय करती है, उसे सदन स्वीकार करता है। यह अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं उनको बुलाकर निर्णय देवें।

मैं पोलिटकल लेबिल पर नहीं निवेदन करता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी से संबंधित हूँ। इसलिए इस प्रोग्राम में चेंज करवाने का निवेदन कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं था सरकार की ओर से नहीं था।

श्री मुरलीधर व्यास: किस ने किया? यह दूसरे दलों पर सीधा आक्षेप है।

(शोरगुल)

श्री राधाकृष्ण गोयल: टीनेन्सी बिल के बारे में विरोधी दल के कई सदस्यों ने निवेदन किया है कि इस सत्र में लाया जाय।

श्री हरिदेव जोशी: मैं केवल बिजनैस के बारे में निवेदन कर रहा हूँ कि जो पिछला २७ वें प्रतिवेदन पेश किया गया था सदन में और जिसको सदन ने स्वीकार किया है, उस २७ वें प्रतिवेदन में कोई संशोधन लाने के लिए सरकार की ओर से अथवा कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई निवेदन नहीं है। अगर माननीय सदस्य इसको अस्वीकार करते हैं २८ वें प्रतिवेदन को,

(श्री हरिदेव जोशी)

२७ वां प्रतिवेदन स्टेंड करता है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं।

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मंत्री महोदय की ओर से कहा गया है....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़। माननीय सदस्य जो भी संशोधन देना चाहते हैं, सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, अस्वीकार करना चाहते हैं, इसको वापस कार्य सलाहकार समिति में भेजना चाहते हैं, जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, इस प्रतिवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। एक एक माननीय सदस्य खड़े होकर कहें तो अच्छा होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं सजेशन देना चाहता हूं।

श्री सभापति : उस समय देते तो अच्छा रहता।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि जो कार्य सलाहकार समिति ने रिपोर्ट दी है, जिसके अध्यक्ष महोदय पदेन सभापति हैं, उसको रख रहा हूं लेकिन यदि सदन की मन्शा है तो मैं विड्रा कर सकता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : प्रश्न यह है कि सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए हैं वे यह हैं कि जो इसमें बातें लिखी हुई हैं वे नॉन ऑफिशियल डे पर न लें उस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। हमने स्वीकार करते हुए कहा है कि पुनर्विचार किया जाय। राज्य सरकार से संबोधित करते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि टीनेन्सी बिल, जिसकी सिलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट आई है, उसको इसी सत्र में पेश करें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने कहा है, सब विचारों को उनके सामने रख सकते हैं। अब कॉन्क्रीट सजेशन सारी चीजों में से निकलने वाला हो तो अच्छा है। अगर सदन में यह मोशन एडॉप्ट नहीं हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव कल प्रातः से शुरू होगा दिनांक २२, २३, २६, २७, २८ और २९ का बिजनेस जो तय है, वह होगा। इसलिए अगर इसमें संशोधन करके आप स्वीकार करते हैं, रास्ता निकल सकता है तो इस प्रकार स्वीकार किया जाय, यदि सदन को डाइरेक्शन्स देनी हैं, कोई एग्रीड फॉरमूला निकल सकता है तो मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं कि वे अध्यक्ष महोदय तक पहुँचाएंगे। लेकिन एग्रीड फॉरमूला ऐसा हो जिससे रास्ता निकल सके तो अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, बाजार) : मंत्री महोदय ने जो कुछ भी कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत किया, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय के सामने जिस प्रकार से निर्णय लिए गए हैं, उसी प्रकार के निर्णय यहां पर प्रस्तुत किए, लेकिन जिस प्रकार का इम्प्रेशन यहां पैदा हुआ उससे कुछ माननीय सदस्यों को भ्रम हो रहा है कि टीनेन्सी बिल रखा जाय या नहीं यह कार्य सलाहकार समिति का फंक्शन है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहता हूँ कि कार्यसलाहकार समिति के अन्दर केवल उसी बिजनैस का टाइम-टेबल तय किया जाता है जो सरकार अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत करती है । टीनेन्सी बिल को रखा जाय, इस प्रकार का सुझाव कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में नहीं रखा है । इसलिए नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य, जो उछल उछल कर इम्प्रेशन क्रीएट करना चाहते हैं कि विरोधी दल के लोगों ने टीनेन्सी बिल को यहां लाने से मना किया है, यह बे बुनियाद है और जितनी उछल कूद यहां दिखा रहे हैं वह अपनी पार्टी के अन्दर मचाकर पार्टी की तरफ से मूव करें कि टीनेन्सी बिल इसी सत्र में विचारार्थ लिया जाय, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से तो क्या लेकिन विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि टीनेन्सी बिल लिया जायगा तो एक दिन ही नहीं, यदि उसमें एक महीने का समय भी खर्च होता है तो हम करने के लिए तैयार हैं । यह प्रश्न आपका है कि आप कितना प्रभाव पार्टी में रखते हैं । इसलिए जहां तक टीनेन्सी बिल का सवाल आता है यह आपके अंदर की बात है । हमने इच्छाएं व्यक्त की हैं कि टीनेन्सी बिल को सदन में विचारार्थ लिया जाय, वह किसानों के हित का कानून है, इसको आगे के लिए पोस्टपोन न किया जाय ।

जहां तक हाई कोर्ट का प्रश्न है, इस मामले में सब गंभीरता से विचार कर रहे हैं । सब की इच्छा है कि इस पर इस सदन में चर्चा हो, सरकार अपनी नीति इस संबंध में बताए, जनता में इस प्रश्न को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, समाचार पत्रों में स्टेटमेंट्स की बाढ़ आ रही है । उस समय अध्यक्ष महोदय से मैंने भी निवेदन किया था । उन्होंने कहा था कि इस समस्या पर कैसे चर्चा हो सकती है, उस बारे में विचार कर लिया जायगा, इससे कोई तात्पर्य नहीं निकलता है, हाई कोर्ट के इश्यू पर चर्चा नहीं करनी चाहिए । जहां तक स्वतंत्र पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महोदय का कहना है, उस बारे में मुझे यही कहना है कि अच्छा होता वह अपने लीडर महोदय को जानकारी दे देते । अगर उन्होंने कार्य सलाहकार समिति में कमिटमेंट कर लिया है और जनरल सेक्रेटरी उसको नहीं मानते हैं तो अच्छा होता कि इस प्रकार की डिफरेंस ऑफ ओपीनियन सदन में न पेश करते ।

पहले के और इस प्रोग्राम में, सिवा इसके कि अविश्वास प्रस्ताव को २२ तारीख से न लेकर २६ तारीख से लिया जाय, किसी प्रकार का अंतर मुझे नहीं दिखाई देता । इस सदन ने पहली रिपोर्ट को स्वीकार किया है । केवल दिनों का अंतर है, एक गैर-सरकारी दिवस है । हम कल बैठकर चर्चा कर सकते हैं । इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाय, मुझे आपत्ति नहीं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस सदन को जो मिसगाइड करने की कोशिश की है, मैं जानता हूं कि इस सरकार की मन्शा है कि इसे पास किया जाय । मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि राजस्व मंत्री जो इन्चार्ज है, उन्होंने अध्यक्ष महोदय को लिखकर दे दिया है कि इसी सत्र में पास होना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि यह स्थिति है तो राजस्व मंत्री खड़े होकर कहें कि वह इस सत्र में लेना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि टीनेन्सी बिल इसी सत्र में आए, अगर मंत्री महोदय राजी हैं तो हम जितने दिन के लिए वह कहें बैठने को तैयार हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने तो बता दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको विद्ड्रा कर लूं ?

श्री भैरोंसिह : इस समय विद्ड्रा करने का सवाल नहीं है। इस समय प्रश्न है कि सरकार टीनेन्सी बिल को लाना चाहती है या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने प्रस्ताव रखा है, सदन नहीं चाहता है तो मैं विद्ड्रा करता हूं।

श्री भैरोंसिह : आप सरकारी प्रवक्ता के नाते जो भ्रम डाल रहे हैं....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी। कार्य सलाहकार समिति के प्रवक्ता के रूप में वह प्रस्ताव रख रहा हूं।

अगर सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करता है तो अस्वीकार है और अस्वीकार करता है तो अस्वीकार करने की अपेक्षा मैं यह चाहूंगा कि मै इसको विदड्रा कर लूं।

(विराम)

फिर मैं यह प्रस्ताव करता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा यह निवेदन है कि कोई वायामिडीया निकाला जाय।

श्री सभापति : रूल २१३ है उसमें यह लिखा है :

"It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills and other business as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the Committe."

इसलिए जो कमेटी के सामने बिजिनैस आता है गवर्नमेंट की तरफ से वह बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। उसके बाद मोशन आता है :

"At any time after the report has been presented to the House, a motion may be moved that the House agrees or agrees with amendments or disagrees with the report :

provided that an amendment may be moved that the report be referred beck to the Committee either without limitation or with reference to any particular matters:

Provided further that not more than half an hour shall be allotted for the discussion of the motion

and no member shall speak for more than five minutes on such motion."

एक संशोधन का प्रस्ताव इस नियम के अन्तर्गत मेरे पास श्री उमरावसिंह ढाबरिया ने भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि २८ वे प्रतिवेदन में संशोधन है कि २८ वें प्रतिवेदन में एक संशोधन स्वीकार किया जाय । यह संशोधन भेजा है उसके लिए वायामिडिया निकाल लें । वापिस कमेटी को भेजा जाय तो वैसी स्थिति पैदा होगी कि जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि २७ वां प्रतिवेदन हमारे सामने रहेगा ।

श्री मानधातासिंह (महुग्रा) - सभापति महोदय ...

श्री सभापति : श्री हांडा को बोलने दीजिए ।

श्री मानधातासिंह : २८ वां प्रतिवेदन....

श्री सभापति : ग्राप (श्री हांडा) दिन भर बोलते हैं इन्हीं को बोलने दीजिये ।

श्री मानधातासिंह (महुग्रा) : २८ वें प्रतिवेदन को सब ही पार्टीज ने कार्य सलाहकार समिति में ग्रापस में विचार कर के तय किया है ग्रौर उसको मानने में, मैं समझता हूँ, कोई ऐतराज नहीं है । ग्रभी माननीय जनसंघ के नेता ने बात कही थी कि मेरे ग्रौर मेरे नेता में मतभेद हैं । ग्राप उस प्रकार से कह कर कोई गलतफहमी पैदा नहीं कर सकते । जो एजेन्डा रखा गया है उससे हम पूर्णतया सहमत हैं । लेकिन गैरसरकारी दिवस के लिए दिन नहीं निर्धारित किया गया है, इसलिए यदि २४ को वह रख दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है ।

जहां तक टीनेन्सी बिल का सवाल है, यह गवर्नमेंट का बिजनिस है । यदि गवर्नमेंट लाती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है । हम गवर्नमेंट को प्रेस नहीं कर सकते । गैर सरकारी दिवस जरूर रखा जाय ग्रौर २८ वां प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मेरा सुझाव है कि २८ वां प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाय ग्रौर ३० तारीख को गैर-सरकारी दिवस रहे ग्रौर जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुग्रा है ग्रौर जो संशोधन ढाबरियाजी ने प्रस्तुत किया है उस पर सदन की राय ले ली जाय ।

श्री हरिदेवजोशी : स्वतन्त्र पार्टी कांग्रेस पार्टी के बाद बड़ी पार्टी है । उस के जिम्मेदार माननीय सदस्य ने एक ग्रलग राय दी है जो बिजिनेस की एडवाइजरी कमेटी के द्वारा स्वीकृत प्रतिवेदन के ग्रनुकूल नहीं है । इसलिए जो प्रतिवेदन मैं रखने जा रहा हूँ उसको मैं विदड्रा करता हूं ।

श्री सभापति : विदड्रा करने के लिए मुझे इसको वोट पर रखना पड़ेगा ।

श्री हरिदेवजोशी : प्रतिवेदन मैंने मूव भी नहीं किया है । मैं प्रतिवेदन ही नहीं करता हूँ ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह मूव हो चुका है । ग्राप प्रोसिडिंग्स देख लीजिए ।

श्री सभापति : मैं समझता हूँ हाउस में रिपोर्ट प्रस्तुत होने के ग्राधा घंटे बाद

(श्री सभापति)

विवाद हो सकता है, तो क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता ? क्या हम कल के लिये दूसरा बिजनैस रखें ? अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो अनआफिशियल बिजनैस किसी दूसरे दिन के लिये बाद में रखा जा सकता है, २४ को हो सकता है । फूड डिबेट को एडजस्ट कर सकते हैं । सैटरडे के लिये माननीय सदस्य एग्री हो सकते हैं । बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के किसी प्रतिवेदन पर वोट नहीं लेते हैं और इस प्रकार की परिपाटी, कि वोट लिये जांय, न डालें तो अच्छा है । अगर मैं यह होल्ड कर दूं कि यह मूव हो चुका तो फिर हाउस के सामने यह होगा कि उसको एक्सेप्ट करें या न करें, इसलिए टेक्निकल बातों में न जायं । इसलिये अध्यक्ष महोदय से मिल कर आप जैसे चाहें तय करा सकते हैं और आप यह चाहें कि अध्यक्षीय आसन पर बैठने के बाद हेर फेर कर सकते हैं तो वैसा कहिये । इसलिये फिर नो-कान्फिडेन्स मोशन पर विचार करें कल या फिर बाद में करें जैसा कि पहले तय हो चुका है ।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, आप क्योंकि अभी आसन पर हैं मैं वैसा निवेदन नहीं करना चाहता । आप स्वयं अच्छे पार्लियामेन्टेरियन हैं । आप इस पर कुछ भी निर्णय दें मुझे एतराज नहीं है लेकिन आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में माननीय सदस्यों के सिवाय लीडर आफ आपोजिशन जनसंघ दल के नेता, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य और अन्य माननीय सदस्यों ने बैठकर जो निर्णय लिये। केवल अमुक तारीख से लेकर अमुक तारीख का बिजनैस यहां पर सदन में रखा है । उसके सिवाय आप देखते हैं कि न तो ३० तारीख का प्रोग्राम है और न आगे का प्रोग्राम है । सिर्फ अमुक तारीख से लेकर अमुक तारीख का प्रोग्राम है उसके सिवाय और कुछ नहीं है । विरोधी दल के माननीय नेता ने वहां बैठ कर एक चीज को स्वीकार किया है, उसी दल के उतने ही जिम्मेदार माननीय सदस्य दूसरी बात कहते हैं तो हमारे लिये यह सोचने की बात हो जाती है कि इस चीज को रखें या नहीं ? यहां पहली दफा ही बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को इस प्रकार से डिसकस किया जा रहा है । माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों को हाई कोर्ट के सवाल को लेकर सर्टेन एश्योरेंन्सेज दिये हैं कि उसको किस प्रकार से यहां पर डिसकस किया जाय । इसलिये इसको डेफर कर सकते हैं इसको अमेन्ड कर सकते हैं और हाउस की इच्छा के अनुसार ला सकते हैं । अगर यह रिपोर्ट इन टोटो जैसी है वैसी स्वीकार की जाती है, तब तो मैं रखता हूं, और अमेन्डमेन्ट यदि कोई है तो, मैं पसन्द करूंगा कि इसको विथड्रा कर लूं । यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसका विदड्राइल चाहते हैं या उसको मूव किया जाय ?

श्री मानधातासिंह : मैं केवल स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : कोई आवश्यकता नहीं है स्पष्टीकरण की ।

श्री मानधातासिंह : आपने कहा कि हमारे नेता ने जो बात रखी उससे मैं असहमत हूं ...

श्री सभापति : आप कृपया उसको समझने की कोशिश कीजिये।

He is not referring to you. He is referring to someboby who is not in his seat now. Please resume your seat.

श्री मानधाता सिंह : मेरे कोई मतभेद नहीं है।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। वह आपके बारे में नहीं कह रहे हैं।

मैं माननीय श्री ढाबरिया जी से निवेदन करूंगा कि सदन की यह परम्परा रही है कि प्रतिवेदन पर इस प्रकार से संशोधन रखने और स्वीकार होने का प्रश्न नहीं रहता है। वैसे ही माननीय अध्यक्ष काफी उदार हैं और माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रख कर एडजस्टमेन्ट करा लेते हैं। आपकी भावनाओं का वे ख्याल रखेंगे। अतः आप इसको वापिस ले लें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं उसको वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : Yes.

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, मैंने उसको पढ़ा नहीं था। मैंने पढ़ा नहीं है। मैं पढ़ देता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के २८ वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह तो पढ़ दिया गया है। प्रोसिडिंग्स मौजूद हैं।

श्री सभापति : ऐसा है, मैंने इसे आपके सामने पढ़कर सुना दिया, इसके अनुसार उन्होंने प्रतिवेदन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद प्रस्ताव होता है कि उसे स्वीकार किया जाये या नहीं। स्वीकार करने की बात अब रखी है। उसे अब स्वीकार किया जावे या नहीं, यह प्रस्ताव अब सदन के सामने है? आप टैक्निकलिटी में अधिक न जावें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : दो संशोधन रक्खे गये थे। विदड्राअल का नोटिस आया है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। विदड्राअल को विथड्रा कर लेंगे तो क्या नतीजा निकल जावेगा? इसलिये माननीय मन्त्री ने जो प्रस्ताव रक्खा है कि यह सदन २८ वें प्रतिवेदन को स्वीकार करता है, इसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

तो यह प्रतिवेदन सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

अब सरकार की ओर से उत्तर चालू होगा लैंड रैवेन्यू के सम्बन्ध में। भाषण समाप्त हो चुके।

(श्री मानिकचन्द सुराना के खड़े होने पर) मैं निवेदन कर दूं। ऐसा है कि आप

Page No. 131

(श्री सभापति)

काफी बोल चुके हैं मोशन पर। थर्ड स्टेज पर और बोल सकते हैं। मैं समझता हूं....

(५.५२ म०प०)

राजस्थान भूराजस्व (संशोधन तथा वैध-करण) विधेयक १९६६ (पूर्वक्रम से विचार विमर्श)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप मुझे कन्क्लूड करने का वक्त तो दें। मैं दस मिनट में समाप्त कर दूंगा। या फिर कल दस मिनिट कन्टीन्यू करने का समय दें इसमें भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हाउस उठने के मूड में हो तो मैं बेमतलब बोलूं।

श्री सभापति : आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो मुद्दे सीलिंग के बारे में यहां उठाये गये, मैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों का अगर विश्लेषण किया जावे तो छोटे किसानों की इससे सेवा नहीं होती, बल्कि बड़े किसानों की सेवा होती है। इन सारे मुद्दों में संविधान का भी प्रश्न है सभापति महोदय। सेवन्टीन्थ अमेन्डमेन्ट जो संविधान का किया गया है अगर यह अमेन्डमेन्ट टीनेन्सी बिल में कर दिया और सीलिंग के जितने प्रावधान थे उनकी जगह ये प्रावधान लाते हैं, तो इससे किसानों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। पुराने कानून में जो संरक्षण था किसानों को वह भी प्राप्त नहीं होगा।

राजस्व मन्त्री किसानों के नेता हैं। खातेदारी हकूक जो किसान को १७वें संविधान के संशोधन में दिया है तो बड़े किसानों के पक्ष में आप यह जो परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसको लेकर तो किसी तरह से छोटे किसानों की कोई सेवा नहीं होगी। फिर भूमिहीनों की बात करनी बन्द करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि मुख्य मन्त्रीजी ने झूठा बयान दिया। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। पर जो बयान अखबारों में छपे हैं जिनका जिक्र आपने भी अपने भाषण में किया है। मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि केबिनेट ने निर्णय लिया है कि कोई टीनेन्सी एक्ट में संशोधन नहीं किया जायगा। जब कि राजस्व मन्त्रीजी ने कहा है कि कैबिनेट ने यह निर्णय नहीं लिया। श्री नाथूरामजी भी कैबिनेट में बैठते हैं। श्री परसरामजी मदेरणा को भी सौभाग्य प्राप्त है कैबिनेट में बैठने का। तो क्या वास्तव में सारे कैबिनेट में इतने बड़े बड़े आदमियों के होते हुए भी, १७ वें संशोधन के कारण कोई संशोधन न किया जावे एक्ट में, ऐसा निर्णय लिया गया है? नियमों में संशोधन सम्भव है और उनमें बताया जावे तो कर दिया जावे। यह निर्णय राजस्व मन्त्री ने बयान दिये हैं और वे बयान कोई टैक्निकल आधार पर सही हो सकते हैं। मिनिट लिखे जाते हैं, कैबिनेट के निर्णयों में हो सकता है। यह प्रश्न निहित था। प्रारूप नोट बनते हैं, उनमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस प्रकार इस एक्ट में

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

कोई संशोधन न किया जावे । इस तरह का निर्णय कैबिनेट में हुआ और इसके बावजूद विधान सभा में कहा जावे कि एजेण्डा में ऐसी कुछ बात थी । यह राजस्व मंत्री जी का भाषण है :

"एजेण्डे के अन्दर ऐसी कुछ बातें थीं । उसमें से कुछ मन्जूर हुई और कुछ मन्जूर नहीं हुई, पूरा नहीं कह सकता । इसके बारे में तो माननीय मुख्यमन्त्रीजी जब यहां उपस्थित होंगे तो आपको वे स्पष्टीकरण दे सकेंगे और मुझ से लेना चाहें तो रात रात की छुट्टी दे दें। कल कैबिनेट का फैसला ही लाकर बता दूंगा ।"

और उस भाषण के बाद सभापति महोदय, मैं कह चुका कि वह फैसला क्या है ? यदि कैबिनेट का फैसला जिसे कहते हैं वैसा ही है तो कैबिनेट चाहती है कि वास्तव में संशोधित किया जावे इसे । और यदि कैबिनेट संशोधन करना चाहती है तो राजस्व मन्त्री जी का बयान सही है और अगर यह सही है और कैबिनेट ने तै कर दिया है कि कोई संशोधन नहीं किया जावेगा और बड़े किसानों को छूट दी जावेगी, तो राजस्व मन्त्री का स्टेटमेंट किसी भी सूरत में टिकता नहीं है । दो बयान दो तरह के होंगे और राजस्थान के दो कांग्रेस के नेता हैं श्री सुखाड़िया जी व श्री कुम्भाराम जी । वे दोनों अलग अलग बयान देंगे । क्योंकि सीलिंग का असर, श्री सुखाड़ियाजी जब यह कहते हैं कि संशोधन नहीं होगा तो वह भी, किसानों पर होगा, वे भी भूमिहीन किसानों की बात करना चाहते हैं और श्री कुम्भाराम जी कहते हैं कि संशोधन होगा तो वह भी भूमिहीन किसानों की बात करते हैं ।

मैं कहता हूं कि भूमिहीन छोटे किसानों की उनको दोनों को चिन्ता नहीं है । दस साल से यह सीलिंग का कानून आया हुआ है । इसके लागू नहीं होने से भूमिहीन किसानों को नुकसान हो रहा है । लाखों करोड़ों रुपया बड़े किसानों ने रजिस्ट्रियों में खर्च करके जमीनें अपने हक में लीं । श्री कुम्भाराम जी उस समय चुप रहे । श्री सुखाड़िया जी भी चुप रहे तो ये इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते । जिम्मेदारी उनको अपने कन्धों पर ओढ़नी होगी । श्री कुम्भाराम जी उस समय मन्त्री जरूर नहीं थे, पर फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता थे और इस कानून में उनकी भी बड़ी दिलचस्पी थी । क्रान्तिकारी कदम न श्री सुखाड़ियाजी उठा सकते हैं और न आप । यदि क्रान्तिकारी होते तो जिस दिन कानून पेश हुआ ६ महीने में कानून को इम्पलीमेंट करते । लाखों करोड़ों की जो रजिस्ट्रियां हो रही थीं वे न होतीं और उनसे नई पेचीदगियां भी पैदा नहीं होतीं । ये कहते हैं कि एक करोड़ बीघा जमीन अलाटमेंट के लिये है । उसमें से भी अभी तक बहुत सी जमीन बिना अलाटमेन्ट के पड़ी है । एक करोड़ बीघा जमीन बहुत है । वह भी आप भूमिहीनों में नहीं बांट सके हैं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने प्रश्न विधान सभा में गलत जमीनों के अलाटमेन्ट के उठे । ये मन्त्री के रिश्तेदारों से लेकर बड़े बड़े अफसरों की जमीनों तक के प्रश्न थे । आज तक कभी इन्होंने सोचा है कि इन गलत अलाटमेन्ट को रद्द कर दें या रेगुलेराइज कर दें । एक दो नाम नहीं लेना

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

चाहता। बहुत से नाम गिनाये जा सकते हैं। इन पर पचासों सवाल उठ चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी की जमीनों का, श्री सुखाड़िया जी के रिश्तेदारों की जमीनों का सवाल उठता है। पर राजस्थान की सरकार के पास कोई जरिया नहीं कि जितनी जमीन पर इस तरह से गैर-कानूनी कब्जा कर लिया गया है वे खारिज कर दें। कोई मशीनरी नहीं है।

आज भी मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि कोई मशीनरी ये कायम नहीं कर सकते, क्योंकि आप बड़े लोगों के हितों की रक्षा करने के पक्ष में हैं। आप बड़े लोगो के हक में हैं। जिन बड़ों ने नाजायज कब्जा किया है उनके हक में उनको बेदखल नहीं करना चाहते। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह छोटे किसानों का भला नहीं करने वाले हैं।

रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में तहसीलों का सवाल लीजिये। एक तहसील तोड़कर दूसरी बनाई गई। २६ मार्च, ६४ को बनेड़ा तहसील तोडी गई और ३० मार्च, ६४ को दो गांवों को निकाल कर फिर उसे बना दिया गया। भोजपुरा और लूलास को निकाल दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि यह आपका रेवेन्यू एडमिनिस्टेशन रेवेन्यू कन्ट्रोल तहसीलों का निर्माण सब किस तरह से मनमाने ढंग से चल रहा है। अब तहसील तोड़ दी फिर बना दी, पर दो गांव इसलिये उसमें से निकाल दिये कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि बनेड़ा तहसील एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो जावेगी। अब उन दो गांवों के आदमियों के वोट चूंकि उनके खिलाफ पड़ते हैं तो इसलिये उनको निकाल दिया।

(६ म० प०)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर न रेवेन्यू बोर्ड का कन्ट्रोल है, न रेवेन्यू मिनिस्टर का है और सारा प्रशासन इस तरह से चल रहा है जैसे इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, इसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं है। मैं सभापति महोदय, बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस सारी धींगाधींगी को रोकना चाहते हैं तो रेवेन्यू बोर्ड को मजबूत बनाइये और राजस्व मण्डल का यदि सचिवालय का सा दूसरा स्वरूप बना रखा है और उस स्वरूप को यदि आप खत्म नहीं करते तो न तो जमीनों के बारे में भूमिहीनों को न्याय मिल सकता है, न टैक्सेशन के मामलों में हजारों अपीलान्ट्स को राजस्व मण्डल में सस्ता न्याय मिल सकता है।

मैं इतना ही कह कर अपने निवेदन को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : राजस्व मन्त्रीजी आप उत्तर के प्रारम्भिक शब्द कह दीजिये।

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, सदस्यों ने जो आपत्तियां और शंकायें उठायी हैं, उनके अन्दर मैं जो समझ सका हूं कुछ तो राजनैतिक तौर से उठाई गई हैं···

श्री सभापति : कृपा कर आप स्थान ग्रहण करें। मैंने केवल इसलिये निवेदन

(श्री समापति)

किया था कि जिससे कल इन प्रश्नों पर बहस न चले और आपका उत्तर जारी रहे और इस स्टेज तक हम पहुँच जायें। इसलिए आप कुछ ऐसा न सोचियेगा। सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ६ बज कर २ मिनिट पर गुरुवार, दिनांक २२ सितम्बर, १९६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२५ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति नीमकाथाना में ट्रेक्टर पर आज तक हुई आमदनी व खर्चे का विवरण

आय	व्यय
१८,८०५)३२ पैसे	१५,५६६)३२ पैसे

———

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

राज्य में विद्युत वितरण

१३२. **श्री मानिकचन्द सुराना** : (कोलायत): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६६—६७ में राजस्थान के कौन कौन से गांवों में विद्युतिकरण का कार्यक्रम बनाया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में विद्युतिकरण के कार्यक्रम में कोई तेजी लाने के बारे में निर्णय किया है ?

(३) क्या राज्य सरकार ने विद्युतिकरण का कार्यक्रम बनाते समय अधिशासी अभियंताओं को यह आदेश दिये थे कि वे विद्युतिकृत गांवों से दो मील के अन्दर पड़ने वाले गांवों का ही विद्युतिकरण का कार्यक्रम बना कर भेजें ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के यह ध्यान में नहीं है कि बहुत से बड़े गांव विद्युतिकृत स्थानों से चार से छ: मील के भीतर पड़ते हैं जिन्हें विद्युतिकृत किये जाने से अधिक ग्रामीण जनता को लाभ के साथ साथ विद्युत मण्डल को भी अधिक लाभ है ?

उत्तर

(१) सन् १९६६-६७ में राजस्थान के ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

सरकार के ध्यान में यह बात अवश्य है किन्तु अर्थाभाव के कारण इतनी दूर के ग्रामों को, समीपवर्ती ग्रामों को छोड़कर, प्राथमिकता देना सम्भव नहीं है। ज्यों ज्यों धन राशि प्राप्त होती जायेगी, विद्युत प्रसारण अधिक क्षेत्र में बढ़ता जावेगा।

हिन्डौन शहर में मिडिल स्कूल

१३३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन—सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि हिन्डौन शहर की २५-३०हजार की आबादी होते हुए भी वहां एक भी मिडिल स्कूल नहीं है ? यदि हां तो क्या सरकार वहां मिडिल स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) हिन्डौन शहर में एक लड़कों का उच्च माध्यमिक स्कूल है। जिसमें माध्यमिक कक्षायें भी चल रही हैं। इसके अतिरिक्त लड़कियों के लिये भी माध्यमिक शाला सत्र ६५-६६ तक चल रही थी जिसको इस सत्र में प्रोन्नत कर उच्च माध्यमिक शाला बना दी गई है। इस तरह यह कहना उचित

(श्री शिक्षा मन्त्री)

प्रतीत नहीं होता कि हिन्डौन शहर में कोई भी माध्यमिक शाला नहीं है।

नाहरगढ़ के नीचे की बस्ती की योजना

१३४. **श्री दुर्गालाल बादड़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन (नगर आयोजन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जयपुर नगर में नंदी क्षेत्र नाहरगढ़ के नीचे की बस्ती को योजना बद्ध बनाने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो यह कब तक क्रियान्वित होगी ?

उत्तर

जी हां, करीब १ वर्ष की अवधि में सब पूरी हो जावेगी।

दौसा–कुन्डल सड़क

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर आगरा सड़क के मील ३३ से जो सड़क दौसा से कुन्डल तक जाती है वह ९ मील लम्बी है और बिल्कुल कच्ची होने के कारण बरसात में यह सड़क बिल्कुल बन्द हो जाती है और आवागमन सम्भव नहीं रहता ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को पक्की बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) २ मील माखरी खान तक पक्की सड़क बनी हुई है बाकी कच्चा रास्ता है अधिक वर्षा में आवागमन बन्द हो जाता है।

(२) यह कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है। प्रश्न नहीं उठता। अर्थाभाव के कारण यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि यह कार्य कब आरम्भ होगा।

राजस्थान बाल संस्थान को अनुदान

१३६. **श्री जयनारायण सालोदिया** : (निवाई) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राजस्थान बाल संस्थान, बजाजनगर को सरकार से सालाना कितना रुपया मिलता है और इसकी व्यवस्था में सरकार का कितना बजट है ?

उत्तर

राजस्थान बाल संस्थान, बजाज नगर नाम की कोई मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। अतः उसको सहायता देने तथा उसकी व्यवस्था में सरकार के दखल का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील प्रतापगढ़ के ग्रामों में बिजली

१३७. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला चितौड़गढ़, तहसील प्रतापगढमें बिजली की मेन लाइन के

(श्री हुरलाल मीणा)

गांव पंच बसाड़, अवलेश्वर, सेलारपुरा, कुणी और घोटारसी को गत साल बिजली देने की योजना थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि इन गावों को बिजली देने के लिए गत साल ढाई लाख रुपया मंजूर भी हुआ था ? यदि हां, तो कार्य प्रगति क्या है ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि उपरोक्त ग्रामवासी किसानों ने बिजली मिलने की आशा से बिजली की मोटरें भी खरीद रखी हैं जो बिजली नहीं मिलने से बेकार पड़ी हुई हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, केवल वासा, अमलावा, गांधुनिया, आवलेश्वर, कुणी और सीलारपुरा कलां को।

(२) इन गांवों के लिए विशेष रूप से कुछ द्रव्य स्वीकार नहीं हुआ था। सामूहिक रूप में क्रेस प्रोग्राम सन् १९६५–६६ के के लिये १५१ लाख रुपया मंजूर हुआ था।

(३) जी नहीं।

होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता

१३८. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर-पश्चिम) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए तथा ऐसे चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सरकार ने कोई बिल बनाया है ? यदि हां, तो उसके बारे में अब तक क्या किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या राज्य सरकार ने अब तक इस पद्धति के अनुसार चलाये जाने वाले चिकित्सालयों या चिकित्सकों को कुछ अनुदान दिया है ? यदि हां, तो वार्षिक अनुदान की राशि १९६३--६४, १९६४--६५ तथा १९६५-६६ में क्या दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राजस्थान होम्योपैथिक बिल का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

(२) जी हां। सरकार ने ५ होमियोपैथी चिकित्सालयों को अनुदान दिया है जिसकी सूची सदन की मेज पर दी गयी है।

सूची

क्रम सं०	नाम चिकित्सालय	वर्ष १९६३-६४	६४-६५	६५-६६
१	श्री होम्योपैथिक धर्मार्थ चिकित्सालय, जयपुर	६००)	८२५)	६६०)
२	श्री होमियोपैथिक एसोसियेशन, अजमेर	६००)	७६५)	४१०)
३	श्री खत्री होमियोपैथिक धर्मार्थ औषधालय, बीकानेर	१२००)	६३५)	८५५)
४	श्री संथालिया होमियोपैथिक डिस्पेन्सरी मंडावा (झून्झूनू)	६००)	९००)	७५०)
५	श्री मोती सिंह खमेसरा होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी जयपुर	१२००)	६६०)	७१५)
	योग	४५००)	४४१५)	३४२०)

बडोरा की खान की नीलामी

१३९. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.) क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बड़ोरा, जिला कोटा की खान की नीलामी जून सन् ६६ की किस तारीख को हुई थी ? इस नीलामी बोली में आखिरी बोली किस व्यक्ति की थी ?

(२) क्या यह सही है कि आखिरी बोली लगाने वाले व्यक्ति से बोली की पूरी रकम जमा कराली गई थी ? यदि हां, तो कितनी रकम जमा कराई गईथी ? इस रकम की रसीद न देने का क्या कारण है ?

(३) इस खान की बोली समाप्त करने के बाद इस ठेके को कैंसिल करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) तारीख २९–६–६६ व ३०-६-६६ को।

इस नीलामी में आखरी बोली श्री किशोर पुत्र ओंकार की थी।

(२) जी हां।

५००) रुपये।

इस रकम की रसीद दिनांक ३०-६-६६ को उसी समय दे दी गई थी। अत: रसीद न देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) चूंकि इस नीलामी के कुछ दिन बाद ही अधिकतम बोली से भी दुगने का किसी दूसरी पार्टी का लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ अत: यह निर्णय लिया गया कि नीलाम फिर कराया जाये। मामला अभी विचाराधीन है।

पंचायत समिति, बनेडा द्वारा ऋण

१४०. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा में सन् ६४–६५, ६५–६६ व ६६-६७ में किन किन व्यक्तियों को एक हजार से ज्यादा तकावी ऋण तथा सिचाई साधन बढ़ाने का ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) कितने व्यक्तियों को पम्पिग सैट लगाने के लिये सन् ६५–६६ व ६६–६७ में कितना-कितना ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। जिन लोगों को पम्पिग सैट के लिये रुपया दिया गया उनमें से किन-किन लोगों ने पम्पिग सैट नहीं लगाये हैं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान को बिजली

१४१. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि सतपुड़ा थरमल पावर हाउस और भाखड़ा राइट बैंक प्रोजेक्ट से चालू वर्ष में राजस्थान को बिजली मिलने लगेगी ? यदि हां, तो कितनी और कब से ?

(२) क्या राज्य विद्युत् मण्डल ने इस बिजली का पूरा उपयोग करने के लिए आवश्यक ट्रान्समिशन लाइनें और डिस्ट्रिब्यूशन लाइनें डाल दी हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस बिजली का वितरण करने की क्या योजना है ? किस किस जिले में कितनी कितनी बिजली इस अतिरिक्त बिजली में से दी जायेगी ? इसमें से उद्योगों के लिए कितनी और कृषि के लिए कितनी दी जायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

क-भाखरा राइट बैंक प्रोजेक्ट से आजकल १०,००० किलोवाट बिजली और मिलने की आशा है।

ख—सतपुड़ा बिजली घर की पहली मशीन इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक चालू होने की संभावना है। जिससे अनुमानतः २०००० किलोवाट बिजली मिल सकेगी।

(२) निम्नलिखित ट्रांसमीशन लाइनें जिन पर आजकल कार्य हो रहा है, जल्दी से जल्दी पूरी कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन लाइनों के पूरा होने पर ही भाखरा योजना से मिलने वाली कुल बिजली का पूरा उपयोग हो सकेगा।

भाखरा के लिए:-(१) पंजाब बोर्ड द्वारा (अ) भाखड़ा:—संगरूर, लुधियाना, हिसार २२० के०बी० की।

(आ) हिसार रिसा—१३२ के०बी० की।

(२) राजस्थान बोर्ड द्वारा : (अ) हिसार खेतड़ी, जयपुर २२० के० बी० की।

(आ) सिरसा हनुमानगढ़ :—१३२ के० बी० की।

सतपुड़ा के लिए :—मध्यप्रदेश में लाइनें डाली जा रही हैं, राजस्थान में इन लाइनों की आवश्यकता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें उपलब्ध धनराशि के अनुपात में आवश्यकतानुसार बढ़ाई जावेगी।

(३) बिजली के वितरण के लिये किसी विशेष योजना की आवश्यकता नहीं। मुख्यतः भाखरा की बिजली भाखरा रीजन में व सतपुड़ा से मिलने वाली चम्बल रीजन में काम में आवेगी। जिलेवार ब्योरा देना कठिन है। किस अनुपात में बिजली उद्योगों और कृषि आदि को दी जावेगी, इसका विस्तृत विवरण सम्भव नहीं है। कृषि कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

रेगिस्तानी इलाकों में अकाल की समस्या का समाधान

१४२ **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे--

(१) क्या यह सही है कि राज्य से कई रेगिस्थानी जिलों में अक्सर अकाल पड़ते रहते हैं जिससे सरकारी आमदनी में कमी एवं खर्चे में वृद्धि होती है ? अगर हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु कोई कदम उठाये हैं ? अगर हां, तो क्या कदम उठाये हैं ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि दक्षिण भारत के आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास एवं मैसूर आदि राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने माह जुलाई में एक बैठक का आयोजन करके उनके राज्यों के कतिपय हिस्सों में पड़ने वाले अकाल से छुटकारा पाने हेतु कुछ योजनाओं की क्रियान्विति के लिये चौथी योजना में अतिरिक्त धनराशि की मांग की है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने इस समस्या के हल के लिये क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(१) जी हां, सरकार इस समस्या के समाधान के बारे में जागरुक है और राजस्थान के चिरकालिक (Chronically Draught Affected) अकाल पीड़ित क्षेत्रों के विकास हेतु एक योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी गई है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। राज्य सरकार ने इसके पूर्व ही दिनांक २०-६-६६ को यह योजना भारत सरकार को अतिरिक्त धनराशि की मांग के साथ भेज दी थी। यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नीम का थाना, पंचायत समिति प्रधान का उप चुनाव

१४३ **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नीम का थाना पंचायत समिति के प्रधान का उप चुनाव २६-६-६६ को तय था ? अगर हां, तो उसे उस तारीख को सम्पन्न क्यों नहीं होने दिया गया तथा किस कानून के तहत उसे स्थगित किया गया ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सांचोर की जल प्रदाय योजना

१४४. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या जल स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) क्या यह सही है कि सांचोर की जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत दो पानी के बेरों द्वारा सप्लाई करने की योजना थी ? अगर हां, तो अभी तक सिर्फ एक ही बेरे से अस्थाई तौर से पानी क्यों दिया जा रहा है जब कि पानी की मांग पूरी नहीं हो रही है ?

(२) क्या यह सत्य है कि अभी तक सांचोर पानी सप्लाई योजना पूरी नहीं हुई

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है ? अगर हां, तो क्यों ? कब तक सम्पूर्ण कर दी जावेगी ?

(३) क्या यह सत्य है कि आसपास कहीं मीठे पानी का ट्यूबवैल लगाकर सांचोर की जनता को मीठा पानी उपलब्ध कराने की सरकार की योजना थी ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) क्या यह सत्य है कि सांचोर के पास डेढ़ मील पर बोरिंग करने पर मीठा पानी काफी मात्रा में उपलब्ध हो चुका है ? अगर हां, तो उस ट्यूब वैल से सांचोर की पाइपलाइन कब तक जोड़ दी जावेगी ?

(५) क्या यह सत्य है कि पुरानी स्कीम के अनुसार अभी तक रकम खर्च नहीं हो पाई है ? अगर हां, तो अब नये कुए से जोड कर स्कीम शीघ्र पूरी कराने का सरकार विचार रखती है ? क्या इस बारे में पंचायत सांचोर एवं पंचायत समिति सांचोर के प्रस्ताव आ चुके हैं ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां, इस बैरे में पानी की आमद बहुत कम ७०० गेलन फी घन्टा हो जाने के कारण पानी वितरण काफी महंगा पड़ता है इसलिए दो बैरों में से केवल एक ही बैरे से पानी दिया जाता है।

(२) योजना पूर्ण की जा चुकी है तथा ग्रामीण जनता को पानी वितरण भी किया जा रहा है किन्तु जैसा कि उपरोक्त उत्तर में बताया गया है एक कुए में पानी की मात्रा कम होने के कारण पानी पूरा नहीं दिया जा रहा है। दूसरे अधिक मात्रा में पानी मिलने के साधन की तलाश करने के लिए प्रयत्न जारी है।

(३) एक कुए से असफल होने के कारण दूसरे पास के कुओंमें बोरिंग किया गया किन्तु बोरिंग करने से कुए का पानीखारा हो गया। अतः अन्य कुओं में बोरिंग करना स्थगित कर दिया गया। आसपास के कुओं में नल कूप भी खोदे गये किन्तु कोई संतोषजनक पानी का साधन प्राप्त नहीं हुआ। पानी के साधनों की खोज अब भी जारी है।

(४) जी हां, विकास अधिकारी महोदय से ऐसी सूचना मिली है। और उसी के अनुसार इस नलकूप से सांचोर की पाईप लाईन जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।

(५) जी हां, अभी तक पूरी रकम खर्च नहीं हुई है । नए कुए से पाइप लाईन जोड़ने के लिए योजना बनाई जा रही है। इस बारे में ग्राम पंचायत, सांचोर से कोई प्रस्ताव आया है ऐसी सूचना इस विभाग को नहीं है । विकास अधिकारी से इस निर्णय के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ था और उसी के अनुसार योजना बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

रिहायशी प्लाट्स में अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता

श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे---

(श्री रावतराम)

(१) क्या सरकार ने विभिन्न अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड्स तथा नगरपालिकाओं को यह आदेश दिये हैं कि रिहायशी प्लाट्स अलाट करते समय अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को भूमि देने में प्राथमिकता दी जाय ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत प्लॉट्स अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व रखे जाने हैं ? यदि इस प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं किया गया है तो क्यों ?

(२) सन् १९५२ से अब तक जयपुर में कितनी नयी स्कीम में स्वीकार की गई और प्रत्येक में कितने प्लॉट थे और उनमें से कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों को दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस सम्बन्ध में भविष्य में सरकार क्या उचित कदम उठा रही है जिससे अनुसूचित जातियों को आसानी से अच्छी बस्तियों में आबाद होने के लिए प्लाट्स मिल सकें ?

उत्तर

(१) जी हां, कम आय वाले लोगों (Low Income Group) के लिए रिजर्व किए गये प्लाटों में से ५० प्रतिशत उन लोगों के लिए रिजर्व हैं जिनकी आय १०० रु० माहवार तक है। इन में शिड्यूल कास्ट के लोग भी शामिल है।

(२) मंजूर शुदा स्कीम में व हरेक में प्लाट्स की लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है। यह जानकारी इकट्ठी करना मुमकिन नहीं है क्योंकि जातिवार आंकड़े ट्रस्ट में नहीं रखे जाते।

(३) मौजूदा रकम काफी है और अभी सरकार का इसमें रद्दोबदल करने का कोई इरादा नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति निवाई के अध्यापकों का स्थानान्तरण

१४७. श्री **जयनारायण सालोदिया** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति निवाई के अधीनस्थ अध्यापकों के स्थानान्तरण की सूचि माह नवम्बर, दिसम्बर, १९६५ व जनवरी, १९६६ में बार-बार आउट की गई है ? यदि हां तो कितनी बार ?

(२) क्या यह सही है कि स्थानान्तरण सरकार के इन आदेशों के खिलाफ हुए हैं कि चालू सत्र में अतिआवश्यक व कम से कम स्थानान्तरण ही किये जायं ?

उत्तर

(१) जी हां, **नौ बार**।

(२) स्थानान्तरण पंचायत समिति ने आवश्यक होने के कारण ही किये हैं।

कोटा व झालावाड़ जिले में स्कूलें

१४८. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(श्री जुझारसिंह)

(१) कोटा झालावाड़ जिलों में १९६६ में मिडिल व हाईस्कूल किन किन स्थानों पर खोले गये हैं और उनके खोले जाने के क्या आधार हैं।

(२) क्या मिडिल स्कूल खोले जाने के पहले सम्बन्धित पंचायत समितियों व जिला परिषद् से भी परामर्श किया गया था? यदि हां, तो उनकी राय को किन किन स्थानों पर प्राथमिकता दी गई है और किन किन पर नहीं?

(३) पंचायत समिति सांगोद व झालरापाटन द्वारा किन किन स्थानों को मिडिल स्कूल खोलने के लिये प्राथमिकता दी गई थी और सरकार द्वारा किन किन स्थानों पर खोले गये हैं? समिति की राय नहीं मानने के कारण भी बतलावें?

उत्तर

(१) कोटा जिले में खोली गई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं की सूचि संलग्न है। शालाओं को क्रमोन्नत करने के आधार संलग्न हैं।

(२) जिला परिषद् द्वारा दी गई प्राथमिकता शालाओं के आगे अंकित की गई हैं।

(३) पंचायत समिति, झालरापाटन द्वारा ग्राम मन्डावर तथा पीपलिया को ही प्राथमिकता दी गई थी। जहां पर माध्यमिक शालायें खोल दी गई हैं। पंचायत समिति सांगोद द्वारा केवल एक ही प्राथमिक शाला, रोलाना को उन्नत करने का प्रस्ताव था और वहां माध्यमिक शाला बना दी गई। इस समिति से दो और शालाओं के प्रस्ताव आये थे। वे देरी से आये। अतः मान्यता नहीं दी गई।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकाल में रखी गई)

सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला

१४६. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर पंचायत समिति द्वारा ता० २८-७-६६ की बैठक में अपनी निजी आय में से सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला के भवन निर्माण के लिए ३५,०००) रु० की धनराशि देना निश्चित किया था?

(२) क्या यह सत्य है कि पंचायत, सांचोर ने भी उपरोक्त पाठशाला के भवन निर्माण हेतु कुछ रकम मंजूर की थी? अगर हां, तो कितनी व कब?

(३) क्या यह सत्य है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला का मौजूदा भवन बिलकुल अपर्याप्त है? अगर हां, तो शिक्षा विभाग लड़कों की संख्या को देखते हुए भवन निर्माण के लिए क्या कदम उठा रहा है? क्या सरकार उपरोक्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा दी गई रकम के विरुद्ध उतनी हो अपनी रकम लगाकर पाठशाला भवन शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(१) जी हां, प्रस्ताव पास किया है ।

(२) इसकी सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(३) छात्रों की संख्या देखते हुए भवन अपर्याप्त है । यदि जिला परिषद एवं जिला विकास अधिकारी द्वारा प्रस्ताव सरकार को प्राप्त होंगे तो सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर अन्य ऐसे ही विषय के साथ साथ इसके बारे में सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

पलाना में पॉवर हाउस

१५०. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): क्या विद्युत् मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:-

क्या यह सही है कि योजना आयोग द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना काल में पलाना में पचास हजार किलोवाट क्षमता का पॉवरहाउस बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है ? अगर हां, तो इसका कार्य कब तक प्रारंभ हो जायगा ?

तर

जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

हनुमानगढ़ टाउन–हनुमानगढ़ जंक्शन सड़क

१५२. **श्री योगेन्द्रनाथ** हाण्डा (राय-सिंह नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) हनुमानगढ़ टाउन से हनुमानगढ़ जंकशन तक की सड़क व उस पर बनी पुलें १९५९ से १९६६ तक कितनी बार टूटी हैं ?

(२) हर बार उपरोक्त सड़क व पुलों की मरम्मत में कितनी कितनी राशि अलग अलग वर्षों में व्यय हुई है तथा अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

(३) इस सड़क के बार बार टूटने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या इसके लिये कोई व्यक्ति जिम्मेवार है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

कालेज में प्रवेश के लिये साक्षात्कार

१५३. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि इस बार पोलीटेकनिक कालेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए राजस्थान के प्रत्येक केन्द्र के लिये विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए अजमेर बुलाया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष इस प्रकार की अनेक शिकायतें आई कि समय पर नियमानुसार प्रार्थना-पत्र मय

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

शुल्क आदि भेज देने के बाद भी, उनको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया ? अगर हां, तो ऐसे कितने मामले थे ?

(३) क्या यह सही है कि बाद में सचिवालय स्तर से कुछ विद्यार्थियों को जिनको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था, प्रवेश दिलवाया गया ? अगर हां, तो किन २ को कब २ व क्यों ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई गई ? अगर हां तो दोष किस का पाया गया व उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(५) जिन विद्यार्थियों को देर से प्रवेश मिला है, उनकी उपस्थिति की कमी के लिए क्या निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(१) जितने स्थान प्रत्येक केन्द्र में थे उतने से कुछ ज्यादा विद्यार्थी तो उसी केन्द्र में बुलाये गये थे । उनमें से जो आये तथा जिनके कागजात सही थे, उन्हें दाखिल कर लिया गया । इसके बाद जो सीटें खाली रही उनको भरने के लिये बाकी बचे हुए विद्यार्थियों को एक ही दिन अजमेर बुलाया गया था, ताकि उनको जहां भी सीटें खाली हों वहां दाखला दे दिया जावे । ऐसा करने से १० प्रतिशत से ऊपर तो उसी केन्द्र में बुलाये गये जहां उन्हें भरती होना था ।

(२) इस बात की शिकायत कि नियमानुसार प्रार्थना-पत्र मय शुल्क आदि भेज देने के बाद भी किसी को साक्षात्कार के लिये नहीं बुलाया गया, केवल एक ही थी। इस मामले में जांच करने पर पता चल गया कि प्रार्थना-पत्र पहुँचने की रसीद तो प्रार्थी को भेज दी थी, परन्तु उसके बाद उसके कागजात नहीं मिलने के कारण उसे साक्षात्कार के लिये नहीं बुलाया । जांच के बाद उसे बुला कर दाखला दिया गया था ।

(३) जी हां । दो को ।

श्री शिखर चन्द जैन व श्री गोरधन लाल को । क्योंकि इन विद्यार्थियों के ६५ प्रतिशत अंक थे और इनसे नीचे के विद्यार्थियों को प्रवेश मिल चुका था ।

(४) सचिव महोदय ने स्वयं उसकी जांच की तथा यह देख कर कि निदेशालय ने सरकार की धारणा को गलत समझा था, जहां तक हो सकता था गलती को दूर किया इस में किसी व्यक्ति का दोष नहीं था, इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठा ।

(५) जो विद्यार्थी १८ जुलाई तक प्रवेश पा चुके थे, उनकी उपस्थिति कम होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिन दो को बाद में प्रवेश दिया है, उनमें एक को ११ अगस्त, ६६ तथा दूसरे को ३-९-६६ को प्रवेश दिया था । आशा है कि यदि ये बाकी वर्ष हाजिर रहे तो इनकी उपस्थिति कम नहीं होगी । बोर्ड के नियमों के अनुसार ८५ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।

रतनगढ़, सुजानगढ़ एवं सरदार शहर तहसीलों में विद्युतिकरण

१५४ **श्री रावतराम** (सादूलपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

चुरू जिले की रतनगढ़, सुजानगढ़ एवं सरदार शहर तहसीलों में विद्युत विभाग के पास कितने किसानों ने कुओं पर बिजली के कनेक्शन लेने की दरख्वास्तें दे रखी हैं और उन्हें अभी तक बिजली न मिलने का क्या कारण है ? कृपया जिन लोगों ने दरख्वास्तें दे रखी हैं उनकी दरख्वास्तों को तारीख सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केवल १० प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसकी सूची संलग्न है। जिसमें कार्यों का विवरण भी दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २१ सितम्बर, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	अन्तिम से ५	झालाग्राड	झालावाड़
२	अन्तिम से ८	केबल	केवल
,,	अन्तिम से६,५, २	नुक्सान	नुकसान
३	२२	ईन्च	इन्च
४	२	फिट	फुट
,,	६	(बारा–सु०)	(बारां–सु०) :
,,	८	सर्विसैबल	सर्विसेबल
५	शीर्ष	—	(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
,,	१२	ऐक्सन	एक्सन
६	५	व्यवस्था	व्यवस्था
,,	१०	बाइफ	वाइफ
,,	१८	मैडिकल	मेडिकल
	१६	एच, ओ०	एच० ओ०
,,	अन्तिम से ५	किय	किया
,,	अन्तिम से ४	प्रोवींजन	प्रोबीजन
,,	अन्तिम से २	नम्वर	नम्बर
७	१	श्री जुजारसिंह	श्री जुझारसिंह :
,,	६	चलावेगे ।	चलावेंगे ।
,,	१५	श्री जुझारसिह :	श्री जुझारसिंह :
,,	१६	वसन्स	सेक्शन्स
,,	अन्तिम से ८	(अनुपस्थित कृपया	(अनुपस्थित–कृपया

१	२	३	४
७	अन्तिम से ५	अनुपस्थित कृपया आगे देखिये	(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)
८	अन्तिम	मंत्रीं	मंत्री
,,	६	करें :	करें ।
,,	११	जाने के काम	जाने के काम
,,	१२	(श्री दामोंदरलाल व्यास)	(श्री दामोदरलाल व्यास) :
,,	१३	१,	१.
,,	अन्तिम से ६	हैं	है
६	३	पार्टस	पार्ट्स
,,	७	हाँ ।	हूँ ।
,,	६	हुई ।	हुई ?
,,	१२	दी	दो
,,	१७	मेन्टने	मेन्टेन
,,	अन्तिम से २	: (अलवर)	(अलवर) :
१०	१	ब्योरा।	ब्योरा
,,	२	आमदनी कीं	आमदनी की
,,	११	इन्फोमेंशन	इन्फोर्मेशन
,,	१३	रामानन्द अग्रवाल :	**श्री रामानन्द अग्रवाल** :
,,	१४	आंमदनी	आमदनी
,,	१६	तांकि	ताकि
,,	१६	(टोंक)	(टोंक) :
,,	अन्तिम से ६	हे	है
,,	अन्तिम से २	मी	में
११	२	(बसों की मरम्मत)	**बसों की मरम्मत**
,,	अन्तिम से १०	मगाये	मंगाये
,,	अन्तिम से ६	उप मन्त्री	उप मन्त्री,
,,	अन्तिम से ४	प्रतिलिपी	प्रतिलिपि
१२	७	पार्ट्स	पार्ट् स
,,	१५	नहीं	नहीं
१३	६	कैंसे	कैसे
,,	१०	ऐक	एक

१	२	३	४
१३	११	रिचैंकिग	रिचैंकिग
१४	६	मैने	मैंने
,,	१४	प्रश्न पूछ्ाा	प्रश्न पूछा
,,	१५	खराद	खराब
,,	२२–२३	है	हैं
,,	अन्तिम से ६	व्हाकल्स	व्हीकल्स
१५	५	है	है
,,	अन्तिम से १०	लील	मील
,,	अन्तिम से ६	आाई	आई
,,	अन्तिम से ५	वाद	बाद
,,	अन्तिम से ४	हुई	हुई
,,	अन्तिम	महोदय	महोदय,
१६	७	(निबाई) :	(निवाई) :
,,	अन्तिम से ६	जायेचा।	जायेगा।
,,	अन्तिम से ८	(छावड़ा) :	(छबड़ा) :
,,	अन्तिम से ४	कोटां	कोटा
१७	३	ठाक	ठीक
,,	१०	हैं	है
,,	१५	ड्राईवर	ड्राइबर
,,	२०	स्पैंयर	स्पेयर
,,	अन्तिम से ३	फोरमैन	फोरमैन
,,	अन्तिम से २	लेम्टस	लेट्स
१६	२	लोग। उधर	लोग उधर
,,	१७	और्ह	और
,,	अन्तिम से ६	दे दें	दे दें।
,,	अन्तिम से ८	: (सिकराय–सु०)	(सिकराय–सु०) :
,,	अन्तिम से ३		मैं
,,	अन्तिम से २	दिवेदन	निवेदन
,,	अन्तिम	गाडियों	गाड़ियां
२०	१	,,	,,

१	२	३	४
२०	३	मैनेजर	मैनेजर
,,	अन्तिम से ८	करेंगे	करेंगे:–
२१	३	माग	मांग
,,	अन्तिम से १०	पर व	व
२२	अन्तिम	नही	नहीं
२६	१	है	हैं
२८	अन्तिम से ४	कांट्रक्ट	कांट्रेक्ट
२९	अन्तिम से ७	गाडियां खडी	गाड़ियां खड़ी
३२	३	रुरल	रूरल
३३	१५	वस	व
४२	अन्तिम से ९	कोरस्पोसादिक	कोरस्पो-
४३	अन्तिम से ५	जायगा	गया
४५	१२	कितना	कितने
४५	१५	चंदनमल वैद	श्री चंदनमल बैद
५३	अन्तिम	chair	Chair
५७	अन्तिम से ११	नहींराबाद	नसीराबाद
६१	अन्तिम से ३	बैर	वैर
६६	७	या	क्या
,,	११	अधिकारी	अधिकारी जो
,,	३२	मेट्रिकेयूलेशन	मैट्रिक्युलेशन
६७	२५	पाठ्स्तकों	पाठ्य-पुस्तकों
,,	अन्तिम से ६	१२	१२३.
६८	१९	छात्रवृति	छात्र वृत्ति
६९	३	रावराम	रावतराम
,,	५	नेदे	देने
,,	११	क्वा	क्या
,,	२९	नोदासर	वीदासर
७५	५	को	की

१	२	३	४
७५	१७	शीघ्रतीशीघ्र	शीघ्रातिशीघ्र
,,	१८	विद्यूत	विद्युत्
,,	२३	निचिश्त	निश्चित
७६	४	अण्तर्गत	अन्तर्गत
,,	११	को	की
,,	२४	आपते	आपने
७६	शीर्षक	से	में
८१	१२	नौजवाम	नौजवान
,,	१४	लिकेज	लीकेज
,,	१७	वहा का	वहां की
८३	१६	माननीम	माननीय
८४	११	व्यक्तव्य	वक्तव्य
,,	२१	को	की
८५	१५	मागों	मांगों
८८	६	आप	आपका
,,	१०	में	मैं
८६	२४	असंपुष्ट	असंतुष्ट
६१	शीर्ष	श्री मुरलीधर व्यास	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
६२	२	मर	अगर
,,	५	आदसी	आदमी
,,	१७	नारे	सारे
,,	२८	इन्वा	इन्वाइट
,,	३१	उाहोंने	उन्होंने
,,	३२	माफत	मार्फत
६३	२५	बीच बैठ कर में	बीच में बैठ कर
६४	२८	कहं	कहते
,,	३३	आपको	आपका
६६	१३	मांग का प्रश्न है	मांग का प्रश्न नहीं है
६७	४	पैंडिग	पेंडिंग
,,	५	इश्पू	इश्यू

१	२	३	४
९७	१६	हडताल	ड़ताल
,,	१७	पडा	पड़ा
९९	६	मानिकचन्य	मानिकचन्द
१०१	शीर्ष	श्री शसतीचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
१०६	३	किस्के	किसके
१०७	अन्तिम से ६	दिन-दहाडे	दिन दहाड़े
११०	६	डिस्प्यू	डिस्प्यूट
,,	१६	तरीका	तरीके
११२	१	आपका	आपको
,,	अन्तिम से ३	फोर्टफोलियो	पोर्टफोलियो
११३	,, ११	कि	की
११४	,, ८	poinf	point
११५	अन्तिम से ५ व ६	privilige	privilege
१२०	५	सकतेहैंकि	सकते हैं कि
१२१	अन्तिम से ३	आचायं	आचार्य
१२७	शीर्ष	(श्री मुकितलाल मोसी)	(श्री मुक्तिलाल मोदी)
१२९	३	कहीं	कही
,,	अन्तिम	श्री ज्ञानचन्द मोदो	श्री ज्ञानचन्द मोदी
१३०	८	कैसा	कैसे
१३१	२५	बच्चो	बच्चों
१३२	१	एफमेशन	अफर्मेशन
,,	३	क्रि	कि
,,	१८	नॉकर	नौकर
१३३	१५	शय	शह
,,	अन्तिम से ४	(किशनपोल, जययुर)	(किशनपोल, जयपुर)
१३५	१५	एन्क्लांजर्स	एन्वलॉजर्स
१३५	१६	नह	नहीं
१३७	१२	जययुर	जयपुर
१३९	५	ग्रिबान्सेज	ग्रिवान्सेज़
,,	अन्तिम से ४	सीधा साधा	सीधा सादा
१४४	१६	आसश्वाशन	आश्वासन

१	२	३	४
१५४	६	चांहिए	
१५७	११	तनख्वायें	तनख्वाहें
१६०	शीर्षक	ग्रव्य स्थगन प्रस्तावों	ग्रन्य स्थगन-प्रस्तावों
१६३	ग्रन्तिम से २	हुँ	हूँ
१६४	३	हुँ	हूँ
१६५	१३	ग्रमेण्डमेन्ट्स	ग्रमेण्डमेन्ट
,,	१५	ग्रमेण्डमेन्ट्स	ग्रमेण्डमेन्ट्स
१७०	५	दुं राशा	दुराशा
१७१	ग्रन्तिम	नहीं	नहीं
१७५	१५	प्रोसीडेन्ट	प्रेसीडेन्ट
,,	,, १५	कैसेन्ट	एसेन्ट
,,	,, १०	रामामंद	रामानन्द
१७८	,, १३	इन्प्लूएन्स	इन्फ्लूएन्स
१७६	१४	मंश्रीजी	मन्त्रीजी
१८३	१६	सर्बसम्पति	सर्व सम्मति
१८५	१२	लोगों में	लोगों
,,	ग्रन्तिम से ३	नौति	नीति
,,	,, २	ग्रन ग्रोथराइज्ड	ग्रनग्रोथॉराइज्ड
१८६	,, ११	जमान	जमीन
,,	,, १०	यह	यहां
१८७	१०	मौरुसीजमीन	मौरुसी जमीन से
,,	ग्रन्तिम से ३	ही	है
१६१	ग्रन्तिम	मे	में
१६२	ग्रन्तिम से १०	राजनीति	राजनीति
१६३	१६, २४	मुरबा	मुरब्बा
१६४	ग्रन्तिम से १२	स्मेगलर	स्मलगर
,,	ग्रन्तिम से ४	ग्रोर	ग्रौर
१६५	१४	की ग्रावयककता	की क्या ग्रावश्यकता
,,	१६	फोजियों	फौजियों
,,	२१	मुरबा	मुरब्बा

१	२	३	४
१६५	अन्तिम से १०		रौंग
१६६	३	मैं	थे
,,	१२	लगा लेकर	लगान लेकर
,,	अन्तिम से ६	कनून राज्य	कानून का राज्य
,,	अन्तिम से १	लड़ाइ	लड़ाई
१६७	३	सुदर	सुन्दर
,,	१६	पालिसी	पॉलिसी
,	अन्तिम से ८	चतुर्य	चतुर्थ
,,	अन्तिम से ४	कर्मचारो	कर्मचारी
१६८.	७	प्रेसर	प्रेशर
,,	अन्तिम से १५	कुसेक	क्यूसेक्स
,	अन्तिम से १३	कमाण्ड	कमाण्ड
१६६	५	बुए	हुए
,,	अन्तिम से १०	अलाट	अलॉट
२००	१	मिर्धा :	मिर्धा (कृषि मन्त्री) :
,,	७	यिधेयक	विधेयक
,,	१०	सलेक्ट	सिलेक्ट
२०१	१	पब्लिस	पब्लिश
२०२	५	चाहै	चाहें
२०३	अन्तिम से १२	हे	है
२०४	११	लाज	लॉज
२०५	१	बोड	बोर्ड
,,	अन्तिम से २०	रैवेन्यु	रेवेन्यू
,,	अन्तिम से १४	पंड़ित	पंडित
२०६	७	eeon	recond
,,	१०	High powered Comm	niga powered committee
,,	१३	commission	Commission
,,	१४	secrteary	Secretary
२०७	अन्तिम से ७	वीच	बीच
२०८	१६	उऋृण	उऋण

१	२	३	४
२०८	२०	जुड़ीशियरी	जुडीशियरी
२०६	अन्तिम से १४	में	मैं
२१०	६	अर्डिनेन्स	आॅर्डिनेन्स
२१६	८	entrested	entrusted
२१७	३	हैं	है
२१६	१०	ग्रौर	ग्रार
२२०	१८	डिपाटमेंट में	डिपार्टमेंट
,,	२३	कानून	कानून
२२१	१०	कोट	कोर्ट
,,	१६	हू	हूं
,,	अन्तिम से ६	दिमा	दिया
२२३	१५	चिटठी	चिट्ठी
२२४	१२	सशोघन	संशोधन
,,	१६	र्यदि	यदि
,,	१७	है	हैं
२२६	१	वोष	कोष
,,	१०	ज़िसने	जिसने
,,	१४	ग्रधिकार	ग्रधिकार
,,	अन्तिम	हीं	ही
२३१	अन्तिम से ३	इच्छक	इच्छुक
२३२	६	मुझ	मुझे
,,	१३	को यह	यह
२३३	१४	पांयगा	पायेगा
२३६	३	यिर्धा	मिर्धा
,,	३	रैवेन्यु	रेवेन्यू
२३७	१७–१८	माननींय	माननीय
२३८	१३	दीं	दी
२४१	१०	गुरुवार	शुक्रवार
,,	१४	शुक्रवार	गुरुवार
२४२	१५	ब्रांच	ब्रैंच

१	२	३	४
२४३	शीर्ष	—	(श्री मानाधातासिंह)
२४४	६	(बनेडा)	(बनेड़ा)
,,	अन्तिम से १३	इनके	इनका
२४५	८	रूखा	रखा
,,	६	रूखा	रखा
,,	अन्तिम	गानून	कानून
२४६	१०	बह	—
,,	अन्तिम से १४	तो	जो
२४७	१४	गावर्स	पॉवर्स
,,	१४	दबे	दवे
२४८	१	प्रस्ताव रख	प्रस्ताव को रख
,,	१३	लेबिल	लेवल
,,	अन्तिम से ७	वें	थां
२५३	अन्तिम से ५	अस्वीकार	स्वीकार
२५४	८	committoe	Committee
,,	अन्तिम से ६	beck	back
२५५	७	दे	दें
२६०	७	अदुसार	अनुसार
२६२	७	किाी	किसी
२६४	१८	और आप	और न आप
२७०	४	विवण	विवरण
२७३	अन्तिम से १३	श्री	१३५. श्री
२८३	१८	छटकारा	छुटकारा
२८६	अन्तिम से ३	श्री	१४५. श्री
२८७	११	स्कीम में	स्कीमें